लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th

LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

[खंड 29 में अंक 51 से 62 तक हैं
Vol. XXIX contains 51-62]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 58 सोमवार, 12 मई, 1969/22 वैशाख, 1891 (शक)
No.—58 Monday, May 12, 1969/Vaisakha 22, 1891 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1621.	बिहार में सोना मिलने की सम्भावनायें — Prospects of Gold in Bihar	1—2
1622.	श्री गाडगिल के आश्वासनों के अनुसार दिल्ली में विस्थापित लोगों को दुकानों तथा मकानों का आवंटन — Allotment of shops and Houses to Displaced persons in Delhi under the Gadgil Assurances	2—4
1623.	विवाह की आयु बढ़ाने सम्बन्धी विधेयक — Bill to Raise Marriageable Age	4—7
1625.	करों की चोरी — Evasion of Taxes	7—15
1628.	खाद्य पदार्थों में मिलावट — Adultration of Foodstuffs	15—20
	अल्पसूचना प्रश्न — SHORT NOTICE QUESTION NO.	
24.	रामगंगा सिंचाई तथा बिजली परियोजना — Ramganga Project	20—23
	प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO THE QUESTIONS	
1624.	बड़ी रांशि के ऋण देने के लिए बैंकों को रिजर्व बैंक की अनुमति न मिलना — Banks not permitted by Reserve Bank of India to advance large amounts of Loans	24
1626.	भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों में हिन्दी कर्मचारियों की मांग — Demand for Hindi Staff in various Ministries and Departments of Government of India	24

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1627.	जस्ते का उत्पादन Production of Zinc	25—26
1629.	अल्कोहल की कमी Shortage of Alchohal	26
1630.	पैट्रोल का आयात Import of Petrol	26
1631.	खनन पट्टों का नवीकरण Renewal of Mining Leases	27
1632.	निर्मित मकानों को खरीदने के लिए ऋण Loans for Purchase of Built House	27—28
1633.	मैंगनीज अयस्क पर से निर्यात शुल्क हटाना Abolition of Exports Duty on Maganese Ore	28
1634.	दिल्ली प्रशासन द्वारा अर्जित भूमि का विकास Development of Land acquired by Delhi Administration	28—29
1635.	जीवन बीमा निगम द्वारा मध्य प्रदेश में परियोजनाओं में धन लगाना L.I.C. Idvestment on Projects in Madhya Pradesh	29
1636.	राजस्थान में सम्पदा शुल्क संबंधी मामले Estate Duty Cases in Rajasthan	29
1637.	भारतीय उर्वरक निगम द्वारा दावों को समाप्त करने के मामलों की जाँच Inquiry into dropping of Claims by Food Corporation of India	29—30
1538.	वित्त मंत्रालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees in Finance Ministry	30
1639.	उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा संसद सदस्यों को सामान की बिक्री Sale of Goods to M.Ps. by Excise Department	30
1640.	राज्यों में विभिन्न गृह-निर्माण योजनाओं के अन्तर्गत मकानों का निर्माण Construction of houses under various Housing Schemes in States	30—31
1641.	पश्चिम बंगाल में अमरीकी संगठन American Organisations in West Bengal	31
1642.	दिल्ली विकास प्राधिकार को नये मकान बनाने के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण L. I. C. Loan to Delhi Development Authority for construction of houses	31—32

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1643. उत्तर प्रदेश में सरकारी उपक्रम	Public Undertakings in U.P.	33—34
1644. नदी बहाव परियोजनाओं का अनुमोदन	Approval of Downstream Projects	34—35
1645. दिल्ली में श्री सी० राज गोपालाचारी के नाम पर सड़क अथवा गली	Road or street in name of Shri C. Rajgopalachari in Delhi	35
1646. कनाल हैडवर्क्स के नियंत्रण के बारे में पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद	Dispute between Punjab and Haryana over control of Canal Headworks	35—36
1647. सरकारी डाक्टरों द्वारा निजी चिकित्सा व्यवसाय	Private Practice by Government Doctors	36
1648. बम्बई में आयातित स्टेनलैस स्टील का पकड़ा जाना	Seizure of Imported Stainless Steel in Bombay	36—37
1649. नौवहन सम्बन्धी लाभों को कर से छूट देने के बारे में जापान के साथ करार	Agreement with Japan Exempting Tax on Shipping Profits	37—38
1650. दिल्ली में दुकानों के आवंटन संबंधी नियमों को उदार बनाना	Liberalisation of Rules for Allotment of Shops in Delhi	38—39
अतारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.		
9175. अलोह धातुओं का आयात	Import of Non-Ferrous Metals	39
9176. जम्मू तथा काश्मीर से बकाया केन्द्रीय सरकार के ऋण	Central Government Loan outstanding against Jammu and Kashmir	39—40
9177. महाराष्ट्र में ग्रामीण आवास योजना	Rural Housing Scheme in Maharashtra	40
9178. महाराष्ट्र में गांवों में बिजली लगाना	Rural Electrification in Maharashtra	40
9179. महाराष्ट्र के गांवों में बिजली लगाने के कार्य में प्रगति	Progress in Rural Electrification in Maharashtra	40—41

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
9180.	दस्तकारी योजना के अंतर्गत भारतीय औषधियां तैयार करना	Manufacture of Indian Medicines under Craft Scheme	41
9181.	नर्मदा घाटी विकास पर चर्चा	Discussions on Narmada Valley Development	41—42
9182.	पुनासा और बार्गी परियोजनायें	Punasa and Bargi Projects	42
9183.	चलचित्र उद्योग में फर्मों को मंजूर की गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange allowed firms in Film Industry	42
9184.	मैसर्स हिन्दुस्तान पिल्किंगटन ग्लास वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता	M/s. Hidustan Pilkington Glass Works Ltd., Calcutta	42—43
9185.	तिब्बिया कालेज	Tibbia College	43—44
9186.	तिब्बिया कालेज, दिल्ली	Tibbia College, Delhi	44
9187.	गुजरांवाला हाउस बिल्डिंग कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, दिल्ली	Gurjanwala House Building Cooperative Society, Ltd., Delhi	45
9188.	गुजरांवाला हाउस बिल्डिंग कोआपरेटिव सोसायटी	Gurjanwala House-Building Cooperative Society	45—46
9189.	नागपुर के निकट काम्पटी में तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को भत्ते	Allowances to Central Government Employees posted at Kamptee (Nagpur)	46
9190.	नागपुर निगम द्वारा चलाया जाने वाला मैडिकल कालेज	Medical College run by Nugpur Corporation	46
9191.	नागपुर में कैंसर अस्पताल की स्थापना	Setting up of Cancer Hospital in Nagpur	47
9192.	महाराष्ट्र में नहरुवा (गिनी वार्म) रोग	Guinea Worm Disease in Maharashtra	47
9193.	डेरा इस्माइल खां सहकारी गृह-निर्माण समिति लिमिटेड, दिल्ली	Dera Ismail Khan Co-operative House Building Society, Ltd., Delhi	47—48
9194.	केन्द्रीय लोक कर्म विभाग के अनुभागीय अधिकारियों को निवास स्थान का आवंटन	Allotment of Accommodation to sectional Officers of C.P.W.D.	48

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
9195.	नई दिल्ली में नानकपुर मार्केट में दुकानें	Shops in Nanakpur Market, New Delhi	48—49
9196.	नानकपुर मार्केट, नई दिल्ली में दुकानों पर वसूल किया गया क्षति शुल्क	Damage charges levied on shops in Nanakpur Market, New Delhi	49—50
9197.	विदेशी धर्मप्रचारकों द्वारा वित्तीय सहायता का धर्म परिवर्तन के प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाना	Utilisation of Financial Assistance to Foreign Missionaries for conversion purposes	50—51
9198.	गुजरात सरकार द्वारा भेजी गई सिंचाई परियोजनायें	Irrigation projects forwarded by Government of Gujarat	51
9199.	दूषित पानी का उपयोग	Utilisation of Poluted water	51—52
9201.	परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में कालिन क्लार्क का वक्तव्य	Collin Clark's Statement on Family Planning Programme	52
9202.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के औषधालय	C.G.H.S. Dispensaries	52—53
9203.	5000 रुपये अथवा अधिक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारी	Government employees drawing Rs. 5,000 or more as salary	53
9204.	परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme	53—54
9205.	इंडियन ड्रग्स एन्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड	Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd.	54
9206.	इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट बैंक आफ इंडिया	Industrial Development Bank of India	54—56
9207.	अंशों तथा ऋण पत्रों में जीवन बीमा निगम की पूंजी का विनियोजन	Life Insurance Corporation Investment in share and Debentures	56
9208.	वर्ष 1970-71 में बिजली पैदा करना तथा उसकी सर्वाधिक मांग	Power production and Peak Load during 1970-71	56
9209.	बिजली की लागत	Cost of Electricity	56—57
9210.	उर्वरकों की आवश्यकता	Requirement of fertilizers	57

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
9211. दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई योजनायें	Schemes forwarded by Delhi Administration	57
9212. विशाखापत्तनम में उर्वरक कारखाना	Fertilizer plant at Vishakhapatnam	58
9213. हरयाणा में बहुप्रयोजनीय नदी घाटी परियोजनायें	Multi Purpose river valley project in Haryana	58
9214. माउंट व्यू होटल की ओर किराये की बकाया राशि	Rent due from Mount view Hotel	58—59
9215. सरकारी उद्योगों में कर्मचारियों की प्रति-नियुक्ति	Deputation of personnel to public enterprises	59
9216. मंत्रियों के पानी और बिजली के बिलों पर व्यय	Expenditure on water and Electricity Bills of Ministers	60
9217. बम्बई में सोना पकड़ा जाना	Seizure of Gold in Bombay	60—61
9218. औद्योगिक वित्त निगम	Industrial Finance Corporation	61
9219. कोरबा में एल्यूमीनियम कारखाना	Aluminium plant at Korba	61—62
9220. राष्ट्रीय स्कूल स्वास्थ्य परिषद	National School Health Council	62
9221. रासायनिक उर्वरक कारखाने	Chemical Partilizer Factories	62—63
9222. दस रुपये के नोटों पर से 'आन डिमांड' शब्दों का हटाया जाना	Deletion of words 'On Demand' from Ten Rupee Notes	63
9223. दक्षिण दिल्ली में खाली प्लाटों के अर्जन संबंधी अधिसूचना का व्यपगत होना	Lapse of Notification Acquiring vacant plots in South Delhi	63—64
9224. कोहिमा में पैट्रोल स्टेशन में आग लगना	Accident in petrol Station in Kohima	64
9225. सरकारी कर्मचारियों को सरकारी क्वाटरों का आवंटन	Allotment of Government Accomodation to Government Employees	64
9226. बीयर पीने का हृदय पर प्रभाव	Effect of Drinking Bear on Heart	65

तारा० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
9227. परिवार नियोजन कार्यक्रम के मूल्यांकन के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों का प्रतिवेदन	Evalution reports by UN Experts of Family Planning Programme	65
9228. अखिल भारतीय कुष्ठरोग कार्यकर्ता सम्मेलन	All India Leprosy Workers Conference	66
9229. स्वर्ण नियंत्रण आदेश के जारी किये जाने के बाद मध्य प्रदेश में पकड़ा गया सोना	Gold seized in Madhya Pradesh after Promulgation of Gold Control Order	66—67
9230. मध्य प्रदेश में अफीम की खेती वाली भूमि	Land under Opium Cultivation in M.P.	67
9231. कृषि प्रयोजनों के हेतु पम्पिग सैटों के लिए अतिरिक्त सहायता	Additional Assistance for Pumping Sets for Agricultural Purposes	67
9232. मध्य प्रदेश में व्यक्तियों और कम्पनियों के विरुद्ध बकाया पांच लाख रुपये से अधिक राशि पर कर	Taxes above Rs. 5 lakhs Outstanding against Individuals and Companies in M.P.	67—68
9233. कोसी बांध के बीच ग्रामीणों का बसाया जाना	Rehabilitation of Villagers between Kosi Embankments	68
9234. पश्चिम कोसी परियोजना	Western Kosi Project	68
9235. गोआ के मुख्य मंत्री की विदेश यात्रा	Goa Chief Minister's visit abroad	68—69
9236. गैर-सरकारी फर्मों में काम करने वाले सरकारी उपक्रमों के सेवा निवृत्त अधिकारी	Retired officials of Public Undertakings Serving in Private firms	69—70
9237. सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की पदोन्नतियां	Promotion of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Irregation and Power Ministry	70
9238. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की आरक्षितपदों पर पदोन्नति	Promotion of Scheduled Castes and Scheduled Tribes against reserved posts	70

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
9239. बैंकों की जमा राशियाँ तथा विनियोजन	Deposits Vis-a-Vis Investment of Banks	70—71
9240. ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में इमारतों के डिजाइन	Designs for buildings in Rural and Urban Areas	71
9241. नई दिल्ली नगर पालिका के वित्तीय कार्य	Financial Affairs of New Delhi Municipal Committee	71—72
9242. विदेशी व्हिसकी की पेटियां का जहाज पर लदान न किया जाना	Non-shipment of Cases of foreign Whisky	72
9243. चंडीगढ़ के सरकारी प्रैस कर्मचारियों के वेतन के ढांचे का पुनरीक्षण	Revision of Pay Structure of Govt. Press Employees, Chandigarh	72
9244. इंडियन आयल कम्पनी के नेपाल में बिक्री डिपो	Sales Depots of Indian Oil Company in Nepal	73
9245. परिवार नियोजन के साधनों का आविष्कार	Inventions of Family Planning Devices	73
9246. बाढ़ नियन्त्रण उपायों के लिए परियोजनायें	Projects for Flood Control Measures	73—74
9247. सरकारी कार्यालयों में खस-खस की टट्टियाँ	Khas-Khas Tatties in Govt. Offices	74
9248. कार्यालयों में कूलरों की व्यवस्था	Coolers in Offices	75
9249. 26 जनवरी को सरकारी भवनों पर रोशनी की व्यवस्था करना	Lighting Arrangements at Govt. Buildings on 26th January	75
9250. राज्यों में सिंचाई तथा विद्युत कार्यों के लक्ष्य	Targets for irrigation and Power Works in States	75
9251. उत्तर प्रदेश में सिंचाई की सुविधाओं का विकास	Development of Irrigation Facilities in U.P.	75—76
9252. मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं के लिए धन का नियतन	Allocation of Funds for Irrigation Projects in M.P.	76

तारांकित प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
9253. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को क्वाटर आवंटित न किया जाना	Central Government Employees not provided with Accomodation	76—77
9254. सिंचाई आयोग	Irrigation Commission	77
9255. अशोधित तेल पर रायल्टी के बारे में गुजरात सरकार की असंतुष्टि	Dissatisfaction of Gujarat Govt. on Royalty on Crude Oil	77—78
9256. शेरथा और साबरमती के बीच पाइप लाइन का निर्माण	Construction of a pipe line between Shertha and Sabarmati	78
9257. डी० आई० जैड० क्षेत्र, नई दिल्ली में डी० सी० बिजली के स्थान पर ए०सी० बिजली लगाया जाना	Conversion of D.C. into A.C. in D.I.Z. Area, New Delhi	78
9259. परिवार नियोजन के तरीकों के प्रभाव	Effects of Family Planning Methods	79
9260. नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में सड़क संकेत	Road Signs in N.D.M.C. Area	80
9261. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बी डिवीजन में कार्य भारित कर्मचारी	Workcharged Staff of 'B' Division of C.P.W.D.	80—81
9262. संसद भवन के वर्क्स डिवीजन में कार्य भारित कर्मचारी	Workcharged Staff of Parliament House Works Division	81—82
9263. पटना में पीने के पानी की कमी	Scarcity of Driking Water in Patna	82
9264. गन्दी बस्ती सफाई योजनायें	Slum Clearance Schemes	82—83
9265. औसत आयु	Average Life Expectancy	83
9266. कोलार सोना खानों में श्रमिक के लिए मकान	Houses for Labourers in Kolar Gold Mines	83—84
9267. कोला सोना खानों में भूमिगत पानी में डूबी मशीनरी	Machinery sunk in underground water of Kolar Gold Fields	84—85
9268. भारत में अमरीकी पूंजी का विनियोजन	Flow of American Capital to Indian	85

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ Pages
9269. गुजरात में एल्यूमीनियम कारखाना	Aluminium Plant in Gujarat	85—86
9270. कटक में मयूरगंज क्षेत्र के आयकर के मामले अपीलीय आयोग के विचाराधीन	Income Tax Cases from Mayurbhanj Circle Pending before Apellate Commissioner in Cuttack	86
9271. सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी	Deputationists in Public Undertakings	86--88
9272. राय बहादुर ठाकुर एण्ड कम्पनी की खानें	Mines Owned by Ram Bhahadur Thakur and Company	88
9273. अमरीकी औषधि निर्माण फर्मों द्वारा भारत को देय प्रतिकर	Compensation due to India from U.S. Drug Firms	89
9274. प्रयुक्त चाय की बिक्री	Sale of Used Tea	89
9275. बेलाडिला लौह अयस्क परियोजना	Bailadila Iron Ore Project	89—90
9276. मदुरै में जठर आंत्र शोध से मौतें	Death Due to Castro Enteritics in Madurai	90—91
9277. बड़े सिंचाई कार्यों में बैंकों द्वारा धन लगाया जाना	Investment by Banks in Major Irrigation Works	91
9378. दिल्ली में अनधिकृत बस्तियां	Unauthorised Colonies in Delhi	91
9279. जीवन बीमा निगम के बारे में मोरारका समिति का प्रतिवेदन	Morarka Committee's Report on L.I.C.	91—92
9280. अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के आपरेशन थियेटर के उपकरणों का गोलमाल	Misappropriation of Operation Theatre Equipment of All India Institute of Medical Sciences	92
9281. महाराष्ट्र में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Plant in Maharashtra	92
9282. बैंकों के द्वारा लिए जाने वाले ब्याज की दर	Rate of Interest Charged by Banks	93
9283. भारतीय तेल एजेंसियां तथा पैट्रोल पम्प देने के बारे में कसौटी	Criteria for giving Indian Oil Agencies and Petrol Pumps	93—94

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
9284. मध्य प्रदेश में आदिवासियों में कुपोषण को दूर करने की योजना	Schemes to Combat Malnutrition Among Madhya Pradesh Adivasis	94—95
9285. रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में पार्कों और खेल के मैदानों का विकास	Development of Parks and Play Grounds in Ramakrishna Puram, New Delhi	95—96
9286. रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में पीने के पानी की सप्लाई	Supply of Drinking Water in R. K. Puram, New Delhi	96
9287. दिल्ली की वृहद योजना के अन्तर्गत बाग कड़े खां क्षेत्र	Bagh Kare Khan Area under Delhi Master Plan	97
9288. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गुजरात में तेल निकाला जाना	Oil Drilling by Oil and Natural Gas Commission in Gujarat	97
9289. दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में मिलों के लिए भूमि का आवंटन	Allotment of Land to Mills in Rural Areas of Delhi	97—98
9290. श्रेणी चार के कर्मचारियों के लिए दो कमरों वाले क्वार्टर	Two Roomed Quarters for Class IV Employees	98
9291. केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा के औषधालय में औषधियां	Medicines in C.G.H.S. Dispensaries	98—99
9292. केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालयों से दवाइयों की चोरी	Leakage of Medicines from C.G.H.S. Dispensaries	99—100
929 केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों तथा कम्पाउंडरों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against C.G.H.S. Doctors and Compounders	100
9294. धूम्रपान की आदत को कम करने की योजना	Scheme to Discourage Smoking Habit	100—101
9295. पश्चिमी बंगाल में गांवों में बिजली लगाना	Electrification of Village in West Bengal	101
9296. पैट्रोल कैमिकल्स कार्यक्रम	Petrol Cbemicals Programme	101—102
9297. दिल्ली में अनधिकृत बस्तियां	Unauthorised Colonies in Delhi	102

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
9298.	यमुना नदी में बाढ़ों को रोकने के लिए उपाय	Measures to Check Floods in Yamuna	103—104
9299.	नेफा का खनिज सर्वेक्षण	Minerals Survey of Nefa	105
9300.	दिल्ली में झुग्गी निवासियों को बसाया जाना	Settlement of Jhuggis Dwellers in Delhi	105
9301.	दिल्ली में चतुर्थ श्रेणी के सरकारी क्वार्टरों के एलाटियों द्वारा शाक वाटिका लगाना	Kitchen Gardens Improved by Class IV Allottes of Govt. Accommodation in Delhi	105--106
9302.	वेतन तथा लेखा अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति	Pay and Account Officers on Deputation	106—107
9303.	माल की तस्करी	Smuggling of Goods	107
9304.	मफत लाल ग्रुप उद्योग समूह को पालिस्टर प्लांट के लिए आशय पत्र जारी करना	Letter of Intent Issused to Mafatlal Group for Polyster Plant	107—108
9305.	स्वर्णकारों को ऋण देने की योजना	Scheme for Granting Loans to Goldsmiths	108—109
9306.	तीन वार्षिक योजनाओं में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में विनियोजन के लक्ष्य	Targets for Investment in Private and Public Sectors during the Three Annual Plans	109
9307.	भारत का भूतत्वीय परिमाप, कलकत्ता	Geological survey of India, Calcutta	110
9308.	इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड को ऋण दिया जाना	Loans to Indian Iron and Steel Company Ltd.	110—111
9309.	महरौली दिल्ली के क्षयरोग अस्पताल का कार्यकरण	Working of T. B. Hospital Mahrauli Delhi	111—112
9310.	पटना में स्नातकोत्तर मेडिकल छात्रों को छात्रवृत्तियां	Scholarships to post-graduate Medical students in Patna	112
9311.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, पूछताछ कार्यालय नौरोजी नगर, नई दिल्ली	C.P.W.D. Enquiry Office, Nauroji Nagar, New Delhi	113
9312.	फर्मों से कर की बकाया राशि	Tax Arrears due from Firms	113—114

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
9313.	'मेरा नाम जोकर' फिल्म के लिए दी गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange given for Film 'Mera Nam Joker'	114
9314.	गोश्रा में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory at Goa	114—115
9315.	राज्यों द्वारा केन्द्र को देय ऋरण	Debts due by States to Centre	115
9316.	कम माल तथा अधिक माल के बीजकों के मामले	Under invoicing and over invoicing cases	115
9317.	पश्चिम बंगाल को मिट्टी के तेल की सप्लाई	Supply of Kerosene Oil in West Bengal	115—116
9318.	पश्चिम बंगाल में राजस्व की वसूली	Revenue Collection in West Bengal	116
9319.	दिल्ली में मलेरिया विरोधी उपाय	Anti Malaria Operations in Delhi	116—117
9320.	झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में नागरिक सुविधायें	Civic Amenities in Jhuggi Jhonpri Colonies	117
9321.	तिब्बिया कालेज, दिल्ली को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करना	Affiliation of Tibbia College, Delhi	117
9322.	सहकारी समितियों द्वारा दिये जाने वाले कृषि तथा औद्योगिक ऋरणों में रिजर्व बैंक का अंशदान	Reserve Bank's contribution to Aggricultural and Industrial loans advanced by Co-operatives	118
9323.	उत्तर प्रदेश में 'इटावा में सोने और चाँदी का पकड़ा जाना	Seizure of gold and silver at Etawah in U.P.	118
9324.	जिंक स्मैलटर उदयपुर के लिये जिंक आक्साइड की खरीद	Purchase of Zince Oxide for Zinc Smelter, Udaipur	119—120
9325.	जिंक स्मैलटर, उदयपुर के रोस्टर प्लांट का बन्द होना	Closure of Roaster Plant of Zinc Smelter, Udaipur	120—121
9326.	लोकटक परियोजना	Loktak project	121
9327.	आयकर विधियों का उल्लंघन करने के कारण चलचित्र उद्योग के व्यक्तियों और फर्मों के विरुद्ध मुकदमें	Individuals and firms in Films Industry prosecuted for violation Income tax laws	121

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
9328.	फिल्म उद्योग के व्यक्तियों को दी गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange allotted to Persons in Film Industry	121—122
9329.	केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग (जल पक्ष) में कनिष्ठ नक्शानवीस	Junior Draftsmen in the Central Water and Power Commission (Water Wing)	122
9330.	मलका गंज दिल्ली में मुस्लिम कब्रिस्तान	Muslim Grave Yard in Malka Ganj, Delhi	122—123
9331.	रानी झांसी रोड, दिल्ली जनता मार्केट में मांस की दुकानें	Meat shops in Janta Market on Rani Jhansi Road, Delhi	123
9332.	सब्जी मण्डी, दिल्ली	Subzimandi, Delhi	123—124
9333.	चलचित्र उद्योग के व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन	Violation of Foreign Exchange rules by persons in Film Industry	124
9334.	चलचित्र उद्योग के व्यक्तियों द्वारा सीमा शुल्क नियमों का उल्लंघन	Violation of customs rules by persons in Film Industry	124—125
9335.	उपचार के लिए विदेश जाने वाले व्यक्ति	Persons going abroad for medical treatment	125
9336.	भारत द्वारा विदेशों को दी गई आर्थिक सहायता	Economic aid given by India to foreign countries	125—126
9337.	दोहरे कराधान को रोकने के लिए विदेशों से करार	Agreements with foreign countries for avoidance of double taxation	126—128
9338.	संश्लिष्ट रबड़ का उत्पादन तथा आयात	Production and import of synthetic Rubber	128
9339.	बम्बई के श्री नैनामल पूंजाजी शाह द्वारा कथित तस्कर व्यापार	Alleged smuggling by Shri Nainamal Poonjaji Shah of Bombay	128—129
9340.	कुछ राज्यों के साथ विशेष व्यवहार	Special treatment to certain states	129
9341.	नई दिल्ली नगरपालिका में घेराव	Gherao in N.D.M.C.	129—130
9342.	दिल्ली नगर निगम के अस्पताल तथा औषधालय	Delhi Municipal Corporation Hospital and Dispensaries	130

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
9343.	पश्चिम बंगाल में बोदरा में तेल निकाला जाना	Oil Drilling at Bodra in West Bengal	131
9344.	पकड़ा गया कालाधन तथा निषिद्ध माल	Black money and contraband goods seized	131
9345.	जी० आर० पी० जयनगर (बिहार) के ए० एस० आई० पर तस्करी को बढ़ावा देने का आरोप	Allegation against ASI of GRP Jai Nagar (Bihar) re. Smuggling	132
9346.	बरौनी में विद्युत जनन यूनिटों का खराब हो जाना	Failure of generator units at Barauni	132
9347.	नई दिल्ली में आर० के० पुरम के सैक्टर 2 के क्वाटर वालों से बाजार भाव पर किराया लिया जाना	Market rent charged from Allottees in sector II, R. K. Puram, New Delhi	132—133
9348.	कृष्णनगर दिल्ली का नक्शा	Lay out of Krishan Nagar, Delhi	133
9349.	कृष्ण नगर कालोनी दिल्ली में सड़कों को चौड़ा करना	Road widening in Krishan Nagar Colony, Delhi	133—134
9350.	पंडित गोबिन्द बल्लभ पंत की मूर्ति के आसपास रोशनी की व्यवस्था	Installation of Light around statue Pandit Govind Ballabh Pant in New Delhi	134
9351.	गांधी बलिदान स्थल	Gandhi Balidan Sthal	134
9352.	केन्द्रीय करों की वसूली	Central Tax Collections	135
9353.	उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक कालेज	Ayurvedic College in Uttar Pradesh	135—136
9354.	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था में काम करने वाले वैज्ञानिकों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया जाना	Participation of scientists working in All India Institute of Medical Sciences, New Delhi in International conferences	136
9355.	2500 रुपये से अधिक राशि के भुगतान का तरीका	Mode of Payment of Amounts Exceeding Rs. 2,500	136—138
9356.	सोने तथा निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी	Smuggling of gold and contraband goods	138

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject		पृष्ठ Pages
9357. एक अशोधित तेल ग्रिड बनाना	Construction of a Crude Oil Grid		138—139
9358. भारत नेपाल सीमा पर तस्करी का सर्वेक्षण	Survey of smuggling on the Indo-Nepal Border		139
9359. इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के अंश	Shares of Indian Iron and Steel Company		139—140
9360. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता	Dearness Allowance to Central Government Employees		140—141
9361. विदेशी मुद्रा देना	Release of Foreign Exchange		141
9362. ओखला बांध	Okhla Weir		141—142
9362-क उत्तर प्रदेश में उठाऊ सिंचाई योजनायें	Lift irrigation schemes in U.P.		142
9362-ख बिड़ला उद्योग समूह के विरुद्ध आरोप	Charges against Birla Group of Concerns		142—143
9362-ग इम्फाल की फर्मों द्वारा देय आयकर की बकाया राशि	Income tax Arrears due from Firms of Imphal		143
9362-घ भारत के स्टेट बैंक में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लिए पदों का आरक्षण	Reservation for Scheduled Castes/Scheduled Tribes in State Bank of India		143—144
9362-ङ वोलगा होटल, नई दिल्ली के विरुद्ध आयकर का भुगतान न करने की शिकायत	Complaint against Volga Hotel, New Delhi for Non-payment of Income Tax		144
9362-च उज्जैन में कुम्भ मेले के लिए मध्य प्रदेश को सहायता	Assistance to Madhya Pradesh for Ujjain Kumbha Fair		144
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance		144—148

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
डा० जाकिर हुसैन के अंत्येष्टि समारोह में भाग लेने के बारे में इजरायल को कथित इंकार	Reported refusal to Israel to attend Dr. Zakir Hussain's fundrals	144
श्री बलराज मधोक	Shri Balraj Madhok	145—146
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh	147—148
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table	148—150
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	Committee on Absence of Members from sitting of the House	150
दसवां प्रतिवेदन	Tenth Report	150
नर्मदा जल विवाद के बारे में वक्तव्य	Statement Re : Narmada Water Dispute	151
डा० कु० ल० राव	Dr. K. L. Rao	151
समाजवादी युवक सेवक समाज द्वारा प्रदर्शन के बारे में	Re : Demonstration by Samajwadi Yuvak Sevak Samaj	151—152
चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारूप : के बारे में प्रस्ताव	Motion Re : Fourth Five Year Plan-Draft	152—170
श्री हुमायूं कबिर	Shri Humayun Kabir	152—155
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	155—156
श्री अमिय कुमार किस्कु	Shri A. K. Kisku	156—158
श्री राजदेव सिंह	Shri Raj Deo Singh	158—159
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok	159
श्री मृत्युजंय प्रसाद	Shri Mritunjay Prasad	159—160
श्री पी० राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	160—163
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi	163—164
श्री जी० भा० कृपलानी	Shri J. B. Kripalani	164—166
श्री सईद अहमद आगा	Shri Ahmad Aga	166
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	166—169
कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1968	Companies (Amendment) Bill	171—172

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
विचार करने के प्रस्ताव	Motion to Consider	171
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	171
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	171—172
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	172
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion	172
लम्बे रेशे वाली कपास की खेती	Cultivation of long staple cotton	172—176
श्री एस० आर० दामानी	Shri S. R. Damani	172—174
श्री अन्नासाहिब शिन्दे	Shri Annasahib Shinde	174—175
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiv Chandra Jha	175
श्री राम अवतार शास्त्री	Shri Ram Avtar Shastri	175—176
श्री अन्ना साहिब शिन्दे	Shri Anna Shahib Shinde	176

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 12 मई, 1969/22 वैशाख, 1891 (शक)
Monday, May 12, 1969/Vaisakha 22, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Prospects of Gold in Bihar

+

*1621. **Shri Yashpal Singh :** **Shri Sitaram Keswi :**
Shri Manibhai J. Patel : **Shri Badruddaja :**

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the progress made in the matter of prospecting of gold mines in Singhbhum area of Bihar ;

(b) whether there any prospects of gold being found in sufficient quantity in those mines ; and

(c) if so, the time by which exploitation of mines will commence ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग). सिंघभूम जिले में सोने के महत्वपूर्ण प्राप्तिस्थलों की विस्तृत जांच का कार्य भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा प्रारम्भ किया गया है और जारी है। अन्कुआ, सोन नदी घाटी तथा सौसाल क्षेत्रों के समन्वेषण से उत्साहवर्धक परिणाम नहीं निकले हैं। कुन्डारकोचा तथा माईसारा क्षेत्रों में और आगे कार्य जारी रखा जा रहा है। लावा स्थान पर व्यधन सहित विस्तृत समन्वेषण प्रारम्भ किया गया है। पर्याप्त मात्रा में सोने के पाये जाने की सम्भावना के सम्बन्ध में कुछ कहना अभी सम्भव नहीं है।

Shri Yashpal Singh : May I know whether it is a fact that we are not getting good results due to machines being old and if new machines are used, good results can be achieved ?

श्री जगन्नाथ राव : श्रीमान् यह बात ठीक नहीं है कि मशीन पुरानी हैं। हम तो नयी मशीनों को प्रयोग में ला रहे हैं। परन्तु जो परिणाम निकले हैं उनसे पता चलता है इस क्षेत्र में सोना अधिक मात्रा में नहीं है।

Shri Yashpal Singh : May I know the amount spent so far on the exploration work in this area and the extent to which the success has been achieved as a result thereof ?

श्री जगन्नाथ राव : भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने सोने की खोज के सम्बन्ध में एक वृहत योजना बना रखी है। बिहार में सिंघभूम जिले के इस क्षेत्र के बारे में मेरे पास पूरा ब्यौरा नहीं है। खोज-कार्य बड़े पैमाने पर होगा। इसलिए मैं प्राक्कलन देने की स्थिति में भी नहीं हूँ।

Shri Sita Ram Kesari : Bihar state has got 44 per cent of mineral Wealth of India. Exploration for gold has also been carried. I would like to know the cost of prospecting the gold ; and whether the cost of production of this gold is more than what is received for it as a market price.

श्री जगन्नाथ राव : अब तक जो सफलता मिली है उससे यह आशा नहीं होती कि इस क्षेत्र में सोना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अतः खोज कार्य पर जो लागत आई है, वह उपलब्ध सोने की मात्रा की तुलना में अधिक है। परन्तु यह प्रश्न लागत का नहीं है। जहाँ सोना वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध होगा वहां से सोना निकाला जायेगा।

श्री मोहसिन : भारत में किस राज्य में अच्छे किस्म का सोना उपलब्ध होता है।

श्री जगन्नाथ राव : मैसूर में कोलार खान क्षेत्र।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् : हमें यह बताया जा रहा है कि सोना उपयोगी धातु नहीं है। शुद्ध सोने को रखने या उसके आभूषण आदि बनवाने के लिए लोगों को दण्डित किया जाता है। फिर सोने की खोज पर इतना अधिक खर्च करने का क्या लाभ है ?

श्री जगन्नाथ राव : सोना तो कीमती धातु है।

Shri Beni Shanker Sharma : The Minister has recently paid a visit to Khetri Copper Project. It is told that gold mines are also there near Papurna Village. Gold was exploited from that area in ancient period. Recent explorations also show that there is gold May I know whether Government propose to start its exploitation in these mines ?

अध्यक्ष महोदय : उप-उत्पाद चांदी है, सोना नहीं। अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री वेणीशंकर शर्मा : पपुरना गांव के पास सोने की खानें भी हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मूल प्रश्न से नहीं उठता। अगला प्रश्न।

Allotment of Shops and Houses to Displaced Persons in Delhi under the Gadgil Assurances

*1622. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of displaced persons in Delhi who are entitled to allotment of houses or shops in accordance with the Gadgil Assurances ;

(b) the time by which Government propose to allot them shops and houses ; and

(c) the reasons for the delay in this regard ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) गाडगिल आश्वासनों के अनुसार, मकानों या दुकानों के आवंटन के लिए 29,978 विस्थापित लोगों की पात्रता स्वीकार की जा चुकी है और आश्वासन पूरे कर दिये हैं। अन्य 640 मामले तय किए जा रहे हैं। 4, 300 व्यक्तियों के दावों की छानबीन हो रही है।

(ख) 26 अप्रैल, 1968 को प्रस्तुत की गई चौथी लोक सभा की दूसरी रिपोर्ट में सरकारी आश्वासन समिति द्वारा दिए गए सुझावों को देखते हुए, शेष पात्र व्यक्तियों को उपयुक्त आवंटन करने का, सरकार का प्रस्ताव है।

(ग) उक्त रिपोर्ट पर, लोक सभा में 20 दिसम्बर, 1968 को 'एक घण्टा' की बहस हुई। बहस के दौरान, इन मामलों की दुबारा छानबीन करने का आश्वासन दिया गया था। छानबीन का कार्य तत्काल शुरू किया जा चुका है।

Shri Kanwar Lal Gupta : These refugees, who came to India after division of the country, have been waiting for the last 20 years. The delay can in no way be justified. The attitude of Government to them has been utterly collous. About 600 cases are being settled and about 4000 cases are under scrutiny. May I know whether Government will given an assurance that allotment to these will be made on the terms and conditions on the which allotments have been made to others. Whether this matter will be handed over to the Delhi Administration if Union Government do not intend is do so and whether the Central Government will give funds to Delhi Administration for it ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : I do not think that there has been any delay in this matter. All the claims made till 1956 have been settled. Thereafter Chanda Committee was appointed. After its appointment it was said in the House that something should be done for all those covered by Gadgil assurances. In response to such a demand about 4300 cases are being scrutinized by Delhi Development Authority. About 640 cases are under settlement as has been already told. It is proposed that they should be allotted land measuring from 80 yards to 200 yards.

Shri Kanwar Lal Gupta : I would like to know whether it will be done through Delhi Administration or through Central Government.

Shsi K. K. Shah : Land will be allotted to them whose claims were found to be correct by the Delhi Administration.

Shri Kanwar Lal Gupta : There are people in my constituency who have been awaiting since 1950. The Minister will come to know if he orders are enquiring into it. May I know the reasons for bringing about a change in terms and conditions of allotment ; and whether an assurance will be given that these refugees will be allotted land without further delay ?

Shri K. K. Shah : First settlement covered the claims made till 15th August 1950. Thereafter the claims would be decided in accordance with the recommendations of Chanda Committee.

Shri Kanwar Lal Gupta : May I know the time by which the allotment will be made ?

Shrj K. K. Shah : After the scrutiny is finished, we shall take no time.

Shri Jageshwar Yadav : The housing problem faced by refugees is very acute. Similar is the case with the employees of the Corporation of Delhi. May I know the steps being taken by Government for solving housing problem, facing them ?

Shri K. K. Shah : We are taking measures to solve that also.

Shri Balraj Madhok : About 15 years back Shri A. V. Gadgil, then Minister, had given an assurance that all people, who came from Pakistan, would be given alternative accommodation before they are asked to vacate the premises occupied by them. But in some cases people were not given alternative accommodation. May I know the reasons for not implementing that assurance ; and whether Government will fix a dead line by which land will be allotted to all refugees covered by the said assurance ?

Shri K. K. Shah : The information of the hon. Member is slight incorrect.

Shri Balraj Madhok : I wanted to know about Pusa Road.

Shri K. K. Shah : There is only one case of Shri Durgadas which is still pending.

Shri Balraj Madhok : Will the Govt. fix some dead time for solving the problem in its entirity.

Shri B. N. Kureel : It is seen that the houses and shops in Delhi were built and allotted to refugees. This process has been going on for the last 20 years and it will go on for several generations because land is allotted in old cases and new people come and occupy some new places and then make claims. Refugees are given allotments while people, who really deserve such allotment are being ignored. May I know whether Government will fix a time-limit after which no body will be allowed to use the word 'refugee' for himself ?

Shri K. K. Shah : The main question is about refugees.

Bill to Raise Marriageable Age

*1623. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government propose to bring forward a Bill for raising the marriageable ages of boys and girls to make the family planning scheme a success :

(b) if so, whether Government will ensure that it is made applicable equally to all the citizens of the country ;

(c) whether Government are aware that the Sharda Act on the subject is applicable to a particular class only and Government did not come forward to apply it to all the classes; and

(d) the measures to be taken by Government to make the proposed Bill applicable to all ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). प्रस्तावित विधेयक अभी विचारधीन है। इस अवस्था में विधेयक के अन्तिम रूप का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

(ग) जी नहीं। बाल विवाह प्रतिबन्ध अधिनियम, 1929 जो शारदा अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध है 'जम्मू व कश्मीर राज्य के अलावा समस्त भारत के लिए है तथा भारत में और भारत से बाहर रह रहे सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होता है।'

Shri Ram Swarup Vidyarthi : May I know the number of cases registered under Sharda Act since it was passed ; the number of cases in which people have been prosecuted and whether it is a fact that action has not been taken even a single case since then ?

डा० श्रीपति चन्द्रशेखर : 1929 के बाद अब तक जितने मामलों में मुकदमे चलाये गये वे आँकड़े मेरे पास नहीं हैं। जब यह अधिनियम पारित किया गया था उस समय सदस्यों ने उसके क्रियान्वयन के बारे में एक भी कठिनाई का उल्लेख नहीं किया था। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर्ज करने की व्यवस्था ठीक नहीं है। इसलिए मुकद्दमा चलाने वाले अधिकारी इस बात का ठीक अनुमान नहीं लगा सकते कि सम्बन्धित पक्षों की ठीक आयु क्या है। कुछ समय पूर्व ही हमने जन्म तथा मृत्यु अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम पारित किया है। इसके आधार पर ठीक आयु का पता लगाया जा सकेगा।

Shri Ram Swarup Vidyarthi : May I know whether it is equally applicable to all communities and all citizens in India ?

डा श्रीपति चन्द्रशेखर : भारत में यह सभी वर्ग के लोगों पर समान रूप से लागू होता है।

श्री मोहसिन : क्या यह सच है कि विवाह योग्य आयु बढ़ाने से उत्पादन दर भी अधिक बढ़ेगी और उत्पादन अधिक तेजी से होगा ?

डा श्रीपति चन्द्रशेखर : मेरी समझ में नहीं आया कि वह किस उत्पादन की बात कर रहे हैं।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् : जन्म-दर को घटाने के उद्देश्य से बिवाह-योग्य आयु को बढ़ाया जा रहा है। परन्तु ऐसा विधेयक लाने की बजाय मन्त्री महोदय परमिट-व्यवस्था लागू करने की बात क्यों नहीं सोचते ?

डा० श्रीपति चन्द्रशेखर : परमिट किसके लिए ?

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् : बच्चों के लिए।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : शारदा अधिनियम की क्रियान्विति के अनुभव के आधार पर यह बात दृढ़ता से कही जा सकती है कि बिना जनमत तैयार किये इस प्रकार के सामाजिक कानून सफल नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त पश्चिमी देशों में विवाह की आयु कम करने की बात चल रही है। इन परिस्थितियों में क्या सरकार ने विवाह की आयु बढ़ाने से पूर्व उसके लिए जनमत तैयार करने के उद्देश्य से सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और शिक्षा के क्षेत्र के नेताओं

की बैठक बुलाकर उन्हें यह बात समझाई है ताकि वे भी इस बात का प्रचार करें और इसके लिए जनमत तैयार करें ?

डा० श्रीपति चन्द्रशेखर : मैं माननीय सदस्यों से पूर्णत: सहमत हूँ। निश्चित रूप से मन्त्रालय यही कार्य कर रहा है—वह विभिन्न क्षेत्रों में जनमत तैयार कर रहा है। इस बारे में हमने राज्य सरकारों से पत्र-व्यवहार भी किया है तथा राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में अनेक सुझाव भी दिये हैं। यही कारण है कि इस विधेयक को लाने में इतना विलम्ब हो रहा है।

श्री जी० विश्वनाथन : क्या सभी राज्य विवाह की आयु बढ़ाने के बारे में एकमत हैं या कुछ ने इस विधेयक का विरोध भी किया है। वे राज्य कौन-कौन से जिन्होंने उक्त विधेयक का विरोध किया है ?

डा० श्रीपति चन्द्रशेखर : केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और संघ राज्य क्षेत्रों में अदमान तथा निकोबार, दिल्ली, लक्षद्वीप, मिनिकोय तथा अमिनदिव द्वीप समूह विवाह की आयु बढ़ाने के पक्ष में हैं। केरल सरकार और दिल्ली प्रशासन ने तो विवाह की न्यूनतम आयु लड़कों के लिए 22 के स्थान 25 वर्ष करने का सुझाव दिया है। केरल राज्य ने लड़कियों के लिये विवाह की न्यूनतम आयु 20 वर्ष रखने का ही सुझाव दिया है। वहां पर 1961 की जनगणना के अनुसार लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु यही थी। आसाम और हरियाणा राज्य इस बात मे सहमत हैं कि लड़कों की आयु बढ़ाकर क्रमश: 20 और 19 वर्ष कर दी जाये और लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर 16 कर दी जाये। इसका अर्थ यह है कि वे हमारी बात से सहमत नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश लड़कों की विवाह की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष करने के पक्ष में है परन्तु लड़कियों की आयु में 15 के स्थान 18 वर्ष का परिवर्तन करने के पक्ष में नहीं है। दादरा, नागर हवेली और पांडिचेरी के संघ क्षेत्र 1929 के अधिनियम द्वारा निर्धारित आयु में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के पक्ष में नहीं है।

Shri Yamuna Prasad Mandal : May I know whether government will consider to make Anti-Dowry Act more stringent in view of the fact that Anti-Dowry Act and Sharda Act are closely connected and that dowry allows people for early marriages ?

डा० श्रीपति चन्द्रशेखर : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार का प्रबन्ध किया जा रहा है। लड़कियों में शिक्षा के प्रसार से विवाह स्थगित किये जा सकेंगे।

श्री रा० की० अमीन : क्या सरकार को यह पता है कि जनांकिकी में शोध के आधार पर यह निश्चित हो गया है कि जनसंख्या वृद्धि में पूर्ण परिवार के औसत आकार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। विवाह की आयु को बढ़ाने से पूर्ण परिवार के आकार पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यदि यह सच है तो फिर विवाह की आयु में वृद्धि करने से क्या लाभ होगा ?

डा० श्रीपति चन्द्रशेखर : जो माननीय सदस्य ने कहा है, वह सच नहीं है। विवाह की आयु में वृद्धि से परिवार के आकार पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। आधुनिक गणित के

परिकलन के अनुसार लड़कियों की विवाह की आयु 20 वर्ष या इससे अधिक बढ़ाये जाने से उनका प्रजनन समय 1/5 कम हो जाता है। जन संख्या नियंत्रण का यह एक गैर-चिकित्सीय ढंग है।

डा० सुशीला नैयर : क्या मन्त्री महोदय को पता है कि जहां महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां पर बड़ी आयु होने पर विवाह किये जाते हैं, परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह की अधिक आयु यदि यह कानून द्वारा निर्धारित कर दी जाती है, स्वयं लड़कियों और उनके माता-पिता के लिए समस्या बन जाती है ? ब्रिटेन जैसे उन्नत देशों में भी विवाह की आयु कहीं 15 वर्ष और कहीं 16 वर्ष है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि लड़कियों को जीवन-यापन की सुविधायें उपलब्ध नहीं होती तो उनकी शादी में विलम्ब करने से उन्हें कुछ भी लाभ न होगा। इस कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे लोग ऐसे कानून को तोड़ने के लिए बाध्य न हों।

डा० श्रीपति चन्द्रशेखर : मैं माननीय सदस्या से पूर्णतः सहमत हूँ। यह ठीक है कि शहरी क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, इसलिए वहां पर विवाह की आयु स्वभावतः बढ़ जाती है। यदि हम इसके पक्ष में जनमत तैयार कर सकें और शिक्षा तथा प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कर सकें तो स्वयं अभिभावक ही शादी स्थगित करने लगेंगे।

करों की चोरी

*1625. **श्री वेदव्रत बरुआ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आय-कर तथा अन्य प्रत्यक्ष करों की कितनी चोरी होती है ;

(ख) क्या अधिक आय वाले वर्ग से करों की वसूली के मामले में आय-कर विभाग को अधिक कार्य कुशल बनाने की दृष्टि से उसका पुनर्गठन किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) इस देश में आय-कर या अन्य प्रत्यक्ष करों के अपंवचन की मात्रा बता सकना संभव नहीं है।

(ख) कर लगाने और उनका वसूली के कार्य को और अधिक दक्षतापूर्ण बनाने के लिए विभाग के कार्य को सुचारु बनाने के सतत प्रयास किये जा रहे हैं। उच्चतर आय के उन मामलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिनमें कर अपवचन का सन्देह है।

(ग) कर अपवंचन को रोकने के लिये किये गये वैधानिक और प्रशासनिक उपाय सदन की मेज पर प्रस्तुत विवरण-पत्र में दिये हैं। विवरण-पत्र में दिये गये उपायों के अतिरिक्त, आयकर कार्यालयों के कार्य में और अधिक दक्षता लाने के लिए कर्त्तव्य के अनुसार कार्य विभाजन की योजना को उत्तरोत्तर लागू किया जा रहा है। काफी बड़ी आय के जिन मामलों में कर—अपवंचन का सन्देह है, उन पर आयकर आयुक्तों के केन्द्रीय अधिकार-क्षेत्रों में कार्यवाही की जा रही है, और जिन मामलों में कर अपवंचन सिद्ध हो चुका है, उनमें मुकद्दमें चलाए जा रहे हैं ; ऐसे मामलों की संख्या बढ़ रही है।

विवरण

कर अपवंचन रोकने के उपाय

वैधानिक उपाय :

(i) लेखा-बाह्य धन, बुलियन, जवाहरात या अन्य मूल्यवान वस्तुओं पर कर लगाने के लिए 1964 के अधिनियम 5 द्वारा आयकर अधिनियम में धारा 69 ए जोड़ी गयी थी। पूरी तरह से प्रकट न किये गये निवेशों पर कर लगाने के लिये 1965 के अधिनियम 10 द्वारा उपर्युक्त अधिनियम में धारा 69 बी जोड़ी गयी थी।

(ii) 1965 में धारा 132 का संशोधन करके तथा वर्ष 1964 में आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 131ए जोड़ कर, आयकर प्राधिकारियों द्वारा तलाशी एवं माल पकड़ने तथा प्रवेश करने एवं सर्वेक्षण करने की शक्तियों को बढ़ा दिया गया था।

(iii) 1 अप्रैल 1964 से 1964 के अधिनियम 5 द्वारा, धारा 271 (1) का स्पष्टीकरण जोड़ कर, आय छुपाने के लिये दण्ड लगाने से सम्बन्धित व्यवस्था को और दृढ़ बना दिया गया था।

(iv) 1964 में धन कर अधिनियम की धारा 18 का संशोधन करके धन छुपाने और धन की विवरणियां पेश करने में देरी आदि के लिये न्यूनतम दण्ड निर्धारित किये गये हैं।

(v) आय की विवरणी में झूठे सत्यापन या वैसा करने को उकसाने के लिये कम से कम छः महीने का कठोर कारावास (इस से कम समय की सजा देने का जब तक कोई विशेष कारण न हों) देने की व्यवस्था 1 अप्रैल 1964 से की गयी थी। छः महीने की साधारण कैद और/अथवा 1000 रुपये के जुर्माने के स्थान पर 1 अप्रैल 1964 से कैद की अधिकतम अवधि बढ़ाकर 2 वर्ष की कठोर कैद कर दी गई थी।

(vi) 1 अप्रैल, 1964 से सभी प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अधीन किसी भी निर्धारिती के बारे में कार्यवाही सम्बन्धी ब्यौरे प्रकाशित करने के लिये व्यवस्था कर दी गयी है।

(vii) सन् 1967 में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि आयकर आयुक्त को किसी भी निर्धारिती के बारे में सूचना देने विषयक कोई आवेदन प्राप्त होने पर आयकर आयुक्त वह सूचना दे सकता है।

(viii) 6 अक्तूबर, 1964 से आयकर अधिनियम में व्यवस्था की गयी है कि 50,000 रुपये से अधिक मूल्य की किसी भी प्रकार की सम्पत्ति को अंतरित करने से पहले आयकर अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

(ix) 6 अक्तूबर 1964 से आयकर अधिनियम में एक नयी धारा 285 ए जोड़ी गयी थी जिसके अनुसार 50,000 रुपये से अधिक का ठेका करने वाले व्यक्ति के लिये यह आवश्यक ठहराया गया था कि वह आयकर अधिकारी को उनकी सूचना दे।

(x) 1962 से पहले, कर अपवंचन करने के लिये किसी भी व्यक्ति पर या तो दण्ड लगाया जा सकता था या उसपर मुकदमा चलाया जा सकता था। इस वर्ष, विधि में संशोधन किया गया और अब इसमें कर अपवंचन के लिए मुकदमें चलाने और साथ ही दण्ड लगाने की भी व्यवस्था हैं।

कर अपवंचन को रोकने के लिये 1 अप्रैल, 1968 के बाद चालू वर्ष में निम्नलिखित उपाय किये गये थे :—

(क) आयकर अधिनियम 1961 में एक नयी धारा 40 ए (2) जोड़ी गयी है। इस नयी धारा में व्यवस्था है कि ऐसे कारोबार या धन्धे में किया गया वह खर्च जिसके लिये कर दाता के सम्बन्धी या सहबद्ध कंसर्न को अदायगी की जाती है, आयकर अधिकारी द्वारा निर्धारिती के लाभों का हिसाब लगाते समय इस आधार पर नामंजूर किया जा सकता है कि वह खर्च अधिक या अनुचित समझा गया है।

(ख) आयकर अधिनियम में धारा 40 ए (3) जोड़ कर 2500 रुपये से अधिक के व्यय को नामंजूर कर देने की व्यवस्था है, यदि उस खर्च की अदायगी किसी बैंक के रेखित चैक या रेखित बैंक ड्राफ्ट को छोड़ किसी अन्य तरीके से की गई हो।

(ग) 1 अप्रैल 1968 तक आय तथा धन छिपाने के लिये दण्ड न्यूनतम और अधिकतम सीमाएं अपवंचित कर का क्रमशः 20 प्रतिशत तथा 150 प्रतिशत थी। 1 अप्रैल 1968 से इस विधि में संशोधन कर के दण्ड की न्यूनतम और अधिकतम सीमाएं बढ़ाकर उस आय या धन का क्रमशः 100 प्रतिशत तथा 200 प्रतिशत कर दी गई है जिसे छिपाने की कोशिश की गई थी।

(घ) आयकर अधिनियम में एक नई धारा 276 बी जोड़ दी गई है। इस धारा में ऐसी व्यवस्था है कि स्रोत पर कर न काटने और सरकार को उसकी अदायगी न करने वाले व्यक्तियों को 6 महीने तक के कठोर कारावास और साथ ही न चुकाये गये वार्षिक कर के कम से कम 15 प्रतिशत तक का जुर्माना लगाया जायेगा। इस संशोधन से पूर्व इस प्रकार के दोषी व्यक्ति को कर जमा न करने पर 10 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकता था तथा कैद की सजा की कोई व्यवस्था नहीं थी।

प्रशासनिक उपाय :

कर अपवंचन रोकने के लिये पिछले पांच वर्षों के दौरान निम्नलिखित प्रशासनिक उपाय किये गये हैं :—

(1) कर-अपवंचन के मुख्यतः बड़े बड़े मामलों को निपटाने वाले सेन्ट्रल सर्किलों को सुदृढ़ बना दिया गया है। 1965 तक ऐसे सेन्ट्रल सर्किल केवल कलकत्ता और बम्बई में ही थे लेकिन उस वर्ष दिल्ली और मद्रास में भी सेन्ट्रल सर्किल बना

दिये गये थे। वर्ष 1968 में 40 अतिरिक्त आयकर अधिकारियों और चार निरीक्षी सहायक आयुक्तों की नियुक्ति करके इन सेन्ट्रल सर्किलों को और सुदृढ़ बना दिया गया है।

(2) काफी बड़े कर अपवंचन के मामलों के सबन्ध में आसूचना एकत्रित करने के प्रयोजन से 1966 में दिल्ली, बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता में आसूचना विंग बनाए गए थे। ये आसूचना विंग कर अपवंचन के मामलों में मुकदमा चलाने के लिए मामलों को तैयार करते हैं। हाल में आसूचना विंग के क्रियाकलापों का विस्तार इन चार शहरों के अलावा अन्य शहरों में भी कर दिया गया है और प्रत्येक राज्य में एक एक सहायक निरीक्षण निदेशक (आसूचना) की नियुक्ति की गई है।

(3) धारा 132 के अधीन तलाशी और मान पकड़ने विषयक शक्तियों में 1965 में जो वृद्धि कर दी गई थी, उसका पूरा पूरा उपयोग किया गया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान 1000 से अधिक मामलों में तलाशियां ली गई हैं इन तलाशियों के फलस्वरूप जब्त की गई परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य 4.59 करोड़ रुपये आता है।

(4) धारा 133 ए में दी गई सर्वेक्षण-शक्तियों का अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है और उपयुक्त मामलों में सर्वेक्षण कार्य किये जा रहे हैं। उनके परिणाम अच्छे निकल रहे हैं और बहुधा बही खातों के दोहरे सेट बरामद होते हैं।

(5) जिन व्यक्तियों पर 5000 रुपये से अधिक का दण्ड लगाया जाता है उनके नाम प्रतिवर्ष केवल सरकारी राजपत्र में ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित किये जाते हैं जिससे कि ऐसे मामलों का उचित प्रचार किया जा सके और प्रतिरोधक प्रभाव पड़े।

(6) आय को छिपाने के लिए केवल जुर्माने लगाये जाने की प्रथा में परिवर्तन कर दिया गया है और जहां कही सम्भव है वहां मुकदमें भी चलाये जा रहे हैं। 1-4-1964 से 67 मामलों में मुकदमें चलाने का अनुमोदन दिया गया है। इन में से 47 मामलों में मुकदमें पहले ही चलाये जा चुके हैं। तीन मामलों में निर्धारितियों ने प्रतिरोधक राजी नामा फीस अदा कर के समझौता करना स्वीकार कर लिया है। शेष 17 मामलों में विभागीय परामर्शदाता की सलाह से मुकदमें अभी चलाये जाने हैं। मुकदमा चलाए गए 47 मामलों में से 9 मामलों में सजा पहले ही दिलाई जा चुकी हैं; इन में वे तीन मामले भी शामिल हैं जिनमें कैद की सजा दी गई है। 2 मामलों में अभियुक्तों को छोड़ दिया गया जबकि 4 अन्य मामलों में मुकदमा चलाए जाने के बाद निर्धारितियों ने समझौता करना मान लिया। शेष मामलों में मुकदमें न्यायालयों में विचाराधीन हैं।

(7) कर अपवंचन को रोकने की दृष्टि से आसूचना विंग के अधिकारियों को मुकदमा

चलाने के दृष्टिकोण से मामले तैयार करने के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया गया है। अधिकारियों के मार्ग-दर्शन के लिए एक अभियोजन मैन्युअल भी तैयार किया गया है।

(8) कर-अपवंचन के कारणों पर गौर करने और उसे रोकने के उपायों की सिफारिश करने के लिए विभागीय अधिकारियों की एक समिति नियुक्ति की गई थी। उसकी रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया जा रहा है।

श्री वेदव्रत बरुआ : 1962 में कहा गया था कि 3 करोड़ रुपये के कर का अपवंचन हुआ था और अब यह जरूर बढ़ गया होगा। परन्तु इस अपवंचन के अतिरिक्त प्रत्यक्ष कर के मामले में दुख की बात यह है कि मध्यम तथा निम्न आय वर्ग के लोगों को पूरा प्रत्यक्ष कर देना पड़ता है जबकि इतना अधिक करापवंचन हो रहा हैं। मैं तो यह कहूँगा कि कानून ही करापवंचन की अनुमति देता है। यदि ओबराय होटल तथा अन्य होटलों में ठहरने वाले व्यक्तियों की संख्या को देखा जाय तो पता चलेगा कि उनमें से अधिकतर लोग वही होते हैं जिन्हें कम्पनियों तथा अन्य स्रोतों से आय प्राप्त होती है। क्या सरकार ने ऐसे उपाय किये हुए हैं जिनसे इस करापवंचन को रोका जा सके ? क्या सरकार कोई उपाय करेगी कि इस कानूनी करापवंचन को रोका जा सके।

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोराजी देसाई) : माननीय सदस्य ने परस्पर विरोधी बातें कही हैं। कानूनी रूप से करापवंचन का कोई प्रश्न नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कानूनी रूप से छूट का हकदार है तो वह उस छूट का हकदार है। प्रश्न यह है कि क्या ये रियायतें वी जायें अथवा नहीं। बहुत से मामलों में हम इन रियायतों को बराबर सीमित करते रहे हैं। इन्हें केवल इसलिए समाप्त नहीं किया जा सकता कि माननीय सदस्य उन्हें समाप्त कराना चाहते हैं। कुछ रियायतों को जारी रखना जरूरी है और उनका वे फायदा उठाएंगे।

यदि माननीय सदस्य सोचते हैं कि केवल उच्च स्तर पर ही कर अपवंचन होता है तो उनका इस प्रकार सोचना बिल्कुल गलत है उच्च स्तर की बजाय मध्यम स्तरों पर अधिक करापवंचन होता है। एक वर्ग विशेष की निन्दा करना बेकार है। कोई भी इस कुरीति से मुक्त नहीं है।

श्री वेदव्रत बरुआ : मेरा प्रश्न पूछने का अर्थ यह था कि जिन कृषकों पर सीधा कर लगेगा उन्हें वह अपने पास से देना पड़ेगा···उद्योगपतियों तथा उनके कर्मचारियों की तरह कम्पनी की धनराशि में से नहीं। क्या यह सच है कि 75 बड़े व्यापार गृह और उनके मालिक आय-कर दाता भी नहीं हैं ? उनमें से कितनों ने यह घोषणा की है कि उनकी आय 5000 रुपये प्रति मास से कम है ?

श्री मोरारजी देसाई : माननीय सदस्य पृथक् प्रश्न पूछें।

श्री क०प्र० सिंह देव : क्या अपवंचित राशि की वसूली के लिये जनता का सहयोग मांगा गया था और क्या जनता ने सहयोग दिया है ? क्या उड़ीसा में एक फर्म से 20 लाख रुपये की राशि के बारे में जनता से कोई सहयोग प्राप्त हुआ है ? पिछले $2\frac{1}{2}$ वर्ष से इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है जबकि जनता ने अपना पूरा सहयोग दिया है।

श्री प्र० चं० सेठी : हमें भेदियों से समय समय पर सूचना मिलती रहती है। हम उनका सहयोग ले रहे हैं और उन्हें पुरस्कार भी दिया जाता है। माननीय सदस्य ने जिस मामले की ओर निर्देश किया है उसपर विचार किया जा रहा है जैसा कि माननीय सदस्य को पता ही है।

श्री एस० आर० दामानी : पिछले वर्ष उप प्रधान मंत्री ने घोषणा की थी कि कर निर्धारण के सभी मामले दो वर्षों के अन्दर पूरे कर लिए जायेंगे। इस योजना में कितनी सफलता मिली है और कितने मामले दो वर्ष से अधिक लम्बित रहे हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : कर निर्धारण के मामले काफी कम हो गये हैं। 1 अप्रैल 1968 को उनकी संख्या 23,29,650 थी जब कि 1 अप्रल 1969 को उनकी संख्या 15,36,524 ही रह गई थी। 1972 तक सभी मामलों को पूरा करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

Shri Beni Shankar Sharma : Whenever we talk of tax evasion ; only one class of people attracts our attention, that is the businessmen. But now two other categories have come into the picture, i.e. the contractors and the corrupt officers. The Income-tax Department should realise income-tax from these classes of people as well. During the last Three Five Year Plans crores of rupees have been spent in the public sector out of which a large amount has gone into the pockets of the contractors and through them it has passed on to the officers. Have the Income-tax Department taken any steps to realise income-tax from them and if not, do they propose to take any such action ?

Shri Morarji Desai : Unless such a cost of bribery is detected it is difficult to take any action. If the hon. Member passes any information to me, I shall certainly pursue it. It is not that the evasion is confined to any one class. Nobody is free from it if he can evade it.

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : करों का भुगतान नहीं किया जाता है। ईमानदार व्यक्तियों से जबरदस्ती कर ले लिया जाता है और बेईमान व्यक्तियों को खुला छोड़ दिया जाता है और मामलों को निलम्बित रख कर उनकी मदद की जाती है। लोक लेखा समिति ने अपने 17 वें प्रतिवेदन में कहा है कि मार्च में बहुत अधिक मामले निपटाये जाते हैं और अन्य महीनों में उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। क्या सरकार ने इस दिशा में कोई कार्यवाही की है कि अधिकारी मामलों का ठीक प्रकार निपटारा करें, काम को ठीक तरह बांटें और मार्च में ही उन्हें निपटाने की कोशिश न करें ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह किया जा रहा है। इसीलिये कार्य-प्रभाग भी बनाया गया है। विभिन्न राज्यों में हमने कार्य को अपने हाथ में ले लिया है और यह प्रक्रिया जारी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच है कि 1964 में बड़े पैमाने पर सोने आदि की तस्करी के मामले पकड़े गये थे जिनका अभी तक फैसला नहीं हो पाया है ? इसके बारे में स्थिति क्या है? जब तक उनका फैसला नहीं हो जाता सरकार उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकती है। क्या मंत्री महोदय का इस तरह की खामियों को दूर करने के लिये कोई उपाय करने का विचार है जिससे कि ये तस्कर इतने वर्षों तक इन मामलों को किसी न किसी बहाने लटकाए न रख सकें और सरकार को राजस्व से वंचित न कर सकें ?

श्री मोरारजी देसाई : तस्करी का आय-कर से बहुत कम सम्बन्ध है। तस्करी की आय

आयकर विवरण में नहीं दिखाई जाती है । तस्करी का पता चलने पर सारा माल जब्त कर लिया जाता है ; इसे अन्तिम रूप से तभी अधिकार में लिया जा सकता है, जब मामले का फैसला हो जाये । यह तो न्यायालयों पर निर्भर करता है कि वे मामलों का शीघ्र निपटारा करें । इसमें खामी की कोई बात ही नहीं है ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : आय-कर बकाया के मामलों की संख्या अधिक होने के कारण कितना कर अपवंचन होता है ? क्या इस कारण कि अधिकारी कर निर्धारण के सामन्य मामलों में उलझे रहते हैं वे कर अपवंचन को रोकने की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे सकते हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : कर की बकाया राशि वसूल करने के लिए सभी संभव कार्यवाही की जा रही है और इसीलिए काफी सफलता मिल रही है । परन्तु मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि आय-कर बकाया के मामलों की संख्या अधिक होने के कारण कम आय वाले वर्गों के आय के विवरणों की अच्छी तरह जांच नहीं की जाती है और उन्हें वैसे का वैसा मान लिया जाता है ।

Shri Maharaj Singh Bharati : There are various ways of evading taxes. I agree with the hon. Minister that nobody is free from this evil. By showing inflated cost of production and deflated sales revenue from sale proceeds, millions of rupees are evaded on account of income-tax. May I know whether any modification has been made in the rules to plug these loopholes ?

श्री प्र० चं० सेठी : कर अपवंचन को रोकने के लिये सजा और अधिक कड़ी कर दी गई है । इससे कम कर-अपवंचन होने की संभावना है । शत प्रतिशत दण्ड तक की व्यवस्था की हुई है ।

Shri Maharaj Singh Bharati : What steps have been taken to check the practice of inflating cost of production and deflating sales revenue ?

Shri Morarji Desai : We take advantage of all the measures that are there and when any such thing is detected, stringent penalties are imposed. Recently a new pattern of sales assessment has been introduced. If during the process of assessment it is found that there has been evasion, deterrent punishment is given.

श्री अमृत नाहाटा : कुछ वर्ष पहले प्रोफेसर काल्डर ने आय-कर अवंचन के आंकड़े मालूम करने का एक वैज्ञानिक तरीका निकाला था । क्या सरकार कोई ऐसा तरीका निकालने के लिए फिर कुछ विशेषज्ञ नियुक्त करेगी ? कर-अपवंचन के कारण देश में काला धन जमा होता जा रहा है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है । क्या सरकार नए नोट जारी करेगी जिससे देश में काले धन को समाप्त किया जा सके ?

श्री मोरारजी देसाई : श्री काल्डर ने कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं निकाला था । वह तो केवल महज एक अनुमान था । किसी का अनुमान 300 करोड़ रु०; किसी का 500 या 100 करोड़ रु० हो सकता है । इसमें कोई सार नहीं है । नए नोट सूचना देकर नहीं जारी किये जा सकते हैं ।

श्री प० गोपालन : जब से श्री मोरारजी वित्त मंत्री बने हैं, आय-कर बकाया के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है । मार्च 1965 में आय-कर बकाया 322 करोड़ रुपये थी जो इस वर्ष बढ़ कर 600 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है । क्या इसका कारण यह है कि वित्त मंत्री के दिल में बड़े व्यापारी वर्ग के लिये हमदर्दी है जो आमतौर पर करापवंचन करते हैं ? लोक लेखा समिति

ने आय-कर बकाया वसूल करने के लिये सही तथा तुरन्त उपाय न करने के लिये सरकार की आलोचना की है। उन्होंने 25 कम्पनियों की ओर निर्देश किया है जिनमें से प्रत्येक पर 25 करोड़ रुपये से अधिक की आय-कर की राशि बकाया है। यह बताया गया है कि 25 व्यापार समूहों पर 20 करोड़ रुपये की आय-कर की राशि बकाया है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि इस राशि को वसूल करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं और वे कहां तक सफल सिद्ध हुए हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : इसका कई बार उत्तर दिया जा चुका है। मैं इन गालियों तथा आक्षेपों का उत्तर नहीं दे सकता।

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्न जानकारी प्राप्त करते के लिए पूछे जाने चाहिए। किसी पर इस प्रकार आक्षेप लगाना उचित नहीं है।

श्री प० गोपालन : आंकड़ों से स्पष्ट हो रहा है कि करापवंचन के मामले इस बीच बढ़े हैं।

श्री मुरासोली मारन : पहले सरकार ने घोषणा की थी कि छिपे धन या काले धन की सूचना देने वालों को काले धन या छिपे धन का कुछ प्रतिशत भाग पुरस्कार के रूप में दिया जायेगा। क्या इस घोषणा को कोई सफलता मिली है। कितने मुखबिरों ने छिपे धन की सूचना दी है ? सरकार को इस प्रकार कितना छिपा धन प्राप्त हुआ है ? मुखबिरों को कितनी राशि इनाम स्वरूप दी गई ?

श्री प्र० चं० सेठी : मैं इसकी पूर्व सूचना चाहता हूँ।

Shri Shashi Bhushan : The Finance Ministry deserves congratulations for making all possible efforts for realising tax arrears. It is rewarding the persons giving information about black and hidden money. Some-body gave information about a Delhi Hotelier who used to evade income-tax. He was given a reward of Rs. one thousand. But it is very regrettable that no acton has been taken against him so far. There are so many cases of this type. In Rajasthan income-tax worth several crores of rupees is being evaded. When a complaint is made, the I.T.Os. instead of seizing their documents call for their records for inspection. Despite all steps taken by the Ministry these tax-evaders manage to escape from their grip. The country is in dire need of money for implementation of its plans. So some measures should be devised to bring out this money. I want to know what action is being taken in this connection ?

Shri Morarji Desai : If the hon. Member helps us in detecting such cases, we shall be grateful to him. Only narration of income-tax evasion is not going to help us. In spite of all possible precautions, tax-evasion cannot be stopped altogether.

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम सब को पता है कि उत्पादन लागत बढ़ा-चढ़ा कर दिखाई जाती है और बिक्री के मूल्य को कम करके दिखाया जाता है और जहां तक वैदेशिक व्यापार का सम्बन्ध है अधिक तथा कम राशि के बीजक बनाए जाते हैं और इनके परिणामस्वरूप करोड़ों रुपये के आय-कर का अपवंचन होता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इन चीजों को रोकने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो क्या उनका अब कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री प्र० चं० सेठी : मैं धन छिपाने के ऐसे मामलों की संख्या बताता हूँ जो पकड़े गये हैं।

उनसे हमारे द्वारा किए गए उपायों की सफलता का पता चल जाएगा। 1965-66 में 34,165 मामले पकड़े गए थे। 1966-67 में 29,294 और 1967-68 में 31,509 मामले पकड़े गए थे।

श्री को० सूर्यनारायण : विवरण के अनुसार 67 मामलों में कार्यवाही आरम्भ की गई हैं। इनमें केवल 47 न्यायालयों में भेजे गये हैं और कुछ को दण्ड दे दिया गया है। जिन व्यक्तियों अथवा फर्मों के विरुद्ध मुकदमें चलाए गए हैं और जिन पर मुकदमें चल रहे हैं उनके नाम क्या है।

श्री प्र० चं० सेठी : मुझे पूर्व सूचना चाहिए।

श्री पीलू मोडी : मैं वित्त मन्त्री से सहमत हूँ कि कर अपवंचन सभी स्तरों पर होता है और यह प्रतिवर्ष बढ़ता ही जा रहा है ; वित्त मन्त्री को कड़े उपाय करने की शक्ति प्राप्त है कर अपवंचन को रोकने के लिए परन्तु फिर भी करापवंचन को वह पूर्णतया नहीं रोक पाये हैं। हमारी कराधान पद्धति और उन्होंने जो उपाय सुझाए हैं उनमें कोई मूल खराबी है क्योंकि वे अपराधियों को पकड़ने के लिए सक्षम नहीं हैं परन्तु उन्हें अधिकाधिक कड़ा बनाने की कोशिश करते हैं जिससे केवल ईमानदार लोग ही उनकी पकड़ में आते हैं। अपने बजट भाषण में वित्त मन्त्री ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति 500 रु० का कर छिपाता है तो उस पर 50,000 या 60,000 रुपए जुर्माना किया जा सकता है। इस तरह का कानून बनाने का कोई लाभ नहीं है। यदि वित्त मन्त्री वास्तव में कर-अपवंचन को रोकना चाहते हैं तो उन्हें कराधान पद्धति को युक्तियुक्त बनाना चाहिए। इसलिए क्या वे कराधान पद्धति को युक्तियुक्त बनाने, करों को कम करने तथा कर छिपाने वालों को पकड़ने के लिए कडी (परन्तु दण्डित नहीं) व्यवस्था करने के लिए कोई प्रस्ताव लाएंगे।

श्री मोरारजी देसाई : माननीय सदस्य ने सही तथा बकवास में कोई अन्तर नहीं किया है। इसलिए मैं उनके प्रश्न का कैसे उत्तर दे सकता हूँ ? संसद द्वारा पास किये गये विधेयक को वे बकवास कहते हैं।

श्री पीलू मोडी : संसद द्वारा पास किये गये विधान की आलोचना करने में कोई खराबी नहीं है। हममें से बहुत लोग ऐसा करते हैं।

श्री मोरारजी देसाई : अन्य लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। यह कहना बेकार है कि हर एक बकवास करता है।

Adulteration of Foodstuffs

\+

*1628. **Shri Jagannath Rao Joshi :** **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Brij Bhushan Lal : **Shri Suraj Bhan :**
Shri Ram Gopal Shalwale : **Shri Ranjit Singh :**

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the case of adulteration of food stuffs detected, State-wise, during the last three years ;

(b) the number of persons convicted and punished in those cases ; and

(c) the food stuffs which are usually adulterated and further effective preventive measures being taken in this connection ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). 1966 तथा 1967 के वर्षों की अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। वर्ष 1968 की सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) दूध तथा दूध से तैयार होने वाली चीजों, अल्कोहल रहित पेयों, मीठा जैसे चीनी, शहद, गुड़ अथवा सीरा, मसालों, चटनियों, अन्न और अन्न से तैयार वस्तुओं, खाद्य तेलों और वसाओं में ही मुख्यतः मिलावट पाई जाती हैं।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबन्धों को अधिक कड़ा कर दिया गया है और राज्यों से कह दिया गया है कि वे इस अधिनियम को उचितरूप से लागू करें।

अन्तर्राज्य स्तर पर होने वाले अपमिश्रण को रोकने के लिए एक योजना तैयार करने के एक प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।

विवरण

राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	पकड़े गये मामलों की संख्या		दण्डित व्यक्तियों की संख्या	
	1966	1967	1966	1967
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	2,282	1,918	1,184	712
असम	566	442	10	19
बिहार	996	947	उपलब्ध नहीं है	101
गुजरात	3,193	1,721	1,912	1,363
केरल	1,544	1,291	1,496	564
मध्य प्रदेश	2,148	1,234	1,806	1,227
मद्रास	5,814	5,194	1,550	1,511
महाराष्ट्र	6,326	5,726	4,560	3,558
मैसूर	1,255	1,478	785	932
उड़ीसा	748	1,296	121	162
पंजाब	1,600	2,347	886	743
राजस्थान	3,520	4,325	1,410	3,957
उत्तर प्रदेश	7,929	8,919	5,182	2,938
पश्चिम बंगाल	1,587	1,459	868	588
हरयाणा	1,180	1,206	858	787

नागालैंड	—	शून्य	—	शून्य
दिल्ली	835	633	414	433
हिमाचल प्रदेश	337	521	144	318
मनीपुर	1	3	उपलब्ध नहीं है	शून्य
त्रिपुरा	59	52	88	86
अन्डमान निकोबार	शून्य	शून्य	8	शून्य
चन्डीगढ़	...	396	उपलब्ध नहीं है	64
दादर और नगर हवेली	...	1	8	शून्य
गोवा, दमन तथा दीव	...	12	...	शून्य

Shri Jagannath Rao Joshi : Adulteration has assumed such proportions that it seems as if we attained independence for adulteration. It is even said that some persons wanted to end his life in order to get rid of this world of adulteration but he did not die as the poison which he had taken was also adulterated. From the statement, we find that there is great difference in the number of cases detected and those of convicted. As for example, in Madras 5814 cases were detected in Madras and only 1550 were convicted. Were they only cases of harassment or there is any lacuna in our laws ?

श्री ब० सू० मूर्ति : कानून में कोई त्रुटि नहीं है। राज्य सरकारों को खाद्य निरीक्षक नियुक्त करने की शक्ति है। न्यायाधीशों को भी यह विवेक प्राप्त है कि वे कड़ी सजा न दें। इसलिए यह केवल मिलावट को रोकने का एक प्रयास मात्र है। और इससे लोग मर नहीं जाते।

Shri Jagannath Rao Joshi : Adulteration is like an iceberg whose one-eighth portion appears above water and the rest is hidden underneath. The hon. Minister has mentioned the various foodstuffs which were found adulterated. Adulteration is very much prevalent so far as ghee is concerned. We have been urging for colourization of Vanaspati Ghee for the last so many years. But it has not been colourized in spite of persistent demands for colourizing it which is affecting public health adversely. Why are Government not take any steps in this direction ?

श्री ब० सू० मूर्ति : मैं समझता हूं कि वह उसके पर्यवेक्षण में नहीं आता।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : यदि सरकार मिलावट को रोकने की इच्छुक है और स्थिति की मांग है कि वनस्पति में रंग मिलाया जाये, तो इसमें क्या आपत्ति है ?

Shri K. K. Shah : The facts is that content differ from state to state and therefore, it is difficult to lay down the fat content. So far as colouring is concerned, doctors are not agreed that by colouring we are going to reduce the quality.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : खाद्य अपमिश्रण अधिनियम वास्तविक अपराधियों को पकड़ने में सर्वथा असफल रहा है। आन्ध्र में छोटे दुकानदारों पर बराबर अभियोग चलाये जाते हैं, जो उनके उत्पादक बिल्कुल नहीं हैं। वे कहीं और से सामान लाते हैं और यह पता लगाना संभव नहीं होता है कि किसमें मिलावट है और किसमें मिलावट नहीं है। खाद्य निरीक्षकों को बहुत व्यापक

अधिकार दिये गये हैं और वे इनका दुरुपयोग कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप अनेक छोटे लोगों पर जो अपनी आजीविका के लिए पूर्णत: इस व्यापार पर निर्भर करते हैं। बिना किसी के दोष के अभियोग चलाये गये हैं जबकि इस प्रकार के जघन्य कार्य करने वाले पकड़े नहीं गये हैं। परेशानी के मामलों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाया गया है। कुछ लोग अपनी शिकायतें पेश करने के लिए दिल्ली आये हैं। क्या मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे और सुनिश्चित करेंगे कि निर्दोष व्यक्तियों को अकारण दण्ड न दिया जाय जबकि वास्तविक दोषी बच निकले हैं ? क्या इन लोगों के प्रतिनिधियों को बुलाकर विचार विमर्श करेंगे और देखेंगे कि कानून में कमियों को दूर किया जाये ताकि वास्तविक अपराधी पकड़े जा सकें ?

श्री ब० सू० मूर्ति : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं। वास्तव में आंध्र के अनेक व्यक्ति और संस्थाओं के लोग मुझसे और दिल्ली आकर मन्त्री महोदय से भी मिले है।

श्री बलराज मधोक : केवल आन्ध्र से ही नहीं, दिल्ली से भी।

श्री ब० सू० मूर्ति : जी हां, सारे देश से उनकी कठिनाइयों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है। हम इस बात के लिए सहमत हो गये हैं कि जहां कहीं भी मिलावट हो रही हो, वास्तविक अपराधियों को दण्ड दिया जाये। हम इस ओर ध्यान दे रहे हैं। मैं सबको आश्वासन देता हूँ कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दण्ड नहीं दिया जायेगा।

श्री बलराज मधोक : कानून में त्रुटियां हैं।

श्री एस० कंडप्पन : सभा पटल पर रखे गये विवरण में बताई गई स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक हैं। उत्तर प्रदेश में 8,000 मामले पकड़े गये हैं, महाराष्ट्र में 6,000 और तमिलनाडु में लगभग 5,000 मामले पकड़े गये हैं। दूसरी ओर बहुत कम व्यक्तियों को दण्ड दिया गया है ; क्या सरकार राज्यों से पता करेगी कि पकड़े गये कुल मामलों की तुलना में दण्ड के मामले कम होने के क्या कारण हैं ? इससे श्री पें० वेंकटासुब्बया की बात का समर्थन होता है उदाहरण के लिए अन्य राज्यों से मेरे राज्य में दालों के आयात के सम्बन्ध में छोटे दुकानदारों को उनके किसी दोष के बिना ही दण्ड दिया जाता है। अन्य वस्तुओं के मामले में भी यही स्थिति है। क्या सरकार इन सब बातों के बारे में गंभीर हैं और निकट भविष्य में स्थिति में सुधार करने के लिए कृत संकल्प है ?

श्री के० के० शाह : यह कठिन प्रश्न है। जहां तक खुदरा व्यापारियों का सम्बन्ध है, यदि कोई वस्तु पैकेट में बन्द पकड़ी जाती है, तो मूल थोक व्यापारी पर अभियोग चलाया जाता है। क्योंकि यह वारंट के समान होता है। परन्तु जहां तक खुली चीजों का सम्बन्ध है। उदाहरण के लिए यदि दाल आयात की गई है, तो यह पता लगाना कि थोक व्यापारी अथवा फुटकर व्यापारी ने तेल लगाया है, बहुत कठिन है।

हमने राज्यों को पत्र लिखे हैं कि यदि फुटकर व्यापारी कहता है कि उसने तो थोक व्यापारी से अमुक माल खरीदा है, तो उसके साथ ही थोक व्यापारी के मकान दुकान पर भी छापा मारना चाहिए ताकि यह पता लग सके कि किसने अपमिश्रण किया है।

श्री पें वैंकटासुब्बया : थोक व्यापारी पंजाब में हैं और फुटकर व्यापारी आन्ध्र में ।

श्री के० के० शाह : थोक व्यापारियों को दो श्रेणियों में बाँटा गया है । एक बड़ा थोक व्यापारी है प्रत्येक राज्य में एक थोक व्यापारी होता है, जिससे फुटकर व्यापारी माल खरीदता है । सुब्रह्मण्यम समिति की सिफारिशें हमारे सामने हैं । अब हमने केन्द्रीय सरकार की ओर से निरीक्षक नियुक्त करने का निर्णय किया है ताकि अन्तर्राज्यीय सौदे के मामलों में समन्वय किया जा सके ।

श्री नरेन्द्र सिंह महोड़ा : माननीय मंत्री कहते हैं कि राज्य सरकारों को कार्यवाही करनी चाहिए । राज्य सरकारें इसे पंचायतों और नगरपालिकाओं पर छोड़ देती हैं । मेरे अपने शहर, बड़ौदा में लोग भैंस का दूध ला रहे हैं । इसमें मिलावट होती है और इसमें चिकनाई अपेक्षित प्रतिशतता में नहीं होती और इसीलिए इसे वे गाय का दूध कहकर बेचते हैं । वे कानून के उपबंधों से बचने के लिए ही ऐसा करते हैं । यह एक बड़ा कुटिल चक्र है और जब तक कठोर दण्ड नहीं दिया जाता । मिलावट बन्द नहीं होगी । क्या वे उन पर केवल जुर्माना ही नहीं करेंगे बल्कि उन्हें जेल भी भेजेंगे ? क्या आप इस दिशा में कदम उठायेंगे ?

Shri Sarjoo Pandey : The hon. Minister has stated that they took action against the wholesalers also, who were found guilty but generally it is seen that the inspectors appointed by the State Governments seldom take action against term and the action is generally directed against the retailers and petty of shopkeepers, keeping this is view will Government amend the law to avoid harassment to small shopkeepers and to make it possible to prosecute mainly the wholesalers ?

Shri K. K. Shah : I have already answered this question.

Shri Tulsidas Jadhav : Too much time is now taken in testing an article for adulteration. May I know the number of such centres and if they are insufficient will Government take necessary steps to increase their number ?

श्री ब० सू० मूर्ति : मैं माननीय सदस्यों को यह बता दूं कि फुटकर व्यापारी का उसे माल सप्लाई करने वाले व्यक्ति से वारंटी मांगने पर बचाव हो जाता है । उनके साथ मेरी बातचीत में मैं जोर देता रहा हूँ कि आप माल खरीदते समय वारंटी क्यों नहीं मांगते । वे कहते हैं कि थोक व्यापारी ने वारंटी नहीं दी । माननीय सदस्यों को फुटकर व्यापारियों से कहना चाहिए कि वे ये वारंटी अवश्य लें ।

श्री प्र० के० देव : वे सरकारों और संसद् सदस्यों पर उत्तरदायित्व डाल रहे हैं । जहां तक कानून के प्रवर्तन का सम्बन्ध है, भारत सरकार अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकती है । यह कानून इस संसद् की कानून पुस्तिका में है और आखिर यह एक समवर्ती विषय है । इन सब बातों को तथा हाल में आपराधिक कानून सम्बन्धी एक विचार गोष्ठी में हुई इस सहमति को ध्यान में रखते हुए कि खाद्य पदार्थों में मिलावट सदोष मानव-वध के समान बुरा अपराध है, क्या सरकार अधिक कठोर दण्ड देने पर विचार करेगी और कानून में संशोधन करेगी ?

श्री ब० सू० मूर्ति : कानून में संशोधन किया जा चुका है और इसे अधिक कठोर बना दिया गया है । किन्तु कानून बनाना मात्र ही पर्याप्त नहीं है, जब तक कि लोगों को इसकी जानकारी न हो । माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि जब वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जायें,—

अनेक फुटकर व्यापारी सहायता के लिए उनके पास आते हैं--तो उन्हें बताये कि यदि वे थोक व्यापारी से वारंटी लें, तो वे परेशानी से काफी बच सकते हैं। यदि वे ऐसा करते हैं, तो उन्हें कभी परेशान नहीं किया जायेगा।

अल्प सूचना-पत्र

SHORT NOTICE QUESTION

Ramganga Project

S. N. Q. 24. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that estimates in regard to the Ramganga Project have increased and the period of completion of the said project has also been extended ;

(b) whether it is also a fact that most of the machines worth crores of rupees imported from abroad could not be put to use ;

(c) whether it is further a fact that some high officers connected with the project are purchasing inferior quality spare parts in conclusion with the local manufacturers ; and

(d) if so, the steps taken by Government so far to check this practice ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां। इस परियोजना पर, जिसकी अनुमित लागत 1961 में 67.98 करोड़ रुपये थी, अब लगभग 97 करोड़ रुपये लगने की संभावना है। 1961 में इसके लिए लक्ष्य तिथि 1968-69 रखी गई थी और 1965 में इसका परिवर्तन कर 1972 कर दिया गया था। अब इस लक्ष्य तिथि को एक साल और आगे बढ़ा दिया गया है और वर्तमान लक्ष्य तिथि जून, 1973 है।

(ख) जी, नहीं। कुछ आधारभूत मैंचिंग उपकरण के न पहुंचने के कारण कोई समय ऐसा आया था जबकि कुछ मशीनों का कम प्रयोग हुआ था।

(ग) ऐसी कोई बात सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता। बहरहाल, यह बताना जरूरी है कि इस परियोजना के लिये खरीदारी करने की एक विस्तृत प्रक्रिया हैं। इस प्रक्रिया के अधीन हर एक अधिकारी की शक्तियां बहुत ही सीमित कर दी गई हैं और सभी थोक खरीदारी में स्थानीय क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त करना होता है जिसमें मुख्य अभियंता, निदेशक (निर्माण), वित्तीय सलाहकार और अधीक्षक अभियंता (अधिप्राप्ति) शामिल हैं।

Shri Prakash Vir Shastri : You have stated that the project had to be completed by the year 1967 and now the period has been extended and it is to be completed by 1973. The initial estimated cost has also been increased from Rs. 67 crores to Rs. 97 crores. But the fact is that the expenditure will come to about Rs, 110 crores after the completion of the Power House. Is it a fact ? If so, whether the investment of such an amount of Government money and the return of only 3 per cent on that is practically proper in such a situation whereas the total return will not be more than Rs. 3 crores per annum ?

I want to know whether all these points were not in your mind at the time the project was formulated ? What are the reasons for the afterward alterations and how the

estimated cost has increased by about one and a half times and how the period has also been extended in the same proportion ?

डा० कु० ल० राव : माननीय सदस्य ने अनुमानित राशि में हुई वृद्धि की ओर ध्यान दिलाया है । यह सच है कि अनुमानित राशि में वृद्धि हुई है और अभी हो रही है । किन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह सिंचाई परियोजना है, और एक सिंचाई परियोजना के सम्बन्ध में यह कहना सम्भव नहीं होगा कि आमदनी क्या होगी, 6 प्रतिशत होगी अथवा कुछ और । इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि राजस्व के रूप में प्रत्यक्ष आमदनी तीन करोड़ रुपये होगी अथवा चार करोड़ । राशि में परिवर्तन हो सकता है और हम प्रत्यक्ष आमदनी से हो सकने वाली वृद्धि से अधिक के बारे में नहीं सोच सकते ।

एक मुख्य बात जिसे ध्यान में रखना है वह यह है कि : यह एक सिंचाई परियोजना है जो लगभग 17 लाख एकड़ भूमि को सींचेगी और इससे 200 मेगावाट बिजली पैदा होगी ।

Shri Prakash Vir Shastri : You have stated about the imported machinery, bying unused that these is nothing special about it. But the fact is that 60 per cent of the imported Bulldozers costing Rs. 10 crores of rupees are lying unutilised.

Secondly, when the India Supply Mission, Washington, is requested to make arrangements for the supply of spare parts, they make us wait for as long as 18 months and in the meanwhile the machines remain unutilised. For example, scrapper is lying out of order since 1967 while today May, 1969 has started and till now that is not being utilised.

So far as the buying of cheap spare parts is concerned, there are some such technical officers who are purchasing cheap spare parts and lakhs of rupees of the Government are being invested in them and a commisson has been fixed with the sellers of the spare parts.

I want to know whether it is proper that some offices should take undue advantage from the project, which will cost Rupees One hundrad ten crores and whether no steps have been taken to curb it, if so, what are those ?

There has been a firing incident over the Kalagash Project in which some persons were also killed. One of the main reasons of the increase in time, money and the extention of the project in respect of the Kalagarh project is that some political forces are working in such a way that your efforts are not being crowed with success.

डा० कु० ल० राव : जहाँ तक मशीनरी का सम्बन्ध है रामगंगा परियोजना के लिए मशीनरी का आदेश दिया गया था, उदाहरणार्थ, ड्रेगलाइनें तथा कुछ डेम्पर । सब मशीनें वहां उसी समय मिल गई थी । दुर्भाग्यवश, ड्रेगलाइन, जो कि एक महत्वपूर्ण उपकरण है कुछ खराब हो गया था और इसके खराब हिस्सों को फिर से अमरीका से प्राप्त करना था, लेकिन इसमें काफी समय लग गया । इसलिए ड्रेगलाइन की अनुपयोगी स्थिति के कारण डम्पर को भी बेकार रहना पड़ा । इस प्रकार मशीनरी बिना प्रयोग लाए पड़ी रही है अथवा कुछ मशीनों को कुछ महीनों बेकार रहना पड़ा ।

यह सच है कि फालतू पुर्जों के सम्बन्ध में कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ा है, अमरीका में गोदी कर्मचारियों की हड़ताल थी तथा बहुत से अन्य कारणों से विलम्ब हुआ । इसीलिए फालतू पुर्जे उपलब्ध नहीं थे । मैं हाल में वहां गया था और मैंने विशेषकर फालतू पुर्जों के प्रश्न पर गौर किया । अब मैं सोचता हूँ कि फालतू पुर्जे बराबर उपलब्ध होते रहेंगे और किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी । बेकार पड़े मशीनों की संख्या घटा दी गई है ।

स्थानीय रूप से प्राप्त घटिये पुर्जों के सम्बन्ध में जो खबर है, वह गलत है, कुछ पुर्जे ऐसे हैं, जो भारत में बनाये जा सकते हैं और उनको प्रतिबन्धित सूची में रखा जाता है, उनका आयात नहीं किया जा सकता। उदाहरणार्थ, रबर सीट एक ऐसा पुर्जा है जिसका देश में निर्माण किया जा सकता है और इसके आयात पर प्रतिबन्ध है। स्वदेशी स्रोतों से प्राप्त फालतू पुर्जे केवल एक प्रतिशत है जिनका मूल्य लगभग 3 लाख होगा जबकि आयातित फालतू पुर्जों की कीमत 3½ करोड़ रुपये है। हमें स्थानीय उत्पादन द्वारा पुर्जों के प्रतिस्थापन के प्रयत्न को प्रोत्साहन देना चाहिए।

भ्रष्टाचार में करने वाले अधिकारियों के बारे में मुझे कोई सूचना नहीं है, यदि माननीय सदस्य उनके नाम बता दें तो मैं उनके बारे में जांच करवा सकता हूँ। हड़ताल के राजनीतिक होने के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। दुर्भाग्य से, बहुत सी परियोजनाओं में हड़तालें होती रहती हैं। अभी इट्टीक्की में भी हड़ताल हुई थी। मैं चाहता हूँ कि बड़ी परियोजनाओं में हड़तालें नहीं होनी चाहिए ताकि देश प्रगति कर सके।

Shri Prakesh Vir Shastri : I have asked about India Supply Mission in Washington. Keeping in view the high costs of the projects running into Arabs of rupees. The Government of India should direct the India Supply Mission to send the spare parts of the machines engaged in these projects immediately which lay idle for want of them and on the arrival of which it takes about 18 months.

Secondly, I had asked whether there was any political element involved in the firing incident, if so, whether that element is present there and whether there has been any improvement in that ?

These two questions have not been answered.

डा० कु० ल० राव : हमने इण्डिया सप्लाई मिशन को इस सम्बन्ध में शीघ्रता करने को कहा है। अब सब कुछ ठीक कर दिया गया है और काम ठीक ढंग से चल रहा है। जहां तक गोली काण्ड का सम्बन्ध है जो मैं कह चुका हूँ उससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। इस समय वहाँ पूर्ण शांति है और इसके बाद वहां किसी प्रकार की घटना घटने का कोई कारण नहीं है।

श्री रंगा : उन्होंने जो कहा है उससे यह प्रतीत होता है कि विलम्ब, अधिक व्यय, फालतू पुर्जों तथा भारी मशीनों की सप्लाई के सम्बन्ध में विदेशियों के साथ बातचीत के सम्बन्ध में बड़ी भारी गलती हुई है। क्या मैं उनसे निवेदन कर सकता हूं कि वे इस बारे में हमें आश्वासन देंगे कि वे वर्तमान तथा अगले सत्र की अवधि में स्वयं वहां जायेंगे अथवा उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिला तो वह किसी उच्च अधिकारी को इस कार्य के लिए नियुक्त करेंगे। अच्छा तो यह होगा कि वे स्वयं जायें और विषय की जांच करें तथा किये जाने वाले सुधारात्मक उपायों के बारे में स्वयं पूर्ण तसल्ली करें और तब इस सदन को प्रतिवेदन पेश करें।

डा० कु० ल० राव : यह बहुत अच्छा सुझाव है। वास्तव में मैं पिछले सप्ताह वहाँ दो दिन के लिए गया था और मैंने इस पर विचार किया। मैं सभा को आश्वासन दिला सकता हूँ कि कार्य बड़ी शीघ्रता से होगा। यह परियोजना हमारी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है और हम इसके काम में शीघ्रता लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बड़ी सम्भावना है कि हमें छः महीने पहले पानी मिलने लगेगा।

Shri Maharaj Singh Bharati : Keeping in view the fact that the justation period of a dam is ten yeers, after it starts functioning, but this dam will be fully utilised from the day of its functioning as all its water will go into the canal which is already working, will the hon. Minister be pleased to state the reason for prescribing double time than that is taken by the dam in U.S.S.R, and U.S.A. and over dam is constructed in double the time than the prescribed ? So, if the points raised in the question are not there than what are the reason for the delay ?

डा० कु० ल० राव : मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि राम गंगा के सम्बन्ध में कुछ विलम्ब अवश्य हुआ है। इसमें सात साल से अधिक नहीं लगने चाहिए थे। दुर्भाग्य से इसमें अधिक समय लग गया है। अब मैं जो कुछ कह सकता हूँ, वह यह है कि हमने परियोजना को बड़ी अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया है और हमें आशा है कि परियोजना अगले तीन चार सालों में पूर्ण हो जायेगी ।

Shri Ram Charan : When the original estimate of any project is prepared, it is kept in view what is the capacity of the machinery to be imported or purchased and its requirment accordingly. I want to know whether the capacity of the earthmaking machinery and bull-dozer purchased was kept in view in respect of this project so that there could be no delay in the extention of the work. Whether there is any such officer in the deparment who can check the capacity of the machinery and tell how time it will take in completing the work, if not, whether the government will make such an arrangement so that money may not be misused in future by purchasing machinery more than what is required ?

डा० कु० ल० राव : मशीनरी के सम्बन्ध में हमारे सामने कोई कठिनाई नहीं है। हम मशीनों पर होने वाले व्यय, खरीदी जाने वाली मशीनों आदि के सम्बन्ध में अनुमान लगाते रहे हैं। परियोजना की लागत में वृद्धि अवमूल्यन तथा बांध की ऊंचाई में 110 फीट की वृद्धि के कारण हुई। इसके कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि हो गई है क्योंकि सिंचाई के लिए प्रस्तावित क्षेत्र 13 लाख एकड़ बढ़कर 17 लाख एकड़ हो गया है अर्थात 4 लाख एकड़ की वृद्धि। इसी कारण लागत 67 करोड़ रुपये से बढ़कर 97 करोड़ रुपये हो गई है।

Shri Ram Charan : My question is whether any estimate has been prepared regarding the capacity of the machinery purchased ?

डा० कु० ल० राव : मशीनरी के सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं है। प्रत्येक वस्तु के लिए ठीक आदेश दिए जा चुके हैं। मशीनरी ठीक रूप से काम कर रही है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Whether it is a fact that the government first prepares the estimates regarding the money to be inverted and the time of completion in respect of the dams constructed by the Government, but more money is spent due to delays and the project is also not completed in time ? What are the main reasons for the delay in respect of the project and who is responsible for that ?

Whether the Hon. Minister will enquiries in this respect and will take action against the persons responsible for the delay ?

डा० कु० ल० राव : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूँ। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इस परियोजना के सम्बन्ध में दुर्भाग्य से कुछ देरी हुई है, जिसके बारे में मुझे स्वयं बड़ा खेद है। दुर्भाग्य वश ये परियोजनायें राज्य सरकार के अधीन हैं। फिर भी, मैं इस सम्बन्ध में जांच करवाऊंगा और यह पता करवाऊंगा कि क्या कोई व्यक्ति इस विलम्ब के लिए उत्तरदायी है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Banks not Permitted by Reserve Bank of India to Advance Large Amounts of Loans

*1624. **Shri Onkar Singh :** **Shri Sharda Nand :**
Shri J. B. Singh :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that banks have to take permission from the Reserve Bank of India for granting large amounts of loan ;

(b) if so, the names of those banks which were not permitted to grant large amounts of loan by the Reserve Bank during the last one year ; and

(c) the policy of the Reserve Bank in regard to the giving of permission to the banks to grant large loans ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Subject to the requirement of over all credit policy, banks are free to sanction individual loans and advances accept that they have to obtain authorisation from the Reserve Bank for certain categories of credit limits of Rs. 1 crore or more to any single party or any limit that would take the total limit enjoyed by such party from the entire banking system to Rs. 1 crore or more.

(b) During the last one year credit authorisation was not granted in one case. It is not the usual practice of the Reserve Bank to disclose the details as it relates to accounts of customers of an individual bank.

(c) Before authorising a limit, the Reserve Bank examines broadiy the purpose of the loan to satisfy itself that it is in conformity with the requirement of the Plan and does not encourage the financing of non-productive activities.

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों में हिन्दी कर्मचारियों की मांग

*1626. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों तथा अन्य विभागों द्वारा हिन्दी में टाइप करने तथा अनुवाद कार्य के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो 1969-70 में कितने अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) हिन्दी कार्य के लिये आवश्यक कर्मचारियों की संख्या संबंधित प्रशासनिक मन्त्रलयों द्वारा निर्धारित की जाती है तथा वे ही, यथास्थिति, अपनी शक्तियों के अधीन या वित्त मन्त्रालय के परामर्श से आवश्यक अतिरिक्त कर्मचारियों की मंजूरी देते हैं । कुछ मामलों में तो अतिरिक्त कर्मचारियों की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है और अन्य मामलों में आवश्यकताओं पर गौर किया जा रहा है । इसलिए, 1969-70 के दौरान सभी मंत्रालयों को सुलभ किए जाने वाले अतिरिक्त कर्मचारियों विषयक पूरा चित्र इस समय उपलब्ध नहीं है ।

जस्ते का उत्पादन

*1627. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1968 से 31 जनवरी. 1969 तक की अवधि में सरकारी क्षेत्र में जस्ते का उत्पादन कितना हुआ ;

(ख) प्रति मास कुल कितना जस्ता बिना बिका पड़ा रहा और 1968 के अन्त तक कुल कितना माल बिना बिका पड़ा रहा ; और

(ग) उसे बेचने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) भारत सरकार के उपक्रम, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ने जस्ता सिलो का उत्पादन मई 1968 से प्रारम्भ किया। मई 1968 से 31 जनवरी 1969 तक की अवधि के दौरान प्रद्रावक में उत्पादित जस्ता सिलो की कुल मात्रा 10,733 मैट्रिक टन थी।

(ख) मई 1968 से दिसम्बर 1968 तक की अवधि के दौरान प्रत्येक मास के अंत पर स्टाक की स्थिति निम्न प्रकार से थी :

मास	स्टाक
1. मई 1968	601.954 मैट्रिक टन
2. जून 1968	2195.613 ,,
3. जुलाई 1968	4042.798 ,,
4. अगस्त 1968	5749.711 ,,
5. सितम्बर 1968	5569.517 ,,
6. अक्तूबर 1968	4773.008 ,,
7. नवम्बर 1968	3102.116 ,,
8. दिसम्बर 1968	2284.666 ,,

मार्च 1969 के अंत पर जस्ते का स्टाक केवल 648 मैट्रिक टन था।

(ग) स्टाक को खतम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये थे :—

(1) जस्ते का आयात वास्तविक उपभोक्ता "सीमित" वर्ग के अन्तर्गत कर दिया गया था।

(2) तकनीकी विकास के महा निदेशालय को स्वदेशी जस्ता उत्पादन की अग्रता प्राप्त तथा गैर-अग्रता प्राप्त, दोनों प्रकार के वास्तविक उपभोक्ताओं को आवंटन करने को कहा गया।

(3) नियतमागियों को आदेश दिया गया था कि वे तकनीकी विकास के महा निदे-

शालय द्वारा नियतन के पत्र जारी हो जाने की तिथि से तीन सप्ताह के भीतर स्वदेशी उत्पादकों के पक्ष में अपरिवर्तनीय साख पत्र खोले ।

(4) जब तक कि उपभोक्ता एकक उनको आवंटित स्वदेशी जस्ता धातु की मात्रा की उठान न कर लें तब तक जस्ते के आयात के लिये तकनीकी विकास के महा निदेशालय या अन्य सिफारिश करने वाले प्राधिकरणों द्वारा उनके आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

अल्कोहल की कमी

*1629. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अल्कोहल की कमी के कारण पौलिथीन तथा अन्य रसायन बनाने वाले कुछ उद्योग, जिनमें अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकते ;

(ख) यदि हाँ, तो अल्कोहल सुलभ करने की संभावनाएं क्या हैं ; और

(ग) अल्पावधि तथा दीर्घावधि आधार पर इस कमी को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हाँ ।

(ख) वर्तमान चीनी मौसम 1968-69 के दौरान अल्कोहल की उपलब्धि की संभावना पिछले वर्षों से बहुत अच्छी है ।

(ग) अल्पावधि आधार पर अपनाये उपायों में, अल्कोहल के निर्यात पर प्रतिबन्ध, उपभोक्ताओं को अल्कोहल के वितरण में कुछ प्राथमिकताएं, बेशी वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में अल्कोहल का अन्तर्राज्य आबंटन, आसवन के लिए खांडसारी शीरे पर भी नियन्त्रण तथा यथावश्यक आयात शामिल हैं । दीर्घावधि उपाय के तौर पर, स्थिति में सुधार के लिए अध्ययन तथा उपाय सुझाने के लिये एक अध्ययन दल नियुक्त किया गया है ।

Import of Petrol

*1630. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the quantity of petrol imported by Government during 1967-68 and 1968-69 ;

(b) the amount of foreign exchange spent by Government thereon ; and

(c) the steps proposed to be taken during the Fourth Five Year Plan to achieve self-sufficiency in this regard ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Dr. Triguna Sen) : (a) to (c). Presuming that "petrol" refers to Motor Gasoline, no imports of the same were made during 1967-68 and 1968-69 nor are any planned during the Fourth Five Year Plan. The country produces surplus quantities of Motor Gasoline, which are exported from time to time.

खनन पट्टों का नवीकरण

*1631. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार ने गत दो वर्षों में खनन पट्टों के नवीकरण के लिये जिन खान मालिकों के आवेदनपत्रों की सिफारिश की है, उनके नाम क्या हैं ;

(ख) उड़ीसा सरकार ने उपर्युक्त अवधि में खनिजों का पता लगाने के लाइसेंसों के लिए जिन व्यक्तियों के आवेदन-पत्रों की सिफारिश की है उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) उन आवेदकों के नाम क्या हैं जिनके आवेदनपत्रों की राज्य सरकार ने सिफारिश नहीं की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 1—श्री एस० एल० दास

2—श्री सुख लाल अग्रवाल ।

(ख) सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1098/69**]

(ग) 56

निर्मित मकानों को खरीदने के लिये ऋण

*1632. **श्री बे० कु० दास चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, निर्मित मकानों तो खरीदने के लिए अपने कर्मचारियों को ऋण मंजूर करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए थे ;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों को ऋण न दिए जाने के कारण हैं जिन्होंने उसके लिए आवेदन-पत्र भेजा है जब कि अधिकांश मामलों में इन दावेदारों ने मकान-मालिकों को अग्रिम धन राशि दे रखी है ; और

(ग) क्या सरकार शीघ्र ऋणों को मन्जूर करेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). बने-बनाए फ्लैटों/मकानों के क्रय के लिए अग्रिम धन देने के लिए, 1968-69 के वर्ष के दौरान प्राप्त 114 आवेदन पत्रों में से 83 मामलों में ऋण स्वीकृत किया गया है । 3 मामले अस्वीकृत किये गये हैं क्योंकि आवेदक नियमों के अनुसार किसी अग्रिम के लिए पात्र नहीं हैं । शेष 28 मामलों में से 10 मामले में अग्रिम के आवेदन पत्र सहकारी भवन निर्माण समितियों से भिन्न निजी पक्षों से मकान/फ्लैट खरीदने के लिए हैं । यह पहले ही निर्णय हो चुका है कि सहकारी भवन निर्माण समितियों के अतिरिक्त निजी पक्षों से मकान/फ्लैट खरीदने के लिये अग्रिम धन स्वीकार्य नहीं होगा । 11 मामले सहकारी भवन निर्माण समितियों से मकान/फ्लैट

खरीदने के लिए अग्रिम के आवेदन पत्रों के हैं। सहकारी भवन निर्माण समितियों से मकान/फ्लैट खरीदने के लिए सुरक्षण दिए जाने का मामला विचाराधीन है। अन्य 7 मामले आगे की सूचना के अभाव में रुके हुए हैं जिसे सम्बन्धित विभागों से मंगाया गया है।

मैंगनीज अयस्क पर से निर्यात शुल्क हटाना

*1633. **श्री क० लकप्पा :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री मैंगनीज अयस्क पर से निर्यात शुल्क हटाने के बारे में 3 दिसम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 492 के उत्तर के सम्बन्ध यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस उद्योग को सहायता देने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियन तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) और (ख). उद्योग को सहायता देने का प्रश्न अभी भी विचाराधीन है।

Development of Land Acquired by Delhi Administration

*1634. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that most of the land acquired by the Delhi Administration is lying unutilised and undeveloped ;

(b) if so, ths reasons therefor ;

(c) the area of urban and rural land acquired, separately, during the last three years and the area which was developed ; and

(d) the areas proposed to be taken by Government to bring about proper development of land in Delhi ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) to (d). A statement containing the required information is laid on the Table of the Sabha.

STATEMENT

About 29,000 acres of land have been acquired and allotted to various agencies, as under, for development :

	(Area in acres)
Delhi Development Authority	18,195.81
Co-operative House Building Societies/Industrial Estates	3,850.00
Delhi Municipal Corporation	3,000.00
Government/Semi-Government Departments, etc.	3,672.04
Central Road Fund	282.15
Total	29,000.00

Separate information regarding urban and rural land acquired is not available.

The development of land acquired by the Delhi Administration and disposal of developed plots is mostly done by the Delhi Development Authority.

The progress in the development of land was initially lagging behind due to delay in getting possession of some plots as a result of court injunctions, non-availability of Trunk Services, difficult terrain, high sub-soil water level and heavy rock cuttings in levelling some of the sites. In order to expedite the development of land, the authority has now decided to make its own interim arrangements for water supply and sewerage in the residential and industrial colonies where Delhi Municipal Corporation is likely to take considerable time to provide these services. An Engineering Organisation has also been set up under the Authority to expedite development work.

L. I. C. Investment on Projects in Madhya Pradesh

*1635. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount invested by the Life Insurance Corporation in Industrial and non-Industrial Projects in Madhya Pradesh during the Third Five Year Plan ;

(b) whether any proposals have been received from the Government of Madhya Pradesh for investments to be made during the Fourth Five Year Plan ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) the action proposed to be taken by the Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Jagannath Pahadia) : (a) The LIC's investments in Madhya Pradesh State during the Third Plan period amounted to Rs. 3.54 crores for industrial sector and Rs. 12.23 crores for non-industrial sector.

(b) No, Sir.

(c) and (d). Does not arise.

Estate Duty Cases in Rajasthan

*1636. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of cases of estate duty in Rajasthan which came to the notice of Government during the period from 1957 to December, 1968 ;

(b) the amount of estate duty realised in those cases and number of cases still pending ; and

(c) the number of cases, under investigation ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) 1,255.

(b) The Estate Duty realised in these cases upto 31-12-1968 is Rs. 3,400(000). The number of such cases pending as on that date is 277.

(c) The number of cases under investigation is 72.

भारतीय उर्वरक निगम द्वारा दावों को समाप्त करने के मामलों की जांच

*1637. **श्री पी० विश्वम्भरन :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय उर्वरक निगम द्वारा मैसर्स कैमिको पर 57.50 लाख रुपये के दावे समाप्त किये जाने के बारे में विस्तारपूर्वक जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है तथा जांच कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री दा०रा० चव्हाण): (क) और (ख). सरकारी उपक्रमों की समिति ने 12 मार्च, 1969 को संसद में पेश की गई अपनी

छबीसवीं रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि ट्राम्बे परियोजना के बारे में प्रबन्धकों की ओर से कई कार्याविधिक और कार्यात्मक त्रुटियां हुई। उक्त समिति ने सिफारिश की है कि इन त्रुटियों की जिनके परिणामस्वरूप वित्तीय हानियाँ और लगातार कम उत्पादन हुआ है, जांच की जानी चाहिए तथा इनके लिए उत्तरदायी ठहराना चाहिये। समिति की सिफारिशों के अनुसार आवश्यक जांच कराने के बारे में सरकार विचार कर रही है।

Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees in Finance Ministry

*1638. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the Department-wise, Section-wise and Category-wise number of Officers and other employees belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who have been promoted against posts reserved for them upto 15th March, 1969 in, and under his Ministry, according to the provisions made in the Ministry of Home Affairs Memorandum No. 1/12/67-Establishment (C) dated the 11th July, 1968 ; and

(b) the names and designations of such employees and the names of the Departments where they are working ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

Sale of Goods to M.P.'s by Excise Department

*1639. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that items like watches, cameras and transistors, etc. were made available on the sale to Members of Parliament by the Excise Department in the past ;

(b) if so, whether all such items are now being entrusted to Co-operative Societies ;

(c) the reasons therefor ; and

(d) the reasons why intimation to this effect was not sent to M.P.'s for the last three years ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Confiscated consumer goods such as watches, cameras, transistors were being sold to the public including Members of Parliament through the departmental retail shops of Customs and Excise Departments till February, 1968.

(b) Yes, Sir.

(c) Administratively, it was found more advantageous to resort to bulk sales of such goods.

(d) Retail sales were discontinued in February, 1968 and not three years ago. No intimation was sent to any individual regarding the closing of the retail shop just as no intimation was sent to any one regarding the opening of these shops.

राज्यों में विभिन्न गृह निर्माण योजनाओं के अन्तर्गत मकानों का निर्माण

*1640. **श्री गाडिलिगन गौड :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की विभिन्न गृह-निर्माण योजनाओं के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश मध्य प्रदेश तथा मैसूर राज्यों में अब तक कितने नये मकानों का निर्माण किया गया है ;

(ख) वर्ष 1966, 1967 और 1968 में कितने मकान खाली रहे थे तथा उससे सरकार को कितनी हानि हुई ; और

(ग) इस प्रकार की हानि को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) तीन राज्यों द्वारा अभी तक भेजी गई प्रगति रिपोर्टों के अनुसार, इस मन्त्रालय की विभिन्न आवास योजनाओं के प्रारम्भ से, लगभग 79,700 मकान निर्मित किए जा चुके हैं।

(ख) और (ग). सम्बन्धित राज्य सरकारों को सम्बद्ध सूचना भेजने के लिए कहा जा रहा है (जिसमें उन द्वारा उठाई गई हानि भी शामिल है) और प्राप्त होने पर इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

पश्चिम बंगाल में अमरीकी संगठन

*1641. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अमरीकी शान्ति दल और अन्य अमरीकी संगठनों की सेवाओं को तुरन्त समाप्त करने का निर्णय किया है और इस सम्बन्ध में केन्द्र को सूचित कर दिया है ;

(ख) यदि हां तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्र को अपने इस निर्णय के कारण भी बताये हैं ;

(ग) उक्त आदेश के फलस्वरूप और किन-किन अमरीकी संगठनों पर प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) क्या राज्य सरकार ने राज्य में अमरीकी सहायता से क्रियांवित की जा रही परियोजनाओं के बारे में अपनी नीति की जानकारी भी केन्द्र को दी है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने हमें सूचित किया है कि उसे अमरीकी शान्ति दल के नये स्वयं सेवकों की जरूरत नहीं है। इस निर्णय के लिए कोई कारण नहीं बताए गए हैं। उसने यह भी सूचित किया है कि जब तक आगे और निर्णय नहीं हो जाता तब तक अमरीकी शान्ति दल के वर्तमान स्वयं सेवक राज्य में अपना काम करते रहें।

(ग) इस निर्णय से किसी अन्य अमरीकी संगठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(घ). जी, नहीं।

दिल्ली विकास प्राधिकार को नये मकान बनाने के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण

*1642. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने दिल्ली विकास प्राधिकार को नये मकान बनाने के लिए कोई ऋण दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि का ;

(ग) उस पर ब्याज दर क्या होगी ; और

(घ) कुल कितने मकान बनाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) 2 करोड़ रुपये ।

(ग) 6¼ प्रतिशत प्रति वर्ष, अदायगी अर्ध-वार्षिक ।

(घ). 1784 ।

उत्तर प्रदेश में सरकारी उपक्रम

*1643. **श्री विश्वनाथ पांडेय** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में चलाये जा रहे सरकारी उपक्रमों का संख्या कितनी है ;

(ख) वे किस-किस तिथि को आरम्भ किए गए थे और उनमें से प्रत्येक को आरम्भ करने में कितनी लागत आई थी ;

(ग) प्रत्येक उपक्रम के सम्बन्ध में गत वर्ष उत्पादन, लागत, लाभ तथा हानि का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में मिली सफलता शेष देश की औसत सफलता की तुलना में बहुत कम रही है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का ऐसी कार्यवाही करने का विचार है, जिससे उत्तर प्रदेश देश के अन्य भागों के समान प्रगति कर सके ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र०चं० सेठी) : (क) 31 मार्च, 1958 को समाप्त होने वाला वर्ष ही सब से हाल का ऐसा वर्ष है जिसके लिए सभी सरकारी उपक्रमों के पूरे वित्तीय विवरण उपलब्ध हैं उक्त तारीख की उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रम प्रायोजनाएं चल रही थीं :

1. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स—	हरिद्वार एकक
2. फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया—	गोरखपुर एकक
3. इण्डियन ड्रग्स फार्मेस्यूटिक्लस लि०—	ऋषीकेश एकक
4. तेल और प्राकृतिक गैस आयोग	
5. हिन्दुस्तान एअरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर प्रभाग	
6. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड	
7. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	

(ख) जहां तक इन एककों की प्रारंभिक लागत का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य संभवतः उत्तर प्रदेश में स्थित कुल परिसम्पत्ति के रूप में इन में लगी पूंजी के ब्यौरे की जानकारी चाहते हैं। चूंकि ऐसा हो सकता है कि कई कारणों से लागत के मूल अनुमानों में संशोधन किये गये हों इसलिए 31 मार्च 1968 को इनमें लगी पूंजी के आंकड़ों के साथ-साथ नीचे वे तारीखें भी दी गई हैं जिनको ये उपक्रम/प्रायोजनाएं शुरू की गयी थीं :

(करोड़ रुपयों में)

उपक्रम/प्रायोजना का नाम	शुरू करने का वर्ष	31 मार्च, 1968 को कुल परिसम्पत्ति का मूल्य
1. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स—हरिद्वार एकक	1954	56.8
2. फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया—गोरखपुर एकक	1961	32.3
3. इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड—हृषीकेश एकक	1961	24.7
4. तेल और प्राकृतिक गैस आयोग	1956	7.1
5. हिंदुस्तान एअरोना टेक्स लिमिटेड—कानपुर प्रभाग	1964	2.6
6. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड	1965	1.8
2. राष्ट्रीय लघु आयोग निगम	1955	0.3

कम्पनी की स्थापना का वर्ष

(ग) उपर्युक्त एककों से सम्बद्ध 1967-68 के उत्पादन, लागत, लाभ या हानि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

उपक्रम/प्रायोजना का नाम	1967-68 में उत्पादन	मूल्यह्रास सहित उत्पादन का मूल्य	करों की व्यवस्था किए जाने से पहले शुद्ध लाभ(+) शुद्ध हानि (—)
		(लाख रुपयों में)	
1. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड हरिद्वार एकक	58	179	(—)140
2. फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड गोरखपुर एकक	अप्रैल 1968 में उद्घाटन किया गया		

3. इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड - ऋषिकेश एकक	40	79	(—) 56
4. हिंदुस्तान एअरोनाटिक्स लिमिटेड* कानपुर प्रभाग	4096	4182	140
5. तेल और प्राकृतिक गैस आयोग	3522	2073	1279
6. त्रिवेणी स्ट्रकचरल्स लिमिटेड		निर्माणाधीन	
7. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम*	528**	448	(—) 0.2

*सम्पूर्ण कम्पनी से सम्बद्ध आंकड़े ।

**बिक्री, कमीशन और पार्टियों से प्राप्त ब्याज के आंकड़े ।

(घ) और (ङ). जहां तक (कुल परिसम्पत्ति के रूप में) केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाई गई पूंजी का सम्बन्ध है, 1967-68 के अन्त में लगी कुल 3042 करोड़ रुपये की पूंजी में से उत्तर प्रदेश में 125.0 करोड़ रुपये की रकम लगी हुई थी । लेकिन अन्य प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश के विकास को आंकने को केवल यही कसौटी नहीं है क्योंकि उपर्युक्त आंकडों का सम्बन्ध केवल केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों से है । जैसाकि चौथी पंचवर्षीय आयोजना (1969-74) के मसौदे में राज्यों की आयोजनाओं के सम्बन्ध में बताया गया है, तीसरी आयोजना 1966-69 की वार्षिक आयोजनाओं और चौथी आयोजना में उत्तर प्रदेश के कुल परिव्यय और केन्द्रीय सहायता के आंकड़े और कुल मिलाकर सभी राज्यों के तदनुरूप आंकड़े इस प्रकार है :

(करोड़ रुपयों में)

	तीसरी आयोजना		वार्षिक आयोजनाएं, 1966-69		चौथी आयोजना	
	कुल परिव्यय	केंद्रीय सहायता	कुल परिव्यय	केंद्रीय सहायता	कुल परिव्यय	केंद्रीय सहायता
उत्तर प्रदेश	560.25	356.2	456.03	259.4	951.00	526.00
कुल मिलाकर सभी राज्य	4165.75	2515.3	3051.75	1798.9	6066.00	3500.00

विभिन्न अवधियों में कुल परिव्यय और केन्द्रीय सहायता के जो आंकड़े ऊपर दिये गये हैं, उनमें विभिन्न राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश का हिस्सा सबसे अधिक है ।

नदी बहाव परियोजनाओं का अनुमोदन

1644. **श्री रा० की० अमीन** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नदी बहाव परियोजनाओं को जिनका अनुमोदन अन्तर्विभागीय

समिति ने कर दिया, अभी लाइसेंस समिति और मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों सम्बन्धी समिति द्वारा भी स्वीकृति दी जानी है ; और

(ख) यदि हां, तो स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया कहां तक पूरी हो चुकी है और इन परियोजनाओं के लिये अनुमति मिलने में कितना समय लगेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) ; (क) और (ख). जी हां । उन प्रस्तावों के लिए जो गुजरात नेफ्था मंजक से संबंधित अनुप्रवाही एककों के अंश है, व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए आशय पत्र जारी करने के बारे में लाइसेंस समिति को सिफारिशें भेजी गई हैं । आगामी कार्यवाही (मन्त्री मण्डल की आर्थिक मामलों सम्बन्धी समिति की स्वीकृति को शामिल करते हुए) जहां कहीं आवश्यक होगी, लाइसेंस समिति निर्णयानुसार की जावेगी । कुछ महीनों के अन्दर ही परियोजनाओं के स्वीकृत होने की आशा है ।

दिल्ली में श्री सी० राजगोपालचारी के नाम पर सड़क अथवा गली

*1645. **श्री नंजागोंडर** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, श्री सी० राजगोपालाचारी के नाम पर दिल्ली अथवा नई दिल्ली में कोई सड़क, गली स्थान आदि हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या अब ऐसा किया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). जब कभी विशेष सुझाव और प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, तो नगर निकाय द्वारा उन पर विचार किया जाता है । दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका को उनके विचारार्थ ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

कैनाल हैडवर्क्स के नियंत्रण के बारे में पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद

*1646. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि रोपड़, हरीके और फिरोजपुर स्थित तीन कैनाल हैडवर्क्स के बारे में पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद है ;

(ख) इन हैडवर्क्स के बारे में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अन्तर्गत समझौते की शर्तें क्या हैं ;

(ग) पंजाब और हरियाणा सरकारों के अपने-अपने दृष्टिकोण क्या हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले में मध्यस्थता करने का है ताकि दोनों पक्षों के बीच सोहार्दपूर्ण समझौता हो जाये ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) पंजाब सरकार ने भाखड़ा प्रबन्धक बोर्ड को रोपड़, हीरके और फीरोजपुर पर तीन नहरों के शीर्षकार्यों का नियंत्रण नहीं सौंपा है। हरियाणा सरकार पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के उपबन्धों के अधीन इनका नियंत्रण सौंपने के लिए जोर दे रही है।

(ख) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धारा 79(1) (घ) में यह व्यवस्था है कि इन शीर्ष कार्यों के प्रशासन, अनुरक्षण और प्रचालन का काम इस अधिनियम के अधीन स्थापित भाखड़ा प्रबन्धक बोर्ड द्वारा किया जायेगा।

(ग) पंजाब सरकार के अनुसार इन शीर्ष कार्यों के नियंत्रण को सौंपने का प्रश्न भाखड़ा नांगल परियोजना पर भारत के प्रधान मन्त्री द्वारा की जाने वाली मध्यस्थता से सम्बन्धित बृहत् राजनैतिक मामलों में से है दूसरी ओर हरियाणा सरकार चाहती है कि अधिनियमानुसार इन शीर्ष कार्यों का नियंत्रण भाखड़ा प्रबन्धक बोर्ड के पास हो।

(घ) जी, हां।

सरकारी डाक्टरों द्वारा निजि चिकित्सा व्यवसाय

*1647. **श्री जी० बाई० कृष्णन** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी डाक्टरों को निजी चिकित्सा-व्यवसाय करने की अनुमति देने के क्या औचित्य हैं जबकि अन्य सेवाओं में गैर-सरकारी कार्य करने की अनुमति नहीं है ; और

(ख) क्या इस प्रकार की असमानताओं को दूर करने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों को निजी चिकित्सा व्यवसाय करने की अनुमति नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Seizure of Imported Stainless Steel in Bombay

*1648. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large quantity of stainless steel imported from Japan has been seized by the Customs Office in Bombay ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) the name of the firm which was given the import permit and the terms and conditions thereof ; and

(d) whether those terms and conditions were duly complied with ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Yes, Sir.

(b) About 97 metric tonnes of materials claimed to be 'Stainless Steel Angles' but alleged to be 'Stainless Steel Sheets' have been seized by the Bombay Customs authorities at Bombay and Delhi. The approximate value of the goods is reported to be Rs. 31/- lakhs at the prevailing market rates.

(c) The goods had been imported against two licences issued in the name of M/s. Minerals and Metals Trading Corporation of India, New Delhi. The importations were made by M/s. Satyanarayan Khaitan (P) Ltd., Calcutta under Letters of Authority issued by the Iron and Steel Controller, Calcutta. The licences were valid for the import of seven categories of goods including 'Stainless Steel Angles.' The terms and conditions of the licence are furnished in the statement placed on the Table of the Sabha.

STATEMENT

Besides the conditions printed in the body of the import licence the following conditions were specified in an annexure to each of the two licences :

"The above mentioned import licence is issued subject to the following conditions :

1. The materials on arrival should be sold only to following categories of Actual Users to be chosen by barterer themselves—

(A) Priority industries as indicated in Appendix 12 of the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1968.

(B) Drum and Barrel industries (B. P. Sheets only).

2. Barterers should submit a Statement (in duplicate) to the Iron and Steel controller (licencing III Section). Calcutta with the following information :

(A) Licence No. and Date

(B) Name and Address of the Buyer

(C) Detailed Description of Materials

(D) Tonnege sold

(E) Name of the Sponsoring Authority with whom the actual users (Buyers) are Registered.

3. The information in this regard shall be submitted by the Licensee within a fortnight of each sale."

(d) The goods are alleged to be not covered by the licence discription viz. Stainless Steel Angles.

नौवहन संबंधी लाभों को कर से छूट देने के बारे में जापान के साथ करार.

*1649. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन संबंधी लाभों के अनुपात के बारे में जिन्हें कर से छूट दी जाती है, जापान के साथ कोई करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं ?

(ग) इसके परिणामस्वरूप भारत को कितना लाभ होने की सम्भावना है ; और

(घ) क्या ऐसे करार किसी अन्य देश के साथ भी किये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). जी हां । आय को दोहरे कराधान से बचाने के लिए सन् 1960 से लागू भारत और जापान के बीच वर्तमान करार में संशोधन हेतु एवं उसके अनुपूरक के रूप में 8 अप्रैल 1969 को नई दिल्ली में एक पूर्वलेख

(प्रोटोकाल) पर हस्ताक्षर किये गये। इस पूर्व-लेख में, अन्य बातों के साथ- साथ, अन्य देश में होने वाले नौवहन लाभों के सम्बन्ध में आय देशों द्वारा दी जाने वाली कर से छूट की मात्रा को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर देने की व्यवस्था है।

(ग) और (घ) आय को दोहरे कराधान से बचाने के लिए अब तक भारत सरकार ने जिन अन्य देशों के साथ करार किये हैं उनमें नौवहन लाभ विषयक कर से छूट, सामान्यतः 50% तक रही है। (स्वीडन के सम्बन्ध में यह छूट 66-2/3प्रतिशत है)। जापान के साथ हुए करार में शुरू-शुरू में 50% छूट देना तय हुआ था, किन्तु वर्तमान उपबन्ध के प्रभाव-क्षेत्र का विस्तार करने विषयक हमारे प्रस्ताव से जापान सरकार के सहमत हो जाने से अब इसे तत्-प्रति-तत् के रूप में बढ़ाकर 55% कर दिया गया है; इस उपबन्ध के अधीन, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय कर विधि में किये गये विशेष उपबंधों के अधीन, उनकी भारतीय आय पर हमारे द्वारा जिस कर की छूट दी जाती है उसका लाभ जापान भी अपने नागरिकों को देता है। इस उपबन्ध का लक्ष्य जापानी पूंजी के भारत में निवेश को यह सुनिश्चित करके प्रोत्साहन देना है कि कहीं हमारी कर विधि के अधीन उपलब्ध कर विषयक लाभों पर जापानी राजकोष द्वारा पोंछा लगा कर उन्हें निष्फल तो नहीं बना दिया जाता है।

दिल्ली में दुकानों के आवंटन सम्बन्धी नियमों को उदार बनाना

***1650. श्री रा० बरुआ : श्री चेंगलराया नायडू**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ संसद्-सदस्यों ने उन्हें कोई ज्ञापन भेजा है कि दिल्ली में दुकानों के आवंटन सम्बन्धी नियमों को उदार बनाया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस ज्ञापन पर विचार किया है;

(ग) क्या दुकानों के आवंटन सम्बन्धी वर्तमान नियमों से निर्धन तथा छोटे व्यापारियों को हानि होती है, जो धनी व्यापारियों के साथ खुले बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इन नियमों को उदार बनाने का विचार करेगी ताकि ज्ञापन में निर्दिष्ट श्रेणियों की सहायता की जा सके?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति : (क) जी, हां।

(ख) मामला अभी विचाराधीन है।

(ग) खुले टैण्डर के आधार पर दुकानों के आवंटन के वर्तमान नियम समुचित विचार के बाद बनाए गए हैं। यह एक अच्छी पद्धति है, जिससे सभी को प्रतिस्पर्धा करने और उस परिसर के लिए बोली देने का अवसर मिलता हैं जिसे वे किराये पर लेना चाहते हैं। छोटे व्यापारियो की

आवश्यकताओं को विभिन्न मार्केटों में बनाए गए थोड़े किराये वाले स्टालों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है ।

(घ) सरकार ने अभी हाल में दिल्ली में अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों के लिए रिक्तयों के 1/8 भाग को सुरक्षित करने का निर्णय किया है, और इन मामलों में, किफायती किराये पर आवेदन-पत्र आमंत्रित करने के पश्चात्, आवंटन लाटरी द्वारा किया जायगा ।

अलोह धातुओं का आयात

9175. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की अलोह धातुओं का आयात किया गया ;

(ख) भारत में किस-किस स्थान पर किन-किन अलोह धातुओं का खनन किया जा सकता है ;

(ग) उनके विकास के लिए क्या योजनायें बनाई गई हैं और कितनी अवधि के अन्तर्गत विकास किया जाना सम्भव है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) क्या यह सच है कि उडीसा, आसाम तथा बिहार में अलोह धातुएं भारी मात्रा में विद्यमान हैं और यदि हां, इन राज्यों में खानों से धातुएं तुरन्त निकालने सम्बन्धी सम्भावनाएं क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (घ). सूचना देते वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1099/69**]

जम्मू तथा काश्मीर से बकाया केन्द्रीय सरकार के ऋण

9176. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1969 को जम्मू तथा काश्मीर सरकार की ओर केन्द्रीय सरकार के ऋणों की कुल कितनी राशि बकाया थी ;

(ख) उस पर कितना वार्षिक ब्याज लिया जाता है ;

(ग) 31 मार्च, 1969 को उसकी ओर ब्याज की कितनी राशि बकाया थी ; और

(घ) ऋण तथा ब्याज की राशि को वसूल करने की सम्भावनाएं क्या हैं और उन्हें वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उपप्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) लगभग 154 करोड़ रुपये ।

(ख) वर्ष 1969-70 में वर्तमान ब्याज लगभग 7.20 करोड़ रुपये लिया जाना है ।

(ग) यह बकाया राशि लगभग 20.49 करोड़ रुपये थी किन्तु राज्य सरकार की प्रार्थना पर इसकी वसूली वर्ष 1968-69 के अंत तक स्थगित कर दी गई थी।

(घ) इस मामले के बारे में राज्य सरकार से विचार विमर्श किया गया था ताकि राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए किये जाने उपाय निकाले जा सकें। इस बात का पता लगा कि केन्द्र को ब्याज का भुगतान करने के लिए चालू वर्ष के बजट में 11.40 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

Rural Housing Scheme in Maharashtra

9177. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of villages in Maharashtra where rural Housing Schemes have been started ;

(b) the progress made so far in this regard ; and

(c) the amount spent so far and the extent of Central assistance provided as loans and other grants during the last three years for this purpose ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The Government of Maharashtra are implementing the Village Housing Projects Seheme of this Ministry in 475 villages in the State.

(b) and (c). According to the progress reports received since the introduction of the Scheme in the State during 1958-59, 10,111 houses have been constructed. On the basis of expenditure reported by the State Government, they had drawn Central assistance amounting to Rs. 250.57 lakhs upto March, 1969 under this Scheme. This includes Rs. 68.10 lakhs as loan and Rs. 19.45 lakhs as grant drawn by the Government of Maharashtra during the last three years ending March, 1969.

महाराष्ट्र के गांवों में बिजली लगाना

7978. **श्री देवराव पाटिल** : क्या सिंचाई तथा बिद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में अब तक कितने गांवों में बिजली लगाई गई है ; और

(ख) राज्य में ग्राम्य विद्युतिकरण योजनाओं के विकास और विस्तार के लिए 1969 70 में ऋणों के रूप में केन्द्रीय सरकार का महाराष्ट्र राज्य को कितनी सहायता देने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मार्च, 1969-तक, महाराष्ट्र राज्य में 9800 ग्रामों को बिजली दी गई थी।

(ख) 1969-70 के लिए वार्षिक योजना को अभी तय किया जाना है।

महाराष्ट्र के गांवों में बिजली लगाने के कार्य में प्रगति

9179. **श्री देव राव पाटिल** : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के गांवों में बिजली लगाने के कार्य को तेज करने में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) गत वर्ष महाराष्ट्र के गांव में बिजली लगाने के कार्य की गति सीधी होने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) महाराष्ट्र में 1968-69 के दौरान 2640 स्थानों पर बिजली लगाई गई और 33500 सिंचाई पम्प सैटों/नलकूपों को ऊर्जित किया गया जबकि 1967-68 के दौरान केवल 911 स्थानों में बिजली लगाई गई और 25419 सिंचाई पम्प सैटों/नलकूपों को ऊर्जित किया गया।

(ख) 1967-68 के दौरान धन की कमी के कारण कार्य की प्रगति धीमी रही।

दस्तकारी योजना के अन्तर्गत भारतीय औषधियां तैयार करना

9180. **श्री क० लकप्पा** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चूनामण्डी, पहाड़गंज, दिल्ली के डाक्टर कुंवर बलदेव सिंह ने दस्तकारी योजना के अन्तर्गत भारतीय औषधियां तैयार करने की एक योजना नई दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट पर स्थित भारतीय राज्य बैंक को प्रस्तुत की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार इन औषधियों को अच्छा दर्जा प्रदान करना चाहती है ; और

(ग) डाक्टर बलदेव सिंह को, जिसे औषधियों की देसी प्रणाली का लगभग 30 वर्ष का अनुभव और तकनीकी जानकारी है, कितनी वित्तीय सहायता दी जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) यह मामला भारत सरकार के विचारार्थ नहीं आया है।

(ग) इस पर स्टेट बैंक द्वारा विचार किया जाएगा।

नर्मदा घाटी विकास पर चर्चा

9181. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों के बीच नर्मदा घाटी विकास के बारे में 18 और 19 जनवरी, 1968 को जो बैठकें हुई थीं, क्या उसकी कार्यवाही सारांश तैयार किया गया था ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार तथा मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों के बीच 10 अप्रैल को उक्त विषय पर हुई बैठक के कार्यवाही सारांश का प्रारूप तैयार किया गया था ;

(ग) यदि 18 और 19 जनवरी, 1968 को हुई बैठकों का कार्यवाही-सारांश तैयार किया गया था और 10 अप्रैल, 1968 को हुई चर्चा की कार्यवाही-सारांश का प्रारूप तैयार किया गया था, तो क्या उनकी प्रतियां सभा पटल पर रखने का सरकार का विचार है ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार तथा मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों के बीच चर्चा के लिए 11 अप्रैल, 1968 को हुई बैठक में केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों ने उसका कार्यवाही सारांश तैयार करने से इन्कार कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप बातचीत समाप्त हो गई थी और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण थे ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). स्थिति को 16 अप्रैल, 1968 को लोक सभा में एक ध्यान आकर्षण नोटिस के उत्तर में दिए गए विवरण में पहले ही स्पष्ट कर दिया हुआ है ।

पुनासा और बार्गी परियोजनायें

9182. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत पुनासा और बार्गी परियोजनाओं को स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर हाँ में है तो उस परियोजना का ब्यौरा क्या है और उस पर कितना व्यय होगा तथा यदि उन्हें किन्हीं संशोधनों के साथ स्वीकृत किया गया है तो वे संशोधन क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). राज्य सरकार ने फरवरी, 1969 में बार्गी परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग में इसकी तकनीकी जांच हो रही है । पुनासा रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

चलचित्र उद्योग में फर्मों को मंजूर की गई विदेशी मुद्रा

9183. **श्री काशी नाथ पाण्डेय** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में चलचित्र उद्योग में इन व्यक्तियों को कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई (1) श्री जे० ओम प्रकाश (2) श्री दिलीप कुमार (3) श्री शशि कपूर (4) श्री शम्मी कपूर ;

(ख) विदेशी मुद्रा किस प्रयोजन के लिये मंजूर की गई थी ?

उपप्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). गत तीन वर्षों में सर्वश्री दिलीप कुमार, शशि कपूर और शम्मी कपूर को कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी गई । श्री जे० ओम प्रकाश के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर एक विवरण रख दिया जायेगा ।

मैसर्स हिन्दुस्तान पिल्किंगटन ग्लास वर्क्स लिमिटेड कलकत्ता

9184. **श्री काशीनाथ पांडेय** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स हिन्दुस्तान पिल्किंगटन ग्लास वर्क्स लिमिटेड कलकत्ता को मुनाफे,

लाभांश तथा स्वामिस्व और तकनीकी जानकारी से प्राप्त होने वाली आय लन्दन में अपने भागीदारों को भेजने की अनुमति है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में कितनी राशि भेजने की अनुमति दी गई है ; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि यह कम्पनी सख्त कांच बनाने का एक कारखाना स्थापित कर रही है जो कि सरकार द्वारा स्वीकृत विदेशी सहयोग की शर्तों में नहीं है तथा सरकार को जांच पर उत्पादन शुल्क की 12 प्रतिशत हानि होगी ?

उपप्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). विदेशी कम्पनियों को उनके द्वारा भारत में लगाई गई पूंजी पर होने वाले मुनाफा तथा लाभांश भारतीय करों के भुगतान के बाद भेजने की पूरी स्वतन्त्रता है। अनुमोदित परियोजनाओं के सम्बन्ध में भारतीय कम्पनियों द्वारा स्वामिस्व तथा तकनीकी जानकारी के लिए भुगतान की जाने वाली राशि को, देय करों का भुगतान करने के बाद विदेशों में भेजने की पूरी अनुमति है। मैसर्स हिन्दुस्तान पिल्किगटन ग्लास वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता ने अक्तूबर 1962 में समाप्त होने वाले अपने वित्तीय वर्ष से अक्तूबर 1967 तक की अवधि में अपने लाभांश घोषित नहीं किये थे। वर्ष 1968 में भारतीय कम्पनी ने अपनी 180 लाख रुपये की कुल जारी साम्य पूंजी पर पांच प्रतिशत अन्तरिम लाभांश घोषित किया था जिसमें से 56.12 प्रतिशत पूंजी विदेशी लोगों की थी। भेजी गई वास्तविक राशि के बारे में इस समय जानकारी नहीं है। यह जानकारी एकत्रित करके सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) औद्योगिक (विनियम तथा विकास) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत सख्त कांच का निर्माण करने के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अतः जब तक इसके निर्माण के लिए विदेशी सहयोग नहीं लिया जाता है और पूंजीगत उपकरणों का आयात नहीं किया जाता है, मैसर्स हिन्दुस्तान पिल्किगटन ग्लास वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता को सख्त कांच बनाने के लिए सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा लगता है कि भारतीय कम्पनी ने अभी सख्त कांच का निर्माण आरंभ नहीं किया है। "सख्त कांच" "शीट कांच" की श्रेणी में आयोग अतः इस पर "शीट कांच" की ही भांति 12 प्रतिशत उत्पादन शुल्क लगाया जायेगा।

Tibbia College

9185. **Shri Awadesh Chandra Singh :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the amount of grant given to the Tibbia College annually ;

(b) whether the Tibbia College Board is under Government ;

(c) if so, the nature of control exercised by Government thereon ;

(d) whether the students and the teachers of the Tibbia College have levelled charges of irregularities against the Board of the College ; and

(e) if so, the details thereof and reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a)

		Rs.
1966-67	—	2,85,000.00
1967-68	—	3,18,000.00
1968-69	—	3,22,550.00

(b) It is under an autonomous Board constituted under the Tibbia College Act, 1952. The members of the Board are nominated by the Lt. Governor, Delhi on year-to-year basis.

(c) The budget estimates of the Board and its associated institutions are approved by the Delhi Administration every year and approval of certain expenditure is also accorded by that Administration. The accounts of the Board are prepared by a Chartered Accountant and every year they are audited by the Examiner Local Fund Account, Delhi Administration and by the Accountant General, Central Revenues, New Delhi. The Lt. Governor can give directions to the Board.

(d) and (e). Certain representations have been received regarding non payment of House Rent Allowance and Dearness Allowance as admissible to Corporation employees. The staff has been demanding pay scales at par with those of University Professors, Readers, Lecturers etc. The students of 1967 batch have been demanding the re-introduction of Integrated Course in place of Shuddha Course. The students of the Integrated Course have been demanding a condensed course to enable them to practise Allopathy. These matters are under consideration.

Tibbia College, Delhi

9186. **Shri Awadesh Chandra Singh:** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is no regular Principal in Tibbia College for the last three years ;

(b) if so, when the appointment to that office will be made and the reasons for not doing so far ;

(c) whether it is also a fact that there is no permanent lady doctor in the College hospital ;

(d) whethre it is further a fact that the College hospital is the only hospital having indoor Department in the Karol Bagh area which has a population of four lakhs ; and

(e) if so, the steps taken by Government to improve the situation and whether Government propose to take over this hospital ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) No. The post has, however, been lying vacant for the last one year.

(b) The post had to be advertised twice to get a suitable candidate. The appointment is expected to be made shortly.

(c) No.

(d) No.

(e) Question does not arise. There is no proposal to take over this hospital by the Government.

गुजरांवाला हाउस बिल्डिंग कोग्रापरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली

9187. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 31 मार्च, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 810 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोसाइटी ने 32 रुपये प्रति वर्ग गज का मूल्य किस आधार पर निर्धारित किया है ;

(ख) भूमि का पूरा विकास होने से पहले 167 वर्ग गज के 260 प्लाट कैसे अलाट कर दिये हैं जैसा कि 16 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4548 और 4559 के उत्तर में बताया गया है ; और

(ग) सोसाइटी ने अन्तिम किस्त क्यों और कैसे माँगी तथा उन्होंने विलम्ब से भुगतान करने पर अर्थदण्ड क्यों निश्चित किया है जब कि विकास पूरा नहीं हुआ है और प्लाटों की अलाटमेंट में विलम्ब हो गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सोसाईटी द्वारा निश्चित किये गये 32 रुपये प्रति वर्ग गज के अनन्तिम मूल्य का ब्योरा इस प्रकार है :—

प्लाटों के क्षेत्र का प्रति वर्ग गज मूल्य (इसमें भूमि, क्षेत्रीय सड़क अंशदान आदि की लागत शामिल है)	18 रुपये
प्रति वर्ग गज का अनुमानित विकास मूल्य	14 रुपये
	32 रुपये

(ख) और (ग). वांछिति सूचना सोसायटी से एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायगी ।

गुजरांवाला हाउस बिल्डिंग कोग्रापरेटिव सोसायटी

9188. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरांवाला हाउस बिल्डिंग कोग्रापरेटिव सोसायटी के लिए नियत की गई भूमि, उसने एक सार्वजनिक नीलाम में 5 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से खरीदी थी ;

(ख) यदि नहीं, तो सोसाइटी ने इस भूमि की नीलाम में क्या कीमत दी थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस भूमि पर सरकार द्वारा जो परीमियम लिया जायेगा, वह भी 5 रुपये प्रति वर्ग गज से अधिक नहीं होगा ;

(घ) क्या यह भी सच है कि फल/लकड़ी/पेड़ों की बिक्री से सोसायटी को हुए लाभ और

उसकी स्थापना से अब तक उसे प्राप्त हुए ब्याज को देखते हुए भूमि विकास का खर्च 5 रुपये प्रति वर्ग गज से अधिक नहीं होगा ;

(ङ) उक्त सोसायटी के हिसाब की कितनी बार-लेखा-परीक्षा की गई है और किन-किन शीर्षों के अधीन लाभ तथा हानि का ब्यौरा दिखाया गया है ; और

(च) क्या कोई राशि 'सन्देहपूर्ण' शीर्ष के अधीन भी दिखाई गई है और यदि हां, तो कितनी और उसके क्या कारण बताये गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (च). वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायगी ।

नागपुर के निकट काम्पटी में तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को भत्ते

9189. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागपुर के निकट काम्पटी में नियुक्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी पिछले छः वर्षों से मकान किराया भत्ते/नगर प्रतिकर भत्ते की मांग कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इनकी ये मांगें पूरी न करने के क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) नागपुर में स्वीकार्य दरों के अनुसार काम्पटी में भी मकान किराया भत्ते और नगर निवास प्रतिपूर्ति भत्ते की मंजूरी के सम्बन्ध में काम्पटी में तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) काम्पटी में नागपुर की दरों पर ये भत्ते इसलिये नहीं दिये जा सकते हैं क्योंकि काम्पटी नागपुर से लगा न होकर एक अलग नगरपालिका है ।

नागपुर निगम द्वारा चलाया जाने वाला मैडिकल कालेज

9190. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) नागपुर निगम द्वारा चलाये जाने वाले मैडिकल कालेज को केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता दी जाती है ;

(ख) यदि कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी जा रही है, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस कालेज में केन्द्रीय सरकार के कोटे के लिये स्थान आरक्षित किये जाते हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) कारपोरेशन मैडिकल कालेज, नागपुर को कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई ।

(ख) मैडिकल कालेजों को केन्द्रीय सहायता देने की योजना केवल राज्य सरकारों की संस्थाओं पर ही लागू होती थी ।

(ग) जी नहीं ।

नागपुर में कैंसर अस्पताल की स्थापना

9191. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागपुर की कुछ संस्थाएं कैंसर के उपचार के लिये नागपुर जैसे केन्द्रीय स्थान पर एक अस्पताल खोलने के लिये तैयार है और इस प्रयोजन के लिए उन्होंने सरकार की आज्ञा और सहायता मांगी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने कुछ मशीनों के लिए भा प्रार्थना की है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) इस मामले की जांच की जा रही है ।

महाराष्ट्र में नहरुवा (गिनी वार्म) रोग

9192. **डा० ई० अहमद :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के किन-किन भागों में नहरुवा रोग (गिनी कृमि रोग) फैला हुआ है ;

(ख) क्या यह रोग हाल ही में महाराष्ट्र में बढ़ गया है ;

(ग) क्या यह रोग ग्रामीण क्षेत्रों में फैला हुआ है अथवा शहरी क्षेत्रों में ; और उसकी व्याप्ति का जिलेवार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस रोग के उन्मूलन के लिए सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है या उसका क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ). सूचना संबंधित प्राधिकारियों से एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

डेरा इस्माइल खां सहकारी गृह-निर्माण समिति, दिल्ली

9193. **श्री कामेश्वर सिंह :** **श्री जगेश्वर यादव :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डेरा इस्माइल खां सहकारी गृह-निर्माण समिति, दिल्ली ने उस भूमि का अभी तक विकास नहीं किया है, जो उसे आवंटित की गई है ।

(ख) क्या इसका कारण यह है कि उस बस्ती के नक्शे पर अभी सरकारी अभिकरणों ने निर्णय तथा मंजूरी नहीं दी है ;

(ग) यदि हां, तो यह ग्राम किस अभिकरण के पास निलम्बित पड़ा है तथा कब से तथा इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस समिति का प्रबन्ध करने वाले अधिकांश व्यक्तियों के पास पहले ही मकान तथा प्लाट आदि हैं तथा वे भूमि का विकास करने में विलम्ब कर रहे हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उस संस्था के अंशधारियों को शीघ्र भूखण्ड आवंटित कराने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब०सू० मूर्ति) : (क) से (ङ). वांछित सूचना सोसाइटी से एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायगी ।

केन्द्रीय लोक कर्म विभाग के अनुभागीय अधिकारियो को निवास स्थान का आवंटन

9194. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री 28 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7925 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली क्षेत्रों में कितने स्थायी और अस्थायी डिवीजन कार्य कर रहे हैं ;

(ख) इन स्थायी और अस्थायी डिवीजनों में कितने अनुभागीय अधिकारी कार्य कर रहे हैं;

(ग) कितने अनुभागीय अधिकारियों को सरकारी निवास स्थान दिये गये हैं ; और

(घ) 1969-70 के दौरान कितनी राशि व्यय की जायेगी तथा कितने अतिरिक्त निवास स्थान उपलब्ध किये जायेंगे ।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) स्थायी डिवीजन : 24

अस्थायी डिवीजन : 35 ।

(ख) और (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

(घ) दिल्ली और नई दिल्ली में अनुभागीय अधिकारी सामान्य पूल वास के पात्र हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अनुभागीय अधिकारियों के लिए विशेष रूप से कोई अतिरिक्त क्वार्टर बनाने अपेक्षित नहीं हैं । अतः उनके लिए क्वार्टर बनाने के लिए राशि की व्यवस्था करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

नई दिल्ली के नानकपुर मार्केट में दुकानें

9195. **श्री म० दीपा** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के संपदा निदेशक ने नानकपुर मार्केट, नई दिल्ली,

की कुछ दुकानों का लाइसेंस शुल्क, बिना उन दुकानों में कुछ परिवर्तन किये या उनमें अतिरिक्त सुविधाएं दिये ही बढ़ा दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि नई दिल्ली के संपदा निदेशक ने कुछ दुकानदारों के विरुद्ध सरकारी परिसर (अनधिकृत कब्जेदारों की बेदखली) अधिनियम, 1958 की धारा 4 के अन्तर्गत 'कारण बताओ' नोटिस जारी किये हैं ;

(ग) क्या नई दिल्ली के सम्पदा निदेशक ने उपरोक्त बाजार के कुछ दुकानदारों का स्वामित्व हाल ही में रद्द कर दिया है ;

(घ) क्या नानकपुर मार्केट (I) एसोसिएशन, नई दिल्ली, के प्रधान ने अपने 1 जनवरी, 1969 के अभ्यावेदन संख्या 1/एन० पी० एम० ए०/68,में नई दिल्ली के सम्पदा निदेशक से यह अनुरोध किया है कि वह 'कारण बताओ' नोटिस वापस ले लेंताकि दुकानदार लाइसेंस शुल्क की बकाया राशि का भुगतान वे आसान किस्तों में कर सकें और ऐसी दुकानों का स्वामित्व उन्हें पुनः दे दिया जाये ; और

(ङ) यदि हां, तो उस क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) इस मंत्रालय के नियंत्रण के सभी मार्केटों के हुए सामान्य पुनरीक्षण के अनुसरण में 1 दिसम्बर, 1964 से नानकपुर मार्केट के दुकानों के लाइसेंस शुल्क का पुनरीक्षण हुआ था ।

(ख) जी हां, उन मामलों में जहां आवंटियों ने लाइसेंस विलेख (डीड) की किसी धारा का उल्लंघन किया है ।

(ग) जी हां ।

(घ) नानकपुर मार्केट (I) ऐसोसिएशन, नई दिल्ली के प्रधान से 8 जनवरी, 1968 (1969 नहीं) को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ।

(ङ) अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया गया था । तथापि, नानकपुर (साउथ) मार्केट एसोसिएशन से उसी प्रकार के अभ्यावेदन प्राप्त होने पर मामले का पुनरवलोकन किया गया और यह निर्णय किया गया कि ऐसे अनुरोधों पर तभी विचार हो सकेगा जब वे दुकानों के आवंटियों से व्यक्तिगत रूप में प्राप्त हों । उन दुकानों के मामले में जिनका आवंटन रद्द हो चुका है, आवंटियों को जब तक बकाया पूरी वसूल न हो जाये, निर्धारित दर से क्षति अदा करनी होगी । ऐसोसिएशन के प्रधान को तदनुसार सूचित कर दिया गया था ।

नानकपुर मार्केट नई दिल्ली में पुरानी दुकानों पर वसूल किया गया क्षति शुल्क

9196. **श्री अ० दीपा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सम्पदा निदेशक द्वारा नई दिल्ली में नानकपुर मार्केट की दुकानों पर लाइसेंस शुल्क से दुगनी राशि की दर से क्षति शुल्क लगाया जाता है जबकि इन दुकानों के

आवंटन के समय दुकानदारों और सरकार के बीच हुए समझौते में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं रखा गया था ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इन दुकानों के किरायेदारों ने सरकार द्वारा शुल्क लगाये जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उस अभ्यावेदन पर विचार कर लिया गया है और उसका क्या परिणाम निकला है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). लाइसेंस शुल्क से दोगुणा क्षति-प्रसार ऐसे मामलों में लगाया जाता है, जहां दुकानों का आवंटन रद्द किया जाता है और आवंटी आवंटन के नियमती करण कराना चाहता है ।

लाइसेंस विलेख (डीड) की शर्तों का, दुकानों के आवंटियों द्वारा उल्लंघन किए जाने के परिणामस्वरूप, कारण बताओ नोटिस देने के पश्चात तथा एक निश्चित अवधि के अन्दर रद्द करने के कारणों को दूर करने का अवसर उन्हें दिए जाने पर, दुकानों का आवंटन रद्द किया जाता है । दुकान के आवंटन रद्द किये जाने के बाद, क्षति (प्रभार) लाइसेंस शुल्क द्वारा अनुशासित नहीं होते । दुकान के आवंटी को नियमतीकरण की पेशकश भी की जाती है, और पेशकश की स्वीकृति पर आवंटन नियमित कर दिया जाता है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) सामान्य प्रश्न के रूप में मामला विचाराधीन है ।

विदेशी धर्म प्रचारकों द्वारा वित्तीय सहायता का धर्म परिवर्तन के प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाना

9197. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी धर्मप्रचारकों द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों, अस्पतालों तथा अन्य संस्थाओं का प्रयोग उनके द्वारा गरीब लोगों का धर्म परिवर्तन करके उनको ईसाई बनाने के लिए किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन संस्थाओं के लिए अनुदान मंजूर करने के अपने निर्णय को बदलने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). स्वयं-सेवी एजेंसियों द्वारा जिसमें मिशनरी अस्पताल भी शामिल हैं, चलाये जा रहे अस्पतालों को इस शर्त के अधीन अनुदान दिये जाते हैं कि वे आम जनता को बिना किसी जाति, वर्ण, सम्प्रदाय या धर्म के भेदभाव के चिकित्सा-सुविधायें प्रदान करेंगे । स्वयं सेवी संस्थाओं को भी जिनमें मिशनरी संस्थाएं

शामिल हैं, चिकित्सा और पराचिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षण की अनुमोदित योजनाओं के लिए उसी आधार पर अनुदान दिये जाते हैं।

अनुदान पाने वाली संस्थाओं से चाहे वे अस्पताल हों या स्कूल-किसी भी प्रकार की धर्म परिवर्तन की गतिविधियों के संचालन की अपेक्षा नहीं की जाती। संबंधित मंत्रालयों को अभी तक ऐसी किन्हीं गतिविधियों के बारे में कोई शिकायतें नहीं मिली हैं ; और यदि ऐसी शिकायतें आई तो उनकी जांच करके आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।

गुजरात सरकार द्वारा भेजी गई सिंचाई परियोजनाएं

9198. **श्री द० रा० परमार** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए योजना आयोग को कौन-कौन सी विभिन्न परियोजनाएं भेजी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उनमें से कौन सी परियोजनाओं को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख). चौथी योजना में शामिल करने के लिए गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तावित नई सिंचाई स्कीमों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	अन्तिम लाभांश (000 एकड़)
1. साबरमती (धरोई)	1276.00	1188.00
2. बजाज सागर (बंसवाड़ा)	850.00	माही परियोजना के अन्तर्गत लाभांश
3. दमनगंगा	860.00	100.00
4. सिपु	550.00	57.60
5. वात्रक	500.00	54.50
6. पानम (बहूउद्देश्यीय स्कीम)	700.00	40.80
7. हार्नव-II 8. वीर-II	ब्यौरा उपलब्ध नहीं।	

चौथी योजना के दौरान गुजरात में सिंचाई कार्यक्रम को अभी तय नहीं किया गया है।

Utilisation of Polluted Water

9199. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether Government have considered the question of utilisation of the polluted

water from the distilleries producing spirit from classes as is done in France by producing cattle fodder and in Japan by producing Potash for fertilizers ; and

(b) if so, the decision taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) Laboratory and pilot plant investigations on the utilisation of distillery effluents are reported to have been carried out by a team of the Public Health Engineering Research unit of the Indian Council of Medical Research for recovery of Potash salts. None of the distilleries have so far come forward to implement the resuts of these investigations on a commercial scale.

(a) Does not arise.

Collin Clark's Statement on Family Planning Programme

9201. **Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Om Prakash Tyagi : Shri Narain Swarup Sharma :**

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government's attention bas been drawn to the statement made by the world famous economist, Mr. Collin Clark, in Ahmedabad in November, 1968 in which he had criticised the family planning programme of India and had stated that if the population of a country increases, that country also advances economically, socially and politically and to prove this, he cited the example of India and said that economic savings in India have increased from 5 per cent in 1950 to 9 per cent at present ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) Yes.

(b) The conclusion drawn by Mr. Collin Clark in his statement referred to in part (a) may apply in the case of economically and industrially advanced countries having shortage of man power, but in a developing society like India, one of the ways of increasing economic growth is through population control. The Government of India, therefore, propose to continue pursuing vigorously the programme of Family Planning for moderating fertility.

C. G. H. S. Dispensaries

9202. **Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Om Parkash Tyagi : Shri Molahu Prashad : Shri Narain Swarup Sharma :**

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4695 on the 16th December, 1968 and state :

(a) whether the condition that a Doctor should attend to 70 to 80 patients per day, which is applicable to colonies like Sarojini Nagar and Kasturba Nagar. is also applicable to colonies of officers like Chanakyapuri, Pandara Road, Shahjehan Road, etc.

(b) if not, the reasons therefor ;

(c) whether it is also a fact that some such orders have been issued to doctors that they should attend out-of turn to officers drawing more than a specified amount, even though at that time he may be attending to a serious case and that he should immediately visit a patient in his house if he is a high officer ; and

(d) whether it is proposed to remove this discrimination ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) This standard is intended for

all dispensaries and no discrimination is made between one dispensary and another. The number of Doctors posted in a Dispensary is regulated according to daily average attendance, the number of domiciliary visits by the Doctors, and the needs of the locality covered by a Dispensary.

(b) Does not arise.

(c) and (d). No such orders have been issued to the doctors in the dispensaries. However, Officers drawing a pay of Rs. 1200/- p.m. and above are entitled to direct consultation with Specialists by prior appointment. The Specialists generally see cases as per appointment given by them, but cases of a serious and urgent nature are attended to by them on priority basis. It is not proposed to modify this arrangement.

Government Employees Drawing Rs. 5,000 or More as Salary

9203. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of persons drawing Rs. 5,000 or more as salary in Government service or in Government undertakings ;

(b) the number of Indians and foreigners among them ;

(c) whether Government propose to replace the number of such foreign employees by Indians ; and

(d) if so, the nature of scheme ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (d). The requisite information is not readily available. It is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

Family Planning Programme

9204. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of men who got themselves operated upon for vasectomy and that of women who offered to have the loop inserted in each State during 1968-69 ;

(b) the number of such men and women in the rural and urban areas, separately ;

(c) the incentive or facility given by Government to those men and women who use family planning devices ; and

(d) the target regarding family planning programmes, fixed for the rural and urban areas for 1969 ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) A statement containing the required information is laid on the Table of the House [*Placed in Library. See* No. LT—1100/69].

(b) Such break-up for rural and urban areas is at present not available from some of the States, while in others it is available only for some of the months in the year. A statement containing the information as far as available is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—1100/69].

(c) No incentives are offered to persons with a view to attracting them towards family planning methods. A person who offered himself for sterilization operation/IUCD insertion

is paid some money as part compensation for loss of wages, transport charges and other incidental expenses. Conventional Contraceptives including Nirodh (Condoms) are provided free or at highly subsidised rates.

(d) No separate targets for urban and rural areas are fixed, but they are fixed for the State as a whole.

The targets for sterilization, IUCD and Conventional Contraceptives they are fixed for the year 1969-70 are as under :-

(i)	IUCD	1.3/1000 of the poulation for the State as a whole.	
(ii)	Sterilisation	4.1/1000	-do-
(iii)	Conventional Contraceptive users.	4.5/1000	-do-

इंडियन ड्रग्स एंड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड

9205. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड ने प्रति मास 500 रुपये से अधिक वेतन वाले पदों के कर्मचारियों की भर्ती और क्रय ठेकों तथा विक्रय के बारे में उपर्युक्त नियम बनाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (द० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि० ने भर्ती नियम बनाये हैं; जिनकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। कम्पनी ने क्रय ठेकों के लिए पद्धति भी निर्धारित की है और एक विक्रय-मैनुअल भी तैयार किया है; जो केवल आन्तरिक उपयोग के लिए है।

इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट बैंक आफ इंडिया

9206. **श्री क० लक्कप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट बैंक आफ इंडिया की स्थापना के समय तथा 31 मार्च, 1968 को प्राधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी कितनी-कितनी थी;

(ख इस बैंक ने 31 मार्च, 1968 को केन्द्रीय सरकार से कितनी राशि का ऋण लिया था;

(ग) उस कम्पनी ने गत तीन वर्षों में कैसा काम किया; और

(घ) सरकार ने उसमें क्या-क्या अनियमितताएं पाई तथा प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के बारे में मांगी गई जानकारी नीचे दी गई है :

(करोड़ रुपयों में)

	1-7-1964 को स्थापना के समय	31-3-1968 को
अधिकृत पूंजी	50.00	50.00
चुकता पूंजी	10.00	20.00

(10 करोड़ रुपये की वृद्धि 30 जून, 1967 को हुई

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋणों की रकम 31 मार्च, 1968 को 152.50 करोड़ रुपया थी। इसमें, भूतपूर्व उद्योग पूनर्वित निगम (रिफाइनेंस कारपोरेशन फार इंडस्ट्री) लिमिटेड द्वारा, 1-9-1964 को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में उसका विलय होने से पहले, केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋण की 33.50 करोड़ रुपये की रकम शामिल है।

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सामान्य निधि और विकास सहायता निधि के जिनका हिसाब बैंक द्वारा अलग-अलग रखा जाता है पिछले तीन लेखा-वर्षों (जुलाई-जून), के कार्य संचालन के परिणाम नीचे दिये गये हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के मुनाफे पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 के अनुसार, आय-कर नहीं लगता।

(लाख रुपयों में)

सामान्य निधि

	आय	व्यय	वास्तविक लाभ
	(क)	(ख)	(ग)
30-6-66 को समाप्त वर्ष	409.56	258.12	151.44
30-6-1967 को समाप्त वर्ष	643.49	437.39	206.10
30-6-1968 को समाप्त वर्ष	865.13	558.74	306.39

(लाख रुपयों में)

विकास सहायता निधि

(देखिये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम की धारा 14)

	आय	व्यय	वास्तविक लाभ
30-6-1966 को समाप्त वर्ष	19.80	16.92	2.88
30-6-1967 को समाप्त वर्ष	144.22	107.04	37.18
30-6-1968 को समाप्त वर्ष	202.72	154.68	48.04

(घ) सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कार्य-संचालन में कोई अनियमितता नहीं देखी है, इसलिए सरकार द्वारा कार्रवाई किये जाने का सवाल पैदा नहीं होता।

अंशों तथा ऋण पत्रों में जीवन बीमा निगम की पूंजी का विनियोजन

9207. **श्री क० लकप्पा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जीवन बीमा निगम ने 31 मार्च, 1967 को कम्पनियों के अंशों तथा ऋण-पत्रों में (कम्पनियों को दिये गये ऋण समेत) कुल कितनी पूंजी लगा रखी थी ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : 31 मार्च 1967 तक जीवन बीमा निगम द्वारा डिबेंचरों, कम्पनियों के तरजीही और साधारण शेयरों और निजी क्षेत्र की कम्पनियों को दिये गये ऋणों में किए गये निवेश की मात्रा 189.19 करोड़ रुपये थी।

Power Production and Peak Load During 1970-71

9208. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the estimates with regard to the power production and peak load requirements during 1970-71 ; and

(b) the manner in which peak-load requirements are proposed to be met ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). The total peak load by end of 1970-71 is anticipated to be 13.2 million KW. As against this, the aggregate installed capacity is expected to be of the order of 17.4 million KW with a firm capacity of 11.6 million kW. The power shortages varying from about 0.10 million KW in the Western Region to about 0.70 million KW in the Northern Region are anticipated. The shortages will be mitigated to the extent possible by integrated operation of the power systems in each State and in each Region wherever possible. Efforts will also be made to expedite commissioning of additional generating capacity which are now under erection to yield increased benefits provided additional funds become available.

Cost of Electricity

9209. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the estimated cost per unit of electricity to be generated by the different power projects to be started during the Fourth Five Year Plan ;

(b) whether it is a fact that the cost of generation of hydro-electric power is the cheapest and the cost of generation of atomic power, gas power, coal power and diesel power is gradually dearer ; and

(c) if so, the reasons why the cheapest power is not generated ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddeshwar Parsad)] (a) and (b). The average cost of power generation durining the Fourth Plan from various energy resources have been estimated as follows :-

	Paise/KWh
Hydro	2.5—4
Thermal	
(i) Large coal-fired stations at mine-head	6—7
(ii) Gas-fired power stations	5—8

Nuclear	6—8.7
Diesel	20—100

(c) Hydro power potentialities are not evenly distributed in the country. It is not practicable therefore, to meet the demands for power in all the regions by developing only hydro power which no doubt is the cheapest.

Requirement of Fertilizers

9210. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the total requirement of fertilizers in the country during the last three years and the total quantity produced in India ;

(b) the total requirement for the next three years and the estimated production thereof ; and

(c) the steps being taken to increase the production of fertilizers ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

ESTIMATED REQUIREMENT				PRODUCTION			(in 000 tonnes)
	Nitrogen	P_2O_5	Potassic	Nitrogen	P_2O_5	Potassic	
1966-67	1003	370	200	307.9	144.9	nil	
1967-68	1350	500	300	366.8	190.4	nil	
1968-69	1700	650	450	542.8	210.2	nil	
1969-70	2000	800	550	900.0	340.0	nil	Estimated
1970-71	2400	1000	700	1420.0	425.0	nil	
1971-72	2780	1200	815	1932.0	716.0	nil	

(c) It is proposed to set up new fertilizer plants and expand some of the existing units suitably to increase indigenous production.

दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई योजनायें

9211. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन ने उनके मंत्रालय को 1968-69 में मंजूरी के लिए कौन-कौन सी योजनाएं भेजी थीं;

(ख) कौन-कौन सी योजनाएं मंजूर की गई तथा कौन-कौन सी अस्वीकार की गई; और

(ग) उन्हें अस्वीकार करने के क्या कारण थे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Fertilizer Plant at Vishakhapatnam

9212. **Shri Brij Bhushan Lal :** **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Ram Gopal Shalwale : **Shri Suraj Bhan :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Ranjit Singh :**

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether a foreign Company has been allowed to invest more than 50 per cent of capital for the manufacture of fertilizer at Vishakhapatnam ; and

(b) if so, who will have the rights in the management ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b). M/s. Occidental Petroleum Company, USA, have been given a letter of intent for establishment of a fertilizer factory at Vishakhapatnam. It is envisaged in the proposal that the foreign company will be holding majority shares in the new Indian company propsed to be for implementing the scheme and as such will have the management in its hands.

हरयाणा में बहुप्रयोजनीय नदी घाटी परियोजनाएं

9213. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने यह माँग की है कि हरियाणा में बहु प्रयोजनीय बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं को केन्द्र अपने अधिकार में ले ले; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

माउंट व्यू होटल की ओर किराये की बकाया राशि

9214. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र ने माउंट व्यू होटल से किराये की कितनी राशि लेनी है ;

(ख) उस होटल के मालिक का नाम क्या है और उसकी वित्तीय स्थिति कैसी है ;

(ग) किराये की बकाया राशि अब तक उससे वसूल न किये जाने के क्या कारण हैं, और

(घ) किराये की राशि वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) 31 जनवरी, 1969 तक माउंट व्यू होटल की ओर, परिसर की अनधिकृत दखल के लिए, 4,36,000 रुपये हर्जाने के रूप में बकाया थे।

(ख) मैसर्ज नार्दन इंडिया केटरर्ज (प्राइवेट) लिमिटेड। उनकी वित्तीय स्थिति दृढ़ बतायी जाती है ।

(ग) होटल के प्रबन्धकों से हर्जाना वसूल नहीं किया जा सका क्योंकि पंजाब पब्लिक

प्रिमिसिज एण्ड लैंड (इविक्शन एण्ड रेंट रिकवरी) एक्ट, 1959 की धारा 5, जिसके अधीन उन्हें बेदखल करने की कार्रवाई की गई थी, को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था।

(घ) हर्जाना वसूल करने के लिए संशोधित पब्लिक प्रिमिसिज (इविक्शन आफ अनआथोराइज्ड आक्यूपेन्ट्स) एक्ट, 1958 के अधीन कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सरकार उपर्युक्त फर्म को होटल बेचने के प्रश्न पर भी अलग से विचार कर रही है।

सरकारी उद्योगों में कर्मचारियों की प्रति-नियुक्ति

9215. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थायी सेवाओं से सरकारी उद्योगों का प्रबन्ध करने के लिए अस्थायी तौर पर प्रतिनियुक्त करने की प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी उद्योगों के लिए स्थायी प्रणाली बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सरकार ने यह फैसला किया है कि जो सरकारी पदाधिकारी सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्त किये गये हैं उन्हें यह बताना होगा कि वे सरकारी सेवा से इस्तीफा दे कर उन उपक्रमों में स्थायी रूप से रहना चाहेंगे या प्रतिनियुक्त की अवधि समाप्त होने से पहले अपने मूल संवर्ग में लौटाना चाहेंगे। यह आदेश रक्षा-उत्पादन-उपक्रमों में काम करने वाले रक्षा-कर्मचारियों पर और सरकारी उपक्रमों में काम करने वाले औद्योगिक प्रबंध निकाय के अफसरों पर लागू नहीं है ; इसके परिणामस्वरूप सरकारी अफसरों की सरकारी उपक्रमों में अनिवार्य प्रतिनियुक्ति करना बन्द कर दिया गया है और यदि कोई अफसर सरकारी उपक्रम में नहीं जाना चाहेगा तो उसे वहां नहीं भेजा जायगा। जिन अफसरों को भविष्य में उनकी सहमति से सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्त किया जायगा उन्हें भी अपनी प्रतिनियुक्ति की तारीख से एक निश्चित अवधि के अंदर यह फैसला करना पड़ेगा कि वे सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर सरकारी उपक्रमों में ही स्थायी रूप से नौकरी करेंगे या अपने मूल संवर्ग में वापस जायंगे।

(ख) चूंकि सरकारी उपक्रम स्वायत्त संगठन हैं, इसलिए इन उपक्रमों के पदों पर नियुक्तियां करने के लिए संवर्ग बनाने का कोई विचार नहीं है। फिर भी, सर्वोच्च पदों के लिए जिन पर सरकार नियुक्तियां करती है, सरकारी सेवाओं, सरकारी उपक्रमो और गैर-सरकारी क्षेत्र समेत सभी श्रोतों से मिलने वाले उपयुक्त व्यक्तियों के नामों की सूचियां बना ली गई हैं और सर्वोच्च पदों पर आम तौर से ये व्यक्ति नियुक्त किये जाते हैं। औद्योगिक प्रबंध निकाय भी प्रायः दरमियाने दर्जे के पदों के सम्बन्ध में सरकारी उपक्रमों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ऐसी योजना बनाने के लिए एक समिति भी स्थापित की गई है जिससे विभिन्न उपक्रमों में दरमियाने दर्जे के कर्मचारियों के आदान-प्रदान की व्यवस्था कुछ हद तक निश्चित रूप से हो जायगी।

Expenditure on Water and Electricity Bills of Ministers

9216. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Hukham Chand Kachwai :

Will the Ministher of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the total amount of expenditure incurred by Government on the water and electricity bills of the Union Ministers, including the Prime Minister during the years 1965-66, 1966-67 and 1967-68 ;

(b) the amount of expenditure on this item during the year 1968-69 ; and

(c) the measures proposed to be taken by Gevernment to reduce the expenditure on electricity and water in future ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Statement showing the total amount of expenditure incurred by the Government on the electricity and water bills of the Union Minister's including the Prime Minister during the financial years of 1965-66, 1966-67 and 1967-68 and the amount of estimated expenditure on these items during the financial year 1968-69.

Year	Expenditure
	Rs.
1965-66	1,59,735.05
1966-67	1,77,125.84
1967-68	1,79,234.33
1968-69	2,09,000.00 (Anticipted)

Note : The above figures do not include the amount reeovered/recoverable from the Ministers (excluding the Prime Minister) on the basis of the voluntary ceiling of Rs. 2,400/- per annum accepted by them for expenditure on electricity and water in the private portions of their residences.

(c) The Ministers had voluntarily agreed to a monetary ceiling of Rs. 2400/- per annum for the free supply of water and electricity in the private portions of their residences and to reimburse to the Government any expenditure in excess of this ceiling, although according to the Ministers Salaries and Allowances Act, 1952, the Ministers are entitled to the free supply of electricity and water in their residences without any limit. This voluntary ceiling does not apply to the residence of the Prime Minister.

Seizure of Gold in Bombay

9211. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3749 on the 9th December, 1968 and state :

(a) whether the persons wanted in connection with the seizure of 4,000 tolas of gold worth Rs. 3.94 lakhs from a car in Bombay on the 13th September, 1968 have since been arrested ;and

(b) if so, the number of persons arrested and the action taken against them ?

The Duputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No person has so far been arrested in this connection.

(b) Does not arise in view of reply given to part (a) of the question.

औद्योगिक वित्त निगम

9218. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक वित्त निगम द्वारा 1951 से जून, 1968 तक कितनी सूती कपड़ा मिलों को और कुल कितनी राशि के ऋण दिये गये ;

(ख) इसमें से प्रथम, द्वितीय और तृतीय योजना अवधि में पृथक-पृथक कितनी राशि दी गई ;

(ग) इनमें कितनी मिलें सरकारी क्षेत्र में हैं और उन्हें कुल कितने राशि के ऋण दिये गये ;

(घ) सहकारी क्षेत्र की मिलों तथा संयुक्त सम्बन्ध समवाय सूती कपड़ा मिलों से कितनी राशि के ऋण बकाया हैं : और

(ङ) कुल कितनी राशि के ऋणों की समय पर अदायगी नहीं की गई है और इसमें से सहकारी मिलों के विरुद्ध कितनी राशि बकाया है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) से (घ). मांगी गई सूचना जहां तक उपलब्ध है, संलग्न विवरण में दी गयी है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 1101/69]

(ङ) संयुक्त पूंजी कम्पनियों और सहकारी संस्थाओं; दोनों प्रकार के सूती वस्त्र के कारखानों के सम्बन्ध में चुकायी न गई ब्याज की रकमें और मूलधन की किश्तें 30 जून, 1968 को अलग-अलग इस प्रकार थीं :

(लाख रुपयों में)

	कम्पनियों की संख्या	मूलधन	ब्याज	जोड़
संयुक्त पूंजी कम्पनिया	15	47.05	55.44	102.49
सहकारी संस्थाएं	2	8.85	5.36	14.21
जोड़ :	17	55.90	60.80	116.70

कोरबा में एल्यूमीनियम कारखाना

9219. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोरबा (मध्य प्रदेश) में एक एल्यूमीनियम कारखाना स्थापित करने के बारे में कोई प्रगति नहीं हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस में शीघ्रता करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं । कोरबा (मध्य प्रदेश) एल्यूमिनियम प्रायोजना की पहली प्रावस्था अर्थात एल्यूमिना संयंत्र का निर्माण सामान्यत: समयावलि के अनुसार चल रहा है और यह सम्भावना है कि इसे अक्टूबर 1971 में चालू किया जा सकेगा । प्रायोजना की दूसरी प्रावस्था अर्थात् प्रद्रावक तथा निर्माण संयंत्रों के लिए विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

राष्ट्रीय स्कूल स्वास्थ्य परिषद्

9220. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार स्कूलों में स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में राष्ट्रीय स्कूल स्वास्थ्य परिषद् की सिफारिशों को क्रियान्वित कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो वे किस सम्बन्ध में क्रियान्वित की जा रही है ;

(ग) क्या उड़ीसा में राज्य स्तर पर कोई स्कूल स्वास्थ्य परिषद् स्थापित की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्र (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) स्कूल जाने वाले बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण, उनके लिए सामूहिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम और हाई स्कूलों में मध्याह्न-भोजन कार्यक्रम के बारे में सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है ।

(ग) अभी नहीं ।

(घ) राज्य सरकार स्तर पर स्कूल स्वास्थ्य परिषद के गठन हेतु कदम उठा रही है ।

Chemical Fertilizer Factories

9221. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the quantity of chemical fertilizers imported by Government during the 1967-68 and the amount of foreign exchange spent by Government thereon ;

(b) whether it is a fact that some of the Companies applied to Government during the period from the 1st January, 1966 to the 31st December, 1967 for setting up chemical fertilizer factories ; and

(c) the number of applications for setting up chemical fertilizer factories pending with Government and the action proposed to be taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a)

Nitrogen :	867,453	tonnes
$P_2 0_5$:	348,538	,,
$K_2 0$:	269,951	,,

Total Value : Rs. 193.90 crores.

(b) Yes.

(c) Eight. These proposals are under consideration.

दस रुपये के नोटों पर से 'आन डिमांड' शब्दों का हटाया जाना

9222. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर के विरुद्ध एक मुकदमा दायर किया गया है जिसमें दस रुपये के नोटों से "आन डिमांड" शब्द हटाये जाने पर आपत्ति की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के खिलाफ सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, मुंगेर के न्यायालय में एक दावा दायर किया गया है जिसमें दस रुपये के करेंसी नोटों से "आन डिमांड" शब्द हटाये जाने पर आपत्ति की गयी है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक को न्यायालय से कोई नोटिस/सम्मन नहीं मिला है। इन शब्दों के हटाये जाने से कोई अन्तर नहीं पड़ता क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 39 के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक पर यह जिम्मेदारी डाली गयी है कि वह मांगने पर बैंक नोटों को अन्य बैंक तथा करेंसी नोटों और/या सिक्कों में जो वैध मुद्रा हो, बदल दे ;

दक्षिण दिल्ली में खाली प्लाटों के अर्जन सम्बन्धी अधिसूचना का व्यपगत होना

9223. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकार ने दक्षिण दिल्ली की बस्तियों में खाली पड़े प्लाटों के अर्जन सम्बन्धी अधिसूचना को व्यपगत मानने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा उसके परिणामस्वरूप भूमि अर्जन अधिनियम,

1894 के संशोधन के कारण यह संभव नहीं है कि उक्त अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत जारी की गई किसी अधिसूचना को तीन वर्ष की अवधि से अधिक बनाये रखा जाए। तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने पर अधिसूचना स्वत: ही व्यपगत हो गई।

कोहिमा में पेट्रोल स्टेशन में आग लग जाना

9224. **श्री ब० कु० दासचौधरी :**
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 10 फरवरी, 1969 को कोहिमा नगर में एक महत्वपूर्ण पैट्रोल स्टेशन को आग लगा दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस अग्निकाण्ड के कारणों की जांच की है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) अग्निकांण्ड के कारण अनुमानत: कितनी हानि हुई ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा चव्हाण) : (क) से (ग). 11 फरवरी, 1969 को कोहिमा पैट्रोल पम्प में एक विस्फोट हुआ था जिसके परिणामस्वरूप आग लग गई थी। प्रारंभिक तफतीशों से पता चलता है कि तोड फोड़ की यह साजिश समाज विरोधी व्यक्तियों ने की थी। अपराधी को पकड़ने के यत्न किये जा रहे हैं।

(घ) लगभग 9',000 रुपये।

Allotment of Government Accommodation to Government Employees

9225, **Shri Raghubir Singh Shastri :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state ;

(a) the present percentage of such Central Government employees who have been allotted Government accommodation ;

(b) the percentage of those employees who are likely to be allotted Government accommodation during the next five years ; and

(c) the time by which almost all the employees would be allotted Government accommodation ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The overall percentage of Central Government employees working in eligible offices in Delhi, New Delhi, who have been allotted Government accommodation comes to about 39 per pent.

(b) and (c). Construction of more residential units in 'general pool depends on the availability of funds and other resources like land etc. In Delhi, New Delhi, construction work on 2410 residential units in types I to IV is in progress or is being taken up. Plans are being prepared for construction of another 1000 residential units. Subject to availability of funds it is proposed to take up the construction of 2000 residential units in Delhi, New Delhi every year, during the Fourth Plan period. It cannot be foreseen when it will be possible to allot Government accommodation to all the Government employees working in eligible offices. Within the available resources the Government are doing their best to construct as many residential units as possible in the general pool.

बीयर पीने से हृदय पर प्रभाव

9226. **श्री ब० कृ० दासचौधरी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और आवास एवं नगर विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के अध्ययन से पता चला है कि अधिकांश बीयर पीने वाले व्यक्ति हृदय रोग से ग्रसित रहते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मद्यसारिक पेय पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास, तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में विशेषतः इस क्षेत्र में; कोई क्रमबद्ध अध्ययन नहीं किया गया है । मन पर कुप्रभाव डालने वाले पदार्थ-मिश्रित स्थानीय बीयर पीने के कारण कनेडा और चेकोस्लोवाकिया के कतिपय चुनिरा बंस्तियों से एक विशेष प्रकार के हृदय रोग (बीयर मायोपैथी) की कुछ घटनाएं होने की खबर मिली है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के मूल्यांकन के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों का प्रतिवेदन

9227. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 24 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4135 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को परिवार नियोजन कार्यक्रम के मूल्यांकन के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों का प्रतिवेदन इस बीच प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सी चन्द्रशेखर) : (क) से (ग). भारत सरकार के परिवार नियोजन कार्यक्रम के मूल्यांकन के बारे में संयुक्त राष्ट्र सलाहकार मिशन की अन्तरिम रिपोर्ट 8-5-69 को प्राप्त हो गई है ।

पूरी और अंतरिम रिपोर्ट के प्राप्त होने पर ही उसकी सिफारिशों पर पर्याप्त रूप से विचार किया जा सकता है ।

अखिल भारतीय कुष्ठ रोग कार्यकर्त्ता सम्मेलन

9228. **श्री रा० बरुआ :** **श्री वेंगलराया नायडू :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 फरवरी, 1969 को ग्यारहवां अखिल भारतीय कुष्ठ रोग कार्यकर्त्ता सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कुछ विदेशी विशेषज्ञों ने भी सम्मेलन में भाग लिया था ; और

(ग) किन विषयों पर चर्चा की गई तथा क्या निर्णय किये गये ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) जी हां, 5 विदेशी विशेषज्ञों (2 ब्रिटेन से एक-एक बैल्जियम, नेपाल और जापान से) ने, भी सम्मेलन में भाग लिया ।

(ग) कुष्ठ रोग और उसके नियन्त्रण से सम्बन्धित बहुत से विषयों नामत: महामारी विज्ञान नियन्त्रण, रासाय-चिकित्सा, व्याधिकी, प्रतिरक्षा विज्ञान, पुनर्निर्माण-शल्य-चिकित्सा, भौत-चिकित्सा, स्वास्थ्य शिक्षा, पुनर्वास आदि पर चर्चा हुई ।

सम्मेलन द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

(1) राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम के सम्बन्ध में किये गये कार्य का मूल्यांकन किया जाए ।

(2) देश में कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये अधिक धन की व्यवस्था की जाए ।

(3) कुछ नई औषधियों के जो कुष्ठ के इलाज के लिए प्रभावकारी पाई गई हों, आयात करने की अनुमति दी जाए ।

(4) आकाशवाणी द्वारा सामुहिक शिक्षा, डाक टिकिट निकालने और विभिन्न राज्यों के स्कूलों की विहित पाठ्यपुस्तकों में प्रादेशिक भाषाओं में कुष्ठ की घटनाओं, उसके लक्षण एवं उपचार विषयक पाठ सम्मिलित करके विस्तृत जानकारी देने की व्यवस्था की जाय ।

Gold Seized in Madhya Pradesh After Promulgation of Gold Control Order

9229. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the quantity of gold having more than 18 carat purity seized in Madhya Pradesh after the promulgation of Gold Control Order ;

(b) the number of persons arrested in that State in this connection ;

(c) the number against whom cases are still pending ; and

(d) the steps taken to finalise them ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The quantity of gold (including articles and ornaments) of more than 18 carat purity seized from the date of promulgation of the Gold Control Order up to 31-3-1969 was 132.9 Kgs.

(b) and (c). 19 persons were arrested for purposes of prosecution in connection with the seizures in part (a). This does not include the persons who were dealt with in the departmental adjudication only. Of the 19 persons arrested, the cases of 4 have been decided by the courts and the cases of remaining 15 are still pending.

(d) Where the complaints have been filed, the cases are already in courts. In cases where the complaints have yet to be filed, efforts are being made to expedite the investigations and the departmental proceedings with a view to filing the complaints.

Land Under Opium Cultivation in Madhya Pradesh

9230. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the acreage of land under opium cultivation in Madhya Pradesh ;

(b) whether Government have decided to bring more land under opium cultivation ; and

(c) if so, the extent thereof and the additional income likely to accrue to Government as a result thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The area licensed in Madhya Pradesh for the cultivation of poppy during 1968-69 crop season was 16,043 hectares,

(b) and (c). The area to be licensed during 1969-70 crop season would be decided sometime in August-September 1969, before the commencement of the next crop season.

Additional Assistance for Pumping Sets for Agricultural Purposes

9231. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Madhya Pradesh Electricity Board has asked for an additional amount to supply electricity to the pumping sets for agricultural purposes during 1969-70 ; and

(b) if so, the amount asked for and Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) Additional assistance amounting to Rs. 2 crores during 1969-70 has been asked for. As the Annual Plan for 1969-70 is yet to be finalised, no decision on this proposal has been taken.

Taxes above Rs. 5 Lakhs Outstand Against Individuals and Companies in Madhya Pradesh

9232. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of persons or companies in Madhya Pradesh against whom a sum of Rs. 5 lakhs or more is outstanding in the form of taxes (Income-tax Estate Duty, Wealth Tax, Gift Tax and Expenditure Tax) ;

(b) the amount outstanding against each of the aforesaid persons or companies ; and

(c) the action taken or proposed to be taken to realise the said amount ?

The Deputy Prime Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (c). The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

Rehabilitation of Villages between Kosi Embankments

9233. **Shri Gunanand Thakur** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the number of villages between Kosi Embankments and the population thereof ;

(b) whether Government propose to appoint a high level enquiry commission for the rehabilitation of the said population : and

(c) if so, when it is likely to be appointed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) 303 villages with a population of about 1.5 lakhs are within the Kosi Embankments.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Western Kosi Project

9234. **Shri Gunanand Thakur** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the number of times and by whom the Western Kosi Canal Project was inaugurated ;

(b) whether it is a fact that there is public resentment in regard to implementation of this project ;

(c) whether it is also a fact that there is no objection to the implementation thereof from Nepal Government ; and

(d) if so, the time by which Government propose to implement this project ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Twice—in 1962 by the Chief Minister of Bihar and in 1965 by the then Prime Minister of India.

(b) to (d). Approval of His Majesty's Government of Nepal for acquisition of lands for the Western Kosi Canal, in Nepal territory is awaited.

गोआ के मुख्य मन्त्री की विदेश यात्रा

9235. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ के मुख्य मंत्री अपनी पुत्री के साथ गत दिसम्बर में विदेश यात्रा पर गये थे ;

(ख) उन्होंने किन-किन स्थानों की यात्रा की और उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या था ;

(ग) उनको तथा उनकी पुत्री को कितनी विदेशी मुद्रा दी गई ;

(घ) क्या सरकार का ध्यान गोआ के मुख्य मन्त्री द्वारा अपनी विदेश यात्रा के बारे में प्रकाशित किये गये लेखों तथा विदेश यात्रा पर व्यय की गई धनराशि की ओर भी दिलाया गया है ; और

(ङ) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि उनके द्वारा किया गया व्यय किस सीमा तक उनको दी गई विदेशी मुद्रा के अनुसार था ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) (i) संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी बहन से मिलने के लिये गये थे।

(ii) बेरूत, रोम, यूगोस्लाविया, लंदन, टोकियो और हांगकांग।यूगोस्लाविया की यात्रा, मालवाहक जहाज 'दामोदर तबाबे" के जलावतरण-समारोह में शामिल होने के लिए की गई थी। जापान की यात्रा विकास-सम्बन्धी विभिन्न निर्माण कार्यों को देखने के लिए की गयीं थी।

(ग) विदेशी मुद्रा नहीं दी गई ;

(घ) सरकार को बताया गया है कि वापस आने पर मुख्य मंत्री ने स्थानीय दैनिक "गोमांतक" में दो लेख लिखे।

(ङ). श्री बन्दोडकर ने संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा अपने बहनोई के अतिथि के रूप में की थी और रिजर्व बैंक ने इसकी स्वीकृति दे दी थी। अन्य स्थानों की यात्रा के लिए रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति ले लेनी चाहिये थी, विशेष रूप से यूगोस्लाविया, टोकियो और हांगकांग की यात्राओं के संबंध में। बेरुत, रोम और सम्भवतः लन्दन में रुकना मार्ग में पड़ने वाले स्थानों में आम तौर पर किया जाने वाला विराम समझा जा सकता है जिसके लिए कुल 3/7 दिन का समय दिया जाता है।

गैर-सरकारी फर्मों में काम करने वाले सरकारी उपक्रमों के सेवा निवृत्त अधिकारी

9236. **पी० विश्वम्भरन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सरकारी उपक्रमों के सेवानिवृत्त उच्च अधिकारी ऐसी गैर-सरकारी फर्मों में, जिनके साथ सरकारी उपक्रमों में रहते हुए उनका वित्तीय लेन-देन था, नियुक्ति स्वीकार करते हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय किया है और सरकारी उपक्रमों के सेवा-निवृत्त अधिकारियों द्वारा गैर-सरकारी फर्मों में नौकरी करने पर रोक लगाने के लिए कोई नियम बनाये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकार को मालूम है कि कुछ मामलों में सरकारी उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों ने सेवा-निवृत्ति के बाद गैर-सरकारी फर्मों में नियुक्तियां ले ली हैं। इनमें से कुछ मामलों में सम्बन्धित गैर-सरकारी फर्मों ने उन सरकारी उपक्रमों से संविदा कर रखे थे जिनमें वे अधिकारी पहले सेवा करते थे।

(ख) ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके अनुसार उपक्रमों के सेवा-निवृत्त अधिकारियों को गैर-सरकारी फर्मों में नौकरी करने से रोका जा सकता हो। लेकिन सरकारी उपक्रमों के हितों की

रक्षा करने के लिये आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिनके अनुसार प्रत्येक सरकारी उपक्रम के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह उन गैर-सरकारी फर्मों के साथ, जिनमें सरकारी उपक्रमों से सेवा-निवृत्त कोई सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी काम कर रहा हो, ऐसे अधिकारी की सेवा-निवृत्ति के दो वर्ष की अवधि के बाद तक, संविदा करने से पहले निदेशक मण्डल की मंजूरी ले ले।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

Promotion of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Irrigation and Power Ministry

9237. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the Department-wise, Section-wise and Category-wise number of Officers and other employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes who have been promoted against posts reserved for them upto the 15th March. 1969 in, and under, his Ministry, according to the provisions contained in the Ministry of Home Affairs Office Memorandum No. 1/12/67-Establishment (C) dated the 11th July, 1968 ; and

(b) the names and designations of such employees and the names of the Departments where they are working ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Promotion of Scheduled Castes and Scheduled Tribes against Reserved Posts

9238. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the Department-wise, Section-wise and Category-wise number of officers and other employees belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who have been promoted against posts reserved for them upto the 15th March, 1969, in and under, his Ministry, according to the provisions contained in the Ministry of Home Affairs Office Memorandum No. 1/12/67-Establishment (C) dated the 11th July, 1968 ; and

(b) the designations of such employees and the names of the Departments where they are working ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b). So far as the Secretariat is concerned there has been no occasion for giving promotion to any such person in accordance with the provisions of the said order. As regards other offices under the Ministry, the information is being collected and will be laid on the Table of the House.

बैंकों की जमा राशियां तथा विनियोजन

9239. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के सभी व्यापारिक बैंकों में कुल कितनी राशि जमा है ;

(ख) देश के बड़े-बड़े बीस बैंकों में कुल कितनी पूंजी लगी हुई है और उनमें कितनी राशि जमा है ; और

(ग) गत तीन वर्षों में बैंकों की कितनी राशि खाद्यान्न, खोपरा, चीनी, पटसन, चाय, कपड़ा तथा शेअर बाजार में लगायी गयी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) मार्च, 1969 के अन्त में इन बैंकों में 4260 करोड़ रुपया जमा था ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें आवश्यक सूचना दी गई है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1102/69]

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा इन मदों के लिए दिये गये अग्रिमों की रकमें दिखायी गयी हैं । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1102/69]

Designs for Buildings in Rural and Urban Areas

9240. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that his Ministry brings out books containing designs for buildings in rural and urban areas and if so, whether any such books were brought out after 1962 ;

(b) if so, their titles and whether copies thereof were sent to Parliament Library ; and

(c) if not, the basis on which colonies and bungalows were constructed after 1962 ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes.

(b) The titles of the publications are :

(1) "Handbook on Rural Housing and Village Planning."

(2) "Grameen Avas Deepika" ("Manual on Rural Housing") Copies of these publications have been sent to the Parliament Library.

(c) The construction of private colonies and bungalows is regulated by the concerned local body on the basis of bye-laws etc. formulated by it. Government buildings are put up by Government construction agencies. These agencies have qualified engineers and architects who evolve designs to suit the requirements of the Government, and constructions are based on the designs so evolved. These designs are not published as they are exclusively for the use of Government.

Financial Affairs of New Delhi Municipal Committee

9241. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether the New Delhi Municipal Committee has been showing deficit continuously for the last many years ;

(b) if so, the deficit shown by that Committee during the last three years, yearwise and the amount of grants, etc. given by Government to that Committee ; and

(c) whether Government propose to look into the financial affairs of the New Delhi Municipal Committee in view of the complaints made regarding wasteful expenditure by that Committee ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) No, except during 1968-69.

(b) There was no deficit upto the year 1967-68. During 1968-69, the budgetary deficit was Rs. 91.28 lakhs. The grants paid during that year aggregated Rs. 45.77 lakhs.

(c) The Government of India in the Ministry of Home Affairs have appointed a Commission of Inquiry to enquire into the adequacy and utilization of the financial resources available with the Municipal Corporation of Delhi and the New Delhi Municipal Committee.

विदेशी विस्की की पेटियों का जहाज पर लदान न किया जाना

9242. **श्री राम चरण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1968 के उत्तरार्ध में कलकत्ता में विदेशी विसकी के बारे में एक घटना हुई थी जिनका कि उस समय के० पी० गोदी कलकत्ता में खड़े 'सिटी आफ सेंट अलबाना' जहाज में लदान किया जाना था । परन्तु वास्तव में वह लदान नहीं किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सीमा शुल्क विभाग ने सतर्कता विभाग से उक्त घटना का पता चलाया और उसके कलकत्ता सीमाशुल्क विभाग के सहायक कलेक्टर (जी) को फाइल दे दी ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) सहायता समाहर्ता सीमाशुल्क (निरोधक) कलकत्ता, ने सूचना पाने पर इस मामले में जांच की थी ।

(ग) जो माल गोदाम में रखा था उसके मालिक को 'कारण बताओ' नोटिस जारी कर दिया गया है और आगे जाँच-पड़ताल अभी जारी है ।

चण्डीगढ़ के सरकारी प्रैस कर्मचारियों के वेतन ढांचे का पुनरीक्षण

9243. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चण्डीगढ़ के सरकारी मुद्रणालय के कर्मचारियों के दो सदस्यों पर सम्मिलित एक प्रतिनिधि मंडल ने अपने वेतन के पुनरीक्षण के बारे में एक ज्ञापन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां, सरकारी मुद्रणालय चण्डीगढ़ के कामगारों के एक डेपुटेशन ने 28 मार्च, 1969 को एक ज्ञापन दिया है ।

(ख) डेपुटेशन द्वारा दिए गए ज्ञापन में पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकारी मुद्रणालय चण्डीगढ़ के कामगारों के वेतन-मानों के पुनरीक्षण के लिए अनुरोध है ।

(ग). 1966 में इस उद्देश्य से, भूतपूर्व पंजाब सरकार द्वारा नियुक्त एक उप-समिति के सुझावों के आधार पर सरकारी मुद्रणालय में कामगारों के वेतन के वेतनमानों के पुनरीक्षण का प्रस्ताव, जो पहले ही विचाराधीन था, स्वीकृत हो गया है और इस बारे में आदेश शीघ्र ही जारी किए जायेंगे ।

इंडियन आयल कम्पनी के नेपाल में बिक्री डिपो

9244. **गाडिलिगन गौड :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन आयल कम्पनी नैपाल में किन-किन स्थानों पर अपने डिपो स्थापित किये हैं ;

(ख) वर्ष 1967-68 और 1968-69 में कितनी-कितनी राशि का कारोबार किया गया ;

(ग) क्या उस देश में नये डिपो खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) भारतीय तेल निगम के नैपाल में कोई विक्रय डिपू नहीं है।

(ख) भारतीय तेल निगम ने नैपाल में वर्ष 1967 और 1968 में क्रमश: 19,400 मीटरी टन तथा 20,000 मीटरी टन पेट्रोलियम आयल लुब्रीकैण्ट्स उत्पाद बेचे।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

परिवार नियोजन के साधनों का आविष्कार

9245. **श्री गाडिलिगन गौड़ :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के ध्यान में लाये गये भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा परिवार नियोजन के बारे में किये विभिन्न आविष्कारों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) प्रत्येक साधन के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण. आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय राज्य मन्त्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा परिवार नियोजन पर तैयार किये गए विभिन्न साधनों और सरकार के ध्यान में लाये गये गर्भरोधक तत्व वाले नुस्खों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1103/69**] स्वीकार्यता और कायरता की जांच करने के लिये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा इन साधनों और नुस्सों की परीक्षा की जा रही है।

बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए परियोजनाएं

9246. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में स्थायी बाढ़ नियंत्रण के उपायों के लिये अनेक परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये उपाय क्या हैं और उन पर कितना व्यय होने का अनुमान है ; और

(ग) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं की स्वीकृति दे दी है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां,

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार से अब तक निम्नलिखित बाढ़ नियंत्रण स्कीमें प्राप्त हुई हैं :—

क्रम संख्या	स्कीम का नाम तथा स्वरूप	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)
1	गोवर्धन नाले का पुनःरूपण	483.00
2	चितौनी रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे तटबंध पर सुरक्षा कार्य	89.54
3	पश्चिम गण्डक नहर रेलवे क्रासिंग से कैथल भाट पुर्वा ग्राम तक पश्चवर्ती बंध के निर्माण के लिये स्कीम	49.10
4	जिला गोरखपुर में कालोनी बन्ध की सुरक्षा के लिए स्कीम	42.88

राज्य तकनीकी सलाहकार समिति और राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, राज्य सरकार द्वारा 25-25 लाख रुपये से कम लागत की स्कीमें मंजूर की जाती है ।

(ग) राज्य सरकार और योजना आयोग की सलाह से उपर्युक्त स्कीमों की जांच की जा रही है ।

Khas-Khas Tatties in Government Offices

9247. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that "Khas-Khas" Tatties are arranged for offices every year during summer ;

(b) if so, whether such arrangements are made on contract basis or departmentally ; and

(c) if contracts are given, the number of contractors engaged and the rates at which this work is done ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Coolers in Offices

9248. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that coolers are installed in offices every year ;

(b) if so, the name of the company from which coolers were brought ; and

(c) the number of tenders received during 1968-69 and the name of the Company which quoted the lowest rate ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Lighting Arrangements at Government Buildings on 26th January

9249. **Shri Onkar Lal Berwn :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that contracts were given for the lighting arrangements made at Government buildings on the occasion of the 26th January, 1969 ;

(b) if so, the names of the contractors and their respective rates for the said job ; and

(c) the terms and conditions thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes, Sir.

(b) As per statement enclosed. [*Placed in Library. See* No. Lt-1104/69.]

(c) A copy of the terms and conditions is placed on the Table. [*Placed in Library. See* No, LT-1104/69.]

Targets for Irrigation and Power Works in States

9250. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased so state :

(a) the targets laid down for different States for 1968-69 in respect of irrigation and power works ;

(b) the extent to which they were achieved in each State ; and

(c) the reasons for not achieving the targets ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c). Two statements containing the requisite information, State-wise, in respect of irrigation and power works are attached. [*Placed in Library. See* No. LT-1105/69.]

उत्तर प्रदेश सिंचाई की सुविधाओं का विकास

9251. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उस राज्य में सिंचाई की सुविधाओं के विकास के लिये एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसकी अनुमानित लागत क्या है ;

(ग) क्या योजना आयोग ने उक्त कार्यक्रम की मंजूरी दे दी है और यदि हां, तो यदि कोई परिवर्तन किये गये हैं, तो क्या ; और

(घ) इसकी कार्यान्विति के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता देने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क), जी हां ।

(ख) इस विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1106/69]**

(ग) और (घ). उत्तर प्रदेश की चौथी योजना के सिंचाई कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं के लिए धन का नियतन

9252. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने चौथी योजना में योजना परिव्यय के अतिरिक्त अपनी सिंचाई परियोजनाओं के लिए 60 करोड़ रुपये के नियतन की मांग की थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सरकार ने इस मांग को उचित बताते हुए क्या कारण बताये हैं ; और

(ग) इस मांग पर सरकार ने क्या निर्णय किया है और यदि मांग पूरी नहीं की जा रही है, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). चौथी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में दिसम्बर, 1968 में, योजना आयोग में हुए विचार विमर्श के दौरान, मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने राज्य के बृहत प्राकृतिक स्रोतों का प्रयोग आरम्भ करने के लिए सिंचाई और बिजली के 30-30 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय का प्रस्ताव रखा था । चौथी पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को क्वार्टर आवंटित न किया जाना

9253. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है, जिनकी सेवा अवधि 15 में 20 वर्ष तक हो जाने के बाद भी सरकारी क्वार्टर नहीं दिये गये हैं ;

(ख) क्या इसके फलस्वरूप ऐसे सरकारी कर्मचारियों को होने वाली कठिनाई की जानकारी सरकार को है ; और

(ग) 15 वर्ष अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को क्वाटर देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) लेखन-सामग्री के प्रयोग एवं श्रम में बचत करने की दृष्टि

से सरकारी निवास स्थानों के आवंटन के लिये आवेदन केवल उन सरकारी कर्मचारियों से मांगे जाते हैं, जिनकी प्राथमिकता की तारीख, वर्ष विशेष में वास की संभावित उपलब्धता को दृष्टि में रखते हुए सम्पदा निदेशालय द्वारा विनिश्चिय एक निश्चित सीमा के अन्दर आती है। जिन अधिकारियों की परिलब्धियां 700 रुपये और इससे ऊपर हैं और टाइप तथा ऊपर के वास के पात्र हैं, उनकी प्राथमिकता की तारीख वह मानी जाती है जिस तारीख से अधिकारी लगातार इन परिलब्धियों को प्राप्त कर रहा है और ऐसे मामलों में आवेदन पत्रों में नियुक्ति की तारीख नहीं पूछी जाती। अतएव केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों के जिन्होंने 15 से 20 वर्ष की सेवा की है, और जिन्हें सामान्य पूल से रिहायशी वास उपलब्ध नहीं किया गया, उनके सांख्यकीय आंकड़े सम्पदा निदेशालय में उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग). जहाँ तक सामान्य पूल वास का सम्बन्ध है, दिल्ली, नई दिल्ली में परितुष्टि का प्रतिशत 39 है। सरकारी कर्मचारी जिन्हें आवास आवंटित नहीं किया गया, उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सामान्य पूल में यथा सम्भव अधिक से अधिक रिहायशी एकक उपलब्ध करने के लिए सरकार सीमित उपलब्ध साधनों के अन्दर हर सम्भव उपाय कर रही है।

सिंचाई आयोग

9254. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भविष्य में देश में सिंचाई के विकास के बारे में विचार करने के लिए एक सिंचाई आयोग का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस आयोग के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) इस आयोग के निर्देश-पद क्या हैं ; और

(घ) इस आयोग द्वारा कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) जी, हां।

(ख) से (घ). संकल्प की एक प्रति संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 1107/69]

अशोधित तेल पर रायल्टी के बारे में गुजरात सरकार की असंतुष्टि

9255. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **पेट्रोलियत तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई देश तेल पर अशोधित तेल के मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक रायल्टी देते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि गुजरात सरकार ने अशोधित तेल की रायल्टी 10 रुपये प्रति टन निर्धारित किये जाने पर असंतोष प्रकट किया है और इसमें वृद्धि करने के लिए कहा है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी हां। उन देशों में जहां कच्चे तेल का अधिक उत्पादन होता है, मुख्य रूप से निर्यात के लिये, और जहां तेल से प्राप्त आय लोक-राजस्व का आधार-स्तम्भ है प्रतिशतता का अधिक होना स्वाभाविक है। किन्तु उन देशों में जहां कच्चे तेल के अन्वेषण में वृद्धि अपनी अन्दरूनी खपत के लिए, नाकि निर्यात के लिये, की जाती है, रायल्टी की बहुत साधारण दरें निर्धारित की जाती हैं, ताकि निवेश को प्रोत्साहन दिया जा सके।

(ख) जी हां।

(ग) रायल्टी की दरें प्रधान मन्त्री द्वारा दिये गये पंचाट के आधार पर नियत की गई है, दर निर्धारित करते समय प्रधान मन्त्री ने सभी सम्बद्ध तथ्यों को ध्यान में रखा था। सरकार का विचार है कि पंचाट को आखिरी तथा सभी सम्बन्धित लोगों पर बन्धनकारी समझा जाय।

शारवा और साबरमती के बीच पाइप लाइन का निर्माण

9256. **श्री रा० को० अमीन** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने शारथा तथा साबरमती के बीच तट-दूर एक अस्थायी किस्म की पाइप लाइन का निर्माण किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कालोइ और कोयाली तेल शोधक कारखाने के बीच प्रस्तावित पाइप लाइन को देखते हुए इस लाइन की आवश्यकता के बारे में कोई शिकायतें की गई हैं ; और

(ग) इस समय कालाइ से कोयाली तेल शोधक कारखाने को भेजे जाने वाले अशोधित तेल की मात्रा तथा परिवहन के तरीके का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) शेरथा में ग्रुप गैदरिंग स्टेशन I को साबरमती आयल टरमिनल से मिलाने के लिए भूमि पर एक 8" 5/6 की पाइप लाइन बिछाई गई है।

(ख) और (ग). इस पाइप लाइन की आवश्यकता के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। ट्रंक लाइन के तैयार होने के बाद मौजूदा लाइन को सम्मिलित गैस के परिवहन के लिए उपयोग में लाने का प्रस्ताव है। इस पाइप लाइन द्वारा विभिन्न ग्रुप गैदरिंग स्टेशनों से प्रतिदिन लगभग 500 मीटरी टन कच्चा तेल साबरमती आयल टरमिनल को भेजा जाता है, जहां से कोयाली शोधनशाला को रेल डिब्बों में कच्चे तेल का लदान किया जाता है। ज्योंही तेल-क्षेत्र का विकास होगा, उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, ट्रंक लाइन के तैयार होने तक इस पाइप लाइन द्वारा साबरमती को भेजा जायेगा।

डी०आई०जैड० क्षेत्र, नई दिल्ली में डी०सी० बिजली के स्थान पर ए० सी० बिजली का लगाया जाना

9257. **श्री रवि राय :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अतुलग्रोव, बेयर्ड रोड़, नई दिल्ली के निवासियों ने तथा सेवा संगठनों (सर्विस एसोसिएशनों) ने डी० सी० बिजली के स्थान पर ए० सी० बिजली लगाने के लिए अभ्यावेदन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि नई दिल्ली नगर पालिका ने शीघ्र यह व्यवस्था करने की मांग करने के लिए इन निवासियों को चेतावनी दी है ;

(ग) क्या नई दिल्ली नगरपालिका ने अधिसूचित किया हैं कि बिजली की वर्तमान दर 17 पैसे प्रति यूनिट के स्थान पर 1 अप्रैल, 1969 से 50 पैसे प्रति यूनिट ली जायेगी ; और

(घ) यदि हां, तो जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां, केवल अतुलग्रोव के निवासियों को छोड़ कर, जहां केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के क्वार्टरों में पहले ही ए० सी० की सप्लाई है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका ने 1 अप्रैल, 1969 से डी० सी० के दर को 20 प्रतिशत बढ़ाने का संकल्प पास किया है ।

(घ) सरकारी क्वार्टरों जिन्हें दो या ऐसे वर्षों में तोड़ने की सम्भावना नहीं है, मैं डी० सी० को ए० सी० में बदलने का प्रस्ताव विचाराधीन है । इस बीच, नई दिल्ली नगर पालिका से, डी० सी० दर में प्रस्तावित वृद्धि को, दो वर्ष की अवधि के लिये स्थगित करने का अनुरोध किया गया है ।

परिवार नियोजन के तरीकों के प्रभाव

9259. **श्री रा० की० अमीन :** क्या स्वास्थ्य परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 मार्च, 1969 के 'टाइम्स आफ इंडिया' समाचारपत्र में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें गर्भ निरोधक गोलियों के प्रयोग से होने वाले खतरे बताये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार परिवार नियोजन के प्रचार में परिवर्तन करने का है ;

(ग) क्या परिवार नियोजन में अपनाये जाने वाले विभिन्न तरीकों के प्रयत्नों का समय-समय पर मूल्यांकन करने की व्यवस्था करने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्र शेखर) : (क) जी हां। यह समाचार 'टाइम्स आफ इंडिया' में 14 अप्रैल, 1969 को प्रकाशित हुआ था।

(ख) खानेवाली गर्भ निरोधक गोली की स्वीकार्यता और कारगरता जाँचने के लिए इस समय भारत सरकार द्वारा चलाए गए मार्गदर्शी परियोजनाओं में ही इन गोलियों का प्रयोग किया जा रहा है।

परिणाम आदि की जाँच के पश्चात् ही गोलियों को परिवार नियोजन के मंजूरशुदा साधनों के रूप में अपनाने का प्रश्न उठेगा।

(ग) और (घ). परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों की प्रगति का मूल्यांकन और जाँच कार्य सरकार द्वारा पहले ही किया जा रहा है।

कार्यक्रम का शुरू से लेकर किया गया संक्षिप्त मात्रात्मक मूल्यांकन संलग्न विवरणों में दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 1108/69]

नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में सड़क संकेत

9260. **श्री जुल्फिकार अली खां** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में सड़क संकेत हिन्दी और अंग्रेजी के साथ-साथ उर्दू में भी दिये गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि उपलब्ध स्थान सड़क संकेतों को दो से अधिक भाषाओं में मोटे अक्षरों में लिखने के लिये पर्याप्त नहीं है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के 'बी' डिवीजन में कार्य-भारित कर्मचारी

9261. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के 'बी' डिवीजन में अनुभागों के क्या नाम हैं ;

(ख) वर्ष 1967-68 और 1968-69 में प्रत्येक महीने की पहली तारीख को प्रत्येक अनुभाग में प्रत्येक श्रेणी के पदों के अनुसार कितने कार्य-भारित कर्मचारी काम करते थे ; और

(ग) वर्ष 1967-68 और 1968-69 में प्रत्येक महीने की पहली तारीख को प्रत्येक अनुभाग में प्रत्येक श्रेणी के अनुसार उपस्थित नामावली में कितने कर्मचारी थे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) अनुभागों के नाम, तथा उप-प्रभाग (सब-डिवीजन) जिसके साथ वे सम्बद्ध हैं, नीचे दिये जाते हैं :

उप-प्रभाग (सब-डिवीजन) का नाम	अनुभागों के नाम
1-बी	अनुभाग I से IV तक
2-बी	-वही-
3-बी	-वही-
4-बी	अनुभाग I से V तक
5-बी	अनुभाग I से IV तक

(ख) और (ग). सूचना अनुलग्नक 'क' और 'ख' में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 1109]

संसद भवन के वर्क्स डिवीजन में कार्य-भारित कर्मचारी

9262. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पार्लियामेंट हाउस वर्क्स डिवीजन, नई दिल्ली के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न अनुभागों के नाम क्या हैं ;

(ख) वर्ष 1967-68 और 1968-69 में प्रत्येक महीने की पहली तारीख को प्रत्येक अनुभाग में प्रत्येक श्रेणी के पदों के अनुसार कितने कार्य-भारित कर्मचारी थे ; और

(ग) वर्ष 1967-68 और 1968-69 में प्रत्येक महीने की पहली तारीख को प्रत्येक अनुभाग में प्रत्येक श्रेणी के पदों के अनुसार उपस्थिति नामावली में कितने कर्मचारी थे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) अनुभागों के नाम, तथा उप-प्रभाग (सब-डिवीजन) जिससे वे सम्बद्ध हैं, नीचे दिये जाते हैं :—

उप-प्रभाग I फ़िरोजशाह रोड पूछ-ताछ कार्यालय (भवन तथा फ़र्नीचर अनुभाग)

उप-प्रभाग II.

(क) पार्लियामेंट हाउस पूछ-ताछ कार्यालय।

(ख) विट्ठल भाई पटेल हाउस पूछ-ताछ कार्यालय।

(ग) वेस्टरन कोर्ट होस्टल।

उप-प्रभाग III नार्थ एवेन्यू पूछताछ क़ार्यालय (बिल्डिंग एवं फ़र्नीचर अनुभाग)

उप-प्रभाग IV साऊथ एवेन्यू पूछताछ कार्यालय (बिल्डिंग एवं फ़र्नीचर अनुभाग)

(ख) और (ग). सूचना अनुलग्नक I और II में दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1110/69]

Scarcity of Drinking Water in Patna

9263. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the residents of Patna are facing acute shortage of water in these days ;

(b) if so, whether the Government of Bihar have asked for any assistance from the Central Government with a view to solving this crisis ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) No such shortage has been brought to the notice of Government of India.

(b) No, Sir,

(c) and (d). Do not arise.

गन्दी बस्ती सफाई योजनायें

9264. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों में केन्द्र-प्रायोजित गन्दी बस्ती सफाई योजनाओं के लिए नियत धन में से अधिकांश भाग तमित नाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को मिला था।

(ख) क्या 1967-68 में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आसाम तथा हरयाणा को कोई राशि नहीं दी गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). योजना राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जाती है। उन राज्य सरकारों को जो योजना को क्रियान्वित कर रही हैं, उनके द्वारा रिपोर्ट किये गये प्रथम तीन तिमाहियों के वास्तविक व्यय की संख्याओं तथा चौथी तिमाही के अनुमानित व्यय के आधार पर, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार केन्द्रीय सहायता दी जाती है। योजना के अन्तर्गत निधियों का उपयोग अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दी गई प्राथमिता तथा उनके द्वारा उनकी अपनी योजना सीमा के अन्दर जिस सीमा तक तदनुरूप समायोजित की जा सकती है, इस पर निर्भर करता है।

क्योंकि योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम और हरियाणा सरकारों ने 1967-68 के दौरान किसी व्यय की रिपोर्ट नहीं की, इसलिए उन्हें उस वर्ष में कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई। तथापि, योजना के अन्तर्गत, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों को

उनके द्वारा 1968-69 के दौरान रिपोर्ट किये गये व्यय के आधार पर क्रमशः 1.22 लाख रुपये और 7.00 लाख रुपये की राशि दी गई ।

औसत आयु

9265. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में औसत आयु 59.6 वर्ष तक हो गई है ;

(ख) समूचे भारत की औसत आयु कितनी है तथा प्रत्येक राज्य में औसत आयु कितनी है ; और

(ग) विश्व के कुछ उन्नत देशों की तुलना में भारत में औसत आयु कितनी है, कम है या अधिक है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब०सू० मूर्ति) : (क) 1968 में पंजाब में पुरुषों और महिलाओं की औसत आयु क्रमशः 59.9 वर्ष और 55 वर्ष थी ।

(ख) औसत आयु के अखिल भारतीय और राज्यवार उपलब्ध आँकड़े दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1111/69**]

(ग) 1961 अथवा उसके आसपास जन्म के समय कुछ उन्नत देशों के सम्भावित औसत आयु के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

देश	जन्म के समय औसत आयु की संभावना	
	पुरुष	महिलाओं
अमरीका	67	73.6
ब्रिटेन	68	73.8
स्वीडन	71.2	74.9
फ्रांस	67.6	74.5
जापान	65.4	70.3

कोलार सोना खानों में श्रमिकों के लिए मकान

9266. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कोलार सोना खानों में सोना खोदने वाले वास्तविक श्रमिक चालीस वर्ष से एक कमरे वाली पुरानी टूटी झोंपड़ियों में रह रहे हैं जहां पर सफाई, पीने के पानी और रोशनी का उचित प्रबन्ध नहीं है ;

(ख) क्या सरकार का विचार रहने वाले मजदूरों को, उनकी झोंपड़ी के निकट वह स्थान देने का है ताकि उनकी मरम्मत आदि की देखभाल कर सकें ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार उन मकानों की मरम्मत का कार्य तुरन्त करायेगी क्योंकि वहां की स्थिति के लिये ऐसा करना आवश्यक है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कोलार की सोने की खानों के क्षेत्र में घास-फूस की छतों वाले मकान काफी समय से बने हुए हैं, पर ये सभी मकान चालीस वर्ष पुराने नहीं हैं क्योंकि इन मकानों की मरम्मत आदि की जाती रही है । इसके अलावा, सभी मजदूर ऐसे ही मकानों में नहीं रहते । कोलार की सोने की खानों के मजदूरों के रहने के लिए 4,100 से अधिक कंक्रीट के मकान हैं । हालांकि घास-फूस की छत वाले मकानों में अलग-अलग शौचालयों, पानी के नलों आदि की व्यवस्था नहीं है, फिर भी मजदूरों की बस्तियों में सार्वजनिक शौचालयों, पानी के नलों और रोशनी के लिए बिजली आदि की पर्याप्त व्यवस्था है । उपक्रम द्वारा बस्तियों में सफाई की व्यवस्था की जाती है ।

यहां यह बता देना उचित होगा कि चालू वर्ष में, घास-फूस की छतों वाले 150 मकानों के स्थान पर कंक्रीट के मकान बनाने का काम शुरू कर दिया गया है जिस पर 5.5 लाख रुपया खर्च होगा । इन मकानों में पानी और बिजली की व्यवस्था होगी । घास-फूस की छतों वाले मकानों के स्थान पर नये मकान बनाने का काम विभिन्न चरणों में पूरा करने का विचार है ।

(ख) जी, नहीं । घास-फूस की छत वाले मकान मजदूरों को किराये पर दिये जाते रहेंगे । यह बताना अप्रांसगिक नही होगा कि इन मकानों का किराया काफी कम होता है ।

(ग) कोलार स्वर्ण खान उपक्रमों द्वारा इन मकानों की, आवश्यकतानुसार, समय-समय पर मरम्मत करने की व्यवस्था की जाती रहती है ।

कोलार सोना खानों में भूमिगत पानी में डूबी मशीनरी

9267. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कोलार खानों के भूमिगत पानी में कितने मूल्य की मशीनरी डूब गई है ;

(ख) क्या हानि की ओर ध्यान दिया गया है और उसकी रिपोर्ट की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस हानि के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). सितम्बर से दिसम्बर 1966 तक तीन महीनों की अवधि में कोलार क्षेत्र में, 39 इंच से अधिक अभूत-पूर्व वर्षा हुई, जबकि पिछले 50 वर्षों में इसी अवधि में केवल 15 इंच औसत वर्षा होती रही है । इस अभूत-पूर्व वर्षा के कारण खानों में पानी भरने लगा और खानों के गहरे स्तरों पर बाढ़ आ गयी । मैसूर, चैम्पियन रीफ की सम्मिलित खान में दो वस्तुएं पानी में डूबी थी उनमें से एक लगभग 500 रुपये की लागत का 10 अश्वशक्ति का पंखा (अलग किये जा सकने वाले इंजन को

छोड़कर) और एक छोटा हविस था जिसका मूल्य भी 500 रुपये है। ये दोनों वस्तुएं निकाल कर इस्तेमाल की जा सकती है, जबकि पानी निकालने के लिए की जा रही कार्रवाई पूरी हो जायगी। लेकिन नन्दीद्रूग खान में उतरने के सहायक रास्ते के 73 वें स्तर पर खड़ा किया गया 350 अश्वशक्ति का वार्ड ल्योनार्ड वाइंडर डूब गया था। इसके डूबने का एक कारण अधिक मात्रा में पानी का भर जाना था और दूसरा कारण रिचार्ड ढलान रास्ते में, जो खान की दक्षिणी शाला के लिए मुख्य पम्पिंग रास्ते का काम करता है, नवम्बर 1966 में एक दुर्घटना का होना था। खान के प्रबन्धक-वर्ग को इस का पता चल गया था परन्तु इतने गहरे पानी में से ये उपकरण नहीं निकाले जा सके। इस वाइंडर का (जो लगभग 30 वर्ष पुराना है) किताबों में दर्ज मूल्य लगभग 1.56 लाख रुपया है। पम्पों से पानी निकालने का काम पूरा किया जा चुका है और सहायक इंजन चैम्बर में से पानी निकाल दिया गया है और वाइंडर तथा दूसरे उपकरणों को अब साफ कर के उनमें ग्रीस देकर भंडार में रखा जा रहा है। यह बताया गया है कि उपकरणों के यांत्रिक हिस्सों को अलग-अलग करके पुनः स्थापित किया जा सकता है। जहाँ तक उपकरणों के बिजली सम्बन्धी हिस्सों का सम्बन्ध है इस विषय में ब्यौरे वार अनुमान लगाया जा रहा है लेकिन पहली नजर में देखने से ऐसा लगता है कि इन में से बहुत से उपकरणों की मरम्मत करके उन्हें पुनः स्थापित किया जा सकेगा।

(ग) जिन कारणों से उपकरण डूबे हैं, उनको देखते हुए यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

भारत में अमरीकी पूंजी विनियोजन

9268. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका सरकार ने हाल में विदेशी कम्पनियों में सीधे पूंजी विनियोजन पर अनिवार्य प्रतिबन्धों में छूट दी है ;

(ख) क्या अमरीका सरकार के इस निर्णय से गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा भारत में अधिक पूंजी लगाई जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति के बारे में सरकार का क्या अनुमान है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने अमरीकी व्यवसायियों द्वारा विदेशों में अमरीकी पूंजी लगाये जाने से सम्बन्धित नियंत्रण को हाल में कुछ ढीला कर दिया है। नियंत्रण में दी गयी यह ढील 1969 में जारी रहेगी। अभी यह नहीं बताया जा सकता कि इस ढील के परिमाणस्वरूप भारत में लगायी जाने वाली अमरीकी पूंजी में कितनी वृद्धि होगी। फिर भी, यह सम्भावना है कि इसके परिणाम-स्वरूप लाभ होगा।

गुजरात में एल्यूमीनियम कारखाना

9269. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार का विचार गुजरात विकास निगम के माध्यम से एक निर्यात प्रधान एल्यूमीनियम कारखाना स्थापित करने का है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि शुल्क आयोग ने बड़ी मात्रा में बाक्साइट न मिलने की स्थिति में एल्यूमीनियम के निर्यात के विरुद्ध सिफारिश की है क्योंकि अलाभप्रद दर पर एल्यूमीनियम का निर्यात करना देश के प्रयोग के लिये हानिकारक होगा ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथराव): (क) गुजरात सरकार ने राज्य के बाक्साइट निक्षेपों पर आधारित निर्यात-अनुस्थापित एक एल्यूमिना संयन्त्र की स्थापना का प्रस्ताव किया है, जो कि राज्य सरकार का उपक्रम होगा या केन्द्रीय सरकार के साथ एक संयुक्त उपक्रम होगा। प्रायोजना की सम्भाव्यता पर विचार करने के लिये एक विस्तृत तकनीकी-आर्थिक अध्ययन प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

(ख) शुल्क आयोग ने एल्यूमीनियम उद्योग को संरक्षण जारी रखने संबंधी अपनी रिपोर्ट (1968) में अन्य बातों के साथ यह सिफारिश की कि जब तक बाक्साइट के बड़े पैमाने पर समन्वेषण के लिये निश्चित कदम नहीं उठाये जाते और उन में सफलता नहीं मिल जाती तब तक स्वदेशी उद्योग को सम्भावित क्षति पहुंचाने वाली एल्यूमिना निर्यात करने की योजना को आस्थागित किया जाना चाहिये।

(ग) शुल्क आयोग की उपरोक्त सिफारिश की जांच की गई थी और बाक्साइट की वर्तमान ज्ञात उपलब्ध राशियों को विचार में रख कर यह महसूस किया गया कि एल्यूमिना का संतुलित निर्यात स्वदेशी उद्योग के लिये हानिकारक न होगा और इस सम्बन्ध में लचीली नीति रखना आवश्यक होगा। सम्भाव्यता रिपोर्ट पर आधारित प्रस्तावित एल्यूमिना संयन्त्र के सम्बन्ध में निर्णय लेते समय भी आयोग के सुझाव को विचार में रखा जायेगा।

कटक में मयूरभंज क्षेत्र के आयकर के मामले में अपीलीय आयोग के विचाराधीन

9270. **श्री रा० रा० सिंह देव :** **श्री गु० च० नायक :**
श्री महेन्द्र मांझी :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कटक में मयूरभंज क्षेत्र के आयकर के कितने मामले अपीलीय आयोग के विचाराधीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सरहद मामलों में करों को वसूल करने सम्बन्धी कोई निषेधादेश जारी किये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो मामलों को शीघ्रता से न निबटाने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। उसे एकत्रित कर यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी

9271. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें स्वीकार करते हुए

सरकार ने सरकारी उपक्रमों में इतर सेवा पर सरकारी कर्मचारियों को यह अनुमति देने का निर्णय किया है कि वह चाहे तो उनमें स्थायी तौर पर नौकरी कर सकते या अपने मूल कार्यालय में वापिस जा सकते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस सम्बन्ध में जारी किये आदेशों से लगता है कि ये आदेश अनिवार्य और कर्मचारियों को विकल्प देते हैं न कि नियोजकों को ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ सरकारी उपक्रमों ने, विशेषत: खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने अपने कुछ कर्मचारियों को इस विकल्प का लाभ नहीं देने का निर्णय किया है यद्यपि ये कर्मचारी 28 फरवरी, 1969 के महत्वपूर्ण दिन इतर सेवा में थे ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इनके बारे में विस्तृत जानकारी दिखाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने का है ; (एक) जिन व्यक्तियों को विकल्प देने की अनुमति नहीं दी गई है ; (दो) जिन व्यक्तियों को विकल्प देने की अनुमति दी गई है ; और (तीन) जिन व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति 1 जनवरी, 1967 के बाद बढ़ाई गई है और उन्हें स्थायी तौर पर रख लिया गया है, तथा उस विवरण में इसका पूरा औचित्य देने का है कि (एक) के बारे में निर्णय का उल्लंघन क्यों किया गया था (दो) और (तीन) के बारे में क्या कसौटी अपनाई गई ; और

(ङ) अन्तिम भागों के बारे में सरकारी आदेशों की उचित कार्यान्विति सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें स्वीकार करते समय, सरकार ने यह निश्चय किया है कि सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति सरकारी सेवाओं के अधिकारियों को अपना विकल्प बताना चाहिये कि वे अपने मूल संवर्ग में वापस जाना चाहते हैं या उस उपक्रम में स्थायी रूप से रहना चाहते हैं जिसमें वे काम कर रहे हैं। पर ये आदेश रक्षा उत्पादन उपक्रमों में काम करने वाले रक्षा विभाग के अधिकारियों और सरकारी उपक्रमों में नियुक्त औद्योगिक प्रबन्ध निकाय के अधिकारियों पर लागू नहीं होते।

(ख) जहां तक प्रतिनियुक्ति अधिकारियों का सम्बन्ध है, सरकारी सेवाओं से प्रतिनियुक्त अधिकारियों द्वारा विकल्प के प्रयोग के सम्बन्ध में जारी किये गये आदेश बाध्यकारी हैं। लेकिन यदि कोई प्रतिनियुक्त अधिकारी योग्य न पाया जाय तो कोई भी सरकारी उपक्रम उपयुक्तता के आधार पर उसे वापस भेजने का निर्णय कर सकता है।

(ग) और (घ). सम्भवत: माननीय सदस्य का संकेत उन मामलों की ओर है, जिनमें सरकारी उपक्रमों ने उनके यहां प्रतिनियुक्त सरकारी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि न बढ़ाने का निश्चय किया है। जहां कहीं प्रतिनियुक्त अधिकारियों में कोई कमी पायी गयी, वहां उपक्रमों द्वारा ऐसे निर्णय किये गये हैं और उपक्रमों की स्वायत्तता के अनुसार, किसी उपक्रम के प्रबन्धकों को ऐसा निर्णय लेने का अधिकार है। ऐसे मामलों में प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त करने का प्रतिनियुक्त अधिकारियों के विकल्प विषयक 26 फरवरी, 1969 के आदेशों से कोई सम्बन्ध नहीं है। 26 फरवरी, 1969 के आदेशों के अनुसार, 2500 रुपये मासिक से अधिक वेतन पाने वाले उन प्रतिनियुक्त अधिकारियों को, जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि निश्चित न हो,

पहली मार्च, 1969 से एक वर्ष के अन्दर-अन्दर और 2500 से कम वेतन पाने वाले अधिकारियों को इस तारीख से लेकर तीन वर्ष के अन्दर-अन्दर अपना विकल्प बता देना चाहिये, बशर्ते कि सम्बद्ध उपक्रमों को उनकी सेवाओं की आवश्यकता हो। इसलिए इस समय विकल्प के बारे में अन्तिम स्थिति नहीं बतायी जा सकती।

(ङ) सरकारी उपक्रमों का नियंत्रण करने वाले सभी मंत्रालयों को आवश्यक हिदायतें जारी कर दी गयी हैं कि वे संवर्ग प्राधिकारियों से मिलकर इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था कर लें कि उन सभी मामलों में, जिनमें सम्बद्ध उपक्रमों को प्रतिनियुक्त अधिकारियों की सेवाओं की आवश्यकता हो, प्रतिनियुक्त अधिकारी सरकारी आदेशों के अनुसार अपना विकल्प बता दें।

राम बहादुर ठाकुर एण्ड कम्पनी की खानें

9272. **धीरेन्द्र नाथ देव :**
श्री मु० च० नायक :
श्री महेन्द्र मांझी :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री द० रा० परमार :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री 16 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6620 और 6621 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राम बहादुर एण्ड कम्पनी की अपनी खान है ;

(ख) यदि हां, तो इस खान का क्या नाम है और यह कहां पर है ;

(ग) उससे प्रति वर्ष कितना उत्पादन होता है ; और

(घ) पट्टा कब दिया गया था ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां।

(ख) यह दल दो मैंगनीज खानों का स्वामी हैं और वे हैं (1) कटनझिरि शासकीय बन, सोन-वानी रेज, बालाघाट, मध्य प्रदेश, और (2) गर्भम (लक्ष्मी; श्रीकाकुलम, आन्ध्र प्रदेश।

(ग) इन खानों से मैंगनीज अयस्क का उत्पादन निम्न प्रकार से था :—

कटनझिरि खान :	1968 में 96 मेट्रिक टन (1 जुलाई 1968 से बन्द कर दिया गया है)।
गर्भम (लक्ष्मी) खान :	1964 में 509 मैट्रिक टन (1 जनवरी 1965 से बन्द कर दी गई है और 1964 के पश्चात से कोई उत्पादन सूचित नहीं किया गया है)।

(घ) कटनझिरि खान का पट्टा 6 अप्रैल, 1966 को स्वीकृत किया गया था और वह 3 अक्तूबर, 1966 से चालू हुआ। गर्भम (लक्ष्मी) खान का पट्टा 15 मार्च, 1956।

अमरीकी औषधि निर्माण फर्मों द्वारा भारत को देय प्रतिकर

9273. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री 7 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5394 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधि बनाने वाली कुछ अमरीकी फर्मों द्वारा, जिन्होंने वर्ष 1958 से 1968 तक की अवधि में भारत को बहुत अधिक मूल्य पर टेट्रासाइक्लीन उत्पाद बेचे हैं, कमाये गये कथित 9 करोड़ रुपये के मुनाफे के बारे में इस बीच जांच कर ली गई है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में प्रतिकर मांगने का है जैसा कि अमरीका में खरीदारों ने किया है तथा प्रतिकर लिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी हां, जांचों के परिणाम की अभी प्रतीक्षा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Sale of Used Tea

9274. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that some tea manufacturers sell used tea after dipping it in goat blood and drying it ;

(b) if so, the number of such tea manufacturers as have so far been arrested and the details of punishment awarded to each during the last three years ; and

(c) the action being taken by Government to check such activities in future ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

बेलाडिला लोह आयस्क परियोजना

9275. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान** तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेलाडिला लोह-आयस्क परियोजना की स्थापना से अब तक उसके विभिन्न जनरल मैनेजरों के नाम क्या हैं ; और

(ख) जनरल मैनेजरों को बार-बार बदलने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). बेलाडिला लोह आयस्क प्रायोजना के जनरल मैनेजर के पद पर निम्नलिखित अधिकारियों ने कार्य किया है :—

(1) श्री के० सी० पाठक —7 मार्च 1963 से 14 जुलाई, 1965 तक ।

(2) श्री जे० जी० कुमारामंगलम् —15 जुलाई 1965 से 11 अगस्त, 1967 तक।

(3) श्री के० एल० सहगल —8 नवम्बर, 1967 से 4 अप्रैल, 1969 तक (12 अगस्त, 1967 से 7 नवम्बर, 1967 तक वह विशेष कार्य अधिकारी थे)।

(4) श्री डी० आर० भारद्वाज —5 अप्रैल, 1969 से (नियुक्ति जारी है)

एक जनरल मैनेजर के बाद दूसरे जनरल मैनेजर की नियुक्ति सम्बन्धी कारणों को ज्ञात कर यह स्पष्ट होगा कि जनरल मैनेजरों की तबदीली निरर्थक रूप में बारम्बार नहीं की गई।

(1) श्री पाठक 15 जुलाई 1965 से सेवा निवृति से पूर्व की छुट्टी पर चले गये अतः दूसरी नियुक्ति करना आवश्यक थी।

(2) श्री जे० जी० कुमारामंगलम् को प्रबन्ध निदेशक, नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के रूप में पदोन्नति होने पर बदलना पड़ा था क्योंकि उस समय राष्ट्रीय खनिज विकास निगम में समान पद उपलब्ध न था।

(3) श्री के० एल० सहगल 5 अप्रैल, 1969 से 43 दिन की अर्जित छुट्टी पर चले गये अतः स्थानापन्न नियुक्ति करनी पड़ी थी।

मदुरै में जठर आंत्र शोथ से मौतें

9276. **श्री बेणी शंकर शर्मा:** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च-अप्रैल, 1969 में मदुरै जिले के कुछ भागों में जठर-आंत्र शोथ के महामारी के रूप में फैल जाने के परिणामस्वरूप वहां चालीस व्यक्तियों की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) पहली मार्च से 26 अप्रेल, 1969 तक जठर-आंत्र शोथ। हैजा से 173 व्यक्तियों के पीड़ित होने की खबर मिली है जिनमें से 28 की मृत्यु हो गई थी।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) इस रोग के फैलाव को रोकने के लिए निम्नलिखित हैजा विरोधी उपाय बरते गए हैं :—

(1) हैजा-निरोधी टीका लगाने का अभियान ;

(2) क्लोरीनीकृत जल पूर्ति ;

(3) संक्रमित स्थलों का विसंक्रमण ; तथा

(4) सफाई की सुव्यवस्था ।

बड़े सिंचाई कार्यों में बैंकों द्वारा धन लगाया जाना

9277. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों को बड़ी परियोजना कार्य में बड़ी मात्रा में धन लगाने के लिये कहा गया है ;

(ख) यदि हां तो इस बारे में किन बैंकों ने अनुकूल प्रतिक्रिया दिखाई है ; और

(ग) इस मामले में अन्य बैंकों को सहमत करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

Unauthorised Colonies in Delhi

9278. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of such colonies in Delhi as have been approved either by the Delhi Municipal Corporation or by the Delhi Development Authority but permission for construction of houses in which has not been given ;

(b) whether it is a fact that 19 such colonies, which were previously under the Delhi Municipal Corporation, have now been transferred to the Delhi Development Authority :

(c) if so, the date on which these colonies had been transferred to the Delhi Development authority ;

(d) whether it is a fact that although these colonies had been transferred to Delhi Development Authority about four months back, the files pertaining to those colonies have not been sent to the Delhi Development Authority ; and

(e) the time by which those files will be sent to the Delhi Development Authority, and permission given for the construction of houses in those colonies ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (e). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Morarka Committee's Report on L. I. C.

9279. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have received the recommendations of the Morarka Committee appointed to look into the question of reducing the expenses of the Life Insurance Corporation ;

(b) if so, the main recommendations thereof ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (c). Yes, Sir. The report was received by Government on 30th April, 1969. The report runs into more than 1100 pages. Arrangements are being made to get the report printed. A few cyclostyled copies are being placed in Parliament Library. Copies of the summary of the main conclusions and recommendations contained in the report are, however, being laid on the Table of the House today. The report is under consideration of Government.

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के आपरेशन थियेटर उपकरणों का गोलमाल

9280. **श्री दे० अमात** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि कुछ समय पूर्व अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के प्रमुख आपरेशन थियेटर के हजारों रुपयों के मूल्य के आयातित उपकरणों और शल्य-चिकित्सा सम्बन्धी वस्तुओं के स्थान पर स्थानीय बाजार से पुराने उपकरण खरीद कर रख दिये गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस गोलमाल में वरिष्ठ डाक्टरों तथा वरिष्ठ कर्मचारियों का हाथ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब०सू० मूर्ति) : (क) से (ग). 1963 में 6,000 रुपये से अधिक के साज-सामान एवं उपकरणों की हानि हुई थी लेकिन उनके स्थान पर कोई अन्य सामान या उपकरण नहीं रखा गया था। इस हानि की सूचना पुलिस को दे दी गई थी किन्तु पुलिस की जांच का कोई फल नहीं निकला। इस हानि के लिये प्रोफेसर इंचार्ज को ही प्रचलित रूप से उत्तरदायी ठहराया गया किन्तु उनको कोई दण्ड नहीं दिया गया। तीन परा-चिकित्सा कर्मचारियों के विरुद्ध लापरवाही के लिए विभागीय कार्यवाही की गई।

Fertilizer Plant in Maharashtra

9281. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to set up a Fertilizer Factory in Private Sector by utilising Kolsa near Kamptee in Nagpur Division of Maharashtra ; and

(b) if so, ths details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b). M/s. Oriental Coal Company Ltd. (Karam Chand Thapar Group) have submitted a proposal for establishing a coal-based fertilizer plant at Kamptee near Nagpur (Maharashtra). The proposal envisages production of 5,00,000 tonnes/year of urea. The estimated capital outlay is of the order of Rs. 55.00 crores including a foreign exchange component of Rs. 19.00 crores.

The proposal is under consideration.

Rate of Interest Charged by Banks

9282. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian Banks' Association has recently amended the rules relating to deposits so as to increase the rates of bank interest in the rural areas with a population of less than ten thousand ; and

(b) if so, the revised rates of interest ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) It is reported that the Indian Banks' Association have been considering a proposal to allow banks to pay $\frac{1}{2}$ per cent per annum higer than the rates in the agreement on savings accounts of residents in rural areas with a population not exceeding 10,000. However, no final decision in this respect has yet been taken.

(b) Does not arise.

भारतीय तेल एजेंसियां तथा पैट्रोल पम्प देने के बारे में कसौटी

9283. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारतीय तेल एजेन्सियां और पैट्रोल की एजेंसियां देने के बारे क्या कसौटी निर्धारित की गई है ;

(ख) क्या ये कसौटिया भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं ; और

(ग) इस पर कितना धन व्यय करने की आवश्यकता होगी और विशेषकर मध्य प्रदेश में एक पैट्रोल पम्प बनाने में निर्माताओं को कितना समय लगेगा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० चव्हाण) : (क) मिट्टी के तेल के व्यौपारियों का चयन निम्न तथ्यों के आधार पर किया जाता है :—

(1) पार्टी की वित्तीय स्थिरता ;

(2) व्यापार में प्रतिष्ठा तथा बाजार में ख्याति ;

(3) सम्बद्ध व्योपारों में अनुभव ;

(4) उपबन्ध सुविधाएं-गोदाम, दुकान और बैरलज आदि उपयुक्त सहकारी संस्थाओं को तरजीह दी जाती है ;

प्राईवेट पार्टियों में सारी बातें बराबर होते हुए, उन पार्टियों को तरजीह दी जाती है जिन्हें तेल-व्यापार का अनुभव होता है ।

व्यापारी-स्वामित्व और व्यापारी-परिचालित फुटकर पम्पों के बारे में, व्यापारी का अपना स्थान होता है और वह उसे विकसित करता है, तथा निगम के डिजाइन के अनुसार अपनी लागत पर विक्रय कक्ष और मोटरों आदि के आने जाने के मार्ग का निर्माण करता है ।

मैट्रोपोलिटन नगरों और अन्य बड़े शहरों में, जहां पर व्यापार का जमाव होता है, कारपोरेशन अपनी लागत से फुटकर पम्पों को लगाती है और व्यापारियों को नियुक्त करती है,

जो मासिक लाइसेंस फीस की आयगी पर इन्हें चलाते हैं। कारपोरेशन के निजी स्थानों (केन्द्रों) के लिए व्यापारियों के चुनाव की कसौटी निम्न प्रकार है :—

(1) उम्मीदवार केन्द्र का स्वयं परिचालन करे।

(2) उम्मीदवार अधिमान तौर पर एक फ्लीट आप्रेटर स्वामी या फ्लीट आप्रेटरज आदि से सम्बन्धित हो।

(3) उम्मीदवार की आर्थिक-व्यवस्था सुदृढ़ हो।

(4) उम्मीदवार की मार्किट में खूब ख्याति हो।

(5) उम्मीदवार का सम्बद्ध व्यापारों में अनुभव हो।

अन्य बातों के बराबर होते हुए, कारपोरेशन उपयुक्त सहकारी संस्थाओं और भूतपूर्व सैनिकों को तरजीह देती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) व्यापारी-स्वामित्व और व्यापारी-परिचालित (फुटकर) पम्पों के बारे में, व्यापारी का निवेश 35,000/- रुपये से 50,000/-रुपये तक होता है। निगम-स्वामित्व और व्यापारी-परिचालित फुजकर पम्पों के सम्बन्ध में, व्यापारी का निवेश केवल कार्य-पूंजी तक सीमित होता है और धनराशि पम्प की स्थिति तथा उस क्षेत्र में स्पर्धा परिस्थितियों पर निर्भर होती है।

एक फुटकर पम्प के प्रतिष्ठापन के लिए क्लकटर, सार्वजनिक निर्माण विभाग और विस्फोट आदि निरीक्षक जैसे विभिन्न प्राधिकारियों से अनापति पत्र प्राप्त करना पड़ता है। सारे सम्बद्ध प्राधिकारियों से स्वीकृति मिलने पर ही निर्माण-कार्य शुरू होता है। सारी आवश्यक स्वीकृतियों की प्राप्ति, निर्माण कार्य की पूर्ति और फुटकर पम्प के चालन में सामान्यतः लगभग एक वर्ष लग जाता है। मध्य प्रदेश को शामिल करते हुए समस्त देश में एक जैसा ही समय लगता है।

मध्य प्रदेश में आदिवासियों में कुपोषण को दूर करने की योजना

9284. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुपोषण से पीड़ित बच्चों की खुराक की पूर्ति के लिये विशेष रूप से मध्य प्रदेश में आदिवासियों के मामले में, यदि जब तक कोई योजना तैयार की गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) यदि ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की गई तो इसके क्या करण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का अब ऐसी कोई योजना तैयार करने का विचार है और यदि हां, तो वह योजना कब तक तैयार हो जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) निम्नलिखित कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों, गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक आहार दिया जाता है।

(1) प्रसूति एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अन्य स्वास्थ्य एजेन्सियों के माध्यम से चलाये

जा रहे सपरेटा आहार कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के सभी आदिवासी क्षेत्रों में सपरेटा दूध का वितरण किया जाता है।

(2) व्यवहारिक पोषण आहार कार्यक्रम के अन्तर्गत इस राज्य के 16 आदिवासी ब्लाक आते हैं।

(ग) राज्य के 117 आदिवासी खण्डों के सभी प्राथमिक पाठशालाओं में मध्यान्ह स्कूल भोजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में पार्कों और खेल के मैदानों का विकास

9285. **श्री बलराज मधोक** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में सेक्टर वार कुल कितने पार्क और खेल के मैदान हैं ;

(ख) उनमें अब तक कितने पार्क और खेल के मैदानों का विकास किया जा चुका है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) वांछित सूचना निम्नलिखित में दी जाती है :—

सैक्टर का नाम	पार्क	खेल के मैदान	टिप्पणी
i	कुछ नहीं	—	—
ii	1	—	—
iii	3	—	—
iv	1	—	—
v	2	1	दो बड़े पार्कों का खेल के मैदानों के रूप में प्रयोग हो रहा है।
vi	2		—
vii	3	4	एक बड़े पार्क का खेल के मैदान के रूप में प्रयोग हो रहा है।
viii	3	1	दो बड़े पार्कों का खेल के मैदानों के रूप में प्रयोग हो रहा है।
ix	4	—	— वही—
xii	4	1	वही—
xiii	1		
	24	7	

(ख) सभी 24 पार्कों का विकास हो चुका है जिनमें 9 बड़े आकार के पार्क शामिल हैं जिन्हें खेल के मैदानों के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।

(ग) सात खेल के मैदानों का विकास नहीं किया गया है क्योंकि उन्हें दिल्ली नगर निगम का विकास करने के लिये सौंपने का प्रस्ताव है।

रामकृष्णपुरम नई दिल्ली में पीने के पानी की सप्लाई

9286. **श्री बलराज मधोक :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामकृष्णपुरम नई दिल्ली के विभिन्न सैक्टरों में पीने के पानी की सप्लाई की स्थिति क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ सैक्टरों में पानी अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक समय तक आता है तथा नई दिल्ली नगर-पालिका के निकटतम क्षेत्रों में इनसे भी पानी आता है,;

(ग) यदि हां, तो एक ही बस्ती में पानी की इस कम ज्यादा सप्लाई के क्या कारण हैं ; और

(घ) जनता की इस आवश्यकता को पूरा करने के बारे में इस प्रकार के भेदभाव को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) पेय-जल की सप्लाई की स्थिति निम्न प्रकार है :—

सैक्टर I से VII	— दो घण्टे प्रातः और दो घण्टे सायंकाल में।
सैक्टर VIII	— एक घण्टा प्रातः और एक घण्टा सायं को।
सैक्टर IX और XII	— 45 मिनिट प्रातः, 30 मिनिट बाद दोपहर को और 45 मिनिट सायं को।
सैक्टर XIII	— 3 घण्टे प्रातः और 3 घण्टे सायं को।
सैक्टर X	— का अभी विकास किया जाना है तथा
सैक्टर XI	— में अभी कोई रिहायशी स्थान नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) स्थानीय निकायों के मेंस में जहां से पानी सप्लाई किया जाता है, दबाव में अन्तर के कारण विभिन्नता है।

(घ) साउथ दिल्ली क्षेत्रों में पानी के सप्लाई की स्थिति में सुधार की दृष्टि से, दिल्ली नगर निगम ने कैलाश रिजरवायर स्कीम के नाम से एक योजना बनाई है, जिसके अगले 2—3 वर्षों में पूरे हो जाने की आशा है। आशा है, कि योजना के पूरे हो जाने पर स्थिति में सुधार होगा।

दिल्ली की वृहद योजना के अन्तर्गत बाग कड़े खां क्षेत्र

9287. **श्री प० मु० सईद :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वृहद् योजना में बाग कड़े खां क्षेत्र की स्थिति क्या है ;

(ख) क्या उसका विकास किया जायेगा ;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम, चमार बिल्डिंग के निकट खाली पड़े हुए प्लाट में, जिसे उस क्षेत्र के लोगों ने कूड़ा-करकट फेंकने का स्थान बना रखा है, एक छोटा-सा पार्क बनाना चाहता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) क्षेत्र रिहायशी प्रयोग के लिये उद्दिष्ट है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) दिल्ली नगर निगम द्वारा इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गुजरात में तेल निकाला जाना

9288. **श्री रा० की० अमीन :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने गुजरात में तेल निकालने सम्बन्धी पूरे आंकड़ों को घोषित न करने की नीति अपनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं, व्यवधान तथा उत्पादन में आयोग की सफलताओं का प्रैस, सम्मेलनों तथा हाउस पत्रिकाओं के माध्यम से उचित प्रचार करने के कदम उठाये जाते हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Allotment of Land to Mills in Rural Areas of Delhi

9289. **Shri Deven Sen :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to provide land outside Delhi at cheap rates in rural areas to some big mills ;

(b) whether it is also a fact that the inhabitants of these areas have protested against such a proposal and they have complained of health hazards if mills are located there ;

(c) whether it is also a fact that rural area of Delhi has not been declared industrial area in Delhi's Master Plan ; and

(d) if so, the basis for such a step by Government ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes, Sir. In the case of one such Mill, the Delhi Development Authority is considering a proposal for allotment of alternative site in Narela area. No special benefit of cheaper rates is to be given. If the proposal is accepted, land will be allotted to the Mill only on reserve or commercial rate, as the case may be, in the same manner as is being done in the case of other non-conforming units.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d). In the Master Plan for Delhi, most of the areas earmarked for industrial vse, were located in the rural areas of Delhi, but now all these areas are covered by the urbanisation limi t of 1981.

Two-Roomed Quarters for Class IV Employees

9290. **Shri Arjun Singh Bhadoria :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government had agreed to provide a rack for keeping luggage, etc., in the rooms of the quarters of Class IV employees in Kasturba Nagar, New Delhi as also to provide bricks in the courtyard of the said quarters but the said work has not so far been completed ;

(b) whether Government propose to construct two-roomed quarters for the Class IV employees so that it is convenient for their families ;

(c) whether it is a fact the then Prime Minister-late Jawahar Lal Nehru, had given an assurance to the said employees that two-roomed quarters would be provided to them ;

(d) if so, the time by which the said assurance is likely to be implemented ; and

(e) if it is not likely to be implemented, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : No, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) During the inspection of Ramakrishnapuram in November, 1963, the then Prime Minister Pandit Jawahar Lal Nehru directed that one-roomed tenements should not be built.

(d) and (e). 720 two-roomed houses for class IV employees have already been built in the D. I. Z. area and sanction for construction of 64 two-roomed houses for class IV employees in this area has since been accorded. The policy of Government now is not to build less than two-roomed houses.

केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों में औषधियां

9291. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों में रोगियों को दी जाने वाली औषधियां प्रायः घटिया किस्म की होती हैं और उन पर लेबल भी नहीं लगा रहता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि रोगी के पद के अनुसार इन औषधालयों में औषधियां लिखी जाती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली औषधियों की सूची विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा तैयार की जाती है । जिन फर्मों से दवाइयां मंगाई जाती हैं उनकी सूची एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा तयार की जाती है जिसमें पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, तकनीकी विकास महानिदेशालय, सशस्त्र सेवा चिकित्सा सेवा के महानिदेशालय तथा स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशालय प्रतिनिधि होते हैं । इस कार्यप्रणाली से औषधियों के गुणों का स्तर सुनिश्चित किया जाता है ।

केंद्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालयों में अब मिक्सचरों और लोशनों आदि पर लगाने के लिए छपे हुए लेवल उपलब्ध है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालयों से दवाइयों की चोरी

9292. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारियों के सहयोग से केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालयों से कीमती भेषजों और दवाइयों की बड़े पैमाने पर चोरी की जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस चोरी को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) (क) केंद्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालयों से वहां के कर्मचारियों द्वारा की गई दवाइयों की छोटी मोटी चोरियों के कुछ मामले ध्यान में आए हैं ।

(ख) केंद्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालयों से औषधियों की छुट-पुट चोरियों को रोकने के के लिये निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) मेडिकल अफसर इन्चार्ज द्वारा नियमित रूप से जांच करने की व्यवस्था की गई है जिससे यह सुनिश्चित हो जाय कि वास्तव में औषधियों का हिसाब-किताब निर्धारित विस्तृत कार्यप्रणाली के अनुसार ही रखा जा रहा है ।

(2) मैडिकल स्टोर डिपो (सी० जी० एच० एस०) में स्टाक परीक्षकों द्वारा औषधालयों के स्टाकों की आकस्मिक जांच की जाती है ।

(3) औषधालयों में औषधियों के दुर्विनियोग सम्बन्धी औपचारिक या अनौपचारिक रूप

से प्राप्त सूचनाओं के अनुवर्तन के लिए एस० पी० ई० से सम्पर्क स्थापित करने की व्यवस्था की गई है ।

(4) जहाँ कहीं आवश्यक हो मामलों को दिल्ली पुलिस की दण्डिक शाखा के सुपुर्द भी कर दिया जाता है ।

(5) केंद्रीय स्वास्थ्य योजना निदेशालय के अधिकारियों द्वारा भी आकस्मिक जांच की जाती है ।

केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों तथा कम्पाउण्डरों के विरुद्ध शिकायतें

9293. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालय के डाक्टरों और कम्पाउंडरों द्वारा की जाने वाली उपेक्षा, उदासीनता और अभद्र व्यवहार के बारे में रोगियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या सरकार ने सच्चाई का या उन शिकायतों का पता लगाने के लिये प्रयास किया है ; और

(ग) यदि हां, तो केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों और कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 1968 में केंद्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालयों में कुल 73 लाख रोगी उपचार हेतु आये किन्तु वहां के डाक्टरों तथा स्टाफ के विरुद्ध केवल 103 शिकायतें ही प्राप्त हुई । इसका अभिप्राय यह हुआ कि प्रति लाख उपस्थित-रोगियों के पीछे 1.42 शिकायतें मिलीं ।

(ख) और (ग). शिकायतें मिलने पर तथ्यों का पता लगाने के लिये जाँच करवाई की जाती है । जहां कहीं आवश्यक हो, अनुशासनिक कार्यवाही तथा समुचित निरोधी उपाय बरते जाते हैं ।

Scheme to Discourage Smoking Habit

9294. **Shri Sheopujan Shastri** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the News item 'Tambakh Ka Prayog Hanikarak' (use of Tabacco harmful) published in the Nav Bharat Times of 21st April, 1969 ; and

(b) if so, whether Government have prepared any scheme to discourage the increasing habit of smoking ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) In the Nav Bharat Times of 21st April, 1969 there is no news item with the caption "Tambakhu Ka Prayog Hanikarak." But Government are aware of the harmful effects of tobacco smoking and chewing.

(b) Government publicises the harmful effects of the use of tobacco as a part of its

health Education activities. Most State Governments have imposed a ban on smoking in Cinema houses, theatre halls and auditoria. Legal provisions have also been made against Juvenile Smoking in some of the States.

पश्चिमी बंगाल में गांवों में बिजली लगाना

9295. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कितने गांवों में बिजली लगाई गई है ;

(ख) उसका अनुपात क्या है ;

(ग) इसमें से कितनी बिजली का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जायेगा ;

(घ) अन्य राज्यों के आंकड़ों की तुलना में ये आंकड़े कैसे हैं ; और

(ङ) और अधिक प्रगति करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अभी तक पश्चिम बंगाल में 2433 प्रान्तों में बिजली लगाई गई है।

(ख) पश्चिम बंगाल में कुल ग्रामों का लगभग 6.3%

(ग) सिंचाई उद्देश्यों के लिये लगभग 2.9%

(घ) पश्चिम बंगाल में बिजली-प्राप्त ग्रामों की संख्या इन राज्यों से अधिक है : असम (1%) मध्य प्रदेश (2.9%), नागालैंड (3.2%), उड़ीसा (1.7%) और राजस्थान (5.5%). किन्तु इन राज्यों से कम हैं : आंध्र प्रदेश(17.6%) बिहार(8.4%), गुजरात (15.6%), हरियाणा (22.1%) जम्मू व काश्मीर (10.3%), केरल (71.3%), महाराष्ट्र (24.1%), मैसूर (22.2%), पंजाब (35.5), तमिल नाडु 60.5%) और उत्तर प्रदेश (11.0%)।

(ङ). ग्राम विद्युतीकरण पर संसद सदस्यों की एक समिति स्थापित की गई है जिसका काम पश्चिम बंगाल समेत 9 राज्यों में, जहाँ ग्राम विद्युतीकरण सम्बन्धी प्रगति अखिल भारतीय प्रगति से कम है, ग्राम विद्युतीकरण और पम्पों के ऊर्जन की वर्तमान प्रगति का पुनरवलोकन करना और ये सुझाव देने हैं कि इन 9 राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति में, 2000 तथा इससे अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों में बिजली लगाने और पम्पों/नलकूपों को ऊर्जित करने के विशेष सन्दर्भ में, कैसे तेजी लाई जा सकती है। इस समिति का काम यह भी होगा कि वह ग्राम विद्युतीकरण की इस द्रुत गति के लिये संसाधनों को ढूंढ़ने के मार्गोपाय भी बताएं। समिति ने अपने अन्तरिम सुझाव प्रस्तुत कर दिये हैं, और चौथी योजना को अन्तिम रूप देने के पश्चात राज्यवार ब्यौरा का अध्ययन करने का विचार रखती है।

पेट्रोल कैमिकल्स कार्यक्रम

9296: **श्री क०प्र० सिंह देव** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'सिंथेटिक फाइबर' का उत्पादन बढ़ाने के पेट्रो-कैमिकल कार्यक्रम को

अन्तिम रूप दिया है और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ नये रसायन उत्पाद बनाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो नये कार्यक्रम में क्या विकास काय करने का विचार है ; और

(ग) कार्यक्रम की क्रियान्विति के क्या परिणाम निकलेंगे ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क और (ख) इस मंत्रालय का केवल कौशिकाहीन संश्लिष्ट तन्तु (नान-सैलूलोसिज सन्थिटिक फाइबरज) से सम्बन्ध है । संश्लिष्ट तन्तुओं और अन्य पैट्रो-रसायनों के उत्पादन में वृद्धि का कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) के प्रारूप में शामिल किया गया है ।

(ग) यह प्रारूप योजना में कार्यक्रम के अन्तिम रूप में अनुमोदन पर ही निर्भर करेगा ।

दिल्ली में अनधिकृत बस्तियां

9297. **श्री बाल्मीकि चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** 16 अप्रैल, 1969 के वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा नियमित की गई 103 अनधिकृत बस्तियों के क्या नाम हैं ;

(ख) यमुना पार स्थित ऐसी अनधिकृत बस्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें अब तक नियमित नहीं किया गया है ;

(ग) क्या इस बात का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है कि बस्तियों को नियमित करने से पूर्व इन बस्तियों के मालिक और प्लाट होल्डर विकास सम्बन्धी खर्चे और अन्य शर्तें पूरी करने के लिये तैयार हैं ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उन बस्तियों को नियमित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जिन कालोनियों को (सड़कों तथा अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए आवश्यक भूमि आदि का उर्जन, विकास-प्रभारों की वसूली आदि जैसी कुछ शर्तों पर) नियमित कर दिया गया है, उनके नाम अनुलग्नक में दिये गये हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या** एल० टी० 1112/69]

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायगी ।

(ग) कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । तथापि अनधिकृत कालोनियों की कल्याण समितियों द्वारा दिये गए अभ्यावेदनों में यह कहा गया है कि वे विकास-प्रभारों को देने के लिए तैयार हैं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ). विकास-प्रभारों की आदायगी तथा इस बारे में ये विनिश्चित शर्तों को पूरा करने पर ही केवल कालोनियों को नियमित किया जायगा ।

यमुना नदी में बाढ़ों को रोकने के लिए उपाय

9298. **श्री बलराज मधोक** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक वर्ष दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में यमुना नदी की बाढ़ से जन और सम्पत्ति की भारी हानि होती है ।

(ख) क्या यह भी सच है कि यमुना में जब बाढ़ आती है तो नजफगढ़ नाले में अधिक पानी आ जाने से पश्चिम दिल्ली की बस्तियों पर विशेष रूप से बुरा प्रभाव पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो आगामी मानसून के मौसम में ऐसा न हो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) दिल्ली में बाढ़ों द्वारा मुख्य रूप से इसलिए हानि होती है कि यमुना के दोनों किनारों के निम्नस्तरीय क्षेत्र पानी में डूब जाते हैं ।

(ख) चूंकि नजफगढ़ नाला की क्षमता काफी बढ़ा दी गई है, पश्चिमी बस्तियों पर अब ज्यादा असर नहीं पड़ना चाहिये ।

(ग) आनुषांगिक नालों समेत मंगेशपुर, नंगलोई, करारी सुलेमान नगर और मदनपुर नालों की क्षमता को बड़ा देने से दिल्ली तथा सहवर्ती क्षेत्रों की जल-निकास प्रणाली काफी सुधर गई है। इसी प्रकार नाला नं 6 और बवाना एस्केप का, उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए पुर्नरूपण कर दिया गया है और वहाँ पर्याप्त रूप से सुरक्षित तट बना दिए गए हैं । इन कार्यों के पूर्ण होने से आगामी मानसून में निकास अवरोध और बाढ़ क्षति के काफी हद तक कम हो जाने की आशा है ।

इसके अतिरिक्त वजीराबाद से बवाना एस्केप तक बाढ़ तत्संबंध का निर्माण भी दीर्घकालीन उपाय के रूप में परिकल्पित हैं । विशेष-कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पड़ने वाले ग्रामों में रहने वाले लोगों को बाढ़ की पूर्वचेतावनी देने में बाढ़ पूर्व सूचना कार्य भी लाभदायक सिद्ध हुआ है ।

श्री एन० एस० पारदासानी, सचिव	सदस्य
सिंचाई व बिजली विभाग, महाराष्ट्र, बम्बई	(अंशकालिक)
श्री के० एस० एस० मूर्ति, विशेष कार्य-अधिकारी, सिंचाई व बिजली मंत्रालय	सचिव

2. इस आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :

(1) भारत में 1903 से जब पिछले सिंचाई आयोग ने अपनी सिफारिशें पेश की थीं, लेकर अब तक सिंचाई के विकास का पुनरवलोकन करना और भूमि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिये और वृष्टि की अंशदान पर रिपोर्ट देना ।

(2) उन क्षेत्रों में उपलब्ध सिंचाई सुविधाक्षों को विस्तारपूर्वक जांच करना, जो हमेशा सूखाग्रस्त रहते हैं और जहां खाद्यान्न की कमी रहती है, और यह सुझाना कि

वहां पर कौन-से अत्यावश्यक तथा न्यूनतम सिंचाई कार्यों को तुरन्त ही हाथ में लिया जाए ।

(3) अनाज में आत्मनिर्भरता लाने के लिये और अन्य फसलों की उपज को अधिकतम करने के लिये सभी किस्मों की सिंचाई के विकास की मोटी रूप-रेखा तैयार करना तथा इस उद्देश्य के लिये अपेक्षित धन का मोटा अनुमान लगाना ।

(4) बृहत् सिंचाई परियोजनाओं में पानी की सप्लाई की पर्याप्तता की जांच करना ।

(5) परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने और उनकी तैयारी की अवधि को कम करने के विशेष उद्देश्य से, सिंचाई कार्यों के आयोजन, कार्यान्वियन और प्रचालन के लिये प्रशासनिक तथा संगठनात्मक प्रणाली की जांच करना ।

(6) सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकार करने के लिए मानदण्ड सुझाना ।

(7) देश में सिंचाई के विकास से सम्बन्धित अथवा किसी अन्य प्रासंगिक विषय पर विचार करना और उपयुक्त सुझाव देना ।

2. इस आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

4. आयोग अपनी सिफारिशें यथाव्यवहार्य शीघ्र, परन्तु दो वर्षों के भीतर अवश्य ही, प्रस्तुत करेगा । यदि आयोग उचित समझें, तो वह किसी/किन्हीं विशिष्ट समस्या/समस्याओं पर अन्तरिम रिपोर्ट/रिपोर्टें प्रस्तुत कर सकता है ।

5. आयोग अपनी कार्यप्रणाली स्वयं बनायेगा । जिस प्रकार आयोग आवश्यक समझे, वह उसी प्रकार जानकारी मंगा सकता है और साक्ष्य ले सकता है । आयोग भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से जो भी जानकारी और कागजात और सहायता चाहेगा, वे उसे देंगे ।

6. भारत सरकार को यह विश्वास है कि राज्य सरकारें/संघीय प्रदेश के प्रशासन इस आयोग को अपना पूरा सहयोग देंगे और उसकी पूरी-पूरी सहायता करेंगे ।

ह० (के० पी० मन्थानी)
सचिव, भारत सरकार

सं० वि० क० दो-28 (52)/67 दिनांक 1 अप्रैल, 1969
11 चैत्र, 1891 (शक)

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र, भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशित किया जाए ।

यह आदेश भी दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों/संघीय प्रदेशों को भेज दी जाएं ।

ह० (के० पी० मन्थानी)
सचिव, भारत सरकार

नेफा का खनिज सर्वेक्षण

9299. **श्री बलराज मधोक :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा क्षेत्र का कोई खनिज सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वहां पर कौन-कौन से खनिज मिले हैं; और

(ग) उनको निकालने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग). भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा किये गये अन्वेषणों द्वारा पता चला है कि तांबे, कोबाल्ट तथा निकल युक्त सल्फाइड, लोहअयस्क, ग्रैफाइट, चूनापत्थर, डोलोमाइट, फास्फेट तथा कोयला खनिज वहाँ मौजूद हैं। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा विस्तृत खनिज अन्वेषण प्रगति पर है। आर्थिक दृष्टि से कार्ययोग्य निक्षेपों का पता लग जाने के उपरान्त ही उनके उपयोग के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

दिल्ली में झुग्गी निवासियों का बसाया जाना

9300. **श्री बलराज मधोक :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी तथा रेलवे भूमि से झुग्गियों को क्रमबद्ध तरीके से हटाने के लिए और ऐसे झुग्गी निवासियों को चयन किये गये विकसित भूमि पर स्थायी रूप से बसाने के लिये दिल्ली के उप-राज्यपाल ने दिल्ली की जनता के प्रतिनिधियों के साथ विचारविमर्श करके कुछ समय पूर्व कोई ब्यौरेवार कार्यक्रम बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो उसको क्रियान्वित करने के लिए अब तक कितनी प्रगति की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) कुछ क्षेत्रों की सफाई के लिए उप-राज्यपाल द्वारा एक व्यापक कार्यक्रम बनाया गया था।

(ख) अनारकोठी शाहदरा चौक, निजामुद्दीन तथा आर० के० पुरम के रिहायशी वाणिज्यिक अनधिवासियों के छोटे स्थानों के अतिरिक्त दो बड़े क्षेत्रों (तिलक ब्रिज तथा प्रसाद नगर) की सफाई की जा चुकी है।

दिल्ली में चतुर्थ श्रेणी के सरकारी क्वार्टरों के एलाटियों द्वारा शाक वाटिका लगाना

9301. **श्री कृ० म० कौशिक :**
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्माण और आवास विभाग ने दिल्ली में चौथी श्रेणी के

सरकारी कर्मचारियों को नोटिस दिये हैं कि वे अपने क्वार्टर के निकट का वह क्षेत्र खाली कर दें जिसे वे शाकवाटिका आदि के रूप में प्रयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि भूतपूर्व, दिवंगत प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने नागरिकों से अपील की थी कि अपने निवास की निकट की भूमि का प्रयोग, शाकवाटिका के लिये करें ताकि देश में खाद्यान्नों शाक-सब्जी के उत्पादन में वृद्धि हो सके; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उन व्यक्तियों को, जो अपने क्वार्टर के निकट की भूमि का प्रयोग शाकवाटिका जैसे बहुत अच्छे प्रयोजन के लिये कर रहे हैं, उन्हें न केवल इस कार्य की अनुमति देगी बल्कि इन व्यक्तियों को इसके लिए प्रोत्साहन देगी और उनको दिये गये नोटिस वापिस ले लेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). मौके पर की गई पूछताछ से पता चला है कि कस्तूरबा-नगर में टाईप-I क्वार्टरों के कुछ आवंटियों ने अपने क्वार्टरों के आसपास की सरकारी भूमि पर अनधिकृत निर्माण कर लिया है और ऐसे अनधिकृत निर्माण से रुकावट हो रही है और कालोनी में अस्वास्थ्यकर परिस्थितियां पैदा हो गई है। अतएव उन्हें, अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए, ऐसा न करने पर उनके आवंटन रद्द कर दिये जायेंगे।

(ग) और (घ). आवंटी उन्हें आवंटित निवास स्थानों के फोरस्क्वायर में सब्जियां आदि उगा सकते हैं, बशर्ते कि पौधों से सेवाओं में बाधा न हो। आवंटियों को पिछवाड़े में लगाये जाने वाले प्रस्तावित पौधों के बारे में क्षेत्र-प्रभारी उप-निदेशक उद्यान कृषि को सूचना देनी होती है। ऐसे पौधों के लिए रखी गई शर्तों के अनुसार, यदि पौधे ऊपरी मंजिल के फ्लैट के आवंटियों की सुविधा में रुकावट डालें तो उद्यान-कृषि विभाग मामले पर इस बात के लिए गौर करेगा कि ऊपरी मंजिल और निचली मंजिल के फ्लैट्स के आवंटी ऐसे पौधों के लिए सहमत हो जाये। ऐसे मामलों में, निदेशक उद्यान कृषि का निर्णय अन्तिम होगा। सरकारी वास के पिछले आंगन में शाक-वाटिका आदि लगाने पर कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, बशर्ते कि अन्य शर्तें पूरी कर दी जाती है।

वेतन तथा लेखा अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

9302. **श्री निहाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा विभिन्न मंत्रालयों विभागों और अन्य कार्यालयों को प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये वेतन तथा लेखा अधिकारी उन स्थानों पर सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक कार्य नहीं कर सकते; और

(ग) उन अधिकारियों की संख्या क्या है जिन्हें एक स्थान पर तीन वर्ष, पांच वर्ष और आठ वर्ष से अधिक हो गये हैं; और

(ग) प्रत्येक मामले में एक स्थान पर इतने अधिक समय तक कार्य करने की अनुमति देने के क्या कारण थे ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) निर्माण, आवास तथा पूर्ति, खाद्य तथा कृषि और पुनर्वास मंत्रालयों के वेतन तथा लेखा कार्यालयों में वेतन तथा लेखा अधिकारियों के पांच पद हैं। इनमें से दो पद तो नई दिल्ली में हैं तथा कलकत्ता, बम्बई, और मद्रास में एक-एक हैं। लेखा परीक्षा कार्य से लेखा कार्य को अलग रखने की योजना के अनुसार, ये पद 'भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा सेवा' के अधिकारियों द्वारा भरे जाते हैं। किस अवधि तक कोई अधिकारी इन पदों पर बना रह सकता है, इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख इस योजना में कहीं नहीं है।

(ख) और (ग). उन पदाधिकारियों की संख्या जो किसी एक स्थान पर :—

(1) तीन वर्ष से अधिक समय रहे हैं.....4

(2) पांच वर्ष से अधिक समय रहे हैं.....कुछ नहीं।

(3) आठ वर्ष से अधिक समय रहे हैं.....कुछ नहीं।

वेतन लेखा अधिकारियों की नियुक्तियां और स्थानान्तरण प्रशासनिक मामले हैं तथा वे सेवा की आवश्यकता के अनुसार किये जाते हैं।

Smuggling of Goods

9303. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the reasons for Government's failure to check smuggling of foreign goods into the country ;

(b) the number of smuggling cases detected at Calcutta, Madras and Bombay Ports during the last year ;

(c) whether cases of smuggling of foreign goods into the country have increased or decreased this year as compared to the previous years and the details in this regard in respect of the years 1967-68 and 1968-69, separately ; and

(d) the new steps proposed to be taken by Government to check this ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Government have not failed to check smuggling. Big seizures of smuggled good recently made only indicate that the steps taken by Government are bearing fruit.

(b) and (c). The information in this regard is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(d) Anti-smuggling measures are constantly being reviewed in the light of the experience gained. Measures so far taken and proposed to be taken include re-deployment of preventive staff, intensified arrangements for the collection of intelligence, more intense patrolling of the coastal areas, provision of fast sea-going crafts, setting up of more check-posts on our land border with Nepal and amendment of the Customs Act to provide additional powers to prevent smuggling.

मफत लाल उद्योग समूह को पालिस्टर प्लांट के लिये आशय पत्र जारी करना

9304. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालिस्टर प्लांट दिये जाने के बारे में उत्तर भारत की पूर्णत: उपेक्षा की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और क्या मफत लाल उद्योग समूह के पक्ष में कोई अन्य आशय पत्र जारी किये गये हैं;

(ग) क्या इस विशेष उद्योग समूह को पेट्रो रसायन उद्योग समूह में पूरा एकाधिकार है; और

(घ) यदि हां, तो उत्तर भारत के साथ भेदभाव करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). यह सही नहीं है, पोलिस्टर तन्तुओं के लिए सारे स्थगित प्रार्थना-पत्रों का लाइसेंस समिति के निदेशों के अनुसार मूल्यांकन किया जा रहा है और इस मंत्रालय की सिफारिशों को लाइसेंस समिति के सामने शीघ्र प्रस्तुत किया जायेगा। 30 दिसम्बर, 966 को होचैस्ट डाइज एण्ड केमीकल्स लि०, बम्बई को, जिसमें मफत लाल ग्रुप की काफी साझेदारी है, जारी किये गये एक आशय पत्र के सिवाये और कोई आशय पत्र मफत लाल ग्रुप को जारी नहीं किया गया। इसका भी सारे स्थगित प्रार्थना पत्रों के साथ लाइसेंस समिति के निदेशों के अनुसार मूल्यांकन किया जायेगा।

(ख) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्वर्णकारों को ऋण देने की योजना

9305. **श्री यशपाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब भी कोई ऐसी योजना है जिसके अन्तर्गत विस्थापित स्वर्णकारों को जीविका अर्जित करने हेतु नया कारोबार आरम्भ करने के लिए ऋण दिया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हाँ। स्वर्णकारों को अपेक्षाकृत अधिक उत्पादी व्यवसायों को अपनाने की दिशा में प्रोत्साहित करने की सरकारी नीति के अनुसरण में ऋण पेशगी सहित विभिन्न पुनर्वास सहायता योजनाओं को चालू रखा गया है हालांकि 14 कैरट शुद्धता के आभूषण बनाने का प्रतिबन्ध नवम्बर, 1966 में ही वापिस ले लिया गया था। विस्थापित स्वर्णकारों के लाभ के लिए ऋण योजना अपने मूल निबन्धनों एवं शर्तों के अनुरूप ही चालू रखी गई है बशर्ते कि स्वर्णकारों ने 31 मार्च, 1966 से पहले ऋणों के लिए आवेदन दिया हो।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वर्णकारों तथा स्वर्णकार सहकारी संस्थाओं को ऋण देने के प्रयोजनों के लिए राज्य संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अग्रिम पैसा देती है। इसके बाद पात्र विस्थापित स्वर्णकारों को लघु उद्योगों तथा व्यवसायों को अपनाने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार ऋण दिये जाते हैं। ऐसे ऋण उद्योग मंत्रालय द्वारा बनाई गई औद्योगिक सहकारी संस्थाओं की

सहायता योजना के अनुरूप स्वर्णकार सहकारी संस्थाओं को भी दिये जाते हैं। ये ऋण ब्याज की रियायती दरों पर मिलते हैं और इन्हें आसान किस्तों में वापिस किया जा सकता है।

विस्थापित स्वर्णकारों के लाभ के लिए इस ऋण योजना के अतिरिक्त शैक्षिक सहायता, खेतीबाड़ी से जीविका उपार्जन, रोजगार, दफ्तरों के माध्यम से वैकल्पिक रोजगार, तीन पहियों वाले स्कूटर रिक्शा के नियतन आदि जैसी अन्य पुनर्वास सहायता योजनाएं भी चालू हैं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

तीन वार्षिक योजनाओं में सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में विनयोजन के लक्ष्य

9306. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वार्षिक योजनाओं में सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में विनियोजन के पृथक-पृथक लक्ष्य क्या थे;

(ख) इन वार्षिक योजनाओं में दोनों क्षेत्रों में पृथक-पृथक वास्तव में कितना विनियोजन किया गया था;

(ग) उक्त अवधि में गैर-सरकारी क्षेत्र को कर देने से पहले और बाद में वास्तव में कितना लाभ हुआ; और

(घ) उक्त अवधि में सरकारी क्षेत्र में कितना लाभ अथवा हानि हुई ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 1966-68, 1967-68 और 1968-69 के वर्षों की तीन वार्षिक आयोजनाओं में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में पूंजी लगाये जाने के लक्ष्य नहीं बताये गये हैं। लेकिन सरकारी क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया कुल आयोजना परिव्यय का लक्ष्य 1966-67 में कुल 2081 करोड़ रुपया, 1967-68 में 2246 करोड़ रुपया और 1968-69 में 2337 करोड़ रुपया (जिसमें अन्न संकट निरोधक भण्डार बनाने के कार्य के लिए 140 करोड़ रुपया शामिल है/था।

(ख) पिछली तीन वार्षिक आयोजनाओं में गैर-सरकारी क्षेत्र में लगाई जाने वाली पूंजी के अनुमान उपलब्ध नहीं है। स्थूल अनुमान के अनुसार सरकारी क्षेत्रों में 1966-67 में 1805 करोड़ रुपया, 1967-68 में 1830 करोड़ रुपया और 1968-69 में 1915 करोड़ रुपया लगाया गया है। योजना आयोग का अनुमान है कि 1966-67, 1967-68 और 1968-69 के वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था में लगायी गई पूंजी का अनुपात सम्भवतः राष्ट्रीय आय का क्रमशः 9 प्रतिशत 8 प्रतिशत और 9 प्रतिशत है।

(ग) इस अवधि में गैर सरकारी क्षेत्र में, कराधान से पहले और बाद में, कुछ वास्तविक लाभ के सम्बन्ध में अभी तक कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(घ) केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्य से, मूल्यह्रास, ब्याज और करों के लिए व्यवस्था करने के बाद, 1966-67 में 10 करोड़ रुपये और 1967-68 में 35 करोड़ रुपये की वास्तविक हानि हुई। 1968-69 के आँकड़े प्राप्त होने का समय नहीं आया है।

भारत का भुतत्वीय परिमाप, कलकत्ता

9307. **श्री ज्योतिमंय बसु** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के भूतत्वीय परिभाप ने कितते भवनों पर कब्जा कर रखा है;

(ख) उनमें से कितने किराये के भवनों में हैं;

(ग) प्रत्येक मालिक को प्रति माह कितना किराया दिया जाता है;

(घ) मालिकों का नाम क्या है;

(ङ) क्या सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है कि उसके कुछ भाग का स्थानान्तरण किया जाये अथवा मुख्यालय का विकेन्द्रीकरण हो; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) दस ।

(ख) एक ।

(ग) 95,579/-रुपये प्रति मास ।

(घ) मैसर्स रत्नाकर बिल्डिंग लिमिटेड, 4 चौरंगी लेन, कलकत्ता ।

(ङ) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था के कुछ एककों को कलकत्ता से बाहर स्थानान्तरण करने के कुछ प्रस्ताव हैं परन्तु निकट भविष्य में किसी स्थानान्तरण की आशा नहीं है ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड को ऋण दिया जाना

9308. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** :
श्री विश्व नाथ पांडेय :
श्री विभूति मिश्र :
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड को काफी ऋण दिया है और विश्व बैंक तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा उस कम्पनी को दिये गये ऋणों की गारंटी भी दी है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ऋण की कितनी धन-राशि दी है और कितनी धन-राशि की गारंटी दी है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि जीवन बीमा निगम ने इस कम्पनी के काफी इक्विटी शेयर लिये हैं और यदि हां, तो कितने प्रतिशत और कितने मूल्य के इक्विटी शेयर हैं ;

(घ) उस कम्पनी में अपने पर्याप्त हितों के सरंक्षण के लिए सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है और क्या उन्हें पता है कि इसकी विस्तार तथा प्रोजैक्ट योजनाओं

में काफी विलम्ब किया गया है जैसा कि इस कम्पनी के अध्यक्ष ने गत वर्ष आम सभा की वार्षिक बैठक में अंशधारियों के समक्ष अपने भाषण में बताया था ;

(ङ) क्या सरकार को इन योजनाओं के असफल होने की सम्भावना की पूर्व सूचना थी ;

(च) क्या सरकार को अंशधारियों से इस आशय के अभ्यावेदन मिले हैं कि व्यापारिक प्रथाओं के अनुसार इस कम्पनी का प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है ; और

(छ) इन शिकायतों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). सरकार ने भारतीय लोहा और इस्पात (इण्डियन आयरन ऐण्ड स्टील) कम्पनी लिमिटेड को कुल 18.08 करोड़ रुपये के ऋण दिये हैं जिनमें से 7.87 करोड़ रुपये की रकम बकाया है।

विश्व बैंक ने इस कम्पनी के लिए कुल 986.5 लाख डालर के चार ऋण मंजूर किये हैं जिनके लिए सरकार ने गारंटी दी है। 491.5 लाख डालर के पहले दो ऋण पूर्णतः चुकाये जा चुके हैं। अन्तिम दो ऋणों में से अब तक 142.5 लाख डालर की रकम ली गयी थी जिसमें से 86.4 लाख की रकम कम्पनी के पास बकाया है।

(ग) जी, हां। जीवन बीमा निगम द्वारा विभिन्न कम्पनियों में किये गये निवेशों का ठीक-ठीक ब्योरा देना लोक हित की दृष्टि से उचित नहीं समझा जाता।

(घ) और (ङ). सरकार ने कम्पनी की परिसम्पत्ति रेहन रख ली है और कम्पनी के निदेशक बोर्ड में अपना एक निदेशक भी नामजद किया है। सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि कम्पनी की कोयला-खान विकास प्रायोजना को क्रियान्वित करने और संयंत्र सम्बन्धी प्रायोजना को संतुलित करने में कठिनाइयाँ पैदा हुई हैं और विलम्ब हुआ है।

(च) और (छ). अंशधारियों (शेयर-होल्डरों) से कुछ अभ्यावेदन मिले हैं और सरकार उन पर विचार कर रही है।

महरोली दिल्ली के क्षयरोग अस्पताल का कार्यकरण

9309. **श्री अदिचन** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली में अस्पतालों विशेषकर महरौली के क्षयरोग अस्पताल के कर्मचारियों से सहानुभूति रहित व्यवहार, जिसमें ट्रोली चलाने वालों द्वारा टोलियों में रोगियों को ले जाने से इन्कार किया जाना भी शामिल है, और अस्पतालों के कर्मचारियों के व्यवहार में मानवीय भावना के अभाव की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है जिसमें लाला रामस्वरूप क्षयरोग अस्पताल महरौली के कर्मचारियों पर रोगियों के प्रति सहानुभूति

रहित व्यवहार करने अथवा ट्रोली चालकों द्वारा रोगियों को ट्रोली पर ले जाने से इन्कार करने या सामान्यत: उनके व्यवहार में मानवीय भावना के अभाव होने के आरोप लगाए गये हों। सामान्यत: दिल्ली के अस्पतालों के कर्मचारी जन साधारण की सेवा निष्ठापूर्ण ढंग से कर रहे हैं।

पटना में स्नातकोत्तर मेडिकल छात्रों को छात्रवृत्तियां

9310. **श्री धीरेन्द्र नाथ देव :** **श्री महेन्द्र माझी :**
श्री गु० च० नायक :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय पटना के स्नातकोत्तर मेडिकल कालेजों के छात्रों को छात्रवृत्तिया देता है ;

(ख) यदि हां, तो ये छात्रवृत्तियां किस आधार पर दी जाती हैं ;

(ग) क्या अनेक छात्रों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इस बारे में उचित प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित मानदण्डों का अनुसरण किया जाता है।

(I) छात्र की योग्यता अर्थात एम० बी० बी० एस०/बी० डी० एस०/बी० एस० सी० की अन्तिम परीक्षा में प्राप्त अंक तथा स्नातकोत्तर कक्षा में लिए जाने वाले विषय में प्राप्त अंक।

(II) एम० बी० बी० एस०/बी० डी० एस०/बी० एस० सी० की अन्तिम परीक्षा कितनी बार में उत्तीर्ण की। जो छात्र पहली बार परीक्ष में उत्तीर्ण हो जाते हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाती है।

(III) स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए चयन किया गया विषय। जो छात्र नांन-क्लीनिकल विषय लेते हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाती है।

(Iv) उम्मीदवार का व्यावहारिक अनुभव जिनको ग्राम क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अस्पतालों/औषधालयों के काम का अनुभव हो उन्हें प्राथमिकता दी जाती है।

(5) अनुसूचित जातियों और जन जातियों के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) और (घ). जिन व्यक्तियों को छात्रवृत्ति के लिए छांटा नहीं जा सका था उनसे कुछ शिकायतें मिली हैं। उन शिकायतों में कोई सार नहीं था।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, पूछताछ कार्यालय, नोरोजी नगर, नई दिल्ली

9311. **श्री कामेश्वर सिंह :**

श्री बे० कृ० वासचौधरी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, पूछताछ कार्यालय, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में 1 दिसम्बर, 1968 से लेकर 23 अप्रैल, 1969 तक उस बस्ती के निवासियों से टूटे शीशों को बदलने की तथा साधारण मरम्मत आदि की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है ;

(ख) कितनी शिकायतों के बारे में दो दिनों के अन्दर कार्यवाही की गयी थी ; और

(ग) साधारण मरम्मतें करने में देरी के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 1 दिसम्बर, 1968 से 23 अप्रैल, 1969 तक की अवधि के दौरान 3,585 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें 45 शिकायतें टूटे शीशों के बदलने के संबंध में थी।

(ख) 3,492

(ग) शेष 93 शिकायतों की ओर ध्यान न देने का कारण है, छुट्टी पर चले जाने के कारण स्टाफ की अनुपस्थिति, दखलकारों की अनुपस्थिति में परिसरों के उपलब्ध न होना, तथा सामाग्री आदि को प्राप्त करने में समय का लगना।

फर्मों से कर की बकाया राशि

9312. **श्री अर्जुन सिंह मदोरिया** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1968 को निम्नलिखित फर्मों पर कर की कितनी राशि बकाया थी ;

(1) मैसर्स तिलक राज धर्मपाल, लुधियाना, (2) मैसर्स सी0 एल0 सोनी एण्ड कम्पनी जालंधर, (3) मैसर्स सत्य प्रकाश एण्ड कम्पनी, ए/9ए, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली, (4) मैसर्स शंकर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली (5) मैसर्स धीर इण्डस्ट्रीज, जालधर (6) मैसर्स चोपड़ा वीविंग मिल्स, अमृतसर, (7) नार्दन इण्डिया ट्रांसपोर्ट कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली, (8) मैसर्स ए० पी० जैन एण्ड कम्पनी, 521, वी० प० हाउस, नई दिल्ली, (9) मैसर्स दिल्ली पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट कम्पनी, लिमिटेड जालंधर, (10) मैसर्स सिक्योरिटी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली ;

(ख) उन फार्मों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध बकाया राशि वसूल करने के लिये कार्यवाही की गई है और प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) किन फर्मों के विरुद्ध दाँडिक कार्यवाही आरम्भ की गई है और उसका क्या परिणाम निकला ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). अपेक्षित

सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी0 1113/69]

'मेरा नाम जोकर' फिल्म के लिए दी गई विदेशी मुद्रा

9313. **श्री जुगल मंडल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री राजकपूर को उनकी फिल्म 'मेरा नाम जोकर' के लिये भारत में रूसी कलाकार तथा रूसी सर्कस लाने के लिए कितनी विदेशी मुद्रा दी गई ; और

(ख) रूसी फिल्म अभिनेत्री अथवा अभिनेताओं को कितनी फीस दिये जाने की अनुमति दी गई ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) श्री राज कपूर को अपनी फिल्म "मेरा नाम जोकर" की शूटिंग के सम्बन्ध में रूसी सरकस के अधिकारियों और रूसी कलाकारों को अभी तक निम्नलिखित रकम की अदायगी करने की अनुमति दी गयी है :—

1. रूसी सर्कस के अधिकारियों को 1,50,000 रुपये ।

2. कुमारी रिबिनकीना की नियुक्ति के लिए 1,00,000 रुपये ।

3. 9 सदस्यों की नर्तक मण्डली की नियुक्यि के लिए 80,000 रुपये ।

(ख) श्री राज कपूर के लिए बातचीत करने के उद्देश्य से सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ की यात्रा करने के लिए कुल 21,250 रुपये की विदेशी मुद्रा मंजूर की गई है ।

टिप्पणी : यह सुविधा इस सामान्य गारन्टी के आधार पर दी गयी है कि उपर्युक्त रकम से काफी अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जायगी ।

Fertilizer Factory at Goa

9314. **Shri Deven Sen** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Birla concerns are establishing a fertilizer factory at Goa in collaboration with the Steel Corporation of America ;

(b) if so, the total cost thereof ;

(c) whether an agreement has been reached in this regard with the International Development Agency, International Finance Corporation and the Bank of America ;

(d) if so, the details thereof ;

(e) whether it is also a fact that the Steel Corporation of America has said that it is necessary to fulfil certain term and conditions before the work commences ; and

(f) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R Chavan) : (a) M/s. Zuari Agro Chemicals Ltd., a company floated by Birlas proposes to establish a fertilizer factory at Goa in collaboration with U. S. Steel Corporation.

(b) The total estimated cost of the project is of the order of $70.9 million.

(c) and (d). The Loan Agreements with the Bank of America, A. I. D. and I. F. C. have been executed on 28th March, 1969. These agreements are yet to be received and approved by the Government of India.

(e) and (f). No terms and conditions as such have been brought to Government's notice. However, certain matters raised by M/s. Zuari Agro Chemicals are under consideration.

राज्यों द्वारा केन्द्र को देय ऋण

9315. **श्री एस० के० सम्बन्धम** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक तथा पहली, दूसरी और तीसरी योजना अवधियों की समाप्ति पर देश में प्रत्येक राज्य द्वारा ऋण की कितनी बकाया राशि केन्द्रीय सरकार को दी जानी थी ;

(ख) इन अवधियों में इन ऋणों पर कितना व्याज लिया गया ; और

(ग) इन ऋणों को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ।

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) और (ख). उपलब्ध सूचना का विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय मे रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 1114/69]

(ग) केन्द्रीय ऋणों की वापसी की अवधि को बढ़ाने के उद्देश्य से, उन ऋणों की वापसी के कार्यक्रम को फिर से निर्धारित करने के सवाल पर, चौथी आयोजना की अवधि में राज्यों को दी जाने वाली रकमों के सम्बन्ध में पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद ही विचार किया जायगा ।

कम माल तथा अधिक माल के बीजकों के मामले

9316. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में कम-माल तथा अधिक-माल के बीजक बनाये जाने के कितने मामलों का पता लगाया गया है ;

(ख) उनमें कुल कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त थी ;

(ग) कम-माल तथा अधिक माल के बीजक बनाने के आरोप में कितने व्यक्तियों पर मुकदमे चलाये गये हैं ; और

(घ) कितने मामलों को समाप्त कर दिया गया है और प्रत्येक मामले को समाप्त करने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

पश्चिम बंगाल को मिट्टी के तेल की सप्लाई

9317. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल को कुल कितना मिट्टी का तेल आवंटित किया गया है ; और

(ख) गत तीन मास में वास्तव में कितना मिट्टी का तेल सप्लाई किया गया ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). जनवरी, फरवरी और मार्च, 1969 के दौरान, आवंटन, प्रेषण और विक्रय के आंकड़े निम्न प्रकार हैं।

(मीटरी टनों में)

	कोटा	प्रेषण	विक्रय
जनवरी, 1969	25,000	23,680	21,410
फरवरी, 1969	25,000	22,322	21,366
मार्च, 1969	25,000	21,921	22,000
		(अस्थायी)	

पश्चिमी बंगाल में राजस्व की वसूली

9318. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1966, 1967 और 1968 में पृथक्-पृथक् आय-कर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, आयात और निर्यात शुल्क और उनके मन्त्रालय के अन्य एककों के माध्यम से कितनी राशि वसूल की गई ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : संभवत: सूचना पश्चिम बंगाल राज्य में संग्रहीत राजस्व के बारे में मांगी गई है। पश्चिम बंगाल राज्य में कैलेण्डर वर्ष 1966,1967 और 1968 में आयकर, निगम कर, दान-कर, व्यय-कर, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क से प्राप्त रकम के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी।

दिल्ली में मलेरिया विरोधी उपाय

9319. **श्री तुलसी दास दासप्पा** : क्या **स्वास्थ्य, तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम के मलेरिया विरोधी उपाय विभाग ने आने वाले मौसम में मच्छरों के आतंक का सामना करने के लिए अपने कार्यक्रम को अब तक अंतिम रूप नहीं दिया है ;

(ख) यदि हां, तो देरी के क्या कारण हैं ;

(ग) इस कार्य के लिए सरकार प्रति वर्ष कितनी धन राशि देती है ; और

(घ) योजना को शीघ्र ही अन्तिम रूप देने के लिऐ सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). दिल्ली नगर निगम ने अपने मलेरिया

विरोधी कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया है और इस प्रयोजन के लिए अपने 1969-70 के बजट में 18.88 लाख रुपये की व्यवस्था कर दी है।

(ग) मलेरिया विरोधी उपायों पर होने वाले सारे खर्चों की पूर्ति दिल्ली निगम द्वारा अपने स्रोतों में से ही की जा रही है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में नागरिक सुविधाएं

9320. **श्री तुलसीदास दासप्पा :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र की झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करने की एक योजना को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो मोटे तौर पर उसकी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) उस पर कितनी धन-राशि खर्च होने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) झुग्गी झोंपड़ी हटाने की योजना में प्लाटों के विकास, जिस में गलियों की रोशनी, सड़कें, शौचालय, पानी जैसी कुछ नागरिक सुविधाओं की स्वत: ही व्यवस्था है। नागरिक सुविधाओं के स्तर में अभी हाल में और सुधार किया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

Affiliation of Tibbia College, Delhi

9321. **Shri Awadesh Chandra Singh :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the then Minister of Health, Shri Satya Narayan Sinha had given an assurance in Rajya Sabha on the 20th December, 1967 that an enquiry would be made against the concerned officers in respect of allegations made by students of Tibbia College ;

(b) whether Government have decided to affiliate the Tibbia College to the University : and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The Minister had given the assurance that he would inquire into the alleged cause of what was described as the "sorry state of affairs of the Tibbia College."

(b) and (e). The Delhi Administration took up the matter with the Vice-Chancellor, University of Delhi, on the 24th September, 1963, but the University did not agree to the proposal regarding affiliation of Tibbia College.

सहकारों समितियों द्वारा दिये जाने वाले कृषि तथा औद्योगिक ऋणों में रिजर्व बैंक का अंशदान

9322. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रिजर्व बैंक ने सहकारी समितियों द्वारा दिये जाने वाले कृषि तथा औद्योगिक ऋणों में अपना हिस्सा न देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नही ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

उत्तर प्रदेश में इटावा में सोने और चांदी का पकड़ा जाना

9323. **श्री रा० कृ० सिंह :**
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री क० लकप्पा :
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री सत्यनारायण सिंह :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री पी० पी० एस्थोस :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1969 में उत्तरप्रदेश में इटावा में एक घर से 110 मन सोने और चांदी के आभूषण और चांदी बुलियन तथा 20 लाख रुपये से अधिक के मूल्य का 20 किलो सोना पकड़ा गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसी घर में से पहले 16 लाख रुपये के मूल्य के सोने और चांदी के आभूषण पकड़े गये थे ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया है ; और

(घ) उन्होंने यह माल किन साधनों से जमा किया था ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) आयकर विभाग द्वारा अप्रैल, 1969 में इटावा के एक मकान से सोने और चाँदी के गहने और चांदी के बुलियन पकड़े गये थे, जिनका मूल्य 18.5 लाख रुपये था ।

(ख) इससे पहले जो सोना पकड़ा गया था वह केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों ने पकड़ा था । उन्होंने जो सोना और सोने के गहने पकड़े थे उनका वजन 96.419.195 ग्राम था ।

(ग) अभी तक कोई मुकदमा नहीं चलाया गया है ।

(घ) तलाशी के दौरान पकड़ी गई खाता बहियों से बड़े पैमाने पर महाजनी करने और गिरवी रखने का पता चला है । आगे जाँच पड़ताल जारी है । इस समय यह बता सकना सम्भव नहीं है कि क्या जितनी ईंटें और गहने पकड़े गये थे वे सभी वही थे जो निर्धारिती ने अपने महाजनी कारोबार के दौरान अपने पास गिरवी रखे थे ।

Purchase of Zinc Oxide for Zinc Smelter, Udaipur

9324. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the names of Companies along with their location from which zinc hydroxide was purchased for running the Smelter plant of Zinc Smelter, Udaipur, regularly ; the cost thereof and the procedure followed therefor ;

(b) whether tenders were invited for the purchase of Zinc-oxide, the cost thereof after it reaches the factory and the benefit that accrues to the Zinc Smelter from it ;

(c) the steps taken to purchase more zinc from foreign countries and the quantity of zinc and raw metal imported so far during the last to years ; and

(d) the cost thereof and the countries from which it was imported ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) : (a) and (b). Zinc hydroxide has not been purchased by the Hindustan Zinc Limited for regular running of the Zinc Smelter.

Following heavy accumulation of stocks of superphosphate etc. during latter half of 1968, the Company decided to try and use zinc hydroxide as an alternative for manufacture of zinc as a short term measure which will have the effect of reducing the production of sulphuric acid and consequently the production of superphosphate. Accordingly, during September, 1968, a trial order for 200 tonnes of zinc hydroxide was placed on each of the following parties at the rates indicated against each :

(i) M/s. J. K. Chemicals Ltd., Bombay	Rs. 655/- per tonne F.O.R. Debari, containing 64% zinc.
(ii) M/s. Mangal Chemicals, Bombay	Rs. 520/- per tonne F.O.R. Debari. containing 54% zinc.

During February, 1969, further order for 2,000 tonnes of this material was placed on M/s. Mangal Chemicals. Bombay, at Rs. 530/- per tonne F.O.R. Debari. containing 54% zinc.

In India there are only the followinging three firms who have zinc hydroxide as their bye-product :

(a) M/s. J. K. Chemicals, Bombay.

(b) M/s. Indian Electro Chemicals Ltd., Ahmedabad.
(Their selling agents—M/s. Mangal Chemicals, Bombay).

(c) Travancore Chemicals Ltd., Alwaye, Kerala.

It was not considered advisable to purchase this material from the firm in Kerala as the transport of this material would have not only presented serious difficulties but the freight from Kerala to Udaipur would also have been prohibitive. Accordingly the best competitive rates were obtained from the other two parties by direct negotiations and orders were placed on them without inviting tenders.

The material purchased after very carefully examining the economics of its use in the Zinc Smelter when the Smelter was running only to its 70% capacity following accumulation of superphosphate stock. A part of the unutilised capacity in Leaching and Purification Plant and Electrolysis Plant could be made effective by use of zinc hydroxide. The total quantity of zinc hydroxide ordered so far would produce about 1,000 tonnes of zinc.

(c) and (d). The total requirement of zinc during 1969-70, is now estimated at 80,100 tonnes. The indigenous production of zinc metal from the two existing Zinc Smelters in the country will be about 32.000, tonnes during this period. A stock of 10,000 tonnes of zinc metal is stated to be available with the Minerals and Metals Trading Corporation of India for distribution ; thus making a total net availability of 42,000 tonnes of the metal for 1969-70. The shortfall of 38,100 tonnes of zinc metal will have to be met by imports.

Country-wise quantity of import of zinc or smelter and its value for the last two years, are as under ;

Country	1967-68		1968-69 (April-Dec. 1968)	
	Quantity	Value	Quantity	Value
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(in Kgs.)	(Rs.)	(in Kgs.)	(Rs.)
Australia	1,93,71,188	3,91,06,153	1,07,33,128	2,05,50,245
Austria	23,367	49,262	—	—
Belgium	96,832	2,10,855	80,976	1,77,032
Canada	61,77,493	1,30,75,555	91,00,875	1,95,58,018
Congo-BRZVL	66,03,314	1,34,94,886	91,95,998	1,93,63,348
Congo REP	3,95,301	7,34,407	93,375	1,97,303
German FRP	1,61,427	3,65,275	1,89,843	4,34,715
Japan	6,93,946	15,53,050	37,78,679	83,22,474
Kenya	26,009	56,981	—	—
Korea REP	—	—	2,97,693	6,89,580
Malaysia	10,390	2,50,975	12,494	82,799
Other E. AFRC	7,38,480	6,80,277	1,15,898	2,44,785
Norway	40,000	64,849	—	—
Netherlands	—	—	18,241	39,729
Poland	31,02,070	74,28,790	17,11,718	40,85,820
Singapore	47,862	1,04,860	—	—
Switzerland	—	—	12,000	27,648
Tanzania REP	—	—	12,073	25,418
U. K.	2,03,570	3,65,758	1,92,342	4,07,131
U. S. A.	1,14,75,541	2,72,12,943	2,28,26,421	5,35,28,267
USSR	59,61,629	1,42,57,915	23,83,464	55,77,476
Yugoslavia	91,008	2,25,578	3,05,856	77,36,903
Zambia	3,49,103	7,16,924	74,140	1,56,214
Total	5,51,68,533	11,99,55,293	6,61,35,214	13,42,04,905

Closure of Roaster Plant of Zinc Smelter, Udaipur

9325. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the reasons for the frequent closure of Roaster Plant of the Zinc Smelter, Udaipur ;

(b) the sulphur consumed each time to restart the plant and the expenditure incurred thereon ;

(c) whether it is a fact that on account of running this plant at a high speed from the very beginning, the machinery thereof has been dislocated and has worn out and the daily closure of this Roaster Plant has resulted in loss of production worth lakhs of rupees ;

(d) if not, the present position thereof and the number of times it was closed during the last three years ; and

(e) whether any technical enquiry would be made in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) : (a) to (e). The required information is being collected and will be laid on the Table of the House.

लोकटक परियोजना

9326. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोकटक परियोजना का कार्य कब आरम्भ किया जायेगा और इस कार्य के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ; और

(ख) इस परियोजना के लिए कितनी धन-राशि निर्धारित की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) चौथी योजना के दौरान कार्यान्वयनार्थ प्रस्तावित लोकतक परियोजना के पाँचवीं योजना के आरम्भ में ही पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ।

(ख) चौथी योजना के मसौदे में लोकतक परियोजना समेत नई केन्द्रीय उत्पादन स्कीमों के लिये 30 करोड़ रुपये का अस्थायी प्रबन्ध किया गया है ।

आयकर विधियों का उल्लंघन करने के कारण चलचित्र उद्योग के व्यक्तियों और फर्मों के विरुद्ध मुकदमें

9327. **श्री जुगल मंडल** : क्या वित्त मंत्री पश्चिम बंगाल के चलचित्र उद्योग के उन व्यक्तियों अथवा फर्मों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिनके विरुद्ध पिछले तीन वर्षों में आयकर तथा धन कर विधियों का उल्लंघन करने के कारण मुकदमें चलाये गये हैं अथवा जिनकी दोष-सिद्धि हुई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : पिछले तीन वर्षों के दौरान आय कर या धन कर सम्बन्धी कानूनों के उल्लंघन के लिए पश्चिम बंगाल में फिल्म उद्योग के किसी भी व्यक्ति या फर्म पर न तो कोई मुकदमा चलाया गया और न ही किसी को सजा हुई ।

फिल्म उद्योग के व्यक्तियों को दी गयी विदेशी मुद्रा

9328. **श्री जुगल मंडल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लिखित फिल्म निर्माताओं को विदेशों में शूटिंग के लिए कोई विदेशी मुद्रा दी गयी है :

(1) श्री आर० के० नैयर, (2) श्री पाछी, (3) श्री प्रमोद चक्रवर्ती, (4) श्री दुलाल गुह

(5) श्री मोहन कुमार, (6) श्री अमर जीत, (7) श्री आई० एस० जौहर और (8) श्री शक्ति सामन्त ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इनमें से किन-किन निर्माताओं को कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा दी गयी ; और

(ग) क्या उन्होंने विदेशी मुद्रा का पूर्ण उपयोग किया हैं और यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) मांगी गयी सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा ।

Junior Draftsmen in the General Water and Power Commission (Water Wing)

9329. **Shri P. L. Barupal :** **Shri Ram Swarup :**
Shri Swami Brahmhanandji :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of Harijan Junior Draftmen in the Central Water and Power Commission (Water Wing) ;

(b) when their confirmation was due and when orders were actually issued to that effect ;

(c) when their promotion was due and whether promotions were made after this date and whether their confirmation and promotion were delayed ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) It is presumed that the Hon'ble Members are referring to persons belonging to scheduled castes who were appointed as Junior Draftsmen in the Central Water and Power Commission (Water Wing). At present, none belonging to scheduled castes is working as Junior Draftsman in the Central Water and Power Commission (Water Wing). Those appointed earlier have been promoted to the next higher grade of Senior Draftsman and are working in that capacity.

(b) and (c). Ten persons belonging to scheduled castes were appointed as Junior Draftsmen in the Central Water and Power Commission (Water Wing) from 1955 onwards. A statement giving the information in regard to their confirmation in the posts of Junior Draftsman as also their promotions to the next higher grade of Senior Draftsman is attached. [*Placed in Library. See* No. LT-1115/69.] All of them were confirmed as Junior Draftsman and were also promoted on the due dates.

(d) Does not arise.

मलका गंज, दिल्ली में मुस्लिम कब्रिस्तान

9330. **श्री यशपाल सिंह** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1944 में मलकागंज में मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए कोई भूमि आवंटित की थी ;

(ख) वह भूमि किन शर्तों पर आवंटित की गई थी ;

(ग) क्या यह सच है कि देश के विभाजन के बाद दिल्ली नगर निगम ने उस कब्रिस्तान में मुर्दे दफनाने पर पाबन्दी लगा दी थी और अप्रयुक्त भूमि सरकार को वापस लौटा दी गई थी ;

(घ) क्या सरकार को पता है कि कुछ अनधिकृत व्यक्तियों ने वह भूमि एक ट्रक यूनियन को 700 रुपये प्रति मास किराये पर दे दी है ; और

(ङ) क्या इन तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए यह भूमि अनधिकृत व्यक्तियों से वापस ले ली जायेगी और उस पर पार्क बनाया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

रानी झांसी रोड, दिल्ली की जनता मार्केट में मांस की दुकानें

9331. **श्री रा० बरुआ** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकार ने झंडेवाला मंदिर, रानी झांसी रोड, दिल्ली के निकट जनता मार्केट में मांस की दुकानें आवंटित की हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार उन दुकानों को वहां से किसी अन्य स्थान पर ले जाने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) फिलहाल उन्हें दूसरे मार्केटों में ले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

सब्जी मंडी, दिल्ली

9332. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री 31 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4878 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकार की तकनीकी समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और मंडी यूनियन के प्रतिनिधियों के नाम क्या हैं जिनके साथ दिल्ली विकास प्राधिकार ने आजादपुर की मार्केट के डिजाइन के बारे में परामर्श किया था ; और

(ख) सब्जी मंडी मार्कीट की इस यूनियन के साथ परामर्श करने के क्या कारण हैं जिसने सरकार के साथ 42 लाख रुपये की देय राशि का धोखा किया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण की तकनीकी समिति की एक बैठक 29 दिसम्बर 1967 को हुई, जिसमें वर्तमान सब्जी मण्डी में व्यापार के

परिणाम तथा अन्य सम्बन्धित समस्याओं और आज़ादपुर में नयी सब्ज़ी मण्डी में विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था के बारे में फ्रूट एण्ड वेजिटेबल मर्चेंटस यूनियन के प्रतिनिधियों के विचारों का पता लगाया गया। इस बैठक में भाग लेने वाले तकनीकी समिति के सदस्यों तथा अन्य अधिकारियों एवं यूनियन के प्रतिनिधियों के नामों की सूची सभा-पटल पर रखी जाती है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 1116/69]

चलचित्र उद्योग के व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन

9333. **श्री काशीनाथ पाण्डेय :**

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967, 1968 और 1969 में अब तक चलचित्र उद्योग के व्यक्तियों के विरुद्ध विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन के कितने मामलों का पता लगाया गया ;

(ख) विदेशी मुद्रा का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) फिल्म उद्योग के लोगों द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमों के उल्लंघन के जितने मामलों का प्रवर्त्तन निदेशालय ने 1967, 1968 और 1969 (अप्रैल 1969 तक) में पता लगाया उनकी संख्या के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

(ख) जिन व्यक्तियों पर 1967, 1968 और 1969 (अप्रैल 1969 तक) में या तो प्रवर्त्तन निदेशक द्वारा दण्ड लगाया गया है, या विदेशी मुद्रा विनियम विनियमन अधिनियम 1947 के उपबंधों का उल्लंघन करने के कारण जो व्यक्ति न्यायालयों द्वारा दोषी ठहराये गए हैं उनके नामों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

(ग) जांच-पड़ताल के परिणाम स्वरूप जिन मामलों में विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम 1947 के उपबन्धों का उल्लंघन नोटिस में आया है उन मामलों, सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध अधिनियम में दिए अनुसार कार्यवाही की जाती है। प्रवर्तन एजेंसियां पहले की भाँति सतर्क हैं और इस प्रकार के उल्लंघनों को रोकने के लिए उचित कार्यवाही करती हैं। विनियमों का प्रवर्त्तन अधिक प्रभावी बनाने के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम का अन्तिम बार 1965 में संशोधन किया गया था। अन्य बातों के साथ-साथ अपराधियों को और अधिक कठोर और अपराध प्रतिरोधक सजाएं देने की व्यवस्था करने के लिए उपर्युक्त अधिनियम में कुछ और संशोधन करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

चलचित्र उद्योग के व्यक्तियों द्वारा सीमा शुल्क नियमों का उल्लंघन

9334. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**

श्री जुगल मंडल :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966, 1967 और 1968 में भारतीय चलचित्र उद्योग के विभिन्न व्यक्तियों अथवा फर्मों द्वारा सीमा शुल्क विभाग द्वारा कितने मुकदमें शुरू किये गए।

(ख) कितने मामलों में मुकदमें दायर कर दिये गये हैं तथा उनके नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध मुकदमें चलाये गये हैं ;

(ग) क्या कुछ ऐसे भी मामले हैं जिनमें 'कारण बताओं' नोटिस भी जारी नहीं किये गये हैं अथवा मुकदमें तैयार नहीं किये गये हैं अथवा न्यायालय में पेश नहीं किये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो चलचित्र उद्योग से सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ). इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

उपचार के लिये विदेश जाने वाले व्यक्ति

9335. **श्री कंवरलाल गुप्त** : क्या वित्त मन्त्री उपचार के लिए विदेश जाने वाले व्यक्तियों के बारे में 16 अप्रैल, 1969 के अतारांकि प्रश्न संख्या 6587 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक अथवा सिविल सर्जन ने उन 50 रोगियों का देश से बाहर उपचार करवाने की सिफारिश की थी जबकि उनका उपचार देश में हो सकता था ;

(ख) इनमें से प्रत्येक व्यक्ति के सम्बन्ध में कितनी विदेशी मुद्रा की मंजूरी दी गई थी ; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की यात्रा को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नही।

(ख) श्री और श्रीमती के० पी० एस० मेनन से सम्बन्धित केवल दो मामलों में प्रांसगिक व्यय के लिए, 25-25 पौण्ड तक की विदेशी मुद्रा की मंजूरी की गयी थी।

(ग) चूंकि ये यात्राएं सरकार द्वारा स्वीकृत आतिथ्य की श्रेणी के अन्तर्गत आती थीं, इसलिए ऐसी योजनाओं पर रोक लगाने का कोई विचार नहीं है।

भारत द्वारा विदेशों को दी गई आर्थिक सहायता

9336 **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968 में भारत में विदेशों को कुल कितनी आर्थिक सहायता दी ;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं और 1968 में उन्हें पृथक-पृथक कितनी सहायता दी गई और प्रत्येक देश को वह सहायता किस प्रयोजन के लिये दी गई थी ;

(ग) 1969 में उन देशों में भारत को देशवार कुल कितना ज्याज प्राप्त हुआ ; और

(घ) 1969 में भारत विदेशों को अनुमानतः कितने आर्थिक तथा वित्तीय ऋण तथा सहायता देगा ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है जिसमें सूचना दी गई ।

विवरण

क्रम संख्या	देश का नाम	1968-69 में मंजूर की गयी सहायता दी गई रकम (लाख रुपयों में)	सहायता देने का प्रयोजन
1.	भूटान	247.00	बिकास प्रायोजनाओं और बाढ़ सहायता के वित्त प्रबन्ध के लिए अनुदान
2.	सिक्किम	201.60	—तदेव—
3.	नेपाल	1200.00	विभिन्न प्रायोजनाएं पूरी करने के लिए सहायता

इसमें तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधाएं शामिल नहीं हैं ।

(ग) (i) श्री लंका की सरकार को 1966 और 1967 में मंजूर किये गये क्रमशः 2 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये के ऋणों पर भारत को 1968 में ब्याज के रूप 4,68,390 रुपये और (ii) नेपाल की महामहिम सरकार को 1964 में दिये गये एक करोड़ रुपये के ऋण पर 1968 में ब्याज के रूप में 1,19, 766 रुपये प्राप्त हुए ;

(घ) 1969-70 के बजट में कुल 37.74 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है । इस रकम में से भूटान, नेपाल और सिक्किम को दी जाने वाली सहायता तथा एक सरकार से दूसरी सरकार को दिये जाने वाले ऐसे अन्य ऋणों को पूरा किया जायगा जिनके लिए सम्बन्धित देश सहमत होंगे ।

दोहरे कराधान को रोकने लिए विदेशों से करार

9337. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के दोहरे कराधान को रोकने के लिये विदेशों के साथ करार किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये करार किन देशों के साथ किये गये हैं ; और उन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) किन-किन देशों के साथ ऐसे करार नहीं किये गये हैं तथा इनके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) आय पर दोहरे कराधान के परिहार के लिये भारत सरकार ने निम्नलिखित देशों के साथ करार किये हैं :—

पाकिस्तान, श्रीलंका, स्विटजरलैंड, स्वीडन, डेन्मार्क, नार्वे, जापान, जर्मन संघ गणराज्य, फिन्लैण्ड, आस्ट्रिया, ग्रीस तथा रूमानिया ।

स्विटजरलैण्ड के साथ किया गया करार वायुयान-यातायात कम्पनियों की आय के संबंध में लागू होता है तथा रूमानिया के साथ किया गया करार उन उपक्रमों की आय के संबंध में लागू होता है जिनके अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में वायुयान और समुद्री जहाज चलते हैं । शेष सभी करारों का स्वरूप व्यापक है अर्थात उनके अन्तर्गत सभी स्रोतों से होने वाली आय आ जाती है ।

आय पर दोहरे कराधान के परिहार के लिये करार करने में भारत सरकार द्वारा जिन मूलभूत सिद्धान्तों का पालन किया जाता है, वे मोटे तौर पर नीचे दिये जा रहे हैं :

(i) जिस देश में किसी भी स्रोत से आय होती है वही देश उस आय पर कर लगाने का अधिकारी होगा ; यदि ऐसी आय किसी दूसरे देश के प्रचलित कानूनों के अधीन कर लगने योग्य हो, तो दोहरे कर से राहत देने का भार उस दूसरे देश द्वारा उठाया जाना होता है ।

(ii) अपने देश के निवासियों को उनकी उस आय पर दोहरे कर से राहत देने के लिये जिस पर भारत में कर लग चुका है दूसरे देश को न केवल उस आय पर भारत में वास्तव में लगे कर को मान्यता देनी चाहिए बल्कि उस कर को भी मान्यता देनी चाहिए जिसे भारत ने विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन देने और नये औद्योगिक उपक्रमों को बढ़ावा देने के लिए कर से माफी देने और कर में छूट देने विषयक भारतीय कराधान कानून के विशेष उपबन्धों के अधीन छोड़ दिया है । इस प्रकार के विशेष उपबन्धों के उदाहरण है—भारत में रहने वाले अ-निवासी व्यक्तियों द्वारा उधार दिये गये धन अथवा भारतीय औद्योगिक उपक्रमों के लिये विदेशों से मुख्य प्लांट तथा मशीनरी अथवा कच्चा माल खरीदने के लिये दी गयी ऋण विषयक सुविधा से प्राप्त होने वाले ब्याज पर कर से छूट करदाता द्वारा कारोबार के लिये लगाई गई नयी मशीनरी या प्लांट की लागत के कुछ प्रतिशत की उसके कारोबार से हुई कर लगने योग्य आय पर "विकास छूट" के रूप में कटौती, पांच वर्ष के लिये "कर से छुट्टी", अर्थात भारत में संस्थापित नये औद्योगिक उपक्रमों आदि में हुए लाभ पर उनमें लगायी गई पूंजी के 6 प्रतिशत वार्षिक तक की पांच वर्ष के लिए छूट ।

ये करार भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाते हैं और माननीय सदस्यों के सूचनार्थ इनकी प्रतियां समय-समय पर संसद् के दोनों सदनों की मेजों पर भी रखी जाती है ।

(ग) संयुक्त अरब गणराज्य और फ्रांस के साथ व्यापक करारों तथा लेबनान के साथ वायुयान-यातायात से प्राप्त लाभों पर लागू होने वाले एक सीमित करार पर, सरकारी स्तर पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं । ये करार कतिपय औपचारिकताओं के पूरी हो जाने के बाद लागू हो जायेंगे । वायुयान-यातायात से होने वाले लाभों पर लागू होने वाले एक सीमित करार

को पूरा करने के लिये इटली की सरकार से अंतिम रूप से समझौता-वार्ता हो चुकी है तथा करार पर शीघ्र ही हस्ताक्षर हो जाने की आशा है। बेल्जियम, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमरीका के साथ किए जाने वाले करारों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों पर समझौता वार्ता जारी है। कुछ अन्य देशों के साथ ऐसे करारों के सम्बन्ध में समझौता-वार्ता करने के लिये भी कार्रवाही की गई है।

संश्लिष्ट रबड़ का उत्पादन तथा आयात

9338. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने संश्लिष्ट रबड़ के उत्पादन में प्रगति की है ;

(ख) यदि हां, तो उस का वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या देश में संश्लिष्ट रबड़ का आयात किया जाता है और यदि हा, तो 1968 में कितना आयात किया गया था और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) मैसर्स सिन्थैटिक एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड के बरेली यूनिट द्वारा प्रारम्भ से तैयार किये गये संश्लिष्ट रबड़ का वर्षवार उत्पाद निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	मीटरी टन
1963	6,958
1964	11,802
1965	13,313
1966	15,589
1967	21,843
1968	35,187
कुल	95,692

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी हां। 21,446 मीटरी टन जिसका मूल्य 146·1 लाख रुपये है।

बम्बई के श्री नैनामल पूंजाजी शाह द्वारा कथित तस्कर व्यापार

9339. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**

श्री देवेन सेन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1969 के तीसरे सप्ताह में या उस के आस पास बम्बई

के एक नैनामल पूंजाजी शाह को, उसके तथाकथित तस्करी के सौदों के कारण जो कि करोड़ों रुपये के हैं ; प्रवर्तन शाखा द्वारा गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राजनैतिक नेता उस के पीछे हैं और वे उसकी जांच करने वाले अधिकारियों के पंजे से छुड़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये कि इस कार्य पर उत्तम अधिकारी लगाये जायें, जो अपने काम को राजनैतिक अथवा अन्य किसी दबाव में न आकर और निर्भीक रूप से करें, सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है तो क्या ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) बम्बई के श्री नैनामल पुंजाजी शाह को 13 अप्रैल, 1969 को सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबन्धों के सन्दिग्ध उल्लघंन के लिए सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। तस्कर-व्यापार और अन्य अप्राधिकृत लेन-देन किस हद तक किये गये, इसका पता जांच-पड़ताल के पूरी हो जाने पर ही लग सकेगा ; जांच-पड़ताल जारी है ।

(ख) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ग) यह सवाल नहीं उठता ।

कुछ राज्यों के साथ विशेष व्यवहार

9340. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने कुछ राज्यों के साथ विशेष व्यवहार करने की सिफारिश की है ताकि वे अपनी संसाधनों संबंधी कठिनाइयों पर काबू पा सकें ;

(ख) यदि हाँ, तो योजना आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं और किन राज्यों के साथ विशेष व्यवहार किये जाने की सिफारिश की गई है ; और

(ग) क्या सरकार योजना आयोग द्वारा की गई सिफारिशों से सहमत हो गई है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). योजना आयोग ने कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की है। तथापि उन्होंने सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया था कि पांच राज्यों अर्थात् आसाम, जम्मू तथा कश्मीर, नागालैण्ड, उड़ीसा और राजस्थान में उनके द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाये जाने के बाद भी चोथी योजना अवधि में गैर-योजना घारा होने की संभावना है और कहा था कि इस पर विचार करने की आवश्यकता है। चौथी योजना अवधि में राज्यों को हस्तांतरण के बारे में पांचवें बित्त आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त की सिफारिशें प्राप्त होने बाद सरकार का विचार इन राज्यों की वित्तीय स्थिति पर विचार करने का है ।

नई दिल्ली नगरपालिका में घेराव

9341. **श्री देवेन सेन** :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रामचन्द्र जे० अमीन :
श्री गुणानन्द ठाकुर :

श्री यशपाल सिंह : श्री किकर सिंह :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 अप्रैल, 1969 को नई दिल्ली नगरपालिका के अध्यक्ष का उन के कार्यालय में 5 घण्टे से अधिक समय तक नगरपालिका की दुकानों के मालिकों के एक दल द्वारा घेराव किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनको दी गई दुकानों का किराया कम करने की मांग पर सरकार विचार करेगी ; और

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार का अन्य क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). यह मामला अदालत में निर्णयाधीन बतलाया गया है।

दिल्ली नगर निगम के अस्पताल तथा औषधालय

9342. **श्री न० रा० देवघरे :**
श्री तुलसीदास दासप्पा :

क्या स्वास्थ्य, तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है दिल्ली नगर निगम के अधिकांश अस्पतालों में प्राथमिक तथा अत्यावश्यक औषधियां भी नहीं हैं और इन औषधियों के आदेशों में बिना किसी कारण भारी कटौती कर दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). केन्द्रीय मैडिकल स्टोर से दिल्ली नगर निगम के अस्पतालों तथा औषधालयों को सभी आवश्यक औषधियां दी जाती हैं। विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त मांग पत्रों पर विचार करते समय अन्तरंग पलंगों की संख्या, बहिरंग रोगियों की औसत उपस्थिति, संस्था की रूप-रेखा और धन की उपलब्धता जैसी बातों को ध्यान में रखा जाता है। स्थानीय रूप से औषधियों की खरीद करने के लिए कुछ रकम संस्था के कार्यभारी चिकित्सा अधिकारी के पास रखी जाती है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक संस्था को पेशगी के रूप में धन दिया जाता है जिसे दवाओं की आपातिक खरीद पर खर्च किया जा सकता है। इस प्रकार कुल मिला कर स्थिति सन्तोषप्रद समझी जाती है।

पश्चिम बंगाल में बोदरा में तेल निकाला जाना

9343. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 मार्च, 1969 को कलकत्ता में उन्होंने सार्वजनिक रूप से बताया था कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की 'पोर्ट केनिंग' परियोजना के अन्तर्गत बोदरा में तेल निकालने का कार्य पुन: आरम्भ करने के लिए पश्चिम बंगाल को नये ड्रिलिंग रिग भेजे जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के नये रिग भेज दिये गये हैं;

(ग) क्या यह सच है कि बोदरा में अभी तक काम-काज ठप्प पड़ा है और वर्तमान रिग के पुर्जों को भण्डार में जमा करने के लिए अलग-अलग किया जा रहा है;

(घ) क्या परियोजना के कुछ कर्मचारियों को छंटनी के 'नोटिस' दिये गए हैं;

(ङ) क्या बोदरा में 27 मार्च, 1969 से तेल निकालने का काम बन्द करने का निर्णय किया गया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) वर्तमान रिग अभी भी बोदरा में कुएं के परीक्षण में नियुक्त है । परीक्षण कार्य के समाप्त होने पर रिग की मरम्मत तथा भण्डार में जमा करने के लिए अलग अलग किया जाएगा; जब तक इसकी दूसरे कुएं के व्यधन के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती ।

(घ) जी हाँ, कुछ फालतू अस्थायी कर्मचारियों को नोटिस दिये गये हैं ।

(ङ) जब तक व्यधन द्वारा परीक्षण योग्य अन्य संरचनाएं मालूम नहीं हो जाती तब तक व्यधन कार्यों को स्थगित किया गया है ।

Black Money and Contraband Goods Seized.

9344. **Shri Deven Sen :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of black money and contraband goods seized in Delhi, Calcutta, Bombay and Madras since 1967 so far by the Customs and Revenue Intelligence Department ;

(b) the number of persons arrested in this connection and action taken against them ;

(c) whether any of the arrested persons is a gazetted officer and if so, his name and designation ;

(d) whether the Revenue Intelligence Department has complained about some Government officers trying to hush up the matter ; and

(e) if so, the action taken against them ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (e). Information in this regard is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

जी० आर० पी जयनगर (बिहार) के ए० एस० आई० पर तस्करी को बढ़ावा देने का आरोप

9345. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जी० आर० पी० जयनगर, बिहार के ए० एस० आई० के विरुद्ध नेपाल और भारत के बीच अवैध गांजा और अन्य वस्तुओं की तस्करी में सहायता देने तथा बढ़ावा देने के गम्भीर आरोप है;

(ख) क्या सहाबुद्दीन अन्सारी तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा उसके बारे में पर्चे आदि भी बांटे गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन आरोपों की जाँच की है या उनकी जांच कराने और उचित कार्यवाही करने का उसका विचार है;

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

बरौनी में विद्युत जनन युनिटों का खराब हो जाना

9346. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री 18 अप्रैल, 1969 के अल्प सूचना प्रश्न 15 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्माणाधीन दो विद्युत जनन यूनिटों और गया तथा बरौनी के बीच ट्रांसमिशन लाइन कब चालू हो जायेगी; और

(ख) भविष्य में ऐसी खराबी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है और क्या उपर्युक्त खराबी के लिए किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी निश्चित की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) बरौनी में अब लगाये जा रहे 50-50 मैगावाट के दो उत्पादन यूनिटों के क्रमशः जून, 1969 और मार्च, 1970 में चालू होने की संभावना है। गया और बरौनो के बीच 132 के० वी० पारेषण लाईन से जून, 1969 के अन्त तक बिजली प्रेषित करने की संभावना है।

(ख) जून, 1969 तक प्रथम 50 मैगावाट यूनिट और गया और बरौनी के बीच पारेषण पथों के चालू होने से उत्तर बिहार में बिजली की सप्लाई में खराबी आनी बन्द हो जाएगी।

चूंकि बरौनी ताप बिजली केन्द्र का एकाकी चालन उत्तर बिहार में बिजली की सप्लाई के बार-बार फेल होने का मुख्य कारण है, इसलिए बिजली के फेल होने के लिए किसी को उत्तरदायी ठहराने का प्रश्न नहीं उठता।

Market Rent Charged from Allottees in Sector II, R. K. Puram, New Delhi

9347. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that market rent is being charged from two allottees living in Sector II of Ramakrishna Puram, New Delhi ;

(b) if so, the reasons therefor ?

(c) whether any official of the Directorate of Estates had investigated the allegations against them ; and

(d) if so, whether they were found guilty and what were the allegations against them ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (d). Besides 5 cases of allottees of quarters in Sector II of Ramakrishna Puram, in which allotments have been cancelled after allegations against them of sub-letting the quarters were proved and rent at market rate has to be recovered from them, there are 2 cases of allottees of this area who were allotted alternative accommodations on the recommendations of the Chief Welfare Officer, Ministry of Home Affairs after investigation into the charges of discordial relations with their neighbours. On refusal by these two allottees to move to the alternative accommodation, the allotments of present quarters to them were cancelled in accordance with the provisions in the Allotment Rules. When an allotment is cancelled, the person occupying is treated as unauthorised occupant and damages at market rate of rent are recoverable. However, representation from these two affected persons is under reconsideration with the Ministry of Home Affairs and pending a decision recovery of market rent and eviction proceedings have been stayed.

कृष्ण नगर, दिल्ली का नक्शा

9348. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शाहदरा क्षेत्र दिल्ली में कृष्णनगर एक मंजूर शुदा बस्ती है;

(ख) क्या इस बस्ती का नक्शा सक्षम स्थानीय निकायों द्वारा प्रारम्भ से ही मंजूर किया गया था;

(ग) क्या सरकार को पता है कि उस कालोनी में एक ओर के अनेक प्लाटों अथवा प्लाटों के भागों को वृहत् योजना के अन्तर्गत सड़कों का चौड़ा करने आदि सार्वजनिक कार्यों के लिये ले लिया है और उन पर निर्माण की अनुमति नहीं है; और

(घ) क्या अनेक मामलों में सड़कों के उन टुकड़ों को चौड़ा करने का प्रस्ताव है जिन पर बहुत ही कम भीड़ होती है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कृष्ण नगर कालोनी दिल्ली में सड़कों को चौड़ा करना

9349. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सड़कों को चौड़ा करने के बारे में दिल्ली नगर निगम की नीति विद्यमान निर्माण आदि को तोड़ने की नहीं है;

(ख) क्या सरकार को शाहदरा क्षेत्रीय समिति तथा दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति

की सिफारिशों का पता है कि शाहदरा, दिल्ली में कृष्ण नगर कालोनी में, सड़कों को चौड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है;

(ग) क्या सरकार का विचार अब भी कृष्ण नगर कालोनी की सड़कों को चौड़ा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार प्लाटों अथवा इनके टुकड़ों को निर्माण के लिये छोड़ देने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Installation of Light Around Statue of Pandit Govind Ballabh Pant in New Delhi

9350. **Shri Shri Gopal Saboo** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no light around the statue of Pandit Govind Ballabh Pant near the round-about of Rafi Marg, New Delhi ;

(b) whether it is also a fact that while there is light over the road and buildings around it, the Statue remains in pitch dark ;

(c) if so, the reasons therefor ;

(d) whether Government purpose to make arrangements for light round the Statue ; and

(e) if so, when it will be done ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) There was no previous decision of Government to illuminate the statue.

(d) and (e). The matter is under consideration.

Gandhi Balidan Sthal

9351. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the nature of the scheme on economic basis prepared by Government to solve the national issue of Gandhi Balidan Sthal at Tees January Marg ;

(b) whether any budget or new scheme has been drawn up by his Ministry or whether a plan of the area has been prepared ;

(c) the reaction of Government in regard to its being declared 'Institutional area' ; and

(d) the reaction of Government to the proposal regarding the preparation of a plan and budget and its being declared 'Institutional area' before taking over the site ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). The matter is under consideration.

(c) and (d). Government have no such proposal under consideration.

केन्द्रीय करों की वसूली

9352. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता :**
श्री रामावतार शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1968-69 के पुनरीक्षित प्राक्कलनों में केन्द्रीय करों की वसूली में 46 करोड़ रुपये की कमी हो गई है;

(ख) यदि, हां, तो यह कमी किस सीमा तक (1) उत्पादन शुल्कों, (2) आयकर, (3) निगम करों के कारण हुई है;

(ग) इस कमी के कारण क्या हैं;

(घ) चालू वर्ष के 260 करोड़ के अनुमानित घाटे पर इस का किस सीमा तक प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) कर वसूल करने की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए यदि कोई कार्यवाही की जा रही है, तो क्या ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). केन्द्रीय करों और शुल्कों से अर्थात आय-कर (निगम-कर सहित), सम्पदा शुल्क, धन-कर, दान-कर, व्यय-कर और सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों मे 1968-69 के दौरान की गई राजस्व वसूलियों के अन्तिम आँकड़े अभी उपलब्ध नहीं है, तथापि, वसूलियों के विभागीय अनन्तिम प्राप्त आँकड़ों से यह प्रतीत होता है कि कमी 46 करोड़ रुपये की नहीं है, अपितु लगभग 21 करोड़ रुपये की है।

आय-कर (निगम-कर सहित) की वसूलियों में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि अन्तिम आँकड़े अनन्तिम आँकड़ों से कुछ अधिक ही होने की सम्भावना है। केन्द्रीय उप्पादन शुल्कों में लगभग 20 करोड़ रुपये की कमी दिखाई देती है, परन्तु यह कमी बहुत हद तक पूरी हो जाने की सम्भावना है, क्योंकि सामान्यतया अनन्तिम आंकड़ों की अपेक्षा अन्तिम आंकड़े अधिक ही होते हैं।

(घ) यदि कमी आई भी तो वह केवल मामूली सी होगी और 260 करोड़ रुपये के अनुमानित घाटे पर उसका कोई महत्वपूर्ण असर नहीं पड़ेगा।

(ङ) इस प्रश्न के भाग (क) से (ग) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी, यह कहा जा सकता है कि कर वसूली तंत्र में चुस्ती लाने और उसकी दक्षता को बढ़ाने के लिए सरकार निरन्तर प्रयास करती रहती है; इस दिशा में विभिन्न उपाय किये गए हैं और किये जा रहे हैं।

Ayurvedic College in Uttar Pradesh

9353. **Shri Jharkhande Rai :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the total number of medical colleges likely to be opened in Uttar Pradesh during the Fourth Five Year Plan period ;

(b) the names of the places where they are likely to be opened ;

(c) whether the Uttar Pradesh Government propose to take over all the Semi-Government Ayurvedic Colleges, such as those situated in Rishikesh, Pilibhit and Jhansi ; and

(c) the time by which post-graduate classes are likely to be introduced in Government Ayurvedic College, Lucknow ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c). The information is being collected from the Government of Uttar Pradesh and will be placed on the Table of the Sabha.

(d) The matter is under consideration and the decision is expected to be finalised during the current year.

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था में काम करने वाले वैज्ञानिकों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया जाना

9354. **श्री सैयद जुल्फिकार अली खां**: क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था में काम करने वाले उन प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के बारे में जिनको अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन में भाग लेने और विदेशों की ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा व्याख्यान देने अथवा अनुसंधान कार्यक्रमों में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया जाता है और जिनको शैक्षिक तथा चिकित्सा संस्था के अन्य अधिकारियों द्वारा अनुमति दी जाती है ऐसे आमंत्रणों को स्वीकार करने से पूर्व सरकार द्वारा और अधिक जांच की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) ऐसे वैज्ञानिकों के आवेदनपत्रों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने की कसौटी क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) विदेश में प्रतिनियुक्ति प्रतिनिधि मण्डल के उद्देश्य के लिए स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों को भी सरकारी कर्मचारियों की तरह ही माना जाता है ।

(ग) प्रतिनियुक्ति से व्यक्तिगत हित की अपेक्षा संस्थान का हित होने की अवस्था में ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है अन्यथा उसे अस्वीकृत कर दिया जाता है ।

2500 रुपये से अधिक राशि के भुगतान का तरीका

9355. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर (संशोधन) नियम 1969 की उद्घोषणा के पश्चात् सभी व्यापारिक सौदों के लिए 2500 रुपये से अधिक राशि का भुगतान चैक अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा ।

(ख) यदि हां, तो संशोधन के विरुद्ध सरकार को व्यापारियों से यदि कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन अभ्यावेदनों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) क्या इस संशोधन की व्यवस्था के बारे में जनता के हृदय में कोई भ्रांति है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) आय-कर अधिनियम (वित्त-अधिनियम 1968 के द्वारा लागू) की धारा 40 ए (3) के उपबन्धों के अधीन किसी कारोबार या व्यवसाय के लाभों और लब्धियों का हिसाब लगाते समय, 31-3-1969 के बाद 2500 रु० से अधिक की किसी रकम का भुगतान रेखित बैंक चैक अथवा रेखित बैंक ड्राफ्ट के जरिये न करने पर, उस व्यय के लिए कोई कटौती मंजूर नहीं की जाएगी। इस धारा में 'व्यय' शब्द के अन्तर्गत वे सब भुगतान आते है जो माल खरीदने और सेवाओं के संबंध में किये जाते हैं तथा जिनके लिये कारोबार या व्यवसाय के लाभो और लब्धियों का हिसाब लगाने में कटौती का दावा किया जाता है। तथापि, यह व्यवस्था की गई है कि आय-कर नियमों में अधिसूचित किये जाने वाले मामलों और परिस्थितियों में इस धारा के अन्तर्गत कटौती से इंकार नहीं किया जायेगा। पहले की गई प्रारुप अधिसूचना के सम्बन्ध में जनता की टिप्पणियों पर विचार करने के बाद इन अपवादों को भारत के राजपत्र असाधारण में 14 फरवरी 1969 को एस० ओ० संख्या 624 के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया था। उपर्युक्त नियमों और उनके एक शुद्धिपत्र (25-3-1969 को अधिसूचित) को सदन की मेज पर क्रमश: 3 मार्च 1969 और 21 अप्रैल 1969 को रखा गया था।

(ख) पहले 26-9-1969 को अधिसूचित प्रारुप नियमों पर वाणिज्य मण्डलों और व्यापार तथा उद्योग के विभिन्न निकायों के विचारों और सुझावों पर गौर करने के बाद उन नियमों को अन्तिम रूप देकर 14-2-1969 को अधिसूचित किया गया था। 14-2-1969 को उन नियमों के अधिसूचित होने के समय से सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं जिनमें धारा 40 ए (3) के उपबन्धों के विस्तार क्षेत्र तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के स्पष्टीकरण की मांग की गई है। यह भी अभ्यावेदन किया गया है कि उक्त उपबन्धों से सामान्य व्यापारिक लेन-देनों में, विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में, बाधा पड़ेगी और उक्त उपबन्धों को वापिस लेने या संशोधित करने का सरकार से आग्रह किया गया है।

(ग) 2-5-1969 को एक प्रेस-नोट जारी किया गया था जिसमें धारा 40 ए (3) के उपबन्धों के विस्तार क्षेत्र तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में विभिन्न वाणिज्य मण्डलों, संघों और निकायों द्वारा उठाये गये मुद्दों का स्पष्टीकरण किया गया था। 2-5-1969 के इस प्रेस-नोट की एक प्रति सदन की मेज पर रखी जाती है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 1117/69] समय समय पर प्राप्त वैयक्तिक पूछताछ के भी उत्तर भेजे जा रहे हैं।

(घ) और (ङ). धारा 40 ए (3) में दिये गये उपबन्धों का उद्देश्य यह है कि लेखा-बाह्य

रकम के प्रचलन पर अंकुश लगाया जाए और कारोबार तथा व्यवसायों में बड़ी रकमों के लेन-देनों को बैंकों के जरिये करने में सहायता पहुंचाई जाए। सरकार के मत से, इन प्रस्तावों का व्यापारिक कार्य कलापों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि नियमों में दिये गये अपवादों में सभी वास्तविक कठिनाइयों के प्रति पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

सोने तथा निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी

9356. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में सोने तथा अन्य निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी बढ़ गई है ;

(ख) यदि हां, तो गत दो महीनों में कुल कितना सोना पकड़ा गया ; और

(ग) इस सोने को किस प्रकार बेचा गया और गत तीन वर्षों में इस मद से सरकार को कुल कितनी आय हुई ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) यह कहने का कोई विश्वासनीय आधार नहीं है कि स्वर्ण और अन्य निषिद्ध वस्तुओं के तस्कर व्यापार में हाल में वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग). इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

एक अशोधित तेल ग्रिड बनाना

9357. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक अशोधित तेल ग्रिड बनाने को प्राथमिकता दिये जाने के कारण गुजरात में एक गैस ग्रिड बनाने में और विलम्ब हो जायेगा ;

(ख) अशोधित तेल ग्रिड बनाने का कार्यक्रम क्या है और उसके लिये कितने विनियोजन की आवश्यकता है ; और

(ग) क्या इन दोनों कार्यों को साथ-साथ करना सम्भव है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वा० रा० चव्हाण) : (क) इस समय तेल तथा प्राकृतिक आयोग की गैस ग्रिड बनाने की कोई औपचारिक योजना नहीं है।

(ख) कलोल तथा नवागांव तेल क्षेत्रों को कोयाली शोधनशाला से मिलाने वाली कच्चे तेल की पाइपलाइन का निर्माण शुरू कर दिया गया है। पाइपलाइन के नवागांव-कोयाली खन्ड के लगभग नवम्बर, 1969 तक मुकम्मल हो जाने की आशा है तथा कलोल-नवागांव खण्ड के फरवरी 1970 तक मुकम्मल हो जाने की आशा है। इस पाइपलाइन पर 435.47 लाख रुपये के कुल निवेश का अनुमान है।

(ग) दोनों ग्रिड एक दूसरे से बिल्कुल अलग-अलग हैं। यदि मौजूदा गैस लाइनों को ग्रिड बनाने के लिए बढ़ाना आवश्यक हुआ, तो ऐसा किया जायेगा।

भारत नैपाल सीमा पर तस्करी का सर्वेक्षण

9358. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारत-नैपाल सीमा पर हो रही तस्करी की कार्य-प्रणाली का हाल में सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस सर्वेक्षण के अनुसार माल की तस्करी के परिणामस्वरूप देश को प्रति वर्ष कितनी हानि हो रही है ;

(घ) क्या सरकार ने इस जांच के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए स्थिति का सामना करने के लिए विशेष उपाय किये हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) यद्यपि भारत-नैपाल सीमा के आर-पार तस्कर व्यापार की प्रवृत्तियों और उसकी कार्यविधियों पर सतत निगरानी रखी जाती है, फिर भी इस बारे में सरकारी तौर पर कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) से (घ). चूंकि, कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है इसलिए उसके ब्यौरे देने या उस सिलसिले में कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी, भारत-नैपाल सीमा पर तस्करी गतिविधियों को रोकने के लिये कई उपाय किये गये हैं जिनमें अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति, सीमा पर कार्य करने वाले विभिन्न संगठनों के कार्यकलापों के बीच अपेक्षाकृत अच्छा समन्वय स्थापित करना और सीमाशुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1969 के उपबंधों को लागू करना शामिल हैं।

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के अंश

9359. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद में उनके द्वारा दिये गये आश्वासन के विपरीत गोयनका बन्धु इण्डियन स्टील कम्पनी के अंश, जो उन्होंने हाल ही में खरीदे थे, बेचने की बजाय वास्तव में और अधिक अंश खरीद रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उनके द्वारा अब तक इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के लगभग 10 करोड़ रुपये के अंश खरीदे गये हैं ;

(ग) क्या सरकार को कोई जानकारी है कि इतने बड़े पैमाने पर यह खरीदारी किस प्रकार हो रही है और पंजाब नेशनल बैंक तथा अन्य बैंकों का उसमें क्या योगदान रहा है ; और

(घ) इन मामले में समवाय विधि बोर्ड का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). पहले यह सूचना मिली थी कि श्री रामनाथ गोयनका और उनके सहयोगियों ने इण्डियन आयरन एण्ड स्टील

कम्पनी लिमिटेड के 248.82 लाख सामान्य शेयरों में से 70 से 80 लाख तक शेयर प्राप्त कर लिये हैं । किन्तु इस सम्बन्ध में ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है कि इस कम्पनी में गोयनका समूह के आज तक कितने शेयर हैं। गोयनका समूह द्वारा अधिक संख्या में इण्डियन आयरन के शेयरों की तथा कथित प्राप्ति के बारे में सूचना मिलने पर भारतीय रिजर्व बैंक ने पूछ-ताछ की थी लेकिन उपलब्ध अभिलेखों से कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका ।

(ग) यद्यपि सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई ठीक-ठीक सूचना नहीं है, लेकिन ऐसा पता चला था कि गोयनका समूह ने इंडियन आयरन के शेयर प्राप्त करने के लिए बैंकों की रकमें और कुछ कम्पनियों की रकमें भी इस्तेमाल की हैं। ऐसी भी सूचना प्राप्त हुई थी कि श्री गोयनका ने कुछ दलालों के साथ उनकी (श्री गोयनका) ओर से शेयर रखने की भी व्यवस्था की थी। पंजाब नेशनल बैंक ने इण्डियन आयरन के शेयरों के बदले गोयनका समूह को कुल मिलाकर लगभग 57 लाख रुपये के अग्रिम दिये थे । इसके अलावा, उक्त बैंक ने रिजर्व बैंक की स्वीकृति से, अगस्त, 1968 में दो पार्टियों को अग्रिम के रूप में 50 लाख रुपया दिया था ताकि वे इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में गोयनका समूह के शेयरों में से कुछ शेयर खरीद सकें । इस प्रकार उक्त बैंक ने इण्डियन आयरन के शेयरों के बदले कुल मिलाकर 107 लाख रुपये के अग्रिम दिये । ऐसा पता चला है कि इस रकम में से, ब्याज को छोड़कर इस समय 37 लाख रुपया बकाया है। अन्य बैंकों द्वारा दिये गये ऐसे अग्रिमों के बारे में आज तक की सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है। लेकिन 1967 में रिजर्व बैंक ने इन सभी बैंकों को यह सलाह दी थी कि वे इंडियन आयरन के शेयरों के बदले उनके द्वारा दिये गये 5 लाख रुपये से अधिक के अग्रिमों की वापसी का कार्यक्रम निर्धारित करें और बैंकों ने इस हिदायत पर अमल किया है । इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक ने जो पूछताछ की है, उससे श्री गोयनका द्वारा शेयरों की तथाकथित और खरीद में किसी बैंक द्वारा सहायता दिये जाने का पता नहीं चला है ।

(घ) गोयनका समूह द्वारा प्राप्त शेयरों के बारे में पूरा-पूरा ब्योरा न होने के कारण, समवाय विधि बोर्ड के लिए समवाय अधिनियम की धारा 250 के अधीन कोई कार्रवाई करना कठिन है । पर बोर्ड ने श्री रामनाथ गोयनका द्वारा नियंत्रित एक कम्पनी की लेखा-पुस्तकों की पूरी-पूरी जांच करने का निश्चय किया है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता

9360. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भविष्य में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता न बढ़ाने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसे दृष्टि में रखते हुए सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की सूची से दूध तथा घी को निकाल दिया है जो मूल्य सूचकांक का हिसाब लगाने के लिये, जिसके आधार पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाया गया था, शामिल की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो इन वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से निकालने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी मुद्रा देना

9361. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1966, 1167 और 1968 में मंत्रियों, विद्यार्थियों, अधिकारियों, व्यापारियों, चिकित्सा के लिये विदेश जाने वाले व्यक्तियों, मनोरंजन के लिये विदेश जाने वाले व्यक्तियों तथा चलचित्र जगत के लोगों के लिये कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा दी गई ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : अध्ययन, व्यवसायिक यात्रा, चिकित्सा और सैर-सपाटे के लिये विदेश जाने वाले व्यक्तियों और चलचित्र जगत के व्यक्तियों को दी गयी विदेशी मुद्रा का विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है।

विवरण

(आंकड़े लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	ब्योरा	1966	1967	1968
1.	अध्ययन	542	592	540
2.	व्यवसायिक यात्रा	223	362	434
3.	चिकित्सा (परिचरों के लिए दी गई विदेशी मुद्रा भी शामिल है)	43	54	46
4.	विदेश में सैर-सपाटा	शून्य	शून्य	शून्य
5.	चलचित्र जगत के व्यक्तियों को (निर्यात प्रोत्साहन, फिल्म समारोहों में भाग लेने, फिल्मों की निर्धारित स्थान पर शूटिंग आदि के लिए)	1.78	3.81	3.39

मंत्रियों और अधिकारियों के सम्बन्ध में यह सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

ओखला बांध

9362. **श्री न० रा० देवधरे** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्यमान ओखला (दिल्ली) बांध से जलप्रवाह की ओर एक नया बांध बनाया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ;

(ग) इस परियोजना के लिये वित्त की व्यवस्था किस प्रकार की जायेगी ; और

(च) इससे किन-किन राज्यों को लाभ होगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश और हरियाणा की आवश्यकताओं के पूरा करने के लिए तथा दिल्ली जल सप्लाई स्कीम के संबंध में अन्य आवश्यकताओं को पुरा करने के लिए यह प्रस्ताव रखा गया है कि वर्तमान श्रीखला बीयर के अनुस्रोत एक नया बराज बनाया जाए । सम्बन्धित राज्य सरकारें तथा केन्द्रीय सरकार इसकी जांच कर रही है ।

(घ) हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और संघीय प्रदेश दिल्ली ।

उत्तर प्रदेश में उठाऊ सिंचाई योजनाएं

9362—क. विश्वनाथ पाण्डेय : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र की स्वीकृति तथा केन्द्र से सहायता के लिये उठाऊ सिंचाई योजनाएं भेजी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है तथा उन पर केन्द्र ने क्या निर्णय किया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित सात उठाऊ सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया था :—

1. जमानिया पम्प नहर परियोजना
2. डलमऊ पम्प नहर परियोजना
3. भोपाली पम्प नहर परियोजना
4. टोन्स पम्प नहर परियोजना
5. रेन पम्प नहर परियोजना
6. मोरा पम्प नहर परियोजना
7. सिलोरा पम्प नहर परियोजना
8. सुल्तानपुर पम्प नहर परियोजना
9. किशनपुर पम्प नहर परियोजना
10. श्रीगासी पम्प नहर परियोजना

योजवा श्रायोग ने निम्नलिखित स्कीमें स्वीकार की हैं :—

1. जमालिया पम्प नहर । 2. डलमऊ पम्प नहर । 3. भोपाली पम्प नहर । 4. टोन्स पम्प नहर । शेष छः स्कीमों की तकनीकी जांच केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में, राज्य सरकार से सलाह करके, हो रही है ।

स्वीकृत स्कीमों पर राज्य योजना के एक भाग के रूप में धन लगाया जाता है ।

बिड़ला उद्योग समूहों के विरुद्ध आरोप

9362—ख. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि सरकार द्वारा संसद् के समक्ष रखे गये सरकारी पत्रों के अनुसार

बिड़ला उद्योग समूह के विरुद्ध लगाये गये 93 आरोपों में से, 47 का सम्बन्ध उनके मंत्रालय से था ; और

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितने उस समय के हैं कि जब से वह वित्त मंत्री हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) संभवतः, इस प्रश्न का संबंध बिरला समूह के विरुद्ध श्री चन्द्रशेखर, सदस्य, राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत ज्ञापनों में दिये गये आरोपों के सम्बन्ध में संसद् में पेश किये गए सारिणीबद्ध विवरण-पत्र से है। उल्लिखित विवरण-पत्र में दिये गये आरोपों की कुल संख्या 93 है; इस विवरण-पत्र से यह मालूम हो जाएगा कि इनमें से 44 का (न कि 47 का) सम्बन्ध वित्त मंत्रालय से है।

(ख) 44 आरोपों में से बहुत से आरोप आम स्वरूप के हैं, जिन्हें किसी अवधि विशेष से सम्बन्धित या सीमित नहीं किया जा सकता है। कुछ अन्य आरोप ऐसे हैं जिनका सम्बन्ध एक से अधिक वित्त मंत्रियों के कार्यकाल से है। अवधि के आधार पर—जिसका या तो स्वतः आरोप में स्पष्ट उल्लेख है अथवा जिसका पता आरोप में दी गई किसी घटना विशेष के संदर्भ से चलता है केवल 6 आरोप पूर्णतः और दो आरोप अंशतः ऐसे हैं जिनका सम्बन्ध वर्तमान उप-प्रधान मंत्री के वित्त मंत्री के रूप में पहले के या वर्तमान कार्यकाल से जोड़ा जा सकता है।

इम्फाल की फर्मों द्वारा देय आयकर की बकाया राशि

9362 ग: **श्री एम० मैघचन्द्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1967-68 और 1968-69 के अन्त तक इम्फाल की इन फर्मों अर्थात्, (एक) मैसर्स जमुनालाल मांगीलाल एण्ड कम्पनी ; (दो) हार्डवायर एक्सचेंज, इम्फाल ; (तीन) आर्यावर्त हार्डवेयर स्टोर्स ; तथा (चार) जेम्स इंजीनियरिंग द्वारा देय आयकर की बकाया राशि कितनी थी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। वह एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

भारत के स्टेट बैंक में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लिए पदों का आरक्षण

9362 घ. **श्री सोमचन्द्र सोलंकी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के स्टेट बैंक द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षण के बारे में नियमों का सभी राज्यों में पालन किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो गुजरात राज्य में भारत के स्टेट बैंक की सब शाखाओं में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) आरक्षण सम्बन्धी नियमों की क्रियान्विति के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारत के स्टेट बैंक द्वारा अपनाये गये अधीनस्थ संवर्गों में सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम

जातियों के लिए पदों का आरक्षण सम्बन्धी नियमों का पालन किया जाता है। समूचे भारत में इन नियमों को समान रूप से लागू किया जा रहा है।

(ख) 31 दिसम्बर, 1968 को स्टेट बैंक के अहमदाबाद सर्किल में, जिसमें गुजरात राज्य की सभी शाखाएं आती हैं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का प्रतिशत 3.6 था।

(ग) और (घ). उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

Complaint against Volga Hotel, New Delhi for Non-Payment of Income-Tax

9362-E. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a complaint was made to the Income-Tax Department regarding non-payment of Income-tax to the tune of Rs. 50 lakhs by the Volga Hotel-cum-Restaurant, Cannaught Place, New Delhi for which the complainant was given an award of one thousand rupees in February, 1968 ;

(b) whether it is also a fact that since then, no action has been taken so far for the recovery of income-tax ; and

(c) the action taken, if any, against Government officials responsible for the non-recovery of income-tax so far ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) A complaint of tax evasion against the Volga Restaurant has been received. In the interests of successful investigations and the security of the informer, it will not be desirable to disclose the details of the complaint or of reward given to the informer.

(b) Investigations are going on. The question of levy of tax and its recovery will arise only after the investigations are completed.

(c) Does not arise, in view of reply to part (b) above.

Assistance to Madhya Pradesh for Ujjain Kumbha Fair

9362-F. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state the details of assistance provided by the Central Government to the Government of Madhya Pradesh in connection with the Ujjain Kumbha fair ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : As requested by the Government of Madhya Pradesh, two jet gun injectors for carrying out vaccination against small pox and cholera were supplied. Cholera vaccine was also offered to the State but they did not avail of it.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

डा० जाकिर हुसैन के अन्त्येष्टि समारोह में भाग लेने के बारे में इजरायल को कथित इंकार

Shri Balraj Madhok (South Delhi) : Mr. Speaker, I call the attention of the Ministry of External Affairs to the following matter of urgent public importance and request him to make a statement in regard thereto :-

"Reported refusal of permission by the official of the Ministry of External Affairs

to Mr. Barmer of Israel Trade Mission in Bombay, to participate on behalf of his country in the funeral ceremony of Late Dr. Zakir Husain."

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : बम्बई स्थित इसराईली कोंसल से इस आशय की कोई पूर्व सूचना नहीं मिली थी कि वे स्वर्गीय राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन के अंतिम संसकार में भाग लेना चाहते हैं ; इसराईल के उप-कोंसल ने दिल्ली में उनके आगमन की सूचना बहुत देर से 5 मई 1969 को सवेरे दी और वे दोपहर को 3-00 बजे बाद नमाचार प्रमुख से मिले। इसराईली उप-कोंसल ने पूछा कि क्या वे स्वर्गीय राष्ट्रपति पर पुष्पमाला चढ़ा सकते हैं और क्या वे राष्ट्रपति भवन से शव-यात्रा में शामिल हो सकते हैं।

नयाचार प्रमुख ने उप-कोंसल को बताया कि राष्ट्रपति भवन में अंतिम-दर्शन का समय दोपहर 1-00 बजे तक था और अब इतनी देर बाद वे पुष्पमाला अर्पित नहीं कर पाएंगे लेकिन वे दूसरे दिन सुबह कब्र पर उन दूसरे विदेशी विशिष्ट व्यक्तियों के साथ पुष्पमाला अर्पित कर सकते हैं जो राष्ट्रपति भवन में समय से पूर्व पुष्पनाला अर्पित नहीं कर पाए थे। उन्हें यह भी बताया गया कि राजनयिक दल के व्यक्ति चूंकि इस शव-यात्रा में शामिल नहीं हो रहे थे और चूंकि नई दिल्ली से बाहर प्रत्यायित ऐसे कोंसली केन्द्र प्रमुखों से पहले सूचना नहीं मिली थी जिनका राजधानी में राजनयिक प्रतिनिधित्व नहीं था, इसलिए अंतिम संसकार में उनकी सम्मिलित होने की व्यवस्था नहीं की गई है और विलंब बहुत हो जाने की वजह से अब इसराईली उप-कोंसल के लिए विशेष प्रबन्ध करना बहुत मुश्किल होगा।

इसराईल के उप-कोंसल ने स्थिति को समझते हुए इस सूचना के लिए नयाचार प्रमुख को धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि वे दूसरे दिन सुबह जा कर स्वर्गीय राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन के मज़ार पर फूलमाला चढ़ा आएंगे। चूंकि उप-कोंसल महोदय खुद नयाचार प्रमुख से मिलने आए थे इसलिए उन्होंने उप-कोंसल को यह सुझाव दिया कि वे एक विशेष मामले के रूप में राष्ट्रपति भवन में नमाज़-ए-जनाजा में शामिल हो सकते हैं।

ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे यह स्पष्ट है कि नयाचार प्रमुख ने उनकी सहायता करनी चाही थी किन्तु वस्तुतः विम्लब इतना हो गया था कि इसराईली उप-कोंसल के लिए और कुछ करना उनके लिए सम्भव नहीं था।

श्री बलराज मधोक : यहां इस प्रश्न के दो पहलू हैं—पहला है राष्ट्रीय हित का और दूसरा है अन्तर्राष्ट्रीय शिष्टाचार तथा औचित्य का। जहाँ तक राष्ट्रीय हित का सम्बन्ध है, पश्चिम एशिया हमारे लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वहां का युद्ध हमें बड़ा मंहगा पड़ा है और स्वेज नहर के बन्द होने के कारण हमें प्रतिवर्ष बढ़े हुए भाड़े के रूप में 30 करोड़ रुपये से अधिक देना पड़ रहा है, इसलिए, यह हमारे हित में है कि उस क्षेत्र में शान्ति बनी रहे और यह तभी हो सकता है जब हम शान्ति स्थापना में लगे रहें। मुझे यह कहते हुए बड़ा खेद हो रहा है कि पश्चिम एशिया के मामलें में भारत सरकार जो पार्ट अदा कर रही है वह हमारे राष्ट्र के हित में नहीं है। हम अरबों का समर्थन करते रहे हैं। अरब लोग हमारे कितने मित्र हैं यह बात 1965 के युद्ध में स्पष्ट हो गई थी। हम जानते हैं कि अरब लोग रूसियों के हाथ में हैं। और अब रूस की नीति में भी परिवर्तन आ गया है और वह पाकिस्तान के समीप जा रहा है, अरब लोगों को भी

पाकिस्तान के समीप जाना पड़ेगा। अतः भारत को अपने हित के लिए शान्ति स्थापक का पार्ट अदा करना चाहिए। इजरायल हमारे साथ हमेशा मित्र की भांति रहा है। पिछले जब हम सुरक्षा परिषद् में एक सीट के लिए हम लड़े तो अरब ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया यद्यपि बारी हमारी थी। उस समय इजरायल की ही सहायता से हम सुरक्षा परिषद् में एक सीट प्राप्त करने में सफल हुए थे। अतः यह उचित अवसर है कि भारत को अपनी नीति में परिवर्तन करके इजरायल के साथ मित्रता कायम करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय: निसंदेह आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठा रहे हैं लेकिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव केवल स्वर्गीय डा० जाकिर हुसैन के अन्त्योष्टि समारोह में भाग लेने की बात से सम्बन्ध रखता है।

श्री बलराज मधोक: हमें अरबों के दबाव में नहीं आना चाहिए। हमें इरान और टर्की जैसे मुस्लिम देशों के साथ, जो कि इजरालय के भी घनिष्ट मित्र है, सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए। दूसरा प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय शिष्टाचार तथा औचित्य से संबंधित है। जब हमने साम्यवादी चीन, पाकिस्तान, शेख अब्दुल्ला जैसे अपने शत्रुओं को स्वर्गीय राष्ट्रपति के शव पर फूलमाला चढ़ाने दी और उनकों काफी महत्व दिया तो इजरायल जसे मित्र देश के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, नेहरु जी और शास्त्री जी के अन्त्येष्टि समारोह में इजरायल ने भाग लिया था। इस बार उनके कोंसल बीमार थे अतः उन्होंने अपने उप-कोंसल को भेजा। उन्होंने 10 बजे प्रातः आकर भारत सरकार से सम्पर्क स्थापित किया। 10 से लेकर 1 बजे तक काफी समय था जब कि उचित निर्णय लिया जा सकता था। लेकिन निर्णय लेने की बजाय उन्होंने जान बूझकर इसे टाल दिया और अन्त्येष्टि समारोह में शामिल होने तक की अनुमति नहीं दी। यह न केवल उस राजदूत के साथ बल्कि इजरायल सरकार और इजरालय तथा भारत के लोगों के प्रति जान बूझ कर किया गया अशिष्टाचार है। हम जानते हैं कि शोक के अवसर पर सारे भेद-भाव भुला दिए जाते हैं लेकिन इस अवसर पर उन लोगों को शव यात्रा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गयी, हांलाकि वह इसी उद्देश्य से राजधानी में आये थे। इस प्रकार का यह केवल पहला अवसर ही नहीं है। कुछ समय पीछे जब राष्ट्रपति जलमन शाजर हमारे देश की यात्रा करना चाहते थे, हमने उनको अनुमति नहीं दी। तब, जब उनके कोंसल एक भोज देना चाहते थे तो हमने अनुमति नहीं दी, यह तीसरा वक्त है जब हमने उनके साथ अशिष्टाचार पूर्ण व्यवहार किया है।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय से कुछ विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि वे उनका विशेष उत्तर भी देंगे।

पहले, क्या यह एक गलती थी अथवा वैदेशिक कार्य मंत्रालय के किसी अधिकारी का अधिक जोश था या यह सरकार की अपनी नीति थी ? अगर किसी अधिकारी द्वारा भूल हुई है तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है। दूसरा, मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार पश्चिमी एशिया के प्रति अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लायेगी ताकि वह विपति ग्रसा क्षेत्र में शान्ति स्थापना के कार्य में शामिल हो सके, तीसरा, क्या इजरायल के साथ उसी प्रकार राजनयिक सम्बन्ध रखेगी जिस प्रकार जर्मन लोकतंत्र गणतंत्र के साथ है। अन्त में, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इसरायल की जनता व सरकार से उनके प्रति अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा मांगेगी ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : माननीय सदस्य ने कई बातों को उठाया है और मैं उनका उत्तर संक्षेप में दूंगा। माननीय सदस्य इस बात को तो मानेंगे कि हम पश्चिमी एशिया में शांति स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसरायल के साथ सम्बन्ध राष्ट्रीय हितों और राजनयिक व्यवहार पर आधारित है। यह नीति का मामला है। मंत्रालय के मांगों पर बहस के दौरान मैंने इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की है।

जहाँ तक बम्बई स्थित इसरायल के वाणिज्य दूत के प्रति अभ्रद्रता का प्रश्न है, मैं यह कहना चाहता हूं कि उनके पास हमें अपने आगमन के बारे में सूचना देने के लिए पर्याप्त समय था परन्तु ऐसा नहीं किया गया। हमारे पास विश्व के अन्य देशों के सरकारों से सूचना प्राप्त हुई थी और हमने उनका हवाई अड्डे पर स्वागत किया था।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : आपको इसरायली प्रतिनिधि ने सूचना दे दी थी परन्तु आपने उनको अनुमति नहीं दी।

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह से वाद विवाद में बाधा नहीं डाल सकते। अगर श्री मघोक को कुछ कहना है तो वे उठकर अपनी शिकायत रख सकते हैं, यह ठीक नहीं है कि आप इस तरह बीच में बोलें।

श्री बलराज मधोक : उनको सूचना दी गई थी। चूंकि वाणिज्य दूत अस्वस्थ थे अतएव उन्होंने उप-वाणिज्य दूत को भेजा। और ज्योंहि वे आये, उन्होंने सरकार को सूचित किया। क्या फूलमाला चढ़ाने के लिए चार घंटे पूर्व सूचना देना पर्याप्त नहीं था ?

श्री दिनेश सिंह : मैं यह बता रहा था कि भारत में स्थित एक मिशन के लिए मृत्यु के उपरांत पूर्व सूचना देने के लिए पर्याप्त समय था। दिल्ली के बाहर की कई संस्थाएं और अन्य देशों के वाणिज्य दूतों ने पुस्तक पर हस्ताक्षर करके अपना सम्मान प्रकट किया। इसरायल के वाणिज्य दूत ने भी ऐसा किया, अतएव उनके प्रति उपेक्षा का भाव अपनाने का प्रश्न ही नहीं उठता। उनके आने की कोई पूर्व सूचना नहीं थी।

श्री बलराज मधोक : वे गलती पर हैं। मैं चुनौती देता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : पार्थिव शरीर को दर्शन के लिए तीन दिन रखा गया और तीसरे दिन के 10 बजे उन्होंने सूचित किया था।

श्री दिनेश सिंह : यही मैं कह रहा था। प्रोटोकोल के मुख्य अधिकारी ने इसरायल के उप वाणिज्य दूत का स्वागत किया और उस समय भी देरी से आने वाले कई विदेशी गणमान्य व्यक्ति भी थे। चूंकि देरी होने के कारण वे फूलमाला नहीं चढ़ा सके अतएव यह व्यवस्था अगली सुबह के लिए की गई। उनको यह बता दिया गया था कि राजनयिक दूतवर्ग जलूस में भाग नहीं ले रहे हैं अतएव उसमें शामिल होने का प्रश्न नहीं उठता है।

जहां तक उनके जाने का सम्बन्ध है, इस बारे में मुझे यह कहना है कि विशिष्ट अतिथियों के कारण सुरक्षा सम्बन्धी उपाय अपनाये जाने थे। कारों के शीशों में लगने वाले लेबल जारी कर दिये गये थे तथा पुलिस को सूचित कर दिया गया था। इसरायल के उप वाणिज्य-दूत के

लिए जो व्यवस्था की गई उसकी उन्होंने प्रशंसा की । जहां तक पश्चिमी एशिया और इसरायल के प्रति नीति का संबंध है, उसको इस घटना के साथ न जोड़ा जाये ।

श्री बलराज मधोक : क्या आप वाणिज्य दूत के कार्यालय को दिल्ली लाने की अनुमति देंगे ताकि भविष्य में ऐसी बात न हो ? (व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : मैं यह बता देना चाहता हूँ कि इसरायल का जो वाणिज्य दूत है वह जर्मन लोकतन्त्र गणतंत्र के व्यापारिक प्रतिनिधि से पदवी में ऊंचा है ।

जहां तक उनके कार्यालय को दिल्ली में लाने का प्रश्न है, इस बारे में सभा में चर्चा हो चुकी है और यह अनुभव किया गया है कि ऐसा करने की अभी आवश्यकता नहीं है ।

सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम (संशोधन) नियम 1969 और दिल्ली विकास प्राधिकार के प्रमाणित लेखा

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चन्द्रशेखर) : मैं श्री के० के० शाह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उप-धारा (2) के अधीन खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 1969 की एक प्रति जो दिनांक 8 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 532 (अंग्रेजी संस्करण) तथा 533 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) उपयुक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1090/69]

(2) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 25 की उपधारा (4) के अधीन दिल्ली विकास प्राधिकार के वर्ष 1966-67 के प्रमाणित लेखे की एक प्रति, तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1091/69]

मिट्टी का तेल (उच्चतम मूल्यों का निर्धारण) दूसरा संशोधन आदेश, 1969

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन मिट्टी का तेल (उच्चतम मूल्यों का निर्धारण) दूसरा संशोधन आदेश, 1969 जो दिनांक 26 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र

में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1040 मे प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1092/69]

कम्पनी अधिनियम की धारा 619--क के अधीन पत्र

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619--क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, के 1967-68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, का 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखा-परीक्षा की टिप्पणियां। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1093/69]

भारत के जीवन बीमा निगम के व्यय की जांच सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) भारत के जीवन बीमा निगम के व्यय की जांच सम्बन्धी-समिति के प्रतिवेदन के मुख्य निष्कर्षों तथा सिफारिशों के सारांश की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1094/69]

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अधीन केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (पांचवा संशोधन) नियम, 1969 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 26 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1023 में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1095/69]

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 1020 (अंग्रेजी संस्करण) तथा जी० एस० आर० 1022 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 26 अप्रैल, 1939 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) जी० एस० आर० 1081 जो दिनांक 28 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1096/69]

(4) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अधीन जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 407 जो दिनांक 22 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) जी० एस० आर० 408 जो दिनांक 22 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(तीन) जी० एस० आर० 778 (अंग्रेजी संस्करण) तथा जी० एस० आर० 779 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 15 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) जी० एस० आर० 849 जो दिनांक 20 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(पांच) जी० एस० आर० 850 जो दिनांक 20 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(छः) जी० एस० आर० 1037 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1038 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 24 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल0 टी0 1097/69]

अखबारी कागज सम्बन्धी आयात नीति

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं के बारे में वर्ष 1969-70 के लिये अखबारी कागज सम्बन्धी आयात नीति के बारे में दिनांक 12 मई, 1969 की सार्वजनिक सूचना संख्या 68—आई टी सी (पी एन)/69 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 1144/69]

———

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

COMMITTEE OF ABSENSE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

दसवां प्रतिवेदन

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रतनगिरी) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का दसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करती हूँ ।

———

नर्मदा जल-विवाद के बारे में वक्तव्य

STATEMENT REGARDING THE NARMADA WATER DISPUTE

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (डा० के० एल० राव) : जैसा कि सदन को मालूम है नर्मदा जल विवाद पर 1963 से विचार-विमर्श और बातचीत चलती रही है। इस सम्बन्ध में मध्य-प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों के साथ परामर्श करके केन्द्रीय सरकार ने डा० ए० एन० खोसला की अध्यक्षता में एक विशेष समिति नियुक्त की थी जिसकी रिपोर्ट 1965 में प्राप्त हुई थी। तदनन्तर, तकनीकी स्तर पर और मुख्य मंत्रियों के साथ लम्बे विचार-विमर्श हुए।

हाल ही में यह देखने के लिए कि इस विवाद को बातचीत द्वारा हल करने की कोई संभावना है या नहीं, एक और प्रयास किया गया परन्तु वह व्यर्थ ही रहा। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य मन्त्री का प्रस्ताव है कि इस विचार-विमर्श को मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच जारी रखा जाए जबकि गुजरात के मुख्य मन्त्री का कहना यह है कि अतीत में हुए विचार-विमर्श और विस्तृत बातचीत को देखते हुए आगे और विचार-विमर्श करने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। गुजरात और राजस्थान के मंत्रियों ने इस विवाद को न्यायाधिकरण के विचारार्थ भेजने के लिए कहा है। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री को इस कार्यवाही पर कोई आपत्ति नहीं है।

चूंकि इस विवाद को बातचीत द्वारा हल करने के प्रयत्न में कोई लाभदायक परिणाम नहीं निकले हैं, इसलिए भारत सरकार इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि नर्मदा जल विवाद को हल करने के लिए न्यायाधीकरण का गठन करने हेतु अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कार्यवाही करनी पड़ेगी।

तदनुसार, न्यायाधीकरण का गठन करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

———

समाजवादी युवक सेवक समाज द्वारा प्रदर्शन के बारे में

RE : DEMONSTRATION BY SAMAJWADI YUVAK SAMAJ

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : समाजवादी युवक सभा की अध्यक्षता में देश भर के युवकों ने संसद तथा देश का ध्यान बेकारी की ओर दिलाने के लिए संसद भवन के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने एक ज्ञापन दिया है जिसमें कहा गया है कि योजना का प्रारूप इस प्रकार होना चाहिए जिससे निश्चित समय सीमा के अन्दर बेरोजगारी की समस्या को सुलझाया जा सके। मैं इस ज्ञापन को सभा पटल पर रखता हूँ ताकि सरकार इस पर कार्यवाही करे।

श्री नाथपाई (राजापुर) : हम जान सकते हैं कि प्रधान मंत्री महोदय ने उनको क्या आश्वासन दिया है ?

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : ये बेरोजगार युवक संसद की सहानुभूति प्राप्त करना चाहते हैं। क्या आप प्रधान मंत्री अथवा सरकार से इस सम्बन्ध में कुछ कहने को कहेंगे, समूचे देश से ये युवक 14 और 15 दिनांक को यहां आ रहे हैं। संसद भवन के आस पास धारा 144

लगी होने के कारण वे यहां नहीं आ सकते। वहां इस तरह का प्रतिबन्ध नहीं लगा होना चाहिए। बेरोजगार युवकों को गिरफ्तार करने से कोई लाभ नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : निश्चय ही प्रधान मंत्री अपने वक्तव्य में इन सब का उत्तर देगी। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं धारा 144 के बारे में भी जानना चाहता हूं। यह प्रतिबन्ध उठा दी जानी चाहिए।

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : यह सच है कि समाजवादी युवक सभा का प्रतिनिधि मण्डल मुझ से मिला। उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है। मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं की ओर उचित ध्यान दिया जायेगा। यह समस्या शीघ्र नहीं सुलझाई जा सकती है परन्तु फिर भी हम सदस्यों द्वारा उठाये बातों की ओर ध्यान देंगे।

चौथी पंचवर्षीय योजना-प्रारूप के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION RE : FOURTH FIVE YEAR PLAN DRAFT—*Contd.*

श्री हुमायूं कबीर (बसिरहाट) : आज जो यह स्थिति उत्पन्न हुई है, यह तीन योजनाओं की आधारभूत गल्तियों से हुई है। इनमें बेरोजगारी की समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया गया था। गत 18 और 19 वर्षों में कृषि उत्पादन काफी बढ़ा है। औद्योगिक उत्पादन में भी वृद्धि हुई है परन्तु साथ ही बेरोजगारी भी काफी बड़ी है। संविधान के अनुच्छेद 39 में उल्लिखित है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जीविका कमाने के लिए प्रत्येक अवसर दिये जाने चाहिए। परन्तु योजनाओं में रोजगार की व्यवस्था नहीं की गई है। मेरे विचार में आज जो कठिनाइयां पैदा हुई हैं वह सब इसी के कारण हुई हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

उस समाज में जहां प्रत्येक के पास रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं वहां इस तरह के संघर्ष उत्पन्न नहीं होते हैं। मैं समझता हूं कि इस चतुर्थ योजना में, जो कि पूर्व योजनाओं की भांति ही पेश की गई है, भी यही गल्ती है।

भारत में बेरोजगारी बढ़ने के तीन मुख्य कारण हैं। पहला, भारी उद्योगों की स्थापना में आवश्यकता से अधिक ध्यान दिया गया है और अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा की गई है। वास्तव में राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के अन्य पहलुओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया है :

बढ़ती हुई बेरोजगारी का दूसरा कारण त्रुटिपूर्ण वित्तीय नीतियां हैं। इससे उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है। इस्पात का मूल्य इसका उदाहरण है। इसी प्रकार चीनी तथा अन्य वस्तुओं के बारे में यही बात है। हमारी स्थिति विचित्र है। हम उत्तम किस्म का सूत आयात करने के लिए 100 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय करते हैं जबकि हमारा सूती वस्त्र का निर्यात 80 करोड़ रुपये का है।

यह सच है कि दो या तीन वर्ष से निर्यात व्यापार बढ़ा है परन्तु आंकड़े भ्रांतिपूर्ण हैं। क्योंकि 1960-61 में 1000 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ और 1967-68 में हाल ही के उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार 1200 करोड़ रुपये का हुआ है, अर्थात पिछले आठ वर्षों में केवल 120 करोड़ रुपये का अधिक निर्यात हुआ है। परन्तु यह वृद्धि बहुत अधिक आर्थिक सहायता मिलने के कारण हुई है। योजना आरम्भ करने से पूर्व घाटे का व्यापार प्रतिवर्ष 54 करोड़ रुपये था, परन्तु दूसरी योजना के दौरान यह 400 करोड़ रुपये का तथा तीसरी योजना में 600 करोड़ रुपये का हो गया था। 1966 के पश्चात जब योजना प्रति वर्ष के हिसाब से लागू हो गई है और 1967-68 में यह घाटे का व्यापार 750 करोड़ रुपये तक का हो गया है ; यह तो आज तक की स्थिति है।

सरकार की गलत आर्थिक नीतियों तथा भारी उद्योगों के अनुचित समाहरण के कारण कृषि उद्योगों तथा कृषि को हानि पहुंचाने के साथ-साथ सरकार बहुत हस्तक्षेप भी कर रही है। इस दिशा में किसी प्रकार के परिवर्तन की आशा नहीं है। योजना आयोग ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि कृषि की ओर हमने कोई ध्यान नहीं दिया अपितु आरम्भ में उपेक्षा ही की है। भारी उद्योगों में केवल एक प्रतिशत की कमी हुई थी, परन्तु यदि परिवहन तथा संचार और भारी उद्योगों को मिलाकर देखे तो तीसरी योजना में इनके लिए मिली जुली जो व्यवस्था की गई थी वह 41.4 प्रतिशत थी जबकि चौथी योजना में 42 प्रतिशत थी। अत. इसमें वृद्धि ही हुई। वास्तव मे इस बल परिवर्तन या कोई भी संकेत नहीं मिलता है दूसरी ओर ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए भी बहुत कम धन की व्यवस्था की गई है, तीसरी योजना के अन्तर्गत 4.1 प्रतिशत की व्यवस्था थी तो चौथी योजना में घटकर 3.1 प्रतिशत रह गई है। इससे भी यही संकेत है कि कृषि उद्योगो की लगातार उपेक्षा की गई है।

इसी प्रकार चौथी योजना के अन्तर्गत कृषि के लिए कुछ ही अधिक की व्यवस्था की गई है। परन्तु यदि हम सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण को भी ले तो इस दिशा में भी वही शोचनीय स्थिति है, क्योंकि तीसरी योजना में इस के लिए मिली जुली व्यवस्था 30.2 प्रतिशत थी जबकि चौथी योजना में यह घटकर 19.9 प्रतिशत रह गई। इसलिए कृषि के सम्बन्ध में भी और आगे कमी की गई है। जिससे कृषि में बहुत कम प्रगति हुई हैं, तथा कृषि के उत्पादन में भी बहुत क्षीण वृद्धि हुई है। कृषि क्रान्ति के विषय में हमें बताया जाता है, श्रम प्रधान कृषि विकास कार्यक्रम के विषय में बताया जाता है, परन्तु खेद की बात है कि यह सब कुछ शब्दों तक ही सीमित है।

कृषि पर लागत को देखें तो पिछले आठ वर्षों के दौरान श्रम प्रधान कृषि विकास कार्यक्रम के क्षेत्र में 75 प्रतिशत से भी अधिक है तथा पारम्परिक कृषि क्षेत्र में 50 प्रतिशत से अधिक है परन्तु इसकी तुलना में उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है 1967-68 में जो उत्पादन हुआ वह 1960-61 में हुए उत्पादन से लगभग 10 प्रतिशत अधिक था, परन्तु 1964-65 के उत्पादन से वास्तव में कम था। अतः इसकी ओर प्रधान मंत्री जी तथा योजना आयोग के अन्य सदस्यों को विशेष ध्यान देना चाहिए। 1964-65 से प्रति एकड़ उत्पादन कम होने लगा, ऐसा क्यों है ?

खरीफ की फसल में अन्न की उपज में वृद्धि 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हुई है जबकि धन बहुत अधिक मात्रा में खर्च किया गया है और स्थिति अभी भी गम्भीर बनी हुई है। खाद्य

उत्पादन दुगुणा हुआ है वह केवल इसलिए कि क्षेत्रों में वृद्धि हुई है।

सरकार की नीतियां गलत हैं इसका परिणाम यह है कि देश में केवल आर्थिक बोझ ही नहीं पड़ेगा बल्कि देहातों में भी बड़े पैमाने पर बेकारी की समस्या से समाज में विकृति पैदा हो जाएगी।

मूल्यों के प्रश्न को लेते हुए 1952-53 के मूल्यों के आधार पर 1960-61 में खाद्यानों का थोक मूल्य सूचांक 102 था जो 1966-67 में बढ़कर 220 पर पहुंच गया। अतः 1960-61 से इसमें बहुत अधिक तेजी से वृद्धि हुई है। नियंत्रण के हटाने से तथा उत्पादन में वृद्धि करने से भी मूल्य कम नहीं हुए हैं। यह सब गलत नीतियों के ही परिणाम है एक कारण अन्न क्षेत्रों एवं अन्न के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने पर प्रतिबन्ध भी हैं इन बातों के कारण मूल्य अपने साधारण स्तर तक नहीं आ पाते।

2000 करोड़ रुपये की बिजली थी व्यवस्था के स्थान पर गांवों में बिजली के लिए केवल 150 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। कृषि के विकास एवं कृषि उद्योगों के लिए देहातों में और अधिक बिजली देनी चाहिए। मगर राशि कम की जा रही है।

इस समय स्थिति बहुत खराब है परन्तु सुधार हो सकता है, यदि सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन ले आये। इन सबके लिए सरकार को सबसे पहले तो बेकारी पर अधिकतम ध्यान देना चाहिए। देश में शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए लोगों को कारोबार देना बहुत आवश्यक है। केवल धर्मोपदेश देने के मात्र से कम नहीं चलेगा। कृषि-क्षेत्र में बड़े पैमाने पर यंत्रीकरण की व्यवस्था को लागू नहीं करना चाहिए। मैं ओटोमेशन के विरुद्ध नहीं हूँ पर इसके कारण जो 2000 व्यक्ति बेकार होंगे उन्हें अन्य समय कौन सा काम दिया जाएगा। अतः इसके विरोध में आन्दोलन नहीं करना चाहिए। परन्तु देश में अधिक संख्या में संसार भर से ट्रैक्टरों के आयात के कारण कोई भी आन्दोलन नही है।

कृषि, स्वाम्य-खेत तथा छोटे पैमाने पर कृषि-उद्योग और देहातों में बिजली पहुँचाने, सड़क निर्माण आदि के कार्य को यदि गम्भीरता से किया जाए तो बेकारी की समस्या का समाधान हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने से देश में लघु कृषि-उद्योग बढ़ेंगे।

देश के आन्तरिक बाजार भाव को उन्नति के लिए बहुत बल देते हुए आर्थिक नीति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। निर्यात कार्य केवल आर्थिक सहायता पर नहीं होना चाहिए। इसके लिए तो हमें अमरीका एवं रूस के सदृश आन्तरिक बाजार भाव का विकास करना अनिवार्य है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के अतिरिक्त आर्थिक जीवन के किसी भी पहलू में सरकार का हस्तक्षेप बहुत ही कम होना चाहिए। धन को भारी उद्योगों से हटाकर वनरोपण करके भूमि एवं जल के संरक्षण पर खर्च करना चाहिए जिससे नदियों का सूखना बन्द हो जाए। समय पर जल पूर्ति एवं विकास के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त कदम उठाये जाने चाहिएं।

अतः देश में सबसे पहले तो बेकारी की समस्या का समाधान होना आवश्यक है क्योंकि यदि 80 प्रतिशत व्यक्तियों को काम मिल जाए तो मध्ययम वर्ग के उद्योगों तथा भारी उद्योगों

आदि को सहायता मिलेगी। दूसरे उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए और जब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा हम खुले बाजार में नहीं टिक सकते। तीसरे उत्पादन की कोटि में सुधार किया जाना चाहिए। अतः मेरा स्थानापन्न प्रस्ताव है कि योजना आयोग को चाहिए वे योजना का मसविदा इन बातों को देखते हुए पुनः तैयार करें।

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : I support the Draft of the Fourth Five-Year Plan. It is not correct to say that Country did not make any progress during the last three plan periods. No doubt our country has made considerable progress. Even the Aeroplane and locomotives are being manufactured in country indegenously.

It has been stated that the Fourth Five-Year Plan is not very attractive. But this view is entirely wrong. This is a creative programme and every one should help in fulfilling the great task for the country. Again examining, the progress country had made during the last three plan period, we find that some parts of the country have not even been touched ; so far as the question of their development and improvement is concerned.

These areas have remained completely backward. Out of total investment of Rs. 1883.7 crores for the Industries in the country during the three plan periods only a provision of Rs. 72.1 crores was made for U.P. state industrial sector and that is a very meagre amount. This is proof of a great disparity. The per capita income of U.P. in the country is 45 whereas the provisions of Central investment made is only 9.5 per cent. In order to remove this disparity central projects should be established in U.P. for which the demand has been already made. On the basis of 8 or 10 per cent proposed investment in the Industrial sector in the country provision of Rs. 900 crores should be made to U.P. state, and if it is not possible for the centre, Rs. 350 or Rs. 400 crores should at last be provided, so that the back log in the industrial sector could be made good. For the progress and development of the country depends on the progress and development of U.P. state.

Licensing policy of Government should be lenient. Instead of giving licenes to private sector undertakings these should be given to the states like U.P., so that industries may be established. A list of Private sector undertakings in the U.P. prepared by the U.P. State Government can be laid on the Table of the House wherein you will find that a firm in Lucknow has requested for establishing a factory for the manufacture of small cars and scooters in the Eastern Districts of U.P. licences should be given in such cases...

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म०प० के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर पांच मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at five minutes past Fourteen of the Clock

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए]

[Shri Vasudevan Nair *in the Chair*]

Shri Chandrika Prasad : It is said that priority will be given to states facing particular problems during the fourth five year plan. U.P. State have been provided Rs 310 crores @ 10 per cent and out of that Rs. 25 crores are stated to have been earmarked to my area. This area has so many problems ; like heavy rains in some parts and unemployment etc. Moreover population is very thick as compared to other states. Keeping all these difficulties in view allocation of the provisions may be revied in such a way that U.P. state

may be able to have allocations @ 16—17 per cent so that state-plan may become successful.

It was contemplated to set up Atomic Power Station in Aligarh in the fourth plan period, but the same has not been included. Atomic Power station must be established in U.P. State.

India is an agricultural country and 80 per cent of the population work in the fields. Inspite of the fact that there are many rivers no proper provisions have been made for irrigation in the State Floods bring disaster every year in the eastern part of the state and even then only a sum of Rs. 8 crores has been earmarked for five years for flood control purposes. This amount is much less an amount and at least an amount of Rs. 20 crores should be earmarked for flood control work. There are no schools, hospitals etc. in this part of the state where the population is of 6 crores people. Assurance was given on the recommendations of The Patel Committee that Government of India will bear the burden for developing the eastern parts of the state, but these recommendations have not been implemented so far. These should be implemented during the Fourth Plan-period. Moreover, more and extensive central aid should be given to the hilly districts like Chamboli, Pithoragarh, Uttarkashi etc. in the same way as Central Government gives aid to Nagaland and Kashmir. Uttar Pardesh is the most important state of India and the progress and development of India depends on the progress and development of U.P. state. Moreover, these eastern district are the border areas along the border of China. For this reason also, particular attention should be given to these areas. Necessary modifications in the draft of the fourth five year plan is essential and inevitable.

One thing more, U.P. state Government never put Central Government into trouble by over drafting its plan, it carried on within its resources. Therefore more central aid should be provided to the state.

श्री अ० कु० किस्कु (झाड़ग्राम) : चौथी योजना के मसौदे में कहा गया है कि आदिवासियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सबसे पहला कदम उनको शोषण से बचाना है। परन्तु पता नहीं सरकार ने इन शब्दों को कितनी बार दोहराना है, क्योंकि सरकार ने असली तौर पर कुछ भी तो नहीं किया है। अब हम इन पर विश्वास नहीं करते। यह शोषण दो प्रकार से होता है आर्थिक दृष्टि से एवं राजनैतिक दृष्टि से। आदिवासियों के रूप में हमें तो यही पता चलता है कि सरकार ही स्पष्ट रूप में हमारा बुरी तरह से शोषण कर रही है।

सरकार ने बिहार में क्या किया ? वहाँ सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं ने आदिवासियों से भूमि हड़प कर उन्हें अपने ही घर में शरणार्थी बना दिया है। इन परियोजनाओं ने इन आदिवासियों को बेघरबार करके भी इन्हें काम पर नहीं लगाया। राँची, बोकारो, किरूबुरू इत्यादि लौह अयस्क एवं अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में जाकर सरकार देखे तो इसे पता चलेगा कि किस प्रकार से असंख्य आदिवासी बेकार पड़े हुए हैं। यही स्थिति चारों ओर है।

आदिवासियों का राजनीतिक स्तर पर भी शोषण किया जा रहा है। ग्वालपाड़ा, कामरूप, लखीमपुर तथा असम के अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग हमारे देश के चाय उद्योग में बड़े परिश्रम से काम करते हैं तथा देश के लिये विदेशी मुद्रा का अर्जन करते हैं किन्तु उन्हें सरकार आदिम जन जातियों को मिलने वाली सहुलियतों से वंचित कर रही है। मैदानी भागों में रहने वाले अनेक लोगों को यह मान्यता नहीं दी जा रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि अनुसूचित आदिम जाति के लोगों को प्रत्येक स्थान पर वही सुविधायें क्यों नहीं दी जाती जिनकी संविधान में उनके लिए व्यवस्था की गई हैं ? लोकुर समिति का मत है कि स्तर बदलने के बारे में असम सरकार का विरोध

किया जाता है और कहा जाता है कि ऐसा करने से गम्भीर राजनीतिक समस्याएं हो सकती हैं। यह कहना भी नितान्त मिथ्या है कि चाय बागानों को लगाने वाले नए वातावरण में अपनी आदिम जातीय विशेषताओं को त्यागना चाहते हैं। अतः क्या हम विश्वास करें कि सरकार हमारी रक्षा की व्यवस्था करेगी ?

यह योजना व्यर्थ ही नहीं अपितु घातक है। इससे अर्थ-व्यवस्था कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में चली जायेगी तथा हम लोग हमेशा के लिये गुलाम हो जायेंगे।

सरकार आदिमजाति विकास खंड कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक कार्यान्वित नहीं कर पाई है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों के साथ भेद-भाव भी रखा गया है। यद्यपि पश्चिमी बंगाल में 20 लाख आदिम जाति के लोग हैं किन्तु उस राज्य के लिए ऐसा विकास कार्यक्रम नहीं बनाया गया। उचित समय पर छात्रवृत्तियों को बांटने के बारे में किये गये प्रश्न के उत्तर में विधि मंत्री महोदय ने केवल 'हम विवश हैं' कह कर बात समाप्त कर दी है। महोदय ! यह उत्तरदायित्व से बचने का ऐसा ढंग है जिसको अपनाना ठीक नहीं था।

मेरा निवेदन है कि सदन में शोषण से सुरक्षा के बारे में विचार किया जाना चाहिए। लाखों अनुसूचित जातियों के व्यक्ति अस्पृश्यता के रोग से अभी भी पीड़ित हैं। इस योजना में जनता के सहयोग की बात कही गई है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस योजना का मसौदा तैयार करते समय आदिवासियों की स्थिति पर भी विचार किया गया था। हड़प्पा तथा मोहन जोदड़ो की योजना देखकर समस्त संसार चकित रह गया था। वह योजना आदिवासियों की ही बनाई हुई थी। हम इस देश के आदिवासी हैं तथा हम वर्तमान प्रजातन्त्रीय प्रणाली से पहले ही परिचित थे। किन्तु हमारी संस्कृति कला, विज्ञान तथा भाषा आदि की सरकार ने कोई सराहना नहीं की। हमें असभ्य तथा असुर आदि नाम से आज की पाठ्य पुस्तकों में परिचित कराया जाता है। मैं बताना चाहता हूँ कि आदिवासियों में संथालों ने ही सबसे पहली बार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। इसके अतिरिक्त बीसा भगवान के नेतृत्व के गुड़ा आदिम जाति के लोगों ने देशभक्ति का परिचय दिया था। किन्तु सरकार गत 20 वर्षों से हमारी उपेक्षा करती रही है तथा हमारा शोषण होता रहा है।

श्री द्विवेदी ने सभा में संकेत किया था कि नवयुवक बेरोजगारी के बारे में देश के नेताओं से विचार विमर्श करना चाहते हैं। अब वह समय आ गयाहै जब इस योजना पर विश्व विद्यालयों में नवयुवकों द्वारा विचार विमर्श होना चाहिए।

मैं क्षेत्रीय असंतुलन की ओर भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इस योजना में क्षेत्रीय संतुलन की चर्चा की गई है। यह महत्वपूर्ण बात है। पश्चिमी बंगाल के लोगों में यह भावना कार्य कर रही है कि गत 3 योजनाओं में उन्हें उनका उचित भाग नहीं दिया गया है। मंत्रिमंडल में भी पश्चिमी बंगाल का कोई प्रतिनिधि नहीं रखा गया है। यह भारी असंतुलन है तथा प्रधान मन्त्री को इस असंतुलन को समाप्त करना चाहिए।

कलकत्ता में शरणार्थियों की समस्या है, गंगा या दूसरे पुल की समस्या तथा सफाई और नालियों आदि की भी बहुत सी समस्याएं हैं।

पश्चिमी बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली ले जाना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि इस राज्य में पहले तो खाद्यान्न उत्पादन की कमी है । योजना में वहाँ की सड़कों तथा संचार व्यवस्था के लिये भी धन की व्यवस्था होनी चाहिए । उड़ीसा, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल सीमा क्षेत्रों के बारे में मैंने सरकार का ध्यान पहले भी दिलाया था । मेरा निदेदन है कि सरकार को इन क्षेत्रों का उचित विभाग करना चाहिए तथा इन राज्यों की सीमा रेखाओं को भी सुधारना चाहिए ।

Shri Raj Deo Singh (Jaunpur) : Mr. Chairman, sir, though our plans have been formulated on the basis of the directive principles enshrined in our constitution yet we have not yet achieved what exactly should have been achieved uptil now.

In the sphere of social justice all our campaigns to remove untouchability from the country were based on wrong notions. Untouchability is basically related to the economic objectners and privation of those who are considered untouchables. If the economic conditions of these people had been ameliorated, they would have enjoyed equal social status with rest of the people of our country. If we are really interested in removing the untouchability we will have to embark upon some economic programme for their social emancipation.

A sum of Rs. 300 crores has been allotted for the Family Planning in this Plan. But according to the programme being undertaken at present it is but obvious that this expenditure would be proved infructutous. I suggest, in this regard, that out of this amount Rs. 250 crores should be spent on the programmes of removing poverty with the view that poor people have higher human fecundity than the rest of the people and that the remaining amount should be spent on the family planning as such.

Emphasis should be laid on the uniform development in the various parts of the country. The concentration of wealth and the means of production should be broken by the Government. The procedure of issuing industrial licences is defective and the Government should improve this system. In view of the monopoly enjoyed by the three car manufacturing factories which have been constantly increasing the prices of their products the Government should undertake the manufacturing of small or people', car in the Public Sector.

It has been learnt that a committee have recommended that the industrialist should establish their industries in the areas which are already developed and industrialised. If the said recommendation is implemented in its real sprit, the different poverty pockets found in the country will be removed to a large extent.

According to one of the directive principles, free and compulsory education should have been provided to all the children upto the age of 14 years within the period of 10 years but it has not been fully achieved by us even alter the expiry of 18 years.

So far as the desirability of people's participation in the Plan is concerned the Government should make vigorous propaganda among the people regarding the Plan.

I should also mention that during the last three plan-periods the state of Uttar Pardesh has been much neglected. The per capita income of Uttar Pradesh has been decreased from Rs. 259.60 in 1951 to Rs. 254 now while in the same periods of time the national per capita income has been increased to Rs. 315 against Rs. 247 in 1951. Uttar Pradesh being the largest state of our country should be given central assistance commensurate with the population of this state. During the last five year plans and the annual plans the state of U.P. has been provided with only 72 crores of rupees for the centrally sponsored sector out of the total provision of Rs. 1883 crores. It is quite inadequate and the Government should consider the backwardness of this state sympathetically.

The back-wardness of U.P. can be well estimated with after lower availability of metaled road as compared to that of Rajasthan and Gujrat States.

It was also worked out by the National Council of Applied Economic Research in 1955 that out of most poverty-hit districts of the country 22 distends belonged to Uttar Pradesh state.

Shri Bal Raj Madhok (South Delhi) : The monstre of unemployment and the backwordness in our agriculture are basically inking the growth of our country.

The Government cannot wriggle out of their responsibility of midigating the number of unemployed persons in our country on the ground of the increasing population. All the countries of the world are in the grip of a increasing population. In this context our plans should have been formulated in the light of fighting unemployment. But what we actually observe to day is that there are every possibilities of increasing unemployment in future and that during the last three plan-periods unemployment has not been curbed to the desirable extent.

We have spent Rs. 4000 on our Public Sector but we have not considered this employment potentiality of the new factories undertaken by the Government in this sector. If new factories had been estabished with the view of their employment potentiality the problem of unemployment whould have been solved to some extent long ago.

The policy of maintaining our internal market, the sheltered market, based on going much importance to the small scale industries is not being implemented honestly. Due to this large scale industries are being established causing less employment opportunities.

Therefore I suggest that employment potential must be considered first before establishing any new factory in the country.

To remove the destructive attitude from the educated young community of our country the Government should make provisions in the plan under which they could be given financial aid to stants their own small scale industries on the co-operative basis.

Green revolution cannot be attained unless the water supply is augmented for this purpose of agriculture. Our irrigation plans are not being given full and proper importance. The Government are much interested in chemical fertilizers and though it is also an important item but without water agriculture cannot prosper. Rajasthan canal is not yet completed and if it had been completed then the Government whould have not spent a heavy amount on the draught relief programmes in Rajasthan.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[**Mr. Deputy Speaker** *in the Chair*]

In view of the sharp increase of 427.74% in the population of Delhi during the last 20 years Rs. 732 crores should be provided to Delhi for its development according to the Master Plan. The working group of the Planning Commission accepted about Rs. 210 crores out of Rs. 400 crores plans framed by the Delhi Administration. But in the Draft five year plan only a niggardly sum of Rs. 155 crores has been earmarked for Delhi. Besides, the Government are not willing to fargo these resources of Delhi amounting to Rs. 120 crores for its own utilisation. Our request is that the accepted amount of Rs. 218 crores and Rs. 120 crores likely to be earned by the Delhi Administration should be provided to Delhi in this Plan so as the inhabitants of Delhi may be given proper social amenities. The Governmeut should not have discriminatory attitude towards Delhi because of its having Jan Sangh administration.

Shri Mrityunjay Prasad (Maharajganj) : This subject is very wide and it requires a lot of things to be said. I feel there is discontentment over the plan in all quarters.

A lot of things have been said and yet a lot of things remains to be said. Our resources are very limited. We are not short in the numerical strength but still we lack in skilled manpower as there is shortage of skill in most of the spheres. I am in favour of

public sector undertakings and have some experience of these undertakings but I am dissatisfied over their present condition. Whosoever prepares a project report is interested that it is accepted and with that motive only half of the expenditure is shown in the first instance. It is necessary to examine the carefulness of the drafters of the project, and those who do their jobs in an improper manner should not be entrusted the responsible tasks in the future.

The examiners of the draft reports should find out the facts and remove the flows.

We were able to obtain loans easily and as such we invested them without little realising in view that the money has to be paid back some day. That can only be done through increased production. Our first difficulty towards that goal is the lack of commercial enterprising skill in our Administrations. Secondly, we are not able to work out quantum of work per man. per day. So various persons who do less work get more credit. Thirdly. our factories are producing much less that their production capacity. In certain cases it is as low as 4% and in various cases it is 30—40% While these three drawbacks are continuing it can only lead towards lesses. Even our market study programmes are defective and we are not able to sell all that we have produced.

In the case of mines including coal mines, we are to take out the commodity and market it. Here, as well. we are in our lesses. The undertakings, like Hindustan Steel, where the products have to be manufactured are running in heavy losses. On the one hand we are not able to sell what we produce and on the other hand we are prepare for setting up of new steel plants Alongside the import of steel items is continuing. How long will this state of affairs continue ?

Our traditional rural trades are declining and big factories, either in public sector or in private sector, are being established. We carry our produce to the Mills and have to wait for long to get its price.

Have we trained our youth to become employable ? Employment means that people are able to produce so much that may enable them to earn their livelihood. It is necessary that we import training for gainful employment to our youth.

In Bihar, a lot of money has been spent both in public sector and private sector industries. But what to talk of high offices, even the small posts are rarely provided to Biharis. Most of the offices are situated outside Bihar and as such most of the services go to non-Biharis. Both coal and iron are available in Bihar. It is, therefore, essential that a factory is established there.

As has been pointed out by Estimates Committee, it is very necessary that steamer service is introduced again in the Ganga river. You have recognised Brahampuira as a national highways, but we cannot go to Calcutta *via* that route. But Ganga can be used as a water-way from Allahabad to Howrah. Let it be declared as a National Water-way and also let us built ports at Patna and at two other places. This project has its strategic importance as well. We shall have to be very careful, one or two bridges alone will not be sufficient.

श्री पो० राम मूर्ति (मदुरै) : योजना पर सात घण्टे का वाद-विवाद उसके विभिन्न पहलुओं नियति कृषि नीति, औद्योगिक नीति, विदेशी सहयोग एवं पूंजी विनियोजन नीति पर कुछ भी लाभदायक प्रभाव नहीं डाल सका। योजना पर सम्यक विचार के लिए आवश्यक था कि संसद को कुछ छोटी-छोटी समितियों में विभक्त कर उसके विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत विचार किया जाता। तब हम सत्ताधारी दल की विचारधारा को कुछ प्रभावित कर पाते।

योजना के आरम्भ में इसका उद्देश्य समाजवादी ढंग के संगठन के निर्माण का उद्देश्य रखा

गया है जोकि ठीक उसी रूप में है जिसमें कि दूसरी योजना में रखा गया था। सामाजिक उद्देश्य से निजी लाभ को निर्णय की मुख्य कसौटी नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने इस बारे में कतई विचार नहीं किया कि उन उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हो पाई है और यदि उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई तो क्या हमने अपनी नीति में कोई परिवर्तन किया है ? योजना आयोग में कहा है कि सामाजिक न्याय के बारे में पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इस पर भी वे आयोजन करना चाहते हैं, यह एक आश्चर्यजनक बात है।

आयोजन के 15 वर्ष पश्चात् भी वे यह कहते हैं कि आंकड़े उपलब्ध नहीं। क्या उन्हें ज्ञात नहीं कि 75 परिवारों ने धन के भण्डार भर लिए हैं। कम्पनी विधि प्रशासन ने अध्ययन के पश्चात् आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कि चार वर्ष में बिड़लाओं की सम्पत्ति 293 करोड़ रुपये से 509 करोड़ रुपये बढ़ गई हैं। अन्य उद्योग पतियों के बारे में भी आँकड़े एकत्र किए हैं। कृषि श्रमिक अनुसंधान समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है कि कृषि-श्रमिकों की आय दूसरी योजना में 107 रुपया से घटकर 100 रुपया रह गई है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deupty-Speaker *in the Chair*.]

क्या सरकार को विदित नहीं, कि कृषि के क्षेत्र में धन कुछ ही व्यक्तियों के पास एकत्र हो गया है ? क्या उन्हें ज्ञात नहीं कि विभिन्न सरकारों द्वारा भूमि पट्टे के कानूनों से किसानों का संरक्षण नहीं हुआ अपितु इससे उन्हें भूमि विहीन ही किया गया है। भूमि पर कुछ ही व्यक्तियों के स्वामीत्व की प्रवृत्ति बढ़ गई है। चोर बाजारी चालू है फिर भी योजना आयोग ने कहा है कि उनके पास आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

लोगों की आय में आमदनियां अन्तर घटने के स्थान पर बढ़ता ही गया है। योजना के कुछ लक्ष्यों तक पहुंचा नहीं जा सका। परन्तु कुछ लक्ष्यों का अतिलंघन भी किया जा चुका है। पहली योजना में घाटे की निर्धारित अर्थ व्यवस्था 290 करोड़ रुपये थी, जबकि वास्तव में वह 420 करोड़ रुपया रही। तीसरी योजना में 550 करोड़ रुपए रखी गई थी जबकि वास्तव में 1200 करोड़ रुपए रही। जन साधारण पर, योजना के नाम पर अधिकाधिक करों का बोझ पड रहा है जो कि निर्धारित लक्ष्यों से भी कहीं अधिक है।

आज उपभोक्ता वस्तु उद्योगों की हालत चिन्ताजनक है। कपड़ा उद्योग को ही लीजिए। इसकी प्रति व्यक्ति खपत 16 गज से घट कर 14 गज रह गई है। 70-80 कपड़ा मिलें बन्द हो गई हैं। हमारा देश ब्रिटेन और फ्रांस की तरह से नहीं है जिसका विकास पूंजी के आधार पर हो सके। पिछली तीन योजनाओं में सरकार की नीति देश की जनता की समस्त पूंजी को टाटा और बिड़ला के हाथों में सौंपने की रही है।

करापवंचन के जोरों पर होते हुए भी पिछले 15 वर्षों में एक भी व्यक्ति को जेल में नहीं डाला गया है। यहां तक कि समाचार पत्रों में उनके नाम भी प्रकाशित नहीं किये जाते हैं। भ्रष्टाचार व्याप्त है।

सरकारी संस्थाओं से कुछ मुट्ठीभर पूंजीपतियों को ही लाभ पहुंचता है। अकेले बिड़ला

को ही जीवन बीमा निगम से 30 करोड़ रुपया मिला है। सरकार द्वारा स्थापित सभी वित्तीय संस्थान केवल इन्हीं लोगों की सहायता करते हैं। आयात प्रोत्साहन भारत सरकार द्वारा वैधकृत भ्रष्टाचार है। सरकार उन्हें ऐसी वस्तुओं के आयात के लिए लाइसेंस देती है जिन पर वे 60 प्रतिशत तक मनाफा अर्जित करते हैं।

इन सब बातों का परिणाम यह है कि आज भारत सरकार यह नहीं जानती कि विदेशों पर हमारी निर्भरता कब खत्म होगी। प्रधान मंत्री ने कहा कि चतुर्थ योजना में विदेशी ऋणों का अंश बहुत कम कर दिया गया है और यह केवल 8 प्रतिशत होगा। यह तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने की बात है। वास्तव में जो ऋण विदेशों से मिलेगा उसका एक बड़ा भाग पिछले ऋणों की किश्त और उसके ब्याज के भुगतान के रूप में चला जायेगा। और हमारे पास योजना के लिए बहुत छोटा भाग शेष रह जायेगा।

विदेशी सहयोग प्राप्त करने की हमारी नीति से हमारी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी समस्याएं बढ़ी हैं। श्री कृ० चं० पन्त ने दूसरे सदन में जो वक्तव्य दिया हैं उसके अनुसार इस देश में कुल विदेशी पूंजी 92 करोड़ रु० की लगी है जबकि ब्याज, लाभांश, लाभ और अन्य रुप में 165 करोड़ रु० विदेशों को गया है। हमारे पूंजीपतियों ने विदेशों के साथ जो करार किये हैं वे इस प्रकार के हैं कि हमें कुछ वस्तुओं के आयात के लिये निरन्तर रूप से विदेशों पर निर्भर करना होगा।

हमारे देश में हमारे वैज्ञानिक भूखे मर रहे हैं और बेरोजगार पड़े हैं। हमारे देश में एल्यूमीनियम प्रचुर मात्रा में नहीं होता है फिर भी हम विमान निर्माण सम्बन्धी करार करते समय एल्यूमीनियम के प्रयोग के लिये सहमत हो जाते हैं। इस प्रकार हम इस महत्वपूर्ण उद्योग के सम्बन्ध में भी विदेशों पर निर्भर हो जाते हैं। हमारे देश में क्रोमियम बड़ी मात्रा में होता है और हमारे वैज्ञानिकों ने विमान निर्माण में इसके प्रयोग का तरीका निकाला है। फिर भी हमारी सरकार उन वैज्ञानिकों की सहायता नहीं करती है।

हमारे वैज्ञानिकों ने बिजली से चलने वाले छोटे संगणकों का विकास किया है। यदि उन्हें सहायता की जाये तो कुछ वर्षों में बड़े संगणक भी तैयार कर सकते हैं। किन्तु हमारी सरकार इसके लिए तैयार नहीं है क्योंकि अमरीकी कम्पनियों का हमारी सरकार पर बड़ा दबाव है। वे कंपनियां नहीं चाहती कि हमारे वैज्ञानिक यहां इनका विकास करें क्योंकि इससे उनकी मण्डियों पर बुरा असर पड़ता है। अतः जब तक पूंजीपती देशों पर हमारी निर्भरता को समाप्त नहीं किया जायेगा तब तक हमारी योजनाएं सफल नहीं हो सकती।

योजना में कहा गया है कि बड़े पूंजीपती उद्योगों का तुरन्त विकास कर सकेंगे। किन्तु यदि ऐसा किया गया तो उद्योग कुछ हाथों में ही केन्द्रीत हो जायेगे और कुछ वर्षों के बाद ये पूंजीपती राजनीतिक सत्ता को भी अपने हाथ में ले लेंगे तब आपके लिये एकाधिपत्य को समाप्त करना बहुत कठिन हो जायेगा। सरकारी क्षेत्र के कारखाने और बड़े-बड़े एकाधिपत्य एक साथ नहीं चल सकते। जब तक इन एकाधिपत्यों को नहीं किया जा सकता। इनका एक मात्र उद्देश्य केवल मुनाफा अर्जित करना है। सरकार को घोषणा कर देनी चाहिए कि भविष्य में कोई विदेशी सहायता प्राप्त नहीं की जायेगी। हमें यह भीं घोषणा करनी चाहिए कि 10-15 वर्षों तक विदेशी

ऋणों का भुगतान नहीं किया जायेगा। इससे हमारे पास कम से कम 600 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा बच रहेगी जिससे हम अपने उद्योगों को सुगमता से चला सकेंगे।

पिछले चार या पांच वर्षों के दौरान जबकि हमारे पास तापीय बिजलीघरों के लिये आवश्यक सभा तापीय संयत्रों के निर्माण की क्षमता थी, 30 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा विदेशों से कुछ सामग्री आयात करने पर कम की गई। इससे सिद्ध होता है कि विदेशी मुद्रा के मामले में कुछ निहित हित काम कर रहे हैं।

बेरोजगारी के बारे में इस योजना में कोई उल्लेख नहीं किया गया हैं कि रोजगार के कितने अधिक अवसर पैदा किये जायेंगे। इसके विपरीत यह कहा गया है कि बेरोजगारी के सम्बन्ध में विश्वस्त आंकड़े प्राप्त नहीं हैं। यह एक ऐसी योजना है जिससे किसी व्यक्ति को प्रेरणा नहीं मिलती।

सब चीजों की व्यवस्था करने के पश्चात उनका कहना है कि केन्द्रीय सरकार को 1600 करोड़ रुपये को तथा राज्य सरकारों को 1100 करोड़ रुपये के अन्य कर लगाने पड़ेंगे। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार राज्यों को कराधान के द्वारा 200 करोड़ रुपये और देगी। इसका अर्थ यह है कि आगामी पांच वर्षों में 1800 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर लगेंगे। इसका सीधा अर्थ यह है कि मूल्यों में स्थिरता नहीं होगी और जनसाधारण को और अधिक बोझ सहन करना पड़ेगा। अतः हम इस प्रकार के आयोजन का जिससे विदेशों पर हमें अधिक निर्भर होना पड़े तथा जिससे हमारे लोगों को अधिक बोझ सहन करना पड़े हम समर्थन नहीं कर सकते।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (बिल्हार) : माननीय सदस्य जिस प्रकार के आयोजन में विश्वास रखते हैं उस बारे में मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। गत वर्ष केरल के मुख्य यंत्री ने आयोजन के बारे में एक सम्मेलन अथवा सेमिनार बुलाया था। इस सेमिनार के फलस्वरूप उन्होंने तीन मांगें की। एक मांग यह थी कि केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों को अधिक शक्तियां देनी चाहिए। एक अन्य मांग यह की गई कि प्रतिरक्षा पर होने वाले व्यय को कम किया जाना चाहिये। उनकी तीसरी मांग हड़ताल करने का अधिकार थी। मैं नहीं समझ सकी कि आयोजन की यह कैसी संकल्पना है, इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहती कि पश्चिमी बंगाल में जहां कि उद्योग का ठोस आधार है वहां पर उद्यमकर्ताओं को अपना काम चलाने में कठिनाई हो रही है, और वे नये उद्योग तथा उद्यम लगाने का प्रयत्न भी नहीं कर रहे हैं। यदि अनुशासनहीनता की अनुमति दी गई तो वहां पर कोई योजना नहीं बन सकेगी। इस योजना में हमने समूचे राष्ट्र के लिए आयोजन किया है। हमारा दृष्टिकोण समेकिता है।

यह बड़े आश्चर्य की बात है कि माननीय सदस्य राममूर्ति सुरक्षा की बात कर रहे थे। या वह रवीन्द्र सरोवर में महिलाओं के साथ किये गये दुर्व्यवहार को भूल गये हैं।

मैं यह भी नहीं समझ सकी कि माननीय राममूर्ति कांग्रेस पार्टी को अथवा योजना अथवा स्वतंत्र पार्टी को गालियां दे रहे थे।

यह भी बड़े आश्चर्य की बात है कि किस प्रकार मौलिक नीतियां में मतभेद होने के

बावजूद अलग अलग दल कभी कभी इकट्ठे हो जाते हैं। यह दो वर्ष पूर्व की बात है जब सब आपस में मिल गये थे।

योजना को लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। हमने लोकतंत्रात्मक समाजवाद को अपनाया है और हमने पिछली तीन योजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की है।

जहां तक श्री मसानी की बात का सम्बन्ध है मैं कहना चाहती हूँ कि आयोजनक यदि एक निरन्तर बने रहने वाली प्रक्रिया न हो तो फिर वह आयोजन ही क्या है?

एक माननीय सदस्य ने प्रिवीपर्स लेने वालों को गद्दार कहा है। मैं कहना चाहती हूं कि कुछ लोगों ने देश की एकता के लिए तथा राष्ट्रीय सम्मान के लिये अपने प्रभुत्व को छोड़ दिया था। क्या उन लोगों को हमें गद्दार कहना चाहिये। उन्होंने प्रधान मन्त्री पर आरोप लगाया था कि प्रधान मन्त्री ने विभिन्न लातीनी अमरीकी देशों की यात्रा में राष्ट्रीय धन का अपव्यय किया है। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि वर्तमान विश्व में कोई भी देश अलग अलग नहीं रह सकता। अतः अन्य देशों से मित्रता बनाने के लिये ऐसी यात्राएं करनी पड़ती हैं।

यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि चौथी योजना को गांधी शताब्दी में ही शुरू किया जा रहा है, राष्ट्रपिता तथा योजना के जन्मदाता का एक ही लक्ष्य था वह लक्ष्य था दरिद्रता को दूर करना था। पिछली तीन योजनाओं में हमें बहुत सफलता प्राप्त हुई है। विदेशी सहायता पर निर्भरता भी कम हो गई है। लोगों में भी आत्म-विश्वास उत्पन्न हो जाता हैं और यह सबसे अच्छी बात है क्योंकि जनता के सहयोग के बिना कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। इन शब्दों के साथ मैं चौथी योजना का समर्थन करती हूँ।

श्री जी० भा० कृपलानी (गुना) : यह योजना भी पिछली तीन योजनाओं जैसी ही है। इस की प्रणाली वही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि इन परियोजनाओं से हमारे सामाजिक लक्ष्य किस हद तक पूरे हुए है। आज पहले से अधिक पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। अपराधियों की संख्या पहले से अधिक हो गई है। हमारी नैतिकता का प्रत्येक क्षेत्र में पतन हुआ है। समूचा वातावरण ही हिंसा से भरा हुआ है।

आयोजन का उद्देश्य जनसाधारण की निर्धनता को दूर करना था : लोगों का अधिक रोजगार देकर तथा बेरोजगारों की संख्या को कम करके इस लक्ष्य को पूरा किया जा सकता था। परन्तु ऐसा हुआ नहीं। तीसरी पंच वर्षीय योजना में यह कहा गया है कि समाज के कमजोर वर्गों को वास्तविक मजूरी में कमी हुई है। रोजगार के अवसरों में कमी हुई है। प्रत्येक योजना के पश्चात बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि होती जाती है। क्या कांग्रेस पार्टी का कोई सदस्य इस बात से इंकार कर सकते हैं। यह भी योजना में लिखा गया है कि योजना बाजार में आने वाले नये मजदूरों को भी रोजगार नहीं दे सकी।

एक अन्य बात यह है कि क्या इन परियोजनाओं से हम गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके थे · इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने एक बार इस

सभा में कहा था कि यह सच है कि यद्यपि गरीब और गरीब नहीं हुए तथापि अमीर लोग और अधिक अमीर हो गये हैं। कांग्रेस के एक भूतपूर्व अध्यक्ष ने कहा था कि गरीब और गरीब हो गये हैं।

एक अन्य प्रश्न यह है कि क्या मूल्य बढ़ रहे हैं अथवा कम हो रहे हैं ? सच यह है कि मूल्यों में वृद्धि हो रही है। अतः इस प्रकार गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठ सकता। क्या कोई इस बात से इंकार कर सकता है कि मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई, चोर बाजारी में वृद्धि नहीं हुई और अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि नहीं हुई। मुद्रास्फीति में भी वृद्धि है। लोगों पर इस प्रकार कर लगाने का यह बहुत ही खतरनाक ढंग है। इसको हम जितनी जल्दी समाप्त करें उतना ही अच्छा है।

विदेशों ऋणों की राशि में भी वृद्धि हुई है। स्थिति यह है कि हमें उनकी वापसी के लिए समय में वृद्धि करने के लिए कहना पड़ा है। विश्व में हम से बड़े भिखारी हैं।

यह भी कहा गया है कि हम बहुत समृद्ध हो गये हैं। ये कारें वास्तव में हमारे देश की गरीबी का ही द्योतक है। यह भी कहा गया है कि योजना का एक उद्देश्य अमीर और गरीब में जो अन्तर है उसको कम करना है। परन्तु इन योजनाओं से गरीब और गरीब में जो अन्तर था वह पहले से बहुत बढ़ गया है।

मैं किसी पूंजीपति को दोष नहीं दूंगा। दोष उन लोगों का है जो उनको और अधिक धनी बनने की अनुमति देते हैं। सरकार को पूंजीपतियों को ऐसे अवसर ही प्रदान नहीं करने चाहिए जिससे वे और अमीर बने। यह अच्छा है यदि हम समाजवाद और गरीब तथा अमीर के बीच अन्तर की बात ही न करें।

सरकार ने इस के लिए देवी प्रकोपों को जिम्मेदार ठहराया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या योजना बनाने वालों को इतिहास का अध्ययन बहुत कम है। क्या वे नहीं जानते कि भारत में समय-समय पर सूखा पड़ता रहता है और बाढ़ आती रहती है।

एक अन्य कारण युद्ध बताया गया है। क्या अन्य देश युद्ध नहीं करते अथवा युद्ध के लिए तैयारी नहीं करते। योजना बनाने वालों को योजना बनाते समय इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिये। एक अन्य कारण जनसंख्या में वृद्धि बताया गया है। मेरा निवेदन केवल यह है कि योजना बनाते समय इन सब बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिये था।

वास्तव में ये योजनाएं मूलरूप से ही गलत थी। जापान में प्रति वर्ग मील भारत की तुलना में अधिक लोग रहते हैं। उनके पास कोयला, पैट्रोल तथा लौह अयस्क भी नहीं है तब भी वह हम से अच्छी स्थिति में है। इसका कारण यह है कि उन्होंने ऐसे उद्योग केन्द्रीयकरण नहीं किया। हमने यूरोप की नकल की है। हमारी योजनाएं पूंजी प्रधान थी न कि श्रम प्रधान। हमने अपनी जनसंख्या का लाभ नहीं उठाया है। जहां तक की यूरोप के अर्थशास्त्रियों ने भी यह कहा था कि भारत और एशिया के अन्य देश यूरोप की नकल नहीं कर सकते। न ही ये देश रूस की नकल कर सकते हैं। इनको अपना पृथक तरीका ढूंढना होगा। अतः हमारी योजनाओ को श्रम प्रधान होना चाहिये था। जिससे लोगों को रोजगार अधिक से अधिक प्राप्त होते।

जहां तक बड़ी बड़ी मिलों का प्रश्न है एक करोड़ रुपये के उत्पादन तथा वितरण के लिए

केवल 2000 व्यक्तियों की आवश्यकता है। अतः हमें अपने उद्योगों का विकेन्द्रीयकरण करना चाहिए।

पोलैण्ड के एक प्रमुख अर्थशास्त्री का कहना है कि आयोजित समाजवादी अर्थव्यवस्था में गैर-सरकारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तुलना में अधिक गड़बड़ होती है।

एक अन्य बात यह है कि क्या इन योजनाओं को हमने सावधानी से बनाया है। इन में निर्धारित लक्ष्यों को कभी पूरा नहीं किया गया। दुगुनी राशि व्यय करने पर भी आधा काम पूरा नहीं होता। इन उद्योगों का प्रबन्ध नौकरशाही के लोग करते हैं। अतः इस प्रकार से योजनाओं को सफल नहीं बनाया जा सकता। स्वयं प्रधान मंत्री ने कहा है कि पिछले तीन वर्षों में बिना किसी योजना के हमने कृषि के क्षेत्र में योजना के वर्षों की तुलना में अच्छा काम किया है, अतः मैं नहीं समझता कि यदि ऐसा है तो योजना की क्या आवश्यकता है। अतः बिना योजना के कुछ और वर्ष काम करना चाहिए।

Shri Ahmad Aga (Baramulla) : It is correct that we should not have indicative Plan. The hon. Communist Member has talked much about the alternative plan of Shri Nambondripad. I would like to say that Shri Nambondripad is member of the National Development Council. He can give his suggestions therein. It is not correct to criticise the Plan only the plea we have brought it here because there is some scope for improvement, The hon. Prime Minister has said in his opening speech that we want to abolish the gap between the rich and the poor and also we will check the increase in monopolistic houses. If that is the objective of the Plan then we are definitely proceeding on the right path.

It is true that we have not been able to create buyer's market. It is also true that there are seventy-five houses into our controlling the industry. But is it not true that the Government appointed the Monopoly Enquiry Commission who have found out all these things. It means we are correcting our past mistakes. It is also true that we have passed hard Reforms Act but still there many landless labourers. In the Plan we have made provision for all these things.

It is not correct to say that have not progressed at all. We have made tremendous progress in all the spheres. Planning is a regular process. We may have to nationalize import and export and we may also have to nationalize our banks.

Inspite of the fact that Kashmir is rich in mineral resources it cannot progress economically because it lacks in power. Power is needed for industrialisation of the State. We must produce electricity.

So far as integration of the State is concerned it has been and it will remain part and parcel of India. The problem of Kashmir is not political one but it is an economic one. People are under-employed. We have to give them more employment. Non-employment opportunities should be provided to them.

Planning Commission or the Prime Minister should appoint a working group or a Committee for the State of Jammu and Kashmir and for other backward areas which may study the situation. This Committee should also suggest ways and means for the progress of Jammu and Kashmir.

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : गैर-सरकारी क्षेत्र का पक्ष लेने वाले सदस्य अब हमें मार्क्सवादी कहने लगे हैं जबकि अधिक नियंत्रण का पक्ष लेने वाले व्यक्ति हमें पूंजीवादी बताते हैं। माननीय सदस्य सरकार की कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं। हमें ऐसी आलोचना पर कोई आपत्ति नहीं परन्तु इस सभा की सदा यह परम्परा रही

है कि उन लोगों-की आलोचना न की जाये जो यहां अपनी सफाई पेश नहीं कर सकते तथा योजना आयोग के उप-सभापति तथा सदस्यों के नाम का यहां उल्लेख करना और उनको गालियां देना भी ठीक नहीं है।

एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि हमें फ्रांस की भांति लक्ष्यात्मक आयोजन अपनाना चाहिये। यह औद्योगिक रूप से विकसित तथा मुख्य रूप से पूंजीगत ढांचे वाले देश के लिए उपयुक्त हो सकता है योजना बनाने वाले कुल फ्रांसीसियों का कहना है कि उनका नमूना उन विकासोन्मुख देशों के लिए, जिन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं, उपयुक्त नहीं है, योजनायें तैयार करने तथा उनकी क्रियान्विति के कई एक समान तरीके हैं परन्तु बिना समझे उन्हें लागू नहीं किया जा सकता। हमें योजना बनाते समय अपने देश की स्थिति तथा जनता के मानसिक विकास को ध्यान में रखना होगा। हमारी योजना भारतीय योजना होनी चाहिये। हमें न तो रूसी और न ही फ्रांसीसी तरीका अपनाना चाहिये।

हमने गत 18 वर्षों में अपनी विशेष परिस्थितियों के बावजूद काफी प्रगति की है। हमारा ढांचा लोकतन्त्रात्मक है जिसमें बलपूर्वक तरीके नहीं अपनाये जा सकते। हमारा ढांचा संघीय भी है जिसमें केन्द्र राज्यों के दृष्टिकोण में सुपूर क्षेत्रों की समस्याओं, विकास के विभिन्न स्तरों के बीच भेदभाव की समस्याओं तथा बढ़ती हुई जनसंख्या के बीच समझौता होना चाहिये। इसके अतिरिक्त लगातार दो आक्रमण तथा दो वर्ष तक पड़ने वाले अभूतपूर्व सूखे जैसी विशेष कठिनाइयां हैं। प्रतिरक्षा पर खर्च तीन सौ करोड़ रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर एक हजार करोड़ रुपये प्रति वर्ष करना पड़ा है तथा पांच वर्ष की अवधि में विभिन्न दुर्लभ साधन जूटाने में तीन हजार पांच सौ करोड़ रुपये खर्च करने पड़े हैं।

ऋण चुकाने की अवधि में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में बहुत चिन्ता व्यक्त की गई है। किन्तु हमें निर्यात तथा आयात में असंतुलन के कारण ही ऐसा करना पड़ रहा है जो अनिवार्य था। पहले लिये गये ऋण कम अवधि के तथा अधिक ब्याज वाले थे तथा हमारी निर्यात क्षमता अभी इतनी सक्षम नहीं हुई है। इसलिए, हमें कुछ राहत पाने के लिए ऐसा करना पड़ा है।

निस्सन्देह मूल्यों में वृद्धि से काफी कठिनाई हुई है और मैं सबसे पहले इसे स्वीकार करती हूं। परन्तु इसे भी परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में देखना होगा। 1950-51 और 1964-65 के बीच मूल्य 2½ प्रतिशत वार्षिक की चक्रवृद्धि दर से बढ़े हैं। यह वृद्धि दूसरे देशों की तुलना में कम हैं। इसके बाद दो अभूतपूर्व सूखे और उसके परिणामस्वरूप खाद्य उत्पादन में कमी के कारण मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई। अब कृषि उपज में सुधार होने से मूल्यों में कुछ स्थिरिता आई है। कृषि उपज पर बल देने तथा खाद्यान्न का रक्षित भण्डार बनाने की व्यवस्था चतुर्थ योजना में सम्मिलित किये जाने से यह स्थिरता इस योजना काल में बनी रहेगी।

कई सदस्यों ने कहा है कि कृषि उत्पादन पर किया जाने वाला व्यय पर्याप्त नहीं है। योजना आयोग द्वारा किये गये व्यापक अध्ययन के अनुसार द्वितीय योजना में ऐसे उपबन्ध सरकारी श्रेत्र के लिए रखी गई कुल राशि का 26.6 प्रतिशत अर्थात 1278 करोड़ रुपये था। तृतीय योजना में यह 2112 करोड़ रुपये अथवा कुल परिव्यय का 28.1 प्रतिशत था। इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि चतुर्थ योजना में शुद्ध प्रतिशता के अनुसार गत योजनाओं की तुलना में

अधिक राशि रखी गई है। कृषि क्षेत्र आय में होने वाली वृद्धि गैर-सरकारी अथवा निजी हाथों में रहेगी तथा इसे कृषि में सुधार के कामों के लिए उपयोग में लाया जायेगा। चतुर्थ योजना में इस राशि का अनुमान 1800 करोड़ रुपये लगाया गया है जबकि तृतीय योजना में यह राशि केवल 800 करोड़ रुपये थी। यदि सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों का कुल मिलाकर पूंजी विशेष का हिसाब लगाया जाये तो तृतीय योजना की तुलना में चतुर्थ योजना में कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमों को कहीं अधिक बल दिया गया है।

हमारी योजना में ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं के प्रति अपेक्षा के लिए कई माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है, बिजली, परिवहन तथा संचार में विकास समूची अर्थव्यवस्था में सुधार लाता है, तथापि कृषि विकास पर, जो ग्रामीण विकास की कुंजी है, इस योजना में बल दिया गया है। चतुर्थ योजना में किये जाने वाले सरकारी खर्च का 40 प्रतिशत अर्थात 5666 करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्र में खर्च किये जायेंगे। तृतीय योजना में यह राशि 2560 करोड़ रुपये अथवा 34.1 प्रतिशत और द्वितीय योजना में 1532 करोड़ रुपये अथवा 31.9 प्रतिशत थी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 75 करोड़ रुपये अलग रखे गये हैं जबकि तृतीय योजना में उसे बढ़ाकर 105 करोड़ रुपये कर दिया गया है। तथा चतुर्थ योजना में 363 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का विचार है। उर्वरक, कीटनाशक औषधियाँ तथा ट्रैक्टरों के लिए द्वितीय योजना में 72 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। तृतीय योजना में 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी और अब चतुर्थ योजना में 854.5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा की गई है। यह ठीक है कि भारत 5½ लाख ग्रामों में बसता है। तथा देश के विकास का मापदण्ड ग्रामों का विकास ही है। परन्तु सदियों से पिछड़े क्षेत्र कुछ वर्षों में ही कैसे विकसित हो सकते है। तथापि इस दिशा में प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बेकार तथा निर्जीव कहना ठीक नहीं है। इण्डियन आयल कारपोरेशन, हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स, भारतीय उर्वरक निगम, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड और 25 दूसरे निगमों ने लाभ कमाया है तथा 5 से 15 प्रतिशत तक लाभांश घोषित किया है। इसके साथ ही यह भी सच है कि 24 सरकारी उपक्रमों में कुल 35 करोड़ रुपये हानि रही। सरकार को इसके काम तथा लाभ कमाने के बारे में पूरा-पूरा ध्यान है। अधिकारियों के स्थान पर विशेषज्ञों की नियुक्ति के सुझावों को भी कार्य रूप दिया जा रहा है। विशेष ज्ञान आदि जहां से भी प्राप्त होगा, उसका प्रयोग होगा।

मुझे खेद है कि इस वाद-विवाद में उत्तर और दक्षिण का प्रश्न उठाने का प्रयत्न किया गया है। कहा गया है कि केन्द्रीय सहायता के मामले में दक्षिणी राज्यों के विरुद्ध भेदभाव किया जाता है। केन्द्रीय सहायता मुख्य मंत्रियों की सहमति से निश्चित की जाती है। इस प्रणाली में भेदभाव करने की कोई गुंजाइश नहीं है। केवल 10 प्रतिशत राशि ही विशेष राज्यों के लिए केन्द्र द्वारा राज्यों को स्वविवेक से दी जाती है। तमिलनाडु उन कुछ ही राज्यों में है जिनकी चतुर्थ योजना तृतीय योजना से कहीं बड़ी होगी। अतः तमिलनाडु को कोई विशेष शिकायत नहीं होनी चाहिए।

केन्द्रीय सहायता के बारे में कुछ प्रश्न पूछे गये हैं। जैसाकि मैंने पहले भी एक बार कहा था, अब केन्द्रीय सहायता ऋणों तथा अनुदानों के रूप में इकट्ठी दी जायेगी, न कि योजना विशेष के रूप में।

सभा के प्रायः सभी सदस्यों के रोजगार के बारे ठीक चिन्ता व्यक्त की है। हमें बेकारी की समस्या पर गहरी चिन्ता है। शिक्षित व्यक्तियों में बेकारी मंदी के परिणामस्वरूप बढ़ी है। परन्तु मुख्य रूप से यह समस्या बहुत तीव्र गति से शिक्षा में वृद्धि के कारण पैदा हुई है। इस महत्वपूर्ण समस्या के कुछ पहलुओं पर विचार करने के लिये प्रो० दांतवाला की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति स्थापित की गई है। विकास संबंधी हमारा समूचा दृष्टिकोण नियोजन के अवसरों पर आधारित है।

एक जनसंघी सदस्य ने कहा है किया योजना स्वदेशी होनी चाहिये। योजना पहले ही स्वदेशी है। इसमें आत्म-निर्भरता पर समूचा बल दिया गया है। चतुर्थ योजना में वास्तविक विदेशी सहायता कुल घरेलू साधनों का केवल 8 प्रतिशत ही होगी। योजना में यह भी प्रयत्न किया गया है कि खाद्यान्न का आयात दो वर्ष के अन्दर समाप्त कर दिया जाये। योजना में मशीनों, उपकरण तथा घरेलू जानकारी को उत्तम बनाने की आवश्यकता पर बल दिय गया है।

विरोधी सदस्यों का यह कहना बिल्कुल अनुचित है कि दिल्ली के साथ विशेष भेद-भाव किया गया है। हममें से सभी को इस बात की गहरी चिन्ता है कि दिल्ली का विकास हो परन्तु हमें इस विशेष स्थिति में संसाधनों की कमी को भी ध्यान रखना होगा।

हम योजना की त्रुटियों तथा प्रत्येक राज्यों को सहायता करने की आवश्यकता के प्रति जागरूक हैं। प्रत्येक राज्य की अपनी मांगें तथा आकांक्षायें हैं। इन इच्छाओं तथा आकांक्षाओं के साथ हमारी सहानुभूति है परन्तु सभी आवश्यक वांछनीय बातों को पूरा करना संभव नहीं है।

योजना का पुनरीक्षण प्रति वर्ष किया जायेगा और यदि इसमें कोई चीज और शामिल की जा सकती हो या नये कार्यक्रम शुरू किये जा सकते हैं, तो ऐसा करने कोई झिझक मैं नहीं होगी।

योजना को अधिक समृद्ध आर्थिक व्यवस्था के देश के लक्ष्य की ओर उसे अधिक सहास तथा दृढ़ निश्चिय के साथ आगे बढ़ाने चाहिये। इसमें कोई संदेह नहीं कि देश प्रगति तथा समृद्धि की ओर बढ़ रहा है तथा विषमतायें कम हो रही हैं। परन्तु यात्रा कठिन तथा लम्बी है और इसमें साहस, दृढ़ निश्चय और हम सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 14 सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

लोक सभा में मतविभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 33 ;	विपक्ष में 163
Ayes 33 ;	Noes 163

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय : मैं स्थानापन्न संख्या 5 तथा 6 सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 29 ;	विपक्ष में 168
Ayes 29 ;	Noes 168

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 3 सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabda divided

पक्ष में 15 ;	विपक्ष में 164
Ayes 15 ;	Noes 164

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 12 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

स्थानापन्न प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The substitute motion was put and negatived

अध्यक्ष महोदय : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 17 सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

स्थानापन्न प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The substitute motion was put and negatived

श्री चन्द्रिका प्रसाद सिंह : मुझे स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 15 तथा 16 को वापिस लेने के लिए सभा की अनुमति दी जाये।

स्थानापन्न प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

The substitute motions were, by leave, withdrawn

अध्यक्ष महोदय : अब मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 7 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 7 सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The substitute motion No. 7 was put and negatived.

कम्पनी (संशोधन) विधेयक—जारी

COMPANIES (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi—Sadar) : It is understood that Government intends to refer this Bill to select committee and wants to delay the matter. Our party will oppose this move. We want that complete ban should be imposed on company donations. No more time should be wasted.

It is needless to mention that how politics is being corrupted by such donations. Is it not a fact that big industrial houses give large amount of donations to party in power and get licences in return ? In case this Government is sincere it should get this matter investigated as to how concentration of wealth has taken place. In fact this concentration has taken place with the connivance of the Party in power the Ministers and senior officers of the Government. So long they give donations they are considered to be great petriots and the moments they cease to give donation they are said to be lacking in patriotism.

Monoply commission, Majumdar Committee and A.R.C. have recommended that these donations should be banned.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]

[**Mr. Deputy Speaker** *in the Chair*]

I can understand if some-body imfluences politics by spending money from his own pocket but money belonging to the company is share holders' money. In fact it is public money and the big business houses make use of that money. This money is donated for business interest. In fact it is in the interest of democracy to ban these donations. But this Bill does not provide solution of the problem. This is not comprehensive. In case ban is imposed on company, there will be no ban on registered firm. Five or six partners may come together and form a firm. Then the firm would give donations. The problem of black money could not solved by passing legislation. Therefore I suggest that ban should be imposed on registered firms alongwith companies. It should, however be kept in view that it should not be unconstitutional. The congress party should decide not to take donations from big business house but they should contact common people for donations.

There is another aspect of the problem. In case donations from companies are banned, election will continue to cast more and more as a result thereof the parties may get money from abroad. But what would happen to nationalist parties because they will be in difficulty ? Government is aware of the 'modus operandi' of the money received from abroad. Government should get this matter investigated and consider the manner in which in flow of money can be checked so that the same may not influence only politics. In case we cannot stop foreign Governments from giving money, we could atleast stop our own people from getting money from foreign countries by taking stringent measures against them.

Managing Agency System is coming to an end in this country. But it is also a fact that Managing Agency System has been proved useful in certain industries. The hon'ble Minister should look into this fact but I oppose the move to send the Bill to Select Committee.

Shri Shashi Bhushan (Khargaon) : The ban on donations by companies and abolition of Managing agency system is a welcome step because it is a programme step. These is struggle against exploitation for the last 5000 years. There is social and economic disparity in our country. These companies have tried to maintain this position during the last 20 years. They have contributed to corrupt politics by giving donations. We congratulate the hon'ble Minister for introducing this measure as there is sufficient scope of giving economic assistance to political institutions by the vested interests. Mafatlal Group have 100 Trusts and they have engaged members of their family in order to save themselves from income-tax. The specula-

tion in shares should be stopped and only then this Bill would be useful. The capitalists purchase small companies and thereafter they are seen like floating shares. This bill will help in putting an end to the practice.

It has been stated that we have made collections in connections with Ghalib centenary. It is true and we are maintaining our accounts. But other parties have collected money in connection with Vivekanand Centenary Celebrations and that amount has been spent even in elections. There is no point in impossing charges and counter charges. We should try to find a way out to bring an end to these things.

The unemployment is increasing and ultimately these companies have to be nationalised. We cannot make progress until this disparity is removed. A person who wants to fight elections should go to some of his supporter and ask for donations. He will get the money especially when people wil came to know that he won't get money from capitalist or a company. It will help in bringing healthy climate in the country.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : जनता ने सदैव कम्पनियों द्वारा चन्दा देने का जोरदार विरोध किया है। वर्ष 1960 में मद्रास हाई कोर्ट द्वारा दिये गये एक निर्णय में कहा गया था कि यदि कम्पनियों ने राजनीतिक दलों को चन्दा देना जारी रखा तो हमारी सरकार उद्योगपतियों द्वारा उद्योगपतियों के लिये बन जायेगी। यही प्रभाव राजनीति को भ्रष्ट करने वाला और लोकतंत्र का गला घोटने वाला प्रभाव है। कांग्रेस दल काफी समय से अकेले ही चन्दा एकत्र करता रहा है। वर्ष 1966-67 से वर्ष 1968-69 तक 75 कम्पनियों ने 1,87,00,000 रुपये चन्दा दिया था जिसमें से 1,44,00,000 रुपये कांग्रेस दल को प्राप्त हुए थे। बड़े-बड़े व्यापार गृह और बिड़ला बन्धु सदा कांग्रेस का समर्थन करते रहे हैं। द्रविड़मुन्नेत्र कषगम दल को छोड़ कर लगभग सभी दलों ने ये चन्दे प्राप्त किये हैं।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : आप का दल अभी बना है।

श्री सेझियान : वर्ष 1949 के बाद से है। इस विधेयक में ट्रस्ट और साझेदारी भी सम्मिलित की जानी चाहिये।

जहां तक काले धन का सम्बन्ध है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कांग्रेस ने 95 अथवा 87 लाख के चन्दे से चुनाव नहीं लड़े थे। उन्होंने करोड़ों रुपये खर्च किये थे। इस धन-राशि का कोई हिसाब किताब नहीं था।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें। अब आधे घण्टे की चर्चा होगी।

***लम्बे रेटो वाली कपास की खेती

Cultivation of long Staple Cotton

श्री एस० आर० दामानी (शोलापुर) : कपास नकद फसलों में से महत्वपूर्ण फसल है। परन्तु इस ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। इसी लिये गत आठ वर्षों में कपास के उत्पादन

***आधे घन्टे की चर्चा

Half-an-hour discussion.

में कोई वृद्धि नहीं हुई है। हमारे देश में कपास के उत्पादन में काफी वृद्धि हो सकती है परन्तु उसके लिये कठिन प्रयास की आवश्यकता है। आज कल हमें प्रतिशत 100 रुपये का कपास आयात करना पड़ता है। अतः हमें कपास का उत्पादन बढ़ाने के बारे में गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये।

सामान्य उत्पादन बढ़ाने के साथ हम कपास का निर्यात भी कर सकते हैं और प्रतिवर्ष 100 या 200 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं।

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए]

[Shri Vasudevan Nair *in the Chair*]

वर्ष 1951 में सरकार ने कपड़ा उद्योग के प्रसार की अनुमति दी थी। उस समय 378 मिलें थी। वर्ष 1968 में उनकी संख्या 638 हो गई। कपास की खपत 1950-51 में 35.78 लाख गांठे थी जो 1967-68 में 61.66% लाख गांठे हो गई थी। सरकार ने कपास के उत्पादन के जो लक्ष्य निर्धारित किये थे, वे पूरे नहीं हुए हैं। वर्ष 1965-66 में 70 लाख गाँठों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था परन्तु वास्तविक उत्पादन 56.08 लाख गांठे थी। परन्तु मुझे विश्वास है कि यदि सरकार उचित उपाय करे तो कपास का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य के अनुसार हो सकता है। यदि उसकी अवहेलना की गयी अथवा उचित कार्यवाही न की गयी तो किसानों को कोई लाभ न होगा। कपड़ा उद्योग को भी कोई लाभ नहीं होगा और उन्हें ऊंचे मूल्यों पर प्राप्त होने वाले आयातित कपास पर निर्भर करना होगा।

विश्व में कुल जितने क्षेत्र में कपास की खेती होती है उसके एक चौथाई क्षेत्र में भारत में खेती होती है; परन्तु वास्तविक उत्पादन विश्व के उत्पादन का दसवां हिस्सा है। अमरीका 100 लाख एकड़ भूमि में 90 लाख गांठें पैदा करता है और भारत 20 लाख एकड़ की खेती में से 56 लाख गांठे पैदा करता है। फिर कम उत्पादन के कारण भारत में उत्पादन की लागत अत्यधिक है। इसी लिये कपास का मूल्य भी अधिक है। अमरीका में जितनी भूमि से किसान को 1,50,000 रुपये मिलते है, भारत में उतने ही क्षेत्र में से हमारे किसान को लगभग 35,000 रुपये मिलेंगे। इस देश में हमारे उत्पादन की लागत अत्यधिक है। इस प्रकार किसानों को पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। इस लिये हमें प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाना चाहिये।

सरकार के पेकेज कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ देहातों में कुछ प्रयोग किये गये थे। इन देहातों में सभी आधुनिक वैज्ञानिक उपायों का प्रयोग करने के बाद 1430 पौंड प्रति एकड़ उत्पादन हो सका है। अतः प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने की काफी गुंजायश है और उत्पादन बढ़ने से किसानों को लाभ पहुंचेगा। देश को 100 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। अतः इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। हमें अधिक उपज वाले स्ट्रेन पैदा करने चाहिये और उन का वितरण करना चाहिये। हमें सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करनी चाहिये क्यों इस समय लगभग 35 लाख एकड़ क्षेत्र के 1/5 भाग को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, शेष 160 लाख एकड़ क्षेत्र मौसम पर निर्भर करता है। हमें किसानों को उर्वरक, अच्छे बीज, कीटनाशक औषधियां आदि खरीदने के लिये ऋण की सुविधाएं भी देनी चाहिये।

इस समय अनुसंधान का कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के एक अनुभाग को सौंपा हुआ है। औपचारिक रूप से अनुसंधान कार्य का निरीक्षण इण्डियन सैंट्रल कॉटन कमेटी द्वारा किया जाता था और उन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया है। कई बीज सफल सिद्ध हुए हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार केवल कपास के लिये अनुसंधान क्षेत्र स्थापित करे। एक सरकारी एजेंसी के अनुसार यदि सरकार पांच वर्षों में 60 करोड़ रुपये खर्च करे तो उत्पादन में वृद्धि होगी और फिर केवल हम अपनी आवश्यकता ही पूरी करेंगे बल्कि हम निर्यात भी कर सकेंगे और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकेंगे। 12 करोड़ रुपये प्रति वर्ष कोई बड़ी राशि नहीं है। मेरा सुझाव यह है कि इस योजना को आरम्भ करना चाहिये जिससे देश आत्मनिर्भर हो जाये। आज कल 40 काउंट तक के लिए ग्लोबल कपास का प्रयोग होता है। 40 काउंट का सूत कातने के लिये हमारे देश में काफी कपास है। सरकार 40 काउन्ट तक ग्लोबल काटन के प्रयोग रोक सकती है और इस प्रकार कपास का उत्पादन करने के लिये किसानों को प्रोत्साहित कर सकती है क्योंकि इसकी मांग बहुत है।

मेरा एक सुझाव यह भी है कि इस देश में लम्बे रेशे वाली कपास पैदा करनी चाहिये। इस प्रकार के कपास की देश में कमी है। अतः मेरा सुझाव यह है कि भारतीय कपास में से 60 काउन्ट तक बनाये गये धागे और कपड़े पर उत्पदान शुल्क कम करना चाहिये और विदेशी रूई से बने कपड़े आदि पर उत्पादन शुल्क बढ़ा देना चाहिये। इस पर सरकार लम्बे रेशे वाले कपास का अधिक उत्पादन करने के लिये प्रोत्साहन दे सकती है।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : सरकार को इस बात की जानकारी है कि कपास एक महत्वपूर्ण फसल है। यह फ़सल केवल किसान की आय की दृष्टि से नहीं बल्कि हमारे देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिये भी महत्वपूर्ण है।

कपड़ा उद्योग हमारे प्रमुख उद्योगों में से एक है। हमें इस बात का गर्व है कि हम केवल अपनी आवश्यकताओं को ही पूरा करने में समर्थ नहीं हैं बल्कि हमारे देश का कपड़ा निर्यात करने वाले देशों में महत्वपूर्ण स्थान है।

यह कहना अनुचित है कि हमारे देश में कपास के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है। पहली पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ के समय हमारे देश में कपास का उत्पादन 28 लाख गांठ था। परन्तु वर्ष 1965-66 में कपास का उत्पादन 47.62 लाख, वर्ष 1966-67 में 49.73 लाख, और वर्ष 1967-68 में 55.62 लाख गांठे था। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि हमारे देश में प्रति एकड़ कपास का उत्पादन कम है। लगभग दो करोड़ एकड़ भूमि में हम कपास की खेती करते हैं। परन्तु इसमें से 16 प्रतिशत भूमि में सिंचाई की व्यवस्था है। शेष 84 प्रतिशत भूमि वर्षा पर निर्भर करती है। केवल वर्षा पर निर्भर क्षेत्र में अधिक उत्पादन की सम्भावना नहीं होती। महाराष्ट्र की अपेक्षा पंजाब की प्रति एकड़ उपज अधिक है। अतः यदि सिंचाई की व्यवस्था की जाये तो हमारे देश में भी प्रति एकड़ उपज विश्व के अन्य भागों के बराबर हो सकती है। हमारे किसान बहुत परिश्रमी हैं, केवल कपास की प्रति एकड़ सिंचाई बढ़ाने की आवश्यकता है। राजस्थान की जलवायु बहुत उपयुक्त है और यदि वहां राजस्थान नहर चालू हो जाये तो किसानों को

पानी मिल जायेगा। तब वहां साधारण कपास नहीं अपितु लम्बे रेशे वाला कपास का उत्पादन भी हो सकेगा।

यह कहना अनुचित है कि हम सभी प्रकार के कपास का आयात करते हैं। वास्तव में हम 1.16" या इससे अधिक लम्बे रेशों वाली कपास का आयात करते हैं। फिर हमारे आयात के आकड़ों में कोई वृद्धि नहीं हो रहीं है। कपड़ा उद्योग के प्रसार के बावजूद, कपास के आयात में वृद्धि नहीं हो रही है। वर्ष 1966-67 में 7.75 लाख, 1967-68 में 7.72 लाख और 4 जनवरी 1969 तक 67,000 गाठों का आयात किया गया है और ग्लोबल काटन में से 3.5 लाख गांठों की निकासी की गई है। हम अधिक कपास खरीदने के लिये अमरीका के साथ बातचीत कर रहे है। हमारी कोशिश यह है कि हम आयात कम से कम करे और लम्बे रेशे वाले कपास का उत्पादन बढ़ायें। इस दिशा में हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं और अब वे नये स्ट्रेन बनाने में सफलता प्राप्त करने वाले हैं। हाल ही में उन्होंने एम० सी० यू०-5 हाइब्रिड-4 तथा सुजाता नामक स्ट्रेन तैयार किये हैं। बहुत से अन्य प्रकार के स्ट्रेन बनाने के सम्बन्ध में प्रयोग किये जा रहे हैं। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। हमने कपास के सम्बन्ध में एक समन्वित अनुसंधान परियोजना आरम्भ की है और उस पर 56 लाख रुपये खर्च किये जाने की आशा है। हमें आशा है कि इस कार्य में भी हमें सफलता मिलेगी।

कपास के सम्बन्ध में पौधों के संरक्षण के लिये उपाय करना भी परम आवश्यक है। पौधों के संरक्षण के लिए यद्यपि सरकार सामान्य रूप से राजसहायता नहीं देती है तथापि इस प्रयोजन के लिए उपकरण देने हेतु हम राजसहायता भी दे रहे हैं। सिंचाई की सुविधाओं का भी धीरे-धीरे विस्तार किया जा रहा है।

मुझे आशा है कि इन उपायों से हम कपास का आयात काफी घटा सकेंगे। वर्ष 1973-74 के अन्त तक 80 लाख गांठों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अतः कपास के उत्पादन के सम्बन्ध में हतोत्साह होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्यों, उद्योग, किसानों और वैज्ञानिकों के सहयोग से हम इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति कर सकते हैं।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : May I know the increase in per acre yield ? Is it not a fact that this increase is at the cost of foodgrains production ? I would also like to know whether cotton production is fully modernised, if so, the places where Cotton Picking Machines are working. If it is not modernised, the steps taken to modernise the same ?

May I also know whether these is any scheme for production of cotton on cooperative basis in India, if not, the steps being taken in this direction ?

Lastly I want to know the amount of foreign exchange incurred on import of Cotton in 1968 as compared to 1967 ?

Shri Deorao Patil (Yeatmal) : May I know as to why the per acre yield of cotton is not being increased in spite of all efforts made by the Government ? I would also like to know whether the scheme of support price will be introduced in respect of long staple cotton also so that farmers may be assured reasonable price for their produce ?

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : In reply to Unstarred Question No. 1921 dated

13th March it had been stated that superior long staple cotton was produced in 191 thousand hectares in 1956 but it was reduced to 185 thousand hectares in 1966-67, May I know the reasons therefore ? I would also like to know the difference in price of cotton imported in 1965 as well as in 1968 ? What steps have been taken to enlarge the area of Cotton cultivation and amount of foreign exchange being earned only through exports ?

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : क्या मैं पूछ सकता हूं कि राजस्थान नहर को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ? अधिक उपज वाली नई किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या कपास पर खरीद कर तथा उर्वरक पर उत्पादन शुल्क बढ़ जाने के कारण कपास के उत्पादन में हतोत्साह करने वाली तो सिद्ध नहीं होगी ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैंने पहले ही बता दिया है कि कपास की खेती का लगभग 84 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर निर्भर करता है। अत: उपज वर्षा पर निर्भर करती है। मैंने बताया है कि कपास की खेती के 16 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था है। जहां सिंचाई की व्यवस्था है वहां की उपज की तुलना विश्व में प्रगतिशील देशों की उपज के साथ की जा सकती हैं। महाराष्ट्र में प्रति हैक्टेयर 78 किलोग्राम उपज है तो पंजाब में 333 किलोग्राम है। उपज के मामले में सिंचाई की व्यवस्था और मौसमी वर्षा का अन्तर पड़ता है। यह ठीक है कि किसान सुधरे हुए तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। हम भी नए स्ट्रेन और नये बीज तैयार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इन्हीं कोशिशों से हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं।

वर्ष 1952-53 में प्रति हैक्टेयर उपज 75-80 किलोग्राम थी। परन्तु 1965-66 में औसत प्रति हैक्टेयर उपज 108 किलोग्राम थी जो 1966-67 में 114 और 1967-68 में 124 किलोग्राम हो गई थी। इस से पता चलता है कि उपज में वृद्धि हो रही है।

जहां सहकारिता का सम्बन्ध है, वास्तव में हमारा मंत्रालय कपास बेलन प्रक्रिया को और विशेषकर सहकारी कताई मिलों को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न कर रहा है और ये प्रयत्न देश के बहुत से भागों में सफल रहे हैं।

जहां तक आधुनिकीकरण का प्रश्न है वह इस मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। परन्तु सरकार इस पहलू पर विचार कर रही हैं।

सरकार समर्थन मूल्य के पक्ष में है। यह अलग बात है कि अमुक मूल्य उचित है या नहीं है। हमारी नीति समर्थन मूल्य निश्चित कर किसानों की सहायता करने की है। हमारी यह नीति कपास के सम्बन्ध में ही नहीं बल्कि बहुत सी अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में भी है।

इसके पश्चात लोक सभा मंगलवार, 13 मई, 1969/23 वैशाख, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, May 13th, 1969/ Vaisakha 23, 1891 (Saka)

———

आकाशदीप प्रिंटर्स, 20 दरियागंज, दिल्ली-6।